राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या: 03

सोमवार,

10 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री कान्ति प्रसाद।

राजगढ़ (थानागाजी) के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण रोकने की कार्ययोजना

1. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कस्बा राजगढ़ के फैक्ट्री एरिया में फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं एवं स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या सरकार प्रदूषण को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कस्बा राजगढ़ के रीको औद्योगिक क्षेत्र में डोलोमाइट पत्थर पीसने के लिये उद्योग स्थापित हैं। इस क्षेत्र में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इस प्रकार के 75 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 66 उद्योग कार्यरत हैं एवं 09 उद्योग बन्द हैं। इन उद्योगों में डोलोमाइट पीसने से होने वाले वायु प्रदूषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्याप्त व्यवस्था (साइक्लोन, बैग फिल्टर इत्यादि) की स्थापना कर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत संचालन सम्मति प्राप्त किया जाना होता है। कार्यरत 66 उद्योगों में से 58 उद्योग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वायु अधिनियम के अन्तर्गत वैध

(उद्योग मंत्री)

सम्मति प्राप्त कर संचालित है जबकि 08 उद्योगों के सम्मति आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपर्याप्त पाये जाने पर वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कस्बा राजगढ़ में स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाला पाउडर हवा के साथ चारों तरफ फैलता है जिसकी वजह से फैक्ट्रियों के आस पास स्थित फलदार बगीचों, पेड़ों एवं कृषि फसलों की पत्तियों पर पाउडर की हल्की परत जम जाती है जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण (भौतिक प्रक्रिया) की सघनता कुछ सीमा तक प्रभावित हो सकती है। इस वजह से कुछ सीमा तक फसलोत्पादन प्रभावित हो सकता है, हालांकि इस संदर्भ में किसानों के यहां से कोई शिकायत नहीं मिली कि उनकी फसल अथवा वनस्पति नष्ट हो रही है।

स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण ओपीडी, आईपीडी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है, वह बात सही है कि आप यह मान रहे हैं कि प्रदूषण हो रहा है, किसानों की शिकायत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप मौके पर एक कमेटी भेज दें और वहां के हालात देखें। वहां पर एक-एक इंच पड़त जम चुकी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): आप एक कमेटी भेज करके जांच कराएं कि वहां पर प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर इनका इंस्पेक्शन किया जाता है, जो नियमों के अंतर्गत नहीं चलाते हैं, उनको इसका नोटिस दिया जाता है। थोड़ा बहुत जो प्रदूषण होता है उसको भी हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह अपने संसाधनों को ठीक करें। इसमें बैग वगैरह फिल्टर जो होते हैं उससे पाउडर जो लीकेज होते हैं, उससे प्रदूषण होता है। हमने अभी दिसम्बर और जनवरी में सभी को नोटिस

(श्री परसादी लाल)

दिये हैं और पुख्ता कार्यवाही की है कि प्रदूषण नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो, इस तरह की कार्यवाही करने के लिए हमने सबको नोटिस जारी किये हैं और जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आप एक कमेटी का गठन करके इस समस्या का समाधान करना चाहते हो या नहीं चाहते हो?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी environment committee बनाकर जैसा कि माननीय विधायक कह रहे हैं, उसके अनुसार हम पुख्ता जांच करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या- 2

(स्थगित)

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, प्रश्न संख्या-2 का जवाब नहीं है। आप आराम से बैठें। माननीय सदस्य, आप बैठें। यह गलत परंपरा है, यह काम उनका है।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के संविदा कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान

3. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में विभाग में कुल कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं?

(2) विगत 5 वर्षों में कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया गया है व शेष कर्मचारियों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना व मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना में लगे संविदा कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

(4) क्या सरकार विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) प्रदेश में वर्तमान में विभाग में कुल 24303 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा किसी भी संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने एवं अन्य समस्याओं पर विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमण्डलीय समिति गठित है।

(3) मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर में 113 कार्मिकों का वित्तीय वर्ष 2018-19 का 30.00 लाख रुपये बकाया था, जिसका भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया जिसके कारण इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितम्बर 2019 से बाड़मेर जिले के कार्मिकों का भुगतान नहीं हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर के अधीन 52 कार्मिकों का नवम्बर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय के अधीन सांगानेर ब्लाक के 39 कार्मिकों का अगस्त 2019 से एवं बालोतरा उप जिला चिकित्सालय में 5 कार्मिकों का जुलाई 2019 से वेतन बकाया है। जिला बाड़मेर, जयपुर-द्वितीय एवं डूंगरपुर को आवश्यकता अनुसार बजट आवंटित कर दिया गया है। उक्त कार्मिकों का बकाया भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनूं में 149 कार्मिकों का अक्टूबर 2019 से, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में 7 कार्मिकों का अप्रैल 2019 से एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी श्रीगंगानगर में 8 कार्मिकों का मार्च 2018 से मानदेय बकाया है। इस हेतु अतिरिक्त बजट आबंटित किया जा चुका है, जिससे कार्मिकों को बकाया राशि का भुगतान अतिशीघ्र कर दिया जाएगा।

(4) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा कार्मिकों के मानदेय में प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित पीआईपी में स्वीकृत दर अनुसार मानदेय अभिवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है।

संविदा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं, जिनमें वेतन एवं मानदेय वृद्धि भी शामिल है, पर विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति गठित है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि सभी संविदाकर्मियों को

(श्री संदीप शर्मा)

नियमित किया जाएगा और अभी तक मात्र आपकी मंत्रीमंडलीय बैठक हुई है और उसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि किन संविदा कर्मचारियों को आप नियमित करेंगे। एन.आर.एच.एम. और यू.टी.बी. के जो आपके कर्मचारी तो पहले से ही नियमित होते आए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): पर उनके साथ वह व्यक्ति, संविदा कर्मियों को जिनको सब्जबाग दिखाये गये सुनहरे भविष्य के लिए, उनका पूरा भविष्य आज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उनके लिए जो कम्प्यूटर पर बैठ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, नहीं तो मैं आपका प्रश्न बंद कर दूंगा। मैं आपका प्रश्न बंद कर दूंगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो कम्प्यूटर पर बैठ रहे हैं और दूसरे संवेदक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप प्रश्न पूछें। मैं फिर बोल रहा हूं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हां, वह ही मैं कह रहा हूं, साहब। उनके लिए सरकार का क्या इरादा है?

श्री अध्यक्ष: आपका जो प्रश्न है, वह पूछें। आपका प्रश्न मेडिकल से संबंधित है, भाषण के लिए नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, मैं भाषण नहीं दे रहा। उन संविदाकर्मियों के लिए सरकार क्या कर रही है जिनका वादा किया था?

श्री अध्यक्ष: पूरे संविदाकर्मियों का प्रश्न नहीं है, केवल मेडिकल संविदा कर्मियों का प्रश्न है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): साहब, 24 हजार बताये हैं चिकित्सा संविदाकर्मी, उनके नियमितीकरण के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? कृपया मंत्रीजी, यह बताएं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिए, 01 जनवरी, 2019 को राज्य में जो अलग-अलग विभागों में संविदाकर्मी कार्यरत हैं, उनकी

(श्री रघु शर्मा)

समस्याओं के समाधान के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, पांच बार इसकी बैठकें हो चुकी हैं और लगातार नए-नए सुझाव आ रहे हैं तो इसका अंतिम जो कंक्लूजन है, उस पर एक-दो बैठकें और होने के बाद ही कोई स्थिति के बारे में कहा जा सकता है लेकिन सरकार संवेदनशील है और संविदाकर्मियों के प्रति जो भी हमारे फीगर्स आ रहे हैं अलग-अलग विभागों के, उन पर बार-बार मंत्रिमंडलीय समिति विचार कर रही है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): जो संविदाकर्मी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनका जो वेतनमान है, उसमें निश्चित रूप से उनका एजेंसीज द्वारा शोषण किया जा रहा है। उनको पूरा वेतन नहीं मिल पाता है और ई.एस.आई. और पी.एफ. की सुविधा से उनको बिलकुल वंचित रखा गया है, इस पर भी सरकार ध्यान दे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि संविदा कर्मचारी अलग है और यह जो एजेंसी के द्वारा हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है, वह हमारे संविदा कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंहजी। एक मिनट, शंकर सिंहजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): संविदाकर्मी की समस्या को लेकर पिछली सरकार के समय में भी कमेटी बनी और इस बार भी कमेटी बनी। अब इसमें दो ही प्रश्न हो सकते हैं कि इनको रैगुलर करेंगे या नहीं करेंगे? हमारी क्षमता है या नहीं? केवल इतने से विषय के लिए टालने का काम नहीं करके to the point आएं कि आप कर सकते हैं तो कर दें और नहीं कर सकते हैं तो आप जो श्रेणीवाइज कर सकते हैं तो श्रेणीवाइज करिए कि उसमें से कौनसी आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन इसको टालने वाले में, एक साल निकल जाना मतलब, वन फोर्थ समय खतम हो गया।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो संविदाकर्मी, अब वह फीगर इसलिए नहीं देना चाहता कि लिटिगेशन वाला मामला बीच में है। हमने उनको एक साल में 10 अंकों का, दो साल में 20

(श्री रघु शर्मा)

अंकों का, तीन साल में 30 अंकों का लाभ देते हुए और उनको यह जो नई भर्ती हमने कमप्लीट की है या कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ दिया है। रैगुलराइज करने का काम प्रक्रिया के अधीन है और जो बचे हुए हैं, उनके मानदेय में या जो उनको रैमुनरेशन मिलता है, उसमें जो वृद्धि की जा सकती है, उस पर हमारी मंत्रिमण्डलीय समिति विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंहजी।

ब्यावर के नीलकंठ महादेव मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

4. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नीलकंठ महादेव मंदिर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने तीसरी बार यही सवाल पूछा है। जिसका पहला जो पोर्शन है उसका जवाब है -

जी हां। पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है। दूसरी बात आपकी जानकारी के लिये, नीलकंठ महादेव मंदिर पर 10 लाख रुपये की सीसी रोड 500 मीटर आलरेडी बना चुके हैं और आपके सुझाव अभी आने बाकी हैं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, अभी तक आपके सुझाव आये नहीं हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नीलकंठ महादेव मंदिर, दुधारेश्वर मंदिर और मांगड जी महाराज के यह तीन मंदिर हैं, इन तीनों के लिये अलग-अलग स्थान हैं, इनको पर्यटन विभाग के पास में वहां से प्रशासन के द्वारा भी पर्यटन स्थल घोषित करने के लिये भी पूरी फाइल आ चुकी है, उसके बाद में वहां के रोड की ऐसी हालत है कि कोई दर्शन करने जा नहीं सकता। उसके लिये भी आप क्या कार्यवाही करना चाहेंगे, यह थोड़ा आप बताएं। सारी रोड्स टूटी हुई पड़ी हैं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): देखिए, मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष जी के माध्यम से सदस्य महोदय से कहना चाहूंगा कि आप हमें प्रस्ताव भेज दें। आपसे पहले भी निवेदन किया था कि आप प्रस्ताव भेजें, उसके बाद बजट उपलब्धता के आधार पर जैसे ही फंड उपलब्ध होंगे, उसके हिसाब से हम सैंक्शन कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

रोहट तहसील (पाली) में फसलों की गिरदावरी

5. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले की रोहट तहसील के किस-किस पटवार सर्कल के कौन-कौन से गांव में वर्ष 2019 में किस-किस कृषि जिन्स का प्राकृतिक कारणों से कितना-कितना प्रतिशत खराबा हुआ? गिरदावरी एवं फसल कटाई रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में प्राकृतिक कारणों से हुए फसल खराबे पर किस-किस गांव के किस-किस काश्तकार को कितनी-कितनी राशि कितनी-कितनी अवधि में आपदा राहत कोष से अनुदान के रूप में एवं अन्य माध्यम से दी जानी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खराबे के विरुद्ध दिये जाने वाले अनुदान एवं अन्य मुआवजा राशि देने में अत्यधिक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि के भुगतान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) पाली जिले की रोहट तहसील के पटवार सर्कलवार/गांववार वर्ष 2019 में कृषि जिंस का प्राकृतिक कारणों से नुकसान का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। गिरदावर क्षेत्रवार गिरदावरी रिपोर्ट परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है एवं फसल कटाई रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) उक्त तहसील में प्राकृतिक कारणों (बाढ़) से हुए फसल खराबे पर 80 गांवों के 15,662 लघु/सीमांत काश्तकारों हेतु राशि 2278.48 लाख की राशि एन डी आर एफ/ एस डी आर एफ के नोर्म्स अनुसार विभागीय DMIS पोर्टल द्वारा दी जानी है। DMIS पोर्टल पर तहसील रोहट के 11,039 प्रभावित काश्तकारों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। प्रभावित काश्तकारों

(राजस्व मंत्री)

को कृषि आदान अनुदान सहायता देने हेतु पाली जिले को राशि 13,73,35,163 रुपये का आबंटन कर दिया गया है, जिनके कृषि आदान अनुदान के वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। खराबे के विरुद्ध दिये जाने वाले अनुदान के लिये प्रभावित काश्तकारों द्वारा जमाबंदी, खातेदार का बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड, आधार कार्ड, काश्तकार का वर्ग इत्यादि उपलब्ध करवाने पर डाटा DMIS पोर्टल पर इन्द्राज किया जाता है। DMIS पोर्टल पर जिलों द्वारा आनलाइन बजट की मांग करने पर बजट उपलब्धतानुसार जिलों को कृषि आदान अनुदान आबंटित किया जाता है। बजट प्राप्त होते ही प्रभावित काश्तकारों को अनुदान वितरण DBT के माध्यम से कर दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने क्रम संख्या 2 में जो जवाब दिया है, 15,662 लघु और सीमांत काश्तकार हैं। माननीय मंत्री महोदय, भारत सरकार ने 2015 में नियम चेंज कर दिये और प्रत्येक काश्तकार, चाहे वह बड़ा भी है, उसके खराबा हुआ है तो उसको नुकसान का अनुदान मिलता है तो वह जो बड़े काश्तकार हैं, वह लघु और सीमांत की श्रेणी में नहीं आते हैं। आप भारत सरकार के नोर्म्स के अनुसार उनको भी अनुदान देंगे या नहीं देंगे, एक तो यह स्पष्ट कर दो। दूसरा, आपने देरी का जो कारण बताया है न, कि काश्तकार का बैंक खाता, बैंक का आई एफ एस सी कोड, काश्तकार का आधार कार्ड, मेरे क्षेत्र में 2016, 2017 और 2018 इन पिछले तीन वर्षों में खराबा हुआ और यह जो नियम लागू किया है आधार कार्ड और बैंक खाते वाला, तो 2016 में सारे के सारे काश्तकारों के बैंक खाते या और जो कोई जानकारी आपको चाहिए, वह सब तहसील में उपलब्ध है। कोई नई जानकारी की आवश्यकता नहीं है, तो बार-बार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप थोड़ा अपने डिपार्टमेंट से जो भी कर्मचारी हैं, उनको आप पाबंद करेंगे कि समय पर अनुदान मिल जाए।

मंत्री महोदय, तीन ही पूछ सकते हैं तो मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कोई काश्तकार को 2016 में अनुदान मिल गया, 2017-2018 का बाकी है, किसी को 2017 का मिल गया, 2016 और 2018 का बाकी है, किसी को 2018 का मिल गया तो 2016 और 2017 का बाकी है और कारण बताते हैं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कि आधार कार्ड या बैंक खाते की कापी नहीं है तो एक बार जिस काश्तकार को अनुदान मिल गया, उसके खाते में चला गया तो इसका मतलब विभाग के पास बैंक खाते की कॉपी भी है, आधार कार्ड की कापी भी है या जो जानकारी आपके विभाग को चाहिए, वह सारी की सारी है। वह बकाया है 2016, 2017 और 2018 का, वह अनुदान आप कितने दिन में दिलवा देंगे और 2019 वाला आप कितने दिन में दिलवा देंगे, यह आप बताने की कृपा करें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो एन डी आर एफ और एस डी आर एफ के नोर्म्स हैं, उनके अनुसार लघु और सीमांत के अलावा जिस श्रेणी के अंदर काश्तकार को अनुदान का प्रावधान है, उन तमाम काश्तकारों को सरकार अनुदान देगी। दूसरा सवाल कि यह जो देरी हो रही है, वह देरी का कारण यह बताया गया। इसके अलावा भी देरी होने के अंदर जो प्रक्रिया है, पटवार सर्कल स्तर के ऊपर, तहसील स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर और फिर राज्य सरकार के पास आकर वह प्रक्रिया पूरी की पूरी वापस होती है जिससे कोई डुप्लीकेसी नहीं हो जाए। DMIS के ऊपर जो अपलोडिंग होती है, वह भी लंबी प्रक्रिया रहती है। मैं यह मानता हूं कि इस प्रक्रिया के अनुसार समय बहुत लग रहा है, पर निरन्तर यह प्रयास किया जा रहा है कि यह समयावधि कम कैसे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि जो संवत् 2073-2074 के अंदर समय लगता था, उससे 2075 के अनुसार जो अनुदान दिया गया, उसके अंदर समयावधि कम लगी है और निरन्तर हम लोग प्रयास करेंगे कि समयावधि और कैसे कम हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): मेरा जो मूल प्रश्न है 2016, 2017, 2018 का जिस काश्तकार का अनुदान बाकी है, तीन वर्ष में से एक वर्ष का मिल गया, इसका मतलब आपके पास उसकी जानकारी है, वह कब तक दिलवा देंगे और 2019 का कब तक दिलवा देंगे? यह थोड़ा बता दें आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने कहा कि संवत् 2073-2074 के अनुदान के अंदर वार्षिक वर्ष जो 2016-17 है वह संवत् 2073-74 है, उसकी गणना का आकलन करने के वर्ष से वह थोड़ा अलग है पर जो 2073-74 के अंदर प्रक्रिया थी, वह आफलाइन थी और 2075 के बाद में प्रक्रिया आनलाइन हो रही है तो पूरी की पूरी प्रक्रिया वापस आनलाइन कराने के कारण यह समय लग रहा है। उस समय तो वह डाटा था, पर वह डाटा वापस आनलाइन करा रहे हैं, इसलिये वापस री-वैरीफिकेशन कराकर कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास

(श्री हरीश चौधरी)

दिलाना चाहता हूं कोई भी व्यक्ति अगर वह सही पाया जाएगा तो उसको अनुदान से वंचित नहीं रखा जाएगा।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): कितनी अवधि में दिलवा देंगे, मैंने यह बार-बार पूछा है। जो आपके पुराने पैंडिंग हैं न, पुराने, 2016 के, 2017 के और 2018 के, वह आप कितनी अवधि में दिलवा देंगे? एक सीधा-सा क्वेश्चन है मेरा, आप उत्तर दे दो इसका। अवधि बता दो न आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): समयावधि तो आज के समय के अंदर मैं सदन को नहीं बता सकता हूं, पर जल्दी से जल्दी कराएंगे। मैंने निवेदन किया कि 2073-74 का अनुदान भी बाकी है, वह अलग-अलग कारणों से है। अगर किसी का कारण वैधानिक तौर पर वह नियमों में नहीं आता है या डुप्लीकेशन का मामला है तो उन सबको कैसे दिला पाएंगे? नियमों के अंदर जो आ रहा है, उनको जल्दी से जल्दी दिला दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, इनका प्रश्न यह है कि जिन काश्तकारों के बैंक में खाते हैं, आपने यह आनलाइन सिस्टम बाद में शुरू किया, जिन खातों का आपके पास रिकार्ड उपलब्ध है, उनको बाद में नहीं मिल रहा है तो उनको, जिनको पहले 2016-17 में अपनी बुक में एंट्री है और उनको मिल गया, उनको आप देंगे कि नहीं देंगे? वह प्रक्रिया में टाइम लगेगा, वह तो एक सिस्टम अलग है, पर आपने जिसे एक बार दे दिया, उनको एक बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह इनका मोटा प्रश्न है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 2073-74 वालों को भी मिलेगा और 2075 को आने वाले 30 दिनों के अंदर, यह 2075 वाला अनुदान उनके खातों में चला जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

जनजाति छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ड्रैस का वितरण

6. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले में टी.ए.डी. छात्रावासों, एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सी स्कूल एवं खेल छात्रावासों के छात्र-छात्राओं की स्कूल ड्रैस, जूते, मोजे, टावल

(श्री फूल सिंह मीणा)

आदि के लिए पूर्व में सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त छात्रावासों में दो ड्रैस का कपड़ा व सिलाई हेतु राशि दी गई है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त निर्णय किस स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया है तथा विलम्ब के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) विभागीय छात्रावासों, खेल छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के विभिन्न बजट मदों के उपशीर्ष 61 के तहत खाद्य सामग्री एवं सहायक सामग्री यथा स्कूल ड्रैस, जूते, मोजे, टावल आदि छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। पूर्व में तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिए गये निर्णय अनुसार पोशाक क्रय एवं नकद राशि छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी थी। गत वर्ष में आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को 2600/- रुपये दिये गये थे व खेल छात्रावास के छात्र-छात्राओं को 3645/- रुपये की राशि उनके बैंक खाते में जमा करायी गई थी।

(2) इस वर्ष में छात्रावासों, एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सी स्कूल एवं खेल छात्रावासों के छात्र-छात्राओं को दो ड्रैस का कपड़ा दिया गया है। निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के पश्चात् शेष बचत राशि की गणना कर इस मद में ड्रैस की सिलाई हेतु 350/- रुपये प्रति छात्र-छात्रा रखते हुए शेष 850/- रुपये प्रत्येक छात्र-छात्रा के बैंक खाते में सीधे ही आनलाइन जमा करायी जा रही है।

(3) उक्त निर्णय सक्षम स्तर से लिया गया है। बजट मद में खाद्य सामग्री एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। देरी के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। बजट मद के प्रावधान अनुरूप जनजाति छात्र-छात्राओं को व्यवस्थित गणवेश मिल सके, इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

(4) लागू नहीं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि 2013 में पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी, महेन्द्रजीत सिंह जी मालविया साहब इसके मंत्री थे, पहले भी यह ड्रैस दी जा रही थीं। जो इन्होंने पैसे लागू किये, जो हर छात्र के खाते में जुलाई महीने में ड्रैस के पैसे चले जाते थे और वो अगस्त तक पहनकर पूरे सीजन में काम में लेता था। ऐसा क्या कारण हुआ जो वो पैसे बंद करके ड्रैस लेकर कपड़े देना, उसको दिसम्बर माह तक ड्रेस नहीं दी, पैसे नहीं दिये, यह क्या कारण रहा? ड्रैस कब दी, यह भी आपने नहीं बताया। पूर्ववर्ती सरकार पांच साल बी.जे.पी. की रही, अच्छा नियम था, उसको कंटीन्यू लागू रखा। आपके आते पहले ऐसी क्या समस्या आ गई जो वो पैसे उस गरीब के खाते में नहीं देकर भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए ड्रैस खरीदकर देना और वो भी दिसम्बर तक ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर तक वो नहीं आये और सिलाई के लिए 350 रुपये दिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया। भाषण नहीं, प्रश्न कीजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, एक साथ ही पूछ लेता हूं। मैं पूरा पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न आ गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सर, नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिये। आपका प्रश्न आ गया। पहले पैसे देते थे अब ड्रैस क्यों दे रहे हैं? इस पर व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह पूछा कि पैसे की जगह ड्रैस क्यों दी जा रही है? यह निर्णय सक्षम स्तर से लिया गया था। आपके समय भी पहले पोशाकें दी गयी थीं। विद्यालयों में, छात्रावासों में यह शिकायत आ रही थी, पैसा जो उनके अकाउंट में भेजते हैं उससे बच्चे ड्रैस नहीं खरीदकर दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं। स्कूल में या तो फटे कपड़ों में आते हैं या विदाउट ड्रैस आते हैं इसलिए सक्षम स्तर से निर्णय लेकर उनको पोशाक वितरण करने का फैसला लिया गया।

इसमें प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा मंगा कर

(श्री परसादी लाल)

सिलाई के लिए दे दिया गया है। बहुत जल्दी छात्र-छात्राओं को दो-दो ड्रैस मिलेंगी। इसमें कहीं कोई किसी तरह का...

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं। प्लीज आप बैठें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कहीं किसी जगह कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। यह ड्रैस देने का फैसला सरकार का फैसला है और हम इसको लागू करेंगे। अभी हमारा बजट भी लेट आया था, प्रक्रिया में भी देरी हुई, कपड़ा मीलों में कहीं बिड खुलने में देरी हुई। हम बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा छात्र-छात्राओं को छात्रावासों में मिले, यह सरकार का उद्देश्य है। अध्यक्ष महोदय, इनके वार्डन हैं, न तो उनको जूते खरीदकर देते थे, ना उनको मोजे देते थे, उनको फटे कपड़ों में ही छात्रावासों में रहना पड़ता था। अब जब ड्रैस मिलेगी, एकरूपता छात्रावासों में लगे इसके लिए सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस समस्या में परिवर्तन करने का जो मूल कारण था, पहले कपड़ा खरीदने में बार-बार कई प्रकार की अनियमितताएं हुईं, जांचें हुईं और समय पर बच्चे तक कपड़ा नहीं पहुंचता था इसलिए बैठ करके विचार हुआ कि क्यों नहीं कैश दे दें और बच्चे को बता दें। मेरा केवल यही है कि जो पैसा देते थे उस समय ऐसा कौनसा विद्यालय है जिसका बालक ड्रैस पहन करके नहीं आया क्योंकि अगस्त तक आपकी लास्ट सीमा थी ड्रैस बना करके पहनकर आने की और वो अच्छी से अच्छी ड्रैस बना करके पहनकर आता था। फिर अपन उसी प्रक्रिया पर चलेंगे जिसमें खरीदने में और पहुंचाने में और उसकी सिलाई के लिए जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो उसकी सिलाई नहीं करेगा, तो पूरा साल बिना ड्रैस के निकल जाता है। जो प्रक्रिया शुरू की थी उस प्रक्रिया में क्या दोष था जिसके कारण से आपने वापस कपड़ा देने की इस प्रक्रिया को सेन्टरलाइज किया?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि छात्र उस पैसे का, जब पैसा आनलाइन अकाउंट में जाता था उसकी ड्रैस

(श्री परसादी लाल)

नहीं खरीदकर दूसरे कामों में खर्च कर देते थे, मोबाइल वगैरह खरीदते थे, बच्चे छात्रावासों में, स्कूल में ड्रैस में नहीं आते थे, ये वार्डन की उनकी मिलीभगत है। उनको हल्की क्वालिटी का कपड़ा मिलता था। अब हमने बिड लेकर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदा है। अध्यक्ष महोदय, इस साल देर हुई, उसके लिए मैं स्वीकार कर रहा हूं पर आगे से इसमें कोई देरी नहीं होगी, उनको अच्छी क्वालिटी की ड्रैस मिले, यह सरकार का प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज। माननीय मंत्री जी, दोनों व्यवस्था में गुण और अवगुण है। उस व्यवस्था में भी गुण है, इस व्यवस्था में भी अवगुण है। उस व्यवस्था में वार्डन की मनमर्जी से इन्फ्लूएंस होता था, इस मनमर्जी में पैसा देने के बाद यदि मां-बाप क्वालिटी नहीं जानता है तो गांव में घटिया कपड़ा भी मिलता था। दोनों की व्यवस्था को देखकर कैसे ठीक कर सकें, उसके बारे में प्रयत्न किया जाना चाहिए।

अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या-7

श्री रामनारायण मीना।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

कोटा के तकनीकी विश्वविद्यालय में अनियमितता की जांच

8. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में विगत पांच वर्षों में गैर शैक्षणिक तथा अधिकारी वर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है?

(2) उक्त प्रकरणों की जांच के क्या परिणाम रहे?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ प्रकरणों की जांच में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की स्थापना से शैक्षणिक/अशैक्षणिक तथा अधिकारी वर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में आज दिनांक तक भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के निम्न तीन प्रकरण सामने आये:-

1. श्री मनोज कुमार जांगिड़, सहायक कुलसचिव
2. डा. सी.पी. गुप्ता, प्रोफेसर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग
3. डा. मदन लाल मीणा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर

उक्त तीनों प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है।

(2) (i) श्री मनोज कुमार जांगिड़, सहायक कुलसचिव के सम्बन्ध में शिकायत ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र की सत्यता को लेकर थी। सत्यता हेतु तहसीलदार, जयपुर तहसील की सत्यापन रिपोर्ट में ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र सही पाया गया है।

(ii) डा. सी.पी. गुप्ता, प्रोफेसर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में कम्प्यूटर साइंस की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आपत्ति आई थी। इस क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 16.9.2016 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 25.6.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

(iii) डा. मदन लाल मीना, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर चयन प्रक्रिया में शारीरिक विकलांग के लिए आरक्षण सम्बन्धी राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन की पालना करने के लिए आपत्ति प्राप्त हुई थी। इस क्रम में राज्य सेवा के तीन अधिकारियों की विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने चयन नियमानुसार पाया। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 8.9.2016 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की 26वीं बैठक दिनांक 25.6.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

(3) जी नहीं।

बिन्दु संख्या 02 अनुसार उक्त प्रकरणों की जांच पूर्ण हो चुकी है।

(4) प्रकरणों का निस्तारण बिन्दु संख्या 02 अनुसार किया जा चुका है। अत: अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कोटा तकनीकी

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

विश्वविद्यालय के लिए राज्यपाल महोदय ने जांच के लिए कोई पत्र लिखा? अगर पत्र लिखा तो आपने उसके लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया और जिस अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त किया, उसने क्या रिपोर्ट दी? यह सदन पटल पर रखने का प्रयास करें।

साथ ही कोटा विश्वविद्यालय की जो स्थिति है कि यहां पर 60 प्रतिशत पद खाली हैं। एक तरफ हम अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलग प्रश्न है। प्रश्न पूछना है तो इसी में से पूछें। अलग प्रश्न है, वह पूछ रहे हैं आप।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): जो 60 प्रतिशत पद खाली हैं, उनको भरने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ पूर्व माननीय सदस्य थे विधान सभा के, उनकी ही शिकायत थी। उनकी ही शिकायतें माननीय राज्यपाल महोदय को मिली थीं। उसके क्रम में ही 3 अधिकारियों की समिति का गठन किया गया था, जिसकी सूचना अनुपूरक के माध्यम से आपको दे दी गई है। उसी के अनुसार उन चयन समितियों की जो रिपोर्ट आई थी उसको सही पाया गया। कोई प्रकरण अभी विचाराधीन नहीं है। उन सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का नियत समय पर भुगतान

9. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों से झालावाड़ जिले में विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, नि:शक्तजन एवं अन्य योजना की पेंशन निर्धारित समय पर नहीं मिल रही है? यदि हां, तो निर्धारित समय पर उक्त पेंशन के भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत झालावाड़ जिले में वृद्धावस्था, विधवा/ तलाकशुदा, विशेष योग्यजन एवं लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र पेंशनर्स को सामान्यतः प्रतिमाह नियमित रूप से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में अधिकांश पेंशन राशि का भुगतान ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों अथवा पोस्ट आफिस खातों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ पेंशनर्स के बैंक खातों की संख्या गलत होने या बैंक शाखा का आईएफएससी कोड गलत होने के कारण आर.बी.आई से पेमेन्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। पेंशनर्स द्वारा राजस्थान जन आधार पोर्टल में बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सही करवाकर संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उस पेंशनर की पेंशन का भुगतान उसके सही खाते में ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) द्वारा कर दिया जाता है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जानकारी के अभाव में आईएफएससी कोड गलत होने के कारण, आरबीआई द्वारा उनके खाते में पैसा नहीं जाता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे पेंशनधारियों के लिए क्या सरकार किसी अधिकारी व कर्मचारियों को लगाकर, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसका दुरुस्तीकरण समय पर करके उनको भुगतान हो, इसके लिए क्या कोई प्रयास करेगी?

दूसरा, आपने खण्ड 1 में जवाब दिया है कि हर महीने पेंशन मिलती है। मंत्री महोदय, दो-दो, तीन-तीन महीने से पेंशन नहीं मिलती है। ऐसे प्रकरण मैं आपको लाकर सुपुर्द करूं तो क्या उसकी आप जांच कराने का प्रयास करेंगे? जिनकी वजह से उनको समय पर पेंशन नहीं मिली उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुछ नई पेंशन होती हैं और नई पेंशनर्स की वजह से उसमें महीने, 2 महीने का टाइम लगता है। उसको हर महीने पेंशन नहीं मिल पाती है। नए पेंशनधारी क्योंकि कई होते हैं, हर महीने 10-20 हजार पेंशनें कटती हैं और 10, 20, 30 हजार पेंशनें नई जुड़ती हैं। आपने जैसा कहा है कि खातों में

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

और रिजर्व बैंक के उप कोषों में अगर किसी प्रकार की गलती के कारण से उसकी पेंशन अटक जाती है तो उसमें कार्मिक को लगा करके सही करेंगे। हमने 5-6 महीने पहले एक नई नीति जारी की है। हमारी सीधी राशि बैंक खाते में आनलाइन होकर के जाएं, उसमें थोड़ा महीने, 2 महीने का टाइम लगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारा जो नीचे लेवल का, ब्लाक लेवल का अधिकारी एसएसओ है, उसके मार्फत हम बराबर इसकी जानकारी भी लेते हैं। हम अब निर्देश देंगे कि हर सूरत में महीने के आखिर तक उसको पेंशन मिल जाए। यह हमारा प्रयास रहेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

10. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार की प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की योजना में प्रदेश में कितने जिला मुख्यालयों पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं?

(2) क्या सरकार राजसमन्द जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द में कितनी भूमि उपलब्ध है व परिसर के समीप कितनी राजकीय भूमि उपलब्ध है तथा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय के लिए कितनी न्यूनतम भूमि आवश्यक है तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय में कितनी शय्या होनी चाहिए? जिला चिकित्सालय, राजसमन्द में न्यूनतम पात्रता पूरी करने के लिए आवश्यक शय्याओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 07 जिला मुखयालयों (भरतपुर, सीकर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाड़ा) पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किये गये। द्वितीय चरण में धौलपुर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत हो चुका है एवं तृतीय चरण में कुल 15

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जिला मुख्यालयों (अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुन्झुनूं, दौसा) पर चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

(2) राजसमन्द जिले में राजकीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत नवीन मेडिकल कालेज स्वीकृत करने के लिये सिर्फ वे ही जिले योग्य हैं जिनमें पूर्व में कोई निजी/सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कालेज खुला हुआ नहीं है। राजसमन्द में पूर्व में निजी क्षेत्र का एक मेडिकल कालेज, अनन्ता इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्राम कालीवास, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द में कार्यरत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, तहसील देलवाड़ा है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तहसील देवगढ़।

श्री अध्यक्ष: देलवाड़ा है। तहसील देवगढ़ नहीं है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, यह बाई मिस्टेक है सरकार। बाई मिस्टेक है। यह नाथद्वारा के पास है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी का गांव है वह।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मैं समझ गया। मैंने देखा हुआ है इस इंस्टीट्यूट को पहाड़ को तोड़कर के बनाया है।

अत: भारत सरकार को इस संबंध में योजना की शर्तों में आवश्यक संशोधन करने हेतु निवेदन किया गया है ताकि वे जिले जहां पूर्व में निजी क्षेत्र में मेडिकल कालेज हैं, वहां पर भी सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कालेज खोले जा सकें। इस कॉलेज के लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरएसआरडीसी को कार्यादेश दिया हुआ है।

(3) आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमन्द को कुल 17.263 एकड़ जमीन आबंटित है। परिसर के समीप राजकीय भूमि उपलब्ध नही है। नवीन महाविद्यालय के लिए जिला अस्पताल/रैफरल अस्पताल में न्यूनतम 20 एकड़ भूमि होना आवश्यक है अथवा यदि 20 एकड़ जमीन एक जगह उपलब्ध नहीं है तो दूसरा टुकड़ा जो कि 10 कि.मी. की परिधि में हो जिसमें छोटा टुकड़ा कम से कम 5 एकड़ की साइज का हो तथा कुल भूमि 25 एकड़ से कम न हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 20 एकड़ है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 20 एकड़ ही तो बोला है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने 25 बोला है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 20 एकड़, 20 एकड़। निकल गया होगा।

मेडिकल कालेज हेतु संबद्ध चिकित्सालय में 200 या उससे अधिक शय्या होनी चाहिए, जो कि राजसमंद जिला चिकित्सालय में वर्तमान में उपलब्ध हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का बाई मिस्टेक एक और और बताना चाहती हूं कि इसमें भी कुछ बाई मिस्टेक छप गया है। खण्ड 3 के अंदर इन्होंने जो कहा कि मेडिकल कालेज हेतु संबद्ध चिकित्सालय में 200 या उससे अधिक शय्या होनी चाहिए जो कि राजसमन्द जिला चिकित्सालय में वर्तमान में उपलब्ध है। अब यह भी बाई मिस्टेक है? राजसमन्द जिला चिकित्सालय हंड्रेड एंड फिफ्टी बैडेड ही है। अब यह करेक्शन करेंगे या मुझे विशेषाधिकार हनन में जाना है?

श्री अध्यक्ष: यह करेक्शन कर देंगे। आप अपने मूल प्रश्न पर आ जाएं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ना, ना, मैं तो मूल प्रश्न पर तो आ ही रही हूं लेकिन बाई मिस्टेक इसमें लिखा है। इसको या तो यह करेक्ट करें। या तो 200 बैडेड कर दें उस हास्पिटल को या फिर वन फिफ्टी को कह दें कि यह कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपका उद्देश्य अपग्रेडेशन करना है या मेडिकल कालेज खुलवाना है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अपग्रेडेशन करना है।

श्री अध्यक्ष: हां, तो फिर यह प्रश्न संबंधित ही नहीं है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कनफ्यूज हैं। 150 बैड इनके आर.के. चिकित्सालय में हैं और 50 बैड एनसीएच के इनक्लूड करके यह 200 बैड माने हैं। यह गलत नहीं हैं फीगर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वैरी नाइस। यानी आप 200 बैडेड कर देंगे उसको। धन्यवाद।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य, मैंने तो आपके फायदे को ध्यान में रखते हुए एनसीएच के 50 बैड इसमें जोड़कर के बताए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप अध्यक्ष की तरफ देखें। आप मेरी तरफ देखें। मेरे से नाराजगी है क्या?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप ही की तरफ देखूंगी क्योंकि आपको ही उद्धार करना है। 200 बैडेड हो जाएगा, इसके लिए तो धन्यवाद कि आपने आश्वस्त किया। मिलाकर के 200 कर दिया है, उसके लिए तो धन्यवाद।

अब दूसरा इन्होंने जो जवाब दिया है कि परिसर के समीप राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि आलरेडी 17.263 एकड़ है और 20 एकड़ की अगर बात करते हैं कि मिनिमम एमसीआई का जो नोर्म्स है, उसमें कहा है कि 20 एकड़ मिनिमम होना चाहिए, उसमें 2.73 एकड़ कम है। उन्होंने कहा है कि इसके पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि इसमें 14 एकड़ जमीन जस्ट कनेक्टेड टू हास्पिटल, हास्पिटल की बिल्कुल सीमा पर 14 एकड़ जमीन जो राजकीय गर्ल्स कालेज के लिए उपलब्ध थी। उसके लिए अलॉटेड है लेकिन गर्ल्स कालेज आलरेडी बाहवा में बन चुका है। वहां काम शुरू हो चुका है। कालेज का 6 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में यह पास में जमीन उपलब्ध है। यह सिर्फ जानकारी के लिए है।

अब दूसरा माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर यह भी रखना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न लगा और 5.2.2020, यानी अभी 5 तारीख को ही कलेक्टर ने अफरा-तफरी के अंदर 35 एकड़ जमीन जो कि पास के, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, एक लैटर निकाला है, आदेश निकाला है 5 तारीख को ही कलेक्टर, राजसमन्द ने जिसमें कहा गया है कि 35 एकड़ लैंड, 75 बीघा जमीन आसपास के गांव जो कि देवपुरिया, वहां पर एक लैंड है, वहां ली है, दूसरा मजां के अंदर, इस प्रकार इन्होंने सारा दिया है। आप चाहें तो मैं इसको पूरा पढ़ सकती हूं कि जिसमें किस प्रकार से इस लैंड को लिया गया है, देवपुरिया पटवार के अंदर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न ही पूछ रही हूं माननीय

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यदि लैंड उपलब्ध है तो आसपास के गांव के अंदर क्यों जाना है? एमसीआई का नोर्म्स यह कहता है कि "The medical college or medical institution shall be housed in unitary campus of not less than 20 acres of land except in metropolitan (New Delhi, Mumbai, Kolkata & Chennai) and A class cities (Ahmedabad, Hyderabad, Pune, Bangalore and Kanpur) However, this may be relaxed......"

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. अगला प्रश्न। (व्यवधान) आप तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप तो प्रश्न पर ही नहीं आना चाहते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न पर ही आ रही हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: इससे क्या सम्बन्ध है इस प्रश्न का?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इससे यह सम्बन्ध है कि एमसीआई का नोर्म्स यह कहता है कि अगर रिलेक्स करेंगे, एमसीआई यह कहती है कि 25 लाख की पापुलेशन पर जो हास्पिटल है ...(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें, रिलेक्स करेंगे या नहीं करेंगे यह पूछें। इतना लम्बा प्रश्न पूछ रही हैं, घण्टा-आधा घण्टा एक प्रश्न के लिए नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): रिलेक्स तो वह कर ही नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बात हो गई आपकी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एमसीआई कहती है कि केवल आप 25 लाख की पापुलेशन की जो सिटी है उसी को रिलेक्स कर सकते हैं, यह एमसीआई का नोर्म्स कहता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जमीन उपलब्ध है हास्पिटल के पास में, बिलकुल पास में ही है एडजोइनिंग है, क्या आप उसी एडजोइनिंग जमीन को लेकर एमसीआई के नोर्म्स के अनुसार जिला मुख्यालय पर स्थित जो हमारा राजकीय चिकित्सालय है उसी को आप मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करेंगे या नहीं?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री रघु शर्मा)

पहली बात तो माननीय सदस्या को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आपका मेडिकल कालेज नोर्म्स में ही नहीं आ रहा है। एमसीआई के नोर्म्स यह कहते हैं कि जहां निजी क्षेत्र का मेडिकल कालेज है, वहां सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कालेज खुल नहीं सकता। उसके बावजूद भी मैंने हर्षवर्धनजी को चिट्ठी लिखी है नोर्म्स में छूट के लिए। मेरे सैक्रेटरी, मेडिकल एजुकेशन ने छूट के लिए लिखा है। आप नए-नए झगड़े पैदा कर रही हैं। आप एक चीज का समाधान तो होने दो। रहा सवाल जमीन अलाटमेंट हुई है 75 एकड़, नोर्म्स यह कहते हैं कि 10 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए अस्पताल के। देवपुरिया में यह जमीन अलाट हुई है 75 बीघा जमीन। जमीन भी अलाट हमने कर दी, आरएसआरडीसी को इसकी पीपीआर बनाने के लिए दे दिया जबकि अभी तो मामला अटक रहा है। एमसीआई के नोर्म्स के अनुसार इसकी स्वीकृति भारत सरकार देगी कि नहीं देगी, फिर भी हम पीपीआर बना रहे हैं। आप यह कह रही हैं कि मैं विशेषाधिकार में जाऊंगी। 150 बैड आपके, 50 बैड एनसीएच के जोड़कर आपके केस को पुख्ता करना चाह रहा हूं, आप खुद ही मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप राजसमन्द का भला चाहती हैं कि बुरा चाहती हैं, यह तय कर लें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बहुत अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, भला राजसमन्द का चाहते हैं लेकिन ये भला कहीं और का करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, हो गया। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 12.

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): क्रम संख्या 1. जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना ...(व्यवधान) सारी।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

अकलेरा (झालावाड़) में राजस्व अधिकारियों का पदस्थापन

11. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारी के अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो इन्हें अब कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अकलेरा में उपखण्ड अधिकारी का पद दिनांक 30.09.2019 से रिक्त चल रहा है जबकि तहसीलदार के पद पर दिनांक 27.01.2020 को पदस्थापन कर दिया गया है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उपलब्धता के मद्देनजर सभी जिलों में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से बनाये रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का पदस्थापन अविलम्ब करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(2.) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में पटवारी के 76 पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से 33 पद रिक्त हैं। पटवारियों के 4421 पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। शीघ्र ही सीधी भर्ती का आयोजन कर पटवारी के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो उपखण्ड अधिकारी का छह माह से पद रिक्त है, तहसीलदार, मनोहरथाना और अकलेरा, दोनों पद रिक्त थे। अभी चार दिन पहले अकलेरा तहसीलदार का पद भरा गया है। अब छह माह के अंतराल में आज पंचायती राज के चुनाव हो गए हैं और इससे राज कार्य में बाधा और किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप समय सीमा निश्चित करके मुझे बताएं कि कब तक आप ये पद भर दोगे?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): कौनसा पद?

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): उपखण्ड अधिकारी एवं पटवारियों के।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार का पद तो 27.1.2020 को भर दिया गया है। एसडीएम का पद अतिशीघ्र भर दिया जाएगा।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): मनोहरथाना का तो खाली है माननीय मंत्रीजी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अकलेरा के संदर्भ में आपने सवाल किया है, उसके संदर्भ में है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): थोड़ा जल्दी भर दें।

नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु बजट का आबंटन

12. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? इनमें से कितने रिक्त हैं? महाविद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में कई राजकीय महाविद्यालय भवन रहित हैं? यदि हां, तो जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा कई महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी?

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त महाविद्यालयों हेतु बजट आबंटन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का महाविद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट 01 व 02 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भवन रहित राजकीय महाविद्यालयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 03 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(3) जी हां। जिन राजकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं की गयी है, उनका विवरण परिशिष्ट 04 पर संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। वर्ष 2019 में खोले गये 38 नवीन महाविद्यालयों को संवेतन व अन्य मदों में बजट आबंटन किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट 05 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने उत्तर में बताया कि राजस्थान में 292 महाविद्यालय हैं उनमें 6940 पद स्वीकृत हैं और 6940 में से 2366 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं। ये जो 2366 पद रिक्त हैं उन महाविद्यालयों में से भी आपने प्रतिनियुक्ति पर कितने प्राध्यापकों को दूसरे महाविद्यालयों में लगा रखा है? क्या आपके निदेशालय में लगा रखा है? एक तो आप यह बता दें।

दूसरा, कई महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें सात पद स्वीकृत हैं और सात के सात ही रिक्त हैं। छह पद स्वीकृत हैं और छह के छह ही रिक्त हैं तो इस प्रकार पद यदि सात स्वीकृत हैं और सात ही रिक्त हैं तो उन महाविद्यालयों का संचालन कौन कर रहा है?

तीसरा, शिक्षा मंत्रीजी लक्ष्मणगढ़ से आते हैं, इनके यहां महाविद्यालय में सात पद स्वीकृत हैं, सात के सात पद ही रिक्त हैं तो आपके शिक्षा मंत्रीजी और उच्च शिक्षा मंत्रीजी में कार्य को लेकर तालमेल का अभाव है या कोई नाराजगी है कि सारे के सारे पद रिक्त हैं, यह बता दें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक पदों का जैसे माननीय सदस्य ने बताया, स्वीकृत पद 6940 हैं, उनमें से 4574 पद भरे गए हैं, 2364 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 2019 की बजट घोषणा में 920 पदों को भरने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और आरपीएससी को इन पदों को शीघ्र भरने के लिए अभ्यावेदन विभाग द्वारा भिजवा दिया गया है। इन रिक्त पदों को राजस्थान के हमारे

(श्री भंवर सिंह भाटी)

राजकीय महाविद्यालयों में भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। प्रतिनियुक्ति का जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जिन कालेजेज में पद रिक्त होने की वजह से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, ऐसे राजस्थान के कई कॉलेज और जो नए कॉलेज खोले गए हैं, पिछले वर्ष हमारे राजस्थान में 38 राजकीय महाविद्यालय खोले गए माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा, उनमें शैक्षणिक व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है।

हमारे आयुक्तालय में भी जो हमारे पद स्वीकृत हैं, उसके अनुसार ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ के बारे में जैसा बताया गया कि सात के सात पद रिक्त हैं, ऐसा नहीं है। अधिकांश पद लक्ष्मणगढ़ में भी भरे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: आप तीन प्रश्न एक साथ पूछ चुके हैं। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

अतिवृष्टि से फसलों के नुकसान का मुआवजा

13. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2019 से फरवरी, 2020 के मध्य अतिवृष्टि के कारण किन-किन जिलों में फसलों का नुकसान हुआ? जिलेवार एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए विशेष गिरदावरी कराई गई थी? यदि हां, तो कब? उसमें हुए नुकसान का जिले एवं तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2019 में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को कब भेजी गयी व केन्द्र सरकार की कमेटी कब व किस जिले में मूल्यांकन हेतु कहां-कहां गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या उक्त अतिवृष्टि से हुए नुकसान की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता राशि किसानों को प्रदान की गई? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने किसानों को कितनी राशि वितरित की गई? तहसीलवार संख्या व राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) खरीफ संवत् 2076 की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में बाढ़ से 18 जिलों में खरीफ फसल में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा हुआ था। प्रभावित जिलों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) खरीफ फसल 2019 में बाढ़ से हुए फसल खराबे की रिपोर्ट 07 नवम्बर, 2019 को केन्द्र सरकार को भिजवाई गयी। केन्द्र सरकार के अन्तर मंत्रालयिक केन्द्रीय दल द्वारा दिनांक 02 एवं 03 सितम्बर, 2019 को राज्य के कोटा, बून्दी, बारां, झालावाड़, नागौर एवं अजमेर जिले के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(4) केन्द्र सरकार से बाढ़ के ज्ञापन के विरुद्ध एनडीआरएफ से राशि प्राप्त नहीं हुई है। एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु जिलों को 79.90 करोड़ रुपये आबंटित कर दिये गये हैं। भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 18 जिलों के 106 तहसीलों में यह खराबा हुआ। इसके पेटे इन उपरोक्त तहसीलों में जितने किसानों का खराबा हुआ, इन्हें फसल खराबे के एवज में क्या कोई पैसा दिया गया है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खराबा जुलाई-अगस्त में हुआ और जो गिरदावरी का समय 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक है। उसके बाद भारत सरकार की टीम आ गयी और टीम आने के बाद राजस्थान के इन जिलों में पटवारी के मार्फत तहसीलदार, तहसीलदार के मार्फत कलेक्टर पूरी गिरदावरी करने के बाद हमारे विभाग में भेजते हैं। आपको भी इसकी जानकारी होगी, क्योंकि आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

अबकी बार सारी प्रक्रिया अलग प्रकार से की गयी है, आनलाइन प्रक्रिया की गयी है। पहले तहसीलदार से उस जमीन के बारे में जानकारी की गिरदावरी के आधार पर। उस काश्तकार का नाम हमारे यहां पर भेजा जाता है। आपके समय के बाद में यह प्रक्रिया चालू हुई और नाम आने के बाद जिला कलेक्टर महोदय को यह राशि आबंटित की जाती है। मैंने जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है, उस दिन तक यानी पांच दिन पहले तक जो राशि थी वह थी 79.90 करोड़ रुपये, लेकिन उसके बाद आज की जो स्थिति है, उसमें 193.28 करोड़ रुपये कलेक्टरों के यहां भिजवा दिये गये हैं।

मैं कहना चाहूंगा, जो आपकी मंशा है कि जल्दी से जल्दी काश्तकार के खाते में पैसा जाना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि संवत् 2071, 2072, 2073 और 2074 के पैसे की पैंडेंसी को भी हमने पिछले एक साल के पीरियड में बहुत कम किया है। अभी यह जो संवत् 2076 की रिपोर्ट आयी है, उसके आधार पर तत्काल ज्यों ही गिरदावरी की रिपोर्ट हमारे विभाग में आएगी, हम पैसा कलेक्टर को भिजवा देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें फसल के एवज में यह आप 80 करोड़ रुपये जो बता रहे हैं, इसमें से क्या कोई पैसा उनके फसल खराबे के लिये गया है या जो उनके मकान वगैरह डैमेज हुए, उसके तहत गया है? क्या खराबे के तहत किसान को अभी तक कोई पैसा मिला है? अगर सितम्बर में केन्द्र की टीम आ गयी और आपके यहां से देखकर के चली गयी, आपने नवम्बर में अपने यहां से रिपोर्ट भेजी तो कितना पैसा आपने खराबे का मांगा और उसके तहत आपने उसे प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये और किसान के खाते में फसल खराबे के नाम से एक पैसा भी गया या नहीं, यह बताएं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की जो टीम आयी, उस टीम ने जिलों में जाकर के रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद राज्य में चूंकि ये जो जिले हैं, उनमें 996 गांव हैं और इनकी रिपोर्ट हमने बनाकर भारत सरकार को भेजी है। भारत सरकार ने जो राशि भेजी है, वह आने वाले समय में एनडीआरएफ के मार्फत आएगी। बाकी काश्तकार का जो पैसा होगा, वह पैसा हम जल्द से

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

जल्द, जितना जल्दी भुगतान होगा, उतना जल्दी देने की चेष्टा करेंगे, यह मैं कहना चाहूंगा।

दूसरा, आपने पूछा है कि वैसे तो हमने यह योजना जब बनायी, तब यह पांच हजार करोड़ रुपये से ऊपर की बनी थी और उस योजना में भारत सरकार किस प्रकार से काट-काटकर देती है, वह आप भी जानते हैं। इनके अलग नोर्म्स बने हुए हैं। उन नोर्म्स के आधार पर जिलों की रिपोर्ट जो हमारे पास आयी है, उसके आधार पर हम एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के मार्फत काश्तकारों को देंगे।

तीसरा, जो अतिवृष्टि की बात आयी है बाढ़ वगैरह की, उस समय चूंकि गिरदावरी हो रही थी, इसलिये हमने बाढ़ की अलग गिरदावरी नहीं करायी। उस गिरदावरी के आधार पर ही यह राशि हम मंजूर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 70(d) के अनुसार जो 18 जिलों की राशि है, वह हम जल्दी से जल्दी इन जिलों में भिजवाएंगे, चाहे भारत सरकार से राशि आये या न आये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा कि ये जो 80 करोड़ रुपये आप जिला कलेक्टर के खाते में डालना बता रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि कुछ और पैसा डाल दिया। जिला कलेक्टर के खाते से इस पैसे में से किसी किसान को एक रुपया भी फसल खराबे के एवज में मिला है या नहीं, इतना ही बताएं बस।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है, यह प्रक्रिया लम्बी है और लम्बी प्रक्रिया होने से...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ये देना ही नहीं चाहते।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): 153 करोड़ रुपये हमने कलेक्टर को दिये हैं। ट्रैजरी में पड़ा है। अब यह पैसा काश्तकारों को तेजी से मिल जाएगा। यह मैं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

जिला स्तरीय चिकित्सालयों में डायलिसिस सुविधा

14. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) प्रदेश के जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा एवं संबंधित विभाग के चिकित्सक कहां-कहां उपलब्ध हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें डायलिसिस की सुविधा कहां-कहां पर है तथा कहां पर सरकारी है? कहां-कहां पर पी.पी.पी. मोड पर संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में पी.पी.पी. मोड पर संचालित डायलिसिस व्यवस्था में कितनी मशीनें स्थापित की गयी थीं तथा वर्तमान में कितनी मशीनों से डायलिसिस हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में डायलिसिस हेतु आवश्यक सरकारी उपकरण स्थापित करवाकर संबंधित चिकित्सक व प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में मरीजों के लिये डायलिसिस की सुविधा एवं संबंधित विभाग के चिकित्सक उपलब्ध हैं। इसकी सूची चिकित्सालयवार परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। प्रदेश में राजकीय जिला स्तरीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं। पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सालयों पर डायलिसिस संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (नेफ्रोलोजिस्ट) विभाग के स्तर पर पद स्थापित नहीं है।

(2) राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी स्तर पर डायलिसिस सुविधा की उपलब्धता की चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। राजकीय चिकित्सालयों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस की सुविधा की उपलब्धता की चिकित्सालयवार सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एसकेग संजीवनी प्राइवेट लि. कोलकाता द्वारा पीपीपी मोड पर 10 मशीनों से डायलिसिस करने का कान्ट्रेक्ट वर्ष 2016 में किया गया था तथा वर्तमान में एसकेग संजीवनी प्राइवेट लि. कोलकाता द्वारा पीपीपी मोड पर 2 मशीनों से एवं सैटेलाइट अस्पताल में 04 मशीनों से डायलिसिस की जा रही है। शेष मरीजों को

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

आवश्यकतानुसार दीपमाला पागरानी अस्पताल अजमेर से नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

(4) जी हां। नई डायलिसिस मशीन स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव अजमेर स्मार्टसिटी लिमिटेड को भिजवाये गये हैं। स्मार्टसिटी प्रोजेक्ट से स्वीकृति प्राप्त कर डायलिसिस मशीन अस्पताल में स्थापित की जानी प्रस्तावित है। इन्हें चलाने के लिए 10 चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण हेतु आरएनटी मेडिकल कालेज, उदयपुर भेजा जा रहा है।

यह तो मैंने मेरे मूल जवाब में दिया है, लेकिन साथ की साथ हमने कुछ लोगों को जयपुर भी दोनों जगह ट्रेनिंग के लिये एडवांस में भेजने का निर्णय कर लिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री लालूदास एवं श्री नूरा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

लालूदास, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री लालूदास का जन्म 15 अप्रैल, 1944 को उदयपुर जिले के करेल ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री लालूदास छठी राजस्थान विधान सभा में फलासिया निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री लालूदास ने आदिवासी समाज में सुधार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

श्री लालूदास का दिनांक 7 जनवरी, 2020 को निधन हो गया।

नूरा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री नूरा का जन्म 1 अगस्त, 1933 को अजमेर जिले लूलवा बाडिया ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

(श्री अध्यक्ष)

श्री नूरा छठी राजस्थान विधान सभा में मसूदा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय साम्यवादी दल के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा की कार्यवाही में आपने सक्रिय योगदान दिया।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री नूरा मसूदा पंचायत समिति के 15 वर्षों तक उप प्रधान तथा तीन वर्षों तक प्रधान रहे। आपने युवा वर्ग को संगठित कर उनमें राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किया। श्रमिकों तथा किसानों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे श्री नूरा ने अनेक किसान आन्दोलनों, प्रदर्शनों तथा सत्याग्रहों में सक्रिय भूमिका निभाई। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए हुए आन्दोलनों में आपकी सक्रिय भागीदारी के कारण आपने दो बार जेल यात्रा की।

श्री नूरा का दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में टिड्डियों के हमले से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विद्युत की दरें बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से राज्य के 12 जिलों में लगभग 07 लाख हैक्टेयर फसल को टिड्डी दल द्वारा नष्ट कर देने के उपरांत भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बलवान पूनिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में टिड्डियों के हमले से किसानों की फसलों को हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रदेश में टिड्डियों के हमले एवं बिजली की दरें बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आज सायं 5.00 बजे राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिए जाएंगे। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से प्रदेश में झोलाछाप डाक्टरों के इलाज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से पिण्डवाड़ा में पंकज सुथार की दर्दनाक हत्या को लेकर उपजे जन आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर एवं श्री संयम लोढ़ा को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर कस्बे में नगरपालिका बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम की डीपीआर बनने के बावजूद कार्य प्रारम्भ न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले के बालोतरा को जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के बागोलिया बांध को उदयसागर झील के अतिरिक्त पानी से भरे जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से जवाई बांध पुनर्भरण योजना को मंजूरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधरी एवं समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत कुक कम हैल्पर महिलाओं का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में सीवरेज योजनाओं के कार्य में देरी व भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 10 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 12 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री रामप्रताप कासनियां, विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वोल्टेज कम होने से किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(2) श्री अशोक लाहोटी, वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समितियों की कॉलोनियों में सीवरेज, सड़क, नालियां, पार्क एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गणेश घोघरा, नगर परिषद्, डूंगरपुर के कतिपय गांवों की भूमि पर नगर परिषद् द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के प्लाट काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, वर्तमान में प्रदेश में हो रही मानव तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय श्री मदन दिलावर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झोलाछाप डाक्टरों पर रोकथाम

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में झोलाछाप डाक्टरों के माध्यम से इलाज कराने जा रहे कई लोगों की मौतें हो रही हैं। विषय यह है कि अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है। रोगी जब अस्पताल में जाता है तो वहां कोई डाक्टर नहीं मिलता है, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं मिलता है और उसके कारण से मजबूरन वह दम न तोड़ दे इसलिए किसी न किसी का सहारा लेने के लिए चाहे वह गलत ही है, उनको लगता है कि नुकसान हो जाएगा, फिर भी वहां जाएगा। अब यह कमजोरी है या इस सरकार की नादानी है कि वह अस्पताल में डाक्टर्स नहीं पहुंचा पा रही है। डाक्टर्स को एक दिन लगाते हैं और दूसरे दिन कहीं भेज देते हैं। मैं रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो 70 से 80 प्रतिशत डाक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य टैक्नीशियन के पद खाली हैं और सारे के सारे अस्पताल खाली पड़े हैं। वहां पर कई तो अस्पताल की चौखट पर आकर मर जाते हैं, कई ऐसा समझते हैं कि इस अस्पताल में डाक्टर नहीं है तो जो 10 किलोमीटर दूर दूसरा अस्पताल है वहां जाएंगे तो रास्ते में मर जाते हैं। मैं सदन को बताना चाहूं तो रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में लगभग 100 रोगी डाक्टर्स के अभाव में प्रतिमाह दम तोड़ रहे हैं। किसी की डिलीवरी पेड़ के नीचे हो रही है, किसी की डिलीवरी अस्पताल की बाउण्ड्री में हो रही है क्योंकि वहां डाक्टर्स ही नहीं हैं, देखने वाले नहीं हैं। इसलिए झोलाछाप डाक्टर के पास जाते हैं और कई बार कोई भी दवा, जिसको जानते नहीं, उसका भी इंजेक्शन भरकर लगा देते हैं जिसके कारण से मर जाते हैं।

मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूं कि एक झोलाछाप डाक्टर ने बांसवाड़ा के चिड़ियाकलां थाना इलाके में धनपुरा गांव के कालू पुत्र मंगला के सिर में गांठ थी जिसमें जहरीले दूध का इंजेक्शन लगा दिया और वह मर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही उदयपुर के जोरिया के कानाराम की तीन साल की बेटी भागवंती को बुखार आ रहा था जिसको भी कोई इंजेक्शन लगा दिया जिससे वह तुरन्त मर गई। ऐसे अनेक लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मैं कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूं। मैं चिकित्सा मंत्रीजी को भी पत्र लिख चुका हूं। मैं चिकित्सा

(श्री मदन दिलावर)

विभाग के अधिकारियों से भी मिल चुका हूं लेकिन आज तक रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के पदों को नहीं भरने के कारण से, रोज लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, जवान लोग मर रहे हैं, वृद्ध लोग मर रहे हैं, अनेक अनगिनत हैं। जिनकी मृत्यु को रिकार्ड पर भी यह सरकार नहीं ले रही है और जब कहा जाता है कि लोग मर रहे हैं तो हमारे अस्पताल में नहीं मरा है। वह कहता है बाहर ही मर गया, इलाज कराने ही नहीं आया। अब इलाज करवाने वहां चपरासी से जाएगा क्या, वहां फोर्थ क्लास से जाएगा क्या, किससे इलाज करायेगा? इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि झोलाछाप डाक्टरों से यदि छुटकारा पाना है तो हम चिकित्सा की पर्याप्त सुविधा करें, अच्छे डाक्टर उपलब्ध करायें और सारे स्वीकृत पदों को भरें ताकि उनका इलाज हो सके, नहीं तो रोगी कहीं भैरूजी के यहां जाएगा, कहीं बालाजी के जाएगा, कहीं झोलाछाप डाक्टर के जाएगा और वे मरते रहेंगे। इसलिए, मेरा निवेदन है इस बात को गम्भीरता से लें, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं चिकित्सा मंत्रीजी से कहता-कहता थक गया हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मदन दिलावरजी जो अभी बात कर रहे थे, यह बहुत ही गंभीर समस्या है और लम्बे समय से चली आ रही है। इस पर सरकार का ध्यान है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार इस पर अंकुश लगे, नम्बर एक। नम्बर दो, टीवी के अंदर आ रहा है, जिस प्रकार से दवाइयों के ऊपर प्रचार-प्रसार हो रहा है, नकली दवाइयां हैं या फर्जी दवाइयां हैं। बहुत बड़े रूप में टीवी चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे वह राज्य का डिजिटल मीडिया हो और विशेषकर रात के समय, दस, ग्यारह, बारह बजे के बाद में तो यह भी हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको कैसे रोकें हम लोग तो हमारा ध्यान इस तरफ है, हम ध्यान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

पिंडवाड़ा में युवक की हत्या से जनाक्रोश

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिंडवाड़ा के प्रवीण सुथार का परिवार अपने परिवार में एक नये सदस्य के स्वागत की

(श्री संयम लोढ़ा)

तैयारी कर रहा था। कुछ सप्ताह के बाद उनके नौजवान बेटे 24 साल के पंकज सुथार की शादी थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंकज सुथार रोजाना पिंडवाड़ा से सिरोही जाता था। एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था और रोजाना शाम को वापस अपने घर पिंडवाड़ा आ जाता था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 जनवरी को वह सुबह पिंडवाड़ा से सिरोही के लिए निकला, दिन भर ट्रैवल एजेंसी पर काम किया और शाम को अम्बिका होटल से बस में चढ़ा पिंडवाड़ा जाने के लिए और अपने पिता को उसने फोन किया कि मैं रवाना हो गया हूं। जब उनके पिता श्री प्रवीण सुथार जनापुर चौराहे पहुंचे तो उनका बेटा उन्हें नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने स्तर से काफी प्रयास किया कि उनके बेटे की उनको जानकारी मिल सके, लेकिन जब पता नहीं चला तो वे पिंडवाड़ा के पुलिस थाने में गये और सूचना दी कि उनका बेटा गायब है। वे जनापुर चौराहे पर उसको लेने के लिए गये थे, लेकिन पिंडवाड़ा पुलिस ने उनको कहा कि अगर वह सिरोही से रवाना हुआ है तो यह पिंडवाड़ा थाने का मामला नहीं है, आप सिरोही जाइये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका परिवार पूरी रात अपने बच्चे को ढूंढ़ता रहा, आस-पास के चप्पे-चप्पे में उन्होंने प्रयास किया कि उनका बच्चा मिल जाए, नहीं मिला और पिंडवाड़ा पुलिस से भी उनको निराशा मिली। अगले दिन सुबह जाकर के बीस किलोमीटर दूर सिरोही के पुलिस थाने में उन्होंने उसकी गुमशुदगी की सूचना दी, उनके गायब होने की सूचना दी। घटना होने के 48 घंटे तक कुछ भी पता नहीं चला। दो दिन के बाद में रोहिडा थाना क्षेत्र के सिंगाफली में एक आदिवासी युवक ने शव को देखा। वह घबरा गया। उसने पहले अपने गांव वालों को सूचित किया, फिर पुलिस को सूचित किया, बाद में पुलिस पहुंची, शव आधा जला हुआ मिला, उसका गला दबाकर उसके प्राण ले लिये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम हुआ, अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए एक ऐसी जगह पर ले जाकर शव को डाल दिया और जला दिया जिससे कि पता नहीं चल सके। पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया, पोस्टमार्टम हुआ, आज 18 दिन हो गये, इस दौरान कई बार नागरिकों ने,

(श्री संयम लोढ़ा)

परिवार के लोगों ने पुलिस से सम्पर्क किया, पुलिस को ज्ञापन दिये, जानकारियां उपलब्ध कराईं कि किसी भी तरह से अपराधियों का पता चले लेकिन 18 दिन बीतने के बाद भी अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। लोग आक्रोश में हैं। कल भी हजारों की संख्या में लोगों ने पिंडवाड़ा के पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, पिंडवाड़ा की पुलिस से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और मजबूर होकर के परिवार के लोगों को, वहां के जन प्रतिनिधियों को और नागरिकों को यह ज्ञापन देना पड़ा सरकार के नाम से कि मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय विराजमान हैं। मैं विनती करना चाहता हूं कि पंकज सुथार को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार की पीड़ा को सुनने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस आपराधिक प्रकरण की जांच कराने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अब 295, श्रीमती शकुन्तला रावत। माननीय सदस्य बैठें प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। अंकित नहीं होगा। आप इम्पोज नहीं कर सकते, अपनी बात कह दी, बैठें। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें आप, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य I will deprive you. I will deprive you, not to give latitude. श्रीमती शकुन्तला रावत। प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बिलकुल अंकित नहीं होगा। आप बैठें, गलत परम्परा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: आप पुराने सदस्य हैं, बैठें। माननीय सदस्य, आपको अंतिम बार बोल रहा हूं, प्लीज बैठें। श्रीमती शकुन्तला रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बानसूर कस्बे को नगरपालिका का दर्जा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- बानसूर को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में। मान्यवरजी, उपर्युक्त विषयान्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर को देश आजाद हुआ जब से आज तक नगरपालिका से वंचित रखा गया है। नगरपालिका बनाना आज की महती आवश्यकता है। नगरपालिका के अभाव में बानसूर कस्बा मूलभूत सुविधाओं एवं विकास से वंचित होता आया है।

धरना

(माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा एवं श्री समाराम गरासिया द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बानसूर कस्बे की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यह कस्बा क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से नगरपालिका बनाये जाने के सारे आयाम पूरा करता है। यहां पर एक ऐतिहासिक किला भी है। नगरपालिका बनाने के बाद यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विधान सभा क्षेत्र में व्यापारी वर्ग ज्यादा निवास करता है। यहां का बाजार काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां स्थित कृषि उपज मण्डी में प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान अपनी फसल लेकर आते हैं जिनको मूलभूत सुविधाओं के अभाव में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बाजार में पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कस्बे की जनसंख्या अधिक है। यह कस्बा नगरपालिका बनाने के सारे नियम पूरे कर रहा है। नगरपालिका बनाये जाने के सभी दस्तावेज/नक्शा आदि सरकार को भेज दिये गये हैं। सरकार कब तक बानसूर कस्बे को नगरपालिका बनाने की मंशा रखती है? मैं सरकार से एवं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि बानसूर नगरपालिका बनने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी बड़ी संख्या में कोचिंग व स्कूल/कालेजों में अध्ययन के लिए आते हैं। अत: मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन है कि जनता का सम्मान रखते हुए बानसूर कस्बे को नगरपालिका जल्दी से जल्दी बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

रानीवाड़ा की क्षतिग्रस्त सड़कें

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 1986 के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि वर्ष 2019 में अत्यधिक बारिश के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। अधिकांश सड़कें गारंटी अवधि में हैं इसलिए राज्य सरकार पर कोई आर्थिक भार भी नहीं आएगा। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में एसआरएफ योजना अंतर्गत 185.20 किलोमीटर लंबाई की कुल 52 सड़कों के लिए 3365.25 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई थी, जिनमें से 9 सड़कें (संपर्क सड़क बड़गांव से रूपावटी कलां, रूपावटीखुर्द, बामनवाड़ा, करवाड़ा से कोटडा उचमत, वाड़ा भवजी, संपर्क सड़क मूंगथला कावा, हनुमान जी मंदिर से डोरड़ा फतेहपुरा आदि) अभी भी जनवरी 2020 तक अपूर्ण हैं या कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि इन सभी नौ सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिसम्बर, 2018 थी। शेष बची हुई 43 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया तो उनके आसपास पटरी नहीं बनाई गई है या फिर उनमें से अधिकांश सड़कें वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं जबकि स्वीकृत कार्य आदेश के अनुसार सड़कों का कार्य पूर्ण करने की अवधि भी निकल चुकी है। वर्ष 2018-19 में स्वीकृत गौरव पथ पूरण, गांग एवं गजापुरा का निर्माण कार्य भी अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र की ग्रामीण जनता को भारी असुविधा हो रही है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत कराएं तथा 2018-19 में स्वीकृत सभी सड़कों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं, ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात हो गई, अब अपनी जगह पर बैठें आप। प्लीज उठें। हो गई बात आपकी। ध्यान आकर्षण हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

डैमोक्रेसी में यही होता है। अपनी जगह पर बैठें। आपका काम हो गया। यह गलत परम्परा है वैल में आने के लिए। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि जो लोग वैल में आएं उनको डिस्क्वालिफाई किया जाए। यह परम्परा गलत है। आपने अपना पाइंट रेज कर दिया। यू कान्ट इम्पोज हिम। आप बैठे रहें। प्लीज। शाम तक बैठें रहें। श्री गिरधारीलाल। एक मिनट गिरधारीलाल जी। मैं फिर सभी माननीय पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं और व्यक्तिगत रूप से निर्दलीय सदस्यों से भी, वैल में आने की परम्परा को पूरे देश में अध्यक्ष की जो चर्चा रही है वो चर्चा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में यह नियम है कि जो वैल में आता है उसको उस दिन सदन से बाहर माना जाता है। मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का अधिकार है ... (व्यवधान) प्लीज आप आवाज नहीं करें। आप बैठे रहें। अंकित नहीं होगा। कोई अंकित नहीं होगा। यू कान्ट इम्पोज हिम। अध्यक्ष खड़ा है, आप बैठें। क्या परम्परा डाल रहे हैं आप? आप सीनियर लीडर हैं, प्लीज। अध्यक्ष खड़ा है फिर भी बोल रहे हैं आप, काहे के आप सीनियर मैम्बर हैं? आप संसदीय परम्परा को खतम करना चाहते हैं। प्लीज बैठे रहें आप। मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी पार्टी के डिसिप्लिन को ध्यान में रखें। सारे देश में संसदीय परम्पराओं को मजबूत करने की चर्चा चल रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पर बैठें। श्री गिरधारीलाल। गिरधारीलाल जी, एक सैकंड।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अलग से बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: गिरधारीलाल जी बोलें।

डूंगरगढ़ में ड्रेनेज कार्य

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 295 के अंतर्गत निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी की भारी समस्या है श्रीडूंगरगढ़ शहर की बसावट कटोरीनुमा है। सामान्य तौर पर पानी बाहर नहीं निकलता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नगरपालिका मंडल की बैठक में 9 फरवरी, 2018 को निर्णय लेकर कालू रोड स्थित जोहड़ से 5 किलोमीटर दूरी पर बीहड़ में गंदा पानी ड्रैनेज एवं पंपसैट पाइप लाइन से छोड़े

(श्री गिरधारीलाल)

जाने हेतु 5.10 करोड़ की डीपीआर तैयार करवाकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर भिजवाई गई थी लेकिन आज दिनांक तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका की ड्रैनेज की उक्त डीपीआर को सरकार शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका की जनता को गंदे पानी से निजात दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा को जिले का दर्जा

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम, 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले का क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर है जो कि कई देशों एवं राज्य में धौलपुर, दौसा, जयपुर एवं जोधपुर से बड़ा है। सीमावर्ती विकट भौगोलिक परिस्थितियों का मरुस्थलीय अभावग्रस्त एवं प्राय: सूखाग्रस्त यह जिला शिक्षा एवं आर्थिक दोनों दृष्टि से पिछड़ा है। जिला जोधपुर, पाली, जालौर के सीमावर्ती लोगों को जिला मुख्यालय बाड़मेर पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यों हेतु आने-जाने के लिए 195-250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही मरुस्थलीय विकट परिस्थिति एवं विकास के अभाव में संसाधनों का भी भयंकर अभाव है। ऐसी स्थिति में सरकारी एवं अन्य जिलास्तरीय कार्यों के निस्तारण में आमजन विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला वर्ग को भयंकर परेशानी आती है। एक गरीब और अशिक्षित के लिए तो बाड़मेर आना-जाना भयंकर परेशानी का सबब बन जाता है। इससे शारीरिक कष्ट, समय व अर्थ की बर्बादी के साथ मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। लंबे समय से पचपदरा, गिड़ा, पाटोदी, सिणधरी, गुढ़ामालानी, सिवाना एवं समदड़ी तहसील को मिलाकर नया जिला बनाये जाने की मांग की जा रही है। बालोतरा जिला बनने के सभी मानदंड पूरे हो रहे हैं। यहां भविष्य में जिला बनने के उद्देश्य एवं उम्मीद में नगर परिषद द्वारा 100 बीघा जमीन चिन्हित एवं आरक्षित कर रखी है। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण एवं श्रम विभाग के साथ ही कई अन्य विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं।

(श्री मदन प्रजापत)

मेरे द्वारा इसी सदन में 13वीं विधान सभा में सदस्य के नाते और इस विधान सभा में 21 जनवरी, 2019, 17 जुलाई, 2019 एवं 25 जुलाई, 2019 को भी बालोतरा को जिला बनाने हेतु स्थानीय जनता की पुरजोर मांग को सरकार के समक्ष रखा गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से करबद्ध आग्रह है कि बालोतरा को इसी बजट 2020-21 में जिला घोषित कर लंबे समय से प्रतीक्षारत बालोतरा की जनता को न्याय प्रदान कर अनुगृहीत कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

बागोलिया बांध को उदयसागर झील का अतिरिक्त पानी

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से उदयसागर (उदयपुर) के अतिरिक्त पानी को बागोलिया बांध (मावली) को भरने के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में पानी की भीषण समस्या है। उदयसागर झील से बागोलिया बांध को भरने की डीपीआर पूर्व में बन चुकी है। इस वर्ष भी उदयसागर पूरा भर गया, उसकी चादर भी चली। यदि यह नहर बनी हुई होती तो पानी का लाभ मावली की जनता को मिल पाता। उदयसागर का पानी बहकर बीसलपुर बांध तक चला गया। बीसलपुर बांध भी भर गया, लेकिन मावली आज भी प्यासी है। मेरा निवेदन है उदयसागर से बागोलिया बांध को भरने की योजना को सरकार शीघ्र वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर मावली क्षेत्र की प्रमुख समस्या के समाधान की पहल करें।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

जवाई बांध पुनर्भरण योजना को मंजूरी

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मारवाड़ की जीवन रेखा कहे जाने वाला जवाई बांध अपने निर्माण वर्ष 1957 के बाद अब तक मात्र 8 बार पूर्ण रूप से भरा है। जवाई बांध से पाली जिले के 811 गांव की लगभग 11 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है व कई योजनाएं प्रगतिरत हैं। जवाई कमांड क्षेत्र में वर्तमान में मुख्य नहर 23 किलोमीटर व 21 अन्य माइनर व वितरिकाओं की लंबाई 238 किलोमीटर की पक्की नहरों द्वारा पाली

(श्री जोराराम कुमावत)

जिले के 33 गांवों में 25,825.40 हैक्टेयर व जालोर जिले के 24 गांव के 12845.60 हैक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है। जवाई बांध वर्षा आधारित बांध है। इस बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कम बरसात होने से ज्यादातर यह बांध खाली रहता है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई बांध का पानी 6 किलोमीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से जवाई बाँध में आता है। जवाई के सहायक कालीबोर व सई बांध की भराव क्षमता कम होने से बरसात का 10 गुना पानी गुजरात में व्यर्थ बहकर चला जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में बार-बार अकाल की स्थिति होने से इस ग्यारह लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने में प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। पानी की कमी से कई बार सिंचाई के लिए प्रशासन और किसानों के बीच संघर्ष की स्थिति बन जाती है।

पिछली राजस्थान सरकार ने सन् 2017 में जवाई पुनर्भरण हेतु डीपीआर बनाने हेतु 12.10 करोड़ स्वीकृत किये जिसमें उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में साबरमती बेसिन पर विभिन्न नदियों पर बांध का निर्माण कर गुजरात बहकर जाने वाले अधिशेष जल में से 7 टीएमसी पानी को पाइप लाइन व सुरंग के माध्यम से पाली जिले के नाना गांव के पास जवाई नदी में छोड़ना प्रस्तावित है। मैसर्स वास्कोप लिमिटेड गुडगांव द्वारा इस हेतु दो चरणों में डीपीआर पेश की जानी है जिसमें प्रथम चरण में 4170 करोड़ व दूसरे चरण में 2351.84 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम चरण की डीपीआर तैयार होकर जांच की प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन है और दूसरे चरण का कार्य लंबित है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप भी मारवाड़ से आते हैं। जवाई मारवाड़ की जीवन रेखा है। जवाई बांध ने करीब 38 वर्षों तक जोधपुर को पानी पिलाया है। अब मारवाड़ की मांग है कि आप इस जवाई पुनर्भरण योजना को स्वीकृत कर समूचे मारवाड़ क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई हेतु सौगात दें जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

सिणधरी एवं समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से सिणधरी एवं समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय

(श्री हमीर सिंह भायल)

खोलने के संबंध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में दो उपखण्ड मुख्यालय हैं जिसमें से सिवाना उपखण्ड मुखयालय पर राजकीय महाविद्यालय संचालित है जबकि सिणधरी उपखण्ड में 30 ग्राम पंचायतें सिणधरी की, 25 आडेल पंचायत समिति की एवं 25 पायला कला पंचायत समिति की हैं। इन सबमें उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित हैं परंतु मुख्यालय पर महाविद्यालय नहीं है। सिणधरी मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का राजकीय महाविद्यालय नहीं होने के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है जबकि सरकार का विजन है कि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा।

क्षेत्र की पंचायत समिति समदड़ी में 25 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी राजकीय महाविद्यालय के नहीं होने के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। क्षेत्र की जनता की वर्षों से मांग एवं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय की नितांत आवश्यकता है।

अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सिणधरी एवं समदड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा इसी बजट सत्र में कराने का श्रम कराएं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला। वद्धि

कुक-कम-हैल्पर महिलाओं के मानदेय में वृद्धि

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में कुक कम हैल्पर महिलाओं का मानदेय बढ़ाने के संबंध में निवेदन है कि राजकीय विद्यालयों में कुक कम हैल्पर महिलाओं जो कि अपने परिवार व अपने बच्चों की चिंता किए बगैर रोजाना विद्यालयों में एक निश्चित समय पर जाकर काम करती हैं, जिनमें खाना बनाना, दूध गर्म करना, सभी बच्चों को खाना खिलाना एवं साफ-सफाई करना, बर्तन साफ करना आदि आदि कई काम करती हैं जिसमें लगभग पूरा दिन लग जाता है। वह अपने घर का दिन में कोई भी काम नहीं कर पाती है। सरकार द्वारा उनको मानदेय के नाम पर सिर्फ 1320 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

जाता है। उसमें भी दीपावली, सर्दी, गर्मी व अन्य कई प्रकार की लंबी छुट्टियां जो होती हैं, वह मानदेय में से काट दी जाती हैं। कुल मिला कर देखा जाए तो इन कुक कम हैल्पर महिलाओं को 12 माह में लगभग 9 से 10 माह का वेतन ही मिलता है। इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 12 माह में उनको लगभग 35 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ही मजदूरी मिलती है, जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से लगभग 80% कम है। यह इन सभी गरीब व मजदूर परिवार की महिलाओं के साथ अन्याय है। अतः मेरी मंत्री महोदय जी से और सरकार से पुरजोर मांग है कि इन कुक कम हैल्पर महिलाओं को कम से कम 6000 रुपये प्रति माह से मानदेय दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत छुट्टियों का वेतन भी नहीं काटा जाए। इनकी जो यह मांग है लंबे समय से की जा रही है, उस मांग को सम्मानपूर्वक मानते हुए इन सभी गरीब व मजदूर महिलाओं को सम्मान व राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा में सीवरेज कार्यों में देरी व भ्रष्टाचार

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में आरयूआईडीपी और नगर विकास न्यास द्वारा संचालित की जाने वाली सीवरेज योजना भ्रष्टाचार व अनियमितता के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के गणेश तालाब, दादाबाड़ी, महावीर नगर आदि कई कॉलोनियों में 15-20 वर्ष पूर्व सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। इसके बाद धीरे-धीरे कालोनियों का विस्तार होने के साथ-साथ पानी की पाइप-लाइनें भी इन सीवरेज लाइनों के पास से ही निकाल दी गईं। यह सीवरेज लाइनें पुरानी होकर जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, कई लाइनें जाम हो चुकी हैं तथा सीवरेज का गंदा पानी पाइपलाइनों से लोगों के घरों में आ रहा है। सीवरेज के चैंबर ओवरफ्लो होने से गंदा पानी पार्कों में और सड़कों में जमा हो रहा है जिसकी दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने मिलीभगत कर मापदंडों के विपरीत सीवरेज लाइनें बिछा दी हैं। कई कालोनियों में 9 से 10 इंच की सीवरेज लाइन बिछा दी हैं जबकि कोटा शहर में सघन आबादी व मकानों को देखते हुए कम से कम 12 इंच की

(श्री संदीप शर्मा)

सीवरेज लाइनें बिछाई जानी चाहिए थी। कोटा शहर की सीवरेज लाइन को धाकड़ खेड़ी ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने के लिए सीमेंटेड पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधिकारियों की लापरवाही से फेल हो गया है। आरयूआईडीपी द्वारा शहर में बिछाई जा रही सीवरेज लाइनों ने लोगों को सुविधा देने की जगह उनकी परेशानी बढ़ा दी है। शहर में जगह-जगह सड़क खोदकर लाइनें तो डाल दीं लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया। हेतवली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सीवरेज लाइनों के लिए जगह-जगह सड़क खोद दी है और सड़क को तोड़ दिया गया जिससे ड्रैनेज सिस्टम भी खराब हो गया है। सरकार ने सीवरेज कार्यों में अनियमितता के लिए निर्माण कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया। निर्माण कंपनी पर 151.37 लाख की शास्ति/जुर्माना लगाया गया। निर्माण कंपनी पर तो कार्यवाही हुई लेकिन एक भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग है कि कोटा शहर में अब तक हुए सीवरेज कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएं और विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में सीवरेज के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। पर्ची पर चर्चा, श्री रामप्रताप कासनियां।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सूरतगढ़ में वोल्टेज की कमी से किसानों को नुकसान

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार के समय एटा सिंगरासर माइनर के नाम से एक आंदोलन चला था। पूर्ववर्ती सरकार ने स्पेशल स्कीम में वहां के काश्तकारों को थर्मल के इर्द-गिर्द 20 किलोमीटर में स्पेशल रेट पर ट्यूबवैलों के कनेक्शन उपलब्ध करवाए थे। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्यूबवैलों के कारण प्रोग्रेस रिपोर्ट तो ले ली गई पर ट्यूबवैल चलाने के लिए जो साधन चाहिए, जो जीएसएस का निर्माण होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। इन हजारों ट्यूबवैलों के कनेक्शन होने के कारण सारे काश्तकार बर्बाद हो गये। आये दिन मोटरें जल रही हैं, लोड नहीं है, वोल्टेज बिल्कुल ही कम है। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और चूरू, चारों जिलों में पता करवा लें, सूरतगढ़ तहसील के अंदर जितनी मोटरें जली हैं, जितनी वोल्टेज डाउन हैं। न तो कोई सार-संभाल की, न ही जो 11 केवीए की

(श्री रामप्रताप कासनियां)

लाइन है, उसकी मरम्मत की, उनकी अब मरम्मत करने की जरूरत है। इस सिस्टम को चलाने के लिए 132 केवी जीएसएस का प्रभात नगर में निर्माण होना था, उसका निर्माण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि 132 केवी जीएसएस स्वीकृत है और 3 फीडर जिनमें एक रंगमहल एवं राजणा शामिल है, ये फीडर भी स्वीकृत हैं। इनके टेण्डर वगैरह नहीं हुए क्यों नहीं बन रहे हैं, इसका क्या कारण है? अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से पहले भी निवेदन किया था कि वहां के काश्तकारों की हालत बहुत दयनीय है। एक तरफ तो अकाल की मार पड़ रही है और एक तरफ नहर उनके बीच से निकल रही है। पहली बात तो उनको पूरा पेयजल नहीं मिल रहा है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) नहर निकलने का प्रश्न तो पैदा ही नहीं है। इस तरह की व्यवस्था के अंदर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार में मुख्य मंत्री के पद पर बैठे हैं। एटा सिंगरासर माइनर के लोगों के लिए नहर तो हवा में गयी, नहर तो मिलेगी नहीं पर जो उनके लिए डबल रेट लगा रखी है, उसमें स्पेशल स्कीम के अंतर्गत कम से कम राहत तो दे दें। यह सरकार किसानों की खैरख्वाह है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। छोटा सा एरिया है, सरकार पर बहुत बड़ा लोड पड़ने वाला नहीं है। एक तो इस सिस्टम को सुधारने का कार्य करवाएं, दूसरी जो ज्यादा रेट लग रही है, वह बढ़ी हुई रेट हटाएं यह निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी।

गृह निर्माण सहकारी समितियों की कालोनियों में सीवरेज, सड़क, नालियां, पार्क एवं अन्य सुविधाएं

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से ही सही, माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी दोनों विराजमान हैं, हो सकता है कि जयपुर और हमारे क्षेत्र सांगानेर का भला हो जाए।

(श्री अशोक लाहोटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में शहरी आबादी बहुत ही द्रुत गति से बढ़ रही है। पूरे देश और प्रदेश में तेजी से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस जयपुर शहर में सोसाइटी द्वारा बसायी गयी और काश्तकारों द्वारा काटी हुई बहुत बड़ी संख्या में यहां पर कालोनियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में वार्ड नंबर 35 और 36 में साढ़े तीन सौ से ज्यादा कॉलोनियां हैं, जो सोसाइटी द्वारा बसायी गयी हैं। काश्तकारों के पट्टों द्वारा वार्ड 33, 34 और 35 में बसायी गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कालोनियां लगभग 30-40 वर्ष पुरानी हैं।

आजादी के 70 वर्ष बाद जहां हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, जहां वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसी दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं। वहां पीने के लिए पानी नहीं है। वहां नालियां नहीं बनी हुई हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वहां सीवरेज व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं। मुख्य मंत्री जी ने बार-बार कहा है, वे जवाबदेह भी हैं। मैं कहूंगा मंत्री जी, आप एक दिन का दौरा रख लें। मैं आपको केवल दो-तीन कॉलोनियों में ले जाता हूं। यदि आप कॉलोनी के अंदर घुस जाएं तो मैं आपको मान लूंगा। कॉलोनी में लोग कैसे रह पा रहे हैं। हम आजादी के 70 साल बाद स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास सिटी की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, चार मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहां नालियां बन जाएं, वहां सीवरेज व्यवस्था हो, पीने को पानी मिल जाए और सड़क बन जाए तो इस जयपुर शहर और इन कॉलोनियों का भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जेडीए और नगर निगम में जब भी लोग जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये कॉलोनियां अवैध हैं। मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि ये कॉलोनियां अवैध नहीं हैं, सैल्फ मेड कॉलोनीज हैं। ये कॉलोनियां बस चुकी हैं, 40-40 साल से लोग रह रहे हैं। ऐसी जयपुर शहर में हजारों कॉलोनियां हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इनका भला करवाएं। यही आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोघरा।

गांवों की भूमि पर नगर परिषद् द्वारा आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि के प्लाट काटा जाना

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी डूंगरपुर नगर परिषद् का मुद्दा विधान सभा में उठाया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। नगर परिषद् डूंगरपुर द्वारा गरीब आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। जो गांव पहले से बने हुए हैं, आजादी के पहले से लोग रह रहे हैं। मालपुर, भाटपुर, गोकुलपुरा, बिलड़ी, कुशालमगरी, भंडरिया, मुल्लागणेश, पांचला और मेराडूंगरी के लोगों को उन्होंने नोटिस भी दे दिया है कि जमीन खाली करो। इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जमीन खाली करो, ऐसा कहकर लोगों से अवैध वसूली भी की जा रही है।

नगरपालिका बनने से पहले वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। मकान है, कुआ है, बावड़ी है। इन लोगों की जमीन पहले ही रेल लाइन में चली गयी, हाईवे में चली गयी, अब उनके पास एक-दो बीघा जमीन है, उस पर भी नगर परिषद् की आंखें गड़ी हुई हैं, वह भी उनको बेदखल करना चाहती है, लेना चाहती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आस-पास के लोगों के लिए विशेष कैम्प लगाया जाए, उनको खातेदारी हक दिया जाए और उनको पट्टा दिलाया जाए। नगर परिषद् की अनुसूची 5 के अंतर्गत जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, क्या नगर परिषद् आदिवासियों की जमीन ले सकती है? क्या पांचवीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान है? आदिवासियों के अनपढ़ होने की वजह से उनके पास कोई खाता नहीं है, कोई पट्टा नहीं है। उनके पास केवल उनकी संस्कृति है, उनकी पहचान है, उनका पहनावा है, उनकी बोली है, उनकी भाषा है। वे जंगलों में बसते हैं, पहाड़ों पर बसे हुए हैं, छितरी बस्ती में बसे हुए हैं। उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी नगर परिषद् उसको लेना चाहती है। जैसे मोदी सरकार ने केन्द्र में आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया। मैं राजस्थान सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आदिवासियों को उनका हक मिलेगा और जल, जंगल, जमीन का अधिकार उनको देना चाहती है? यदि देना चाहती है तो कब तक? नहीं देना चाहती है तो क्यों? यह मेरा आपसे निवेदन है। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के बारे में कुछ प्लान बनाएं, कुछ सोचें। आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाया जाए। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

प्रदेश में मानव तस्करी

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक ओर सरकार अपने आपको लोक कल्याणकारी एवं संवेदनशील सरकार बताने का प्रयास हर मोर्चे और हर जगह पर करती है, लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रमुख अख़बार के माध्यम से एक सर्च आपरेशन किया गया है। सर्च आपरेशन के बाद राज्य सरकार की संवेदनशीलता के ऊपर प्रश्नवाचक चिह्न लगा और साथ में इंसानियत के ऊपर प्रश्नवाचक चिह्न लगा। प्रश्नवाचक चिह्न इस बात का लगा कि बहुत से संगठन ऐसे हैं, जो अपने आप में यह दावा करते हैं कि हम मानवाधिकार के लिए काम करते हैं, हम बाल संरक्षण के लिए काम करते हैं। हजारों करोड़ों रुपये का बजट भी वह संस्था और एनजीओ सरकार से लेती है कि हम उनके उद्धार के लिए काम करेंगे, इनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले इन सबकी भयावह तस्वीर हमारे सामने आयी कि राजस्थान के अंदर भी एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो मानव तस्करी करने का काम करता है। मानव तस्करी भी इस प्रकार से करते हैं कि मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाकर उनको बेचने का काम करते हैं। उनको यह कहकर ले जाते हैं कि कुछ दिनों बाद यह तुम्हें पैसे देने का काम करेंगे, हम काम के लिए लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सच यह सामने आया कि वे बच्चे तो नहीं आए, लेकिन उनकी लाशें तक नहीं आयीं। सिर्फ उनकी तस्वीर आयी कि आपका यह बच्चा यहां गया था, उसके बाद लौटकर नहीं आया। दु:खद बात यह है कि जहां एक ओर सरकार यह कहती है कि हमारी सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी इस बात को इंगित करते हैं कि यदि कोई एसएचओ मुकदमा दर्ज नहीं करेगा तो हम जिले के अधीक्षक को अधिकृत करते हैं कि वह उनकी एफ.आई.आर. दर्ज करे, लेकिन कई सैकड़ों बच्चे लापता होने के बाद, मारे जाने के बाद भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि कई मासूम बच्चे ऐसे हैं, दलाल इस प्रकार से सक्रिय हैं कि आपको जिस उम्र का बच्चा चाहिए, वह बच्चा मिल जाएगा। एक हजार रुपये से लेकर दो हजार

(श्री रामलाल शर्मा)

रुपये तक बच्चे की खरीद-फरोख्त की जाती है, लेकिन वे कहते हैं कि हमारी दलाली निश्चित होनी चाहिए, जहां बच्चा चाहेंगे, वहां हम बच्चा भेज देंगे। आपके माध्यम से मैं इतना निवेदन करूंगा कि 21वीं सदी में जहां एक तरफ बच्चों की तस्करी हो रही हो, जहां सरकार के अंदर बैठा हुआ एसएचओ यह कहता हो कि मैं ही सरकार हूं, मैं चाहूं तो कार्यवाही करूं मैं चाहूं तो कार्यवाही नहीं करूं। मुझे लगता है कि इस पवित्र सदन के अंदर यदि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हम सक्रिय होंगे तो मुझे लगता है कि हम नेक काम करेंगे। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भी घोषणा की थी कि इस प्रकार की मानव तस्करी करने वाले गिरोह के ऊपर अंकुश लगाने के लिए हम प्रदेश स्तर पर एक सैल का गठन करेंगे और जिला स्तर पर भी एक सैल का गठन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऐसी सैल बनायी है? प्रदेश स्तर पर किसको मुखिया बनाया गया है? उस सैल ने कितना काम किया है? कितना काम नहीं किया है? जिलों में कौन काम देख रहा है? यह मैं आपसे जानना चाहूंगा और सदन भी यह बात जानना चाहेगा कि आने वाले समय में, ऐसे मासूम बच्चों के खिलाफ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, वह रुके। एक बार पुन: उस प्रमुख अख़बार को धन्यवाद देते हुए एवं जिसने स्टोरी कवरेज की, उस पत्रकार को भी मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 28 तथा आबकारी विभाग की 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

अधिसूचना

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-93 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

5.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (आठवां कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019 जारी किये गये हैं ;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(27)वित्त/कर/2019-94 दिनांक 10.12.2019 जिसके द्वारा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट, भिवाड़ी के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(27)वित्त/कर/2019-95 दिनांक 10.12.2019 जिसके द्वारा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट, भिवाड़ी के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज पर देय रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.5(29)वित्त/कर/2017-96 दिनांक 10.12.2019 जिसके द्वारा जालोर में गिटको होटल से बिशनगढ़ रोड़ पर स्थित खसरा संख्या 695, 1174, 1857 की औद्योगिक भूमि की मूल्यांकन दरों को पुनर्निर्धारित किया गया है ;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(39)वित्त/कर/2019-98 दिनांक 17.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2019 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-99 दिनांक 17.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2019 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है ;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2010/पार्ट-100 दिनांक 17.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, 2019 के अन्तर्गत भूमि कर से छूट प्रदान की गई है ;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.12(76)वित्त/कर/2017-101 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा मेन्यूफैक्चरर्स एवं वर्क कान्ट्रेक्टर को हाई स्पीड डीजल बेचने वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिये संबंधित वैट अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.12(76)वित्त/कर/2017-102 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा मेन्यूफैक्चरर्स एवं वर्क कान्ट्रेक्टर को रियायती दर पर हाई स्पीड डीजल बेचने वाले पंजीकृत व्यवहारियों को कर से छूट प्रदान की गई है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-103 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-104 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम-48 के उप-नियम(4) के अन्तर्गत इन्वोइस तैयार करने के लिये कतिपय कामन गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स इलेक्ट्रोनिक पोर्टल बनाये गये हैं ;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-105 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा उन पंजीकृत व्यवहारियों, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, के लिये इन्वोइस तैयार करना अनिवार्य किया गया है ;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-106 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 को प्रभावी करने के लिये दिनांक 01 अप्रैल, 2020 निर्धारित की गई है ;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-107 दिनांक 20.12.2019 जिसके द्वारा उन पंजीकृत व्यवहारियों, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, के लिये क्यू-आर कोड़ के साथ इन्वोइस जारी करना अनिवार्य किया गया है ;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-108 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/17-पार्ट-I-50 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-109 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-110 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कर/2017-पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-111 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-112 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रभावी किया गया है ;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-V-113 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित प्रारूप जीएसटीआर-9/प्रारूप जीएसटीआर-9सी के वार्षिक विवरणी/ रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट को दिनांक 31.1.2020 तक प्रस्तुत करने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं ;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.12(97)वित्त/कर/2017पार्ट-IV-114 दिनांक 31.12.2019 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) वित्त/कर/2017 पार्ट-IV-115 दिनांक 1.1.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.12(56)वित्त/ कर/2017 पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-116 दिनांक 8.1.2020 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है ;

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017पार्ट-V-118 दिनांक 13.1.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) वित्त/ कर/2017 पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/कर/2015-119 दिनांक 27.1.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(15)वित्त/ कर/2015-46 दिनांक 26.6.2015 का अधिक्रमण किया गया है ;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/2009-120 दिनांक 27.1.2020 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड़ के पक्ष में विक्रय किये जाने वाले कतिपय फ्लेट्स पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है ;

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.2(45)वित्त/कर/2009-121 दिनांक 27.1.2020 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड़ के पक्ष में विक्रय किये जाने वाले कतिपय फ्लेट्स पर देय रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट प्रदान की गई है ; एवं

(28) अधिसूचना संख्या: एफ.5(18)वित्त/कर/2015-122 दिनांक 27.1.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

आबकारी विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: प.3(4)वित्त/आब/2015पार्ट-I दिनांक 01.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ;

(2) अधिसूचना संख्या: प.3(4)वित्त/आब/2015पार्ट-I दिनांक 01.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है ;

(3) अधिसूचना संख्या: प.3(4)वित्त/आब/2015पार्ट-I दिनांक 13.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है ; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: प.3(4)वित्त/आब/2015पार्ट-I दिनांक 13.01.2020 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का

24वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019;

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का

19वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019;

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का

19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2018-19)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2018-2019; एवं

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे व

अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

(4) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे एवं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का

आठवां प्रतिवेदन (वर्ष 2018-19)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए समय का आबंटन।

मुझे सदन को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं-

1.इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 31 मिनट
2. भारतीय जनता पार्टी	5 घंटे 46 मिनट
3. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	15 मिनट
4. कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	10 मिनट
5. भारतीय ट्राइबल पार्टी	10 मिनट
6. राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	5 मिनट
7. निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
कुल	**16 घंटे**

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डा. राजकुमार शर्मा।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सदन को धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान की 7 करोड़ 48 लाख जनता के जन-प्रतिनिधि के रूप में देश के सबसे बड़े भौगोलिक राज्य हमारे राजस्थान की विधायिका में भूमिका का अवसर मिला है।

अध्यक्ष महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में आपने आज सर्वप्रथम मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं अपनी बात ऋग्वेद की एक ऋचा से शुरू करना चाहता हूं-

(डा. राजकुमार शर्मा)

"अपिपन्थानम् अगमनमहि स्वस्तिगाम् अनेषाम।

येन विश्वा परिद्वेषो वृणति विन्दते वसुम।।"

हमें ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जिसे संसार आपसी द्वेष को छोड़कर सम्पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करें। ऐसा हमारे ऋग्वेद की ऋचा में कहा है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सरकार की रीति-नीति के विषय में अभिभाषण किया और मुझे अभिभाषण पढ़कर-सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमारी सरकार, हमारे राजस्थान के जन नायक माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह शुरू से एक बात कहते हैं, जो देश के किसी भी राजनीतिज्ञ, किसी भी राजनेता ने आज तक नहीं कही, ट्रस्टीशिप की। वह कहते हैं कि हम जनता के ट्रस्टी हैं और ट्रस्टीशिप के दायित्वों का निर्वहन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यह अभिज्ञान शाकुन्तलम् में ऋषि कण्व ने एक बात कही है:

'जातो ममायं विशद प्रकाम:

प्रत्यर्पित न्यास इवान्तरात्मा।

अपने दायित्व के निर्वहन से मुझे खुशी है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किसी न्यास यानी धरोहर को वापस सुरक्षित लौटा दिया है। ऐसा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की ट्रस्टीशिप की जो नीति है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं।

यह प्रदेश सरकार प्रदेश की जन-जन की सुरक्षा के साथ प्रदेश की समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। मैं मुख्य मंत्री जी और सरकार के विचारों का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम सब ऐसे ही विचारों को हृदय की गहराइयों में धारण करेंगे। जिस विश्वास के साथ राज्य की 36 कौम की जनता ने हमें जो दायित्व दिया है, प्रदेश का ट्रस्टी बनाया है, इस विश्वास को बनाए रखें और इस ट्रस्ट समृद्धि के लिए कार्य करें।

अध्यक्ष महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा की शुरुआत जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, तीन महापुरुषों को इसमें विशेष तौर से केन्द्रित रखा गया। महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी। ऐसे महापुरुषों को सुमिरन करते हुए अगर अभिभाषण लिखा जाए, पढ़ा जाए

(डा. राजकुमार शर्मा)

या उस पर काम किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारा प्रदेश किन ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रहा है। देशभर में 2 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती मनाई गई। गांधी एक विचार के रूप में आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी के बारे में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि हजार साल बाद आने वाली नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति इस धरा पर कभी आया था। उन महान व्यक्ति के जीवन मूल्य एवं नैतिक आदर्शों यानी सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, ग्राम स्वराज्य, सत्याग्रह के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करते हुए आज लोक कल्याण के लिए अग्रसर है।

बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के संविधान को लिखते हुए जो सोचा था, देश के लिए कल्पना की थी, अगर आज वे होते तो बहुत दुःखी होते। आज देश किस दिशा में जा रहा है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया, संघर्ष का बिगुल बजाया और आह्वान किया कि अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है।

(12.57 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा था हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे पिछड़े लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा और उनका हिंदुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं था। मैंने जिन चार महा विभूतियों का नाम लिखा, उनका हिंदुत्व था ग्रहिष्णु, सहिष्णु व चलिष्णु। लेकिन आज देश में कैसा माहौल है? शायद बाबा साहब की विचारधारा का, उनके सिद्धांतों को ठेस पहुंचाने वाला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी पर इन तीनों महापुरुषों के विचारों का गहरा प्रभाव है और आज इसीलिए इन्हें 21वीं सदी का गांधी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच्चाई है इसमें, पूरा देश मानता है। राजस्थान तो मानता ही था, पूरे देश में जिस प्रकार से सर्व धर्म सद्भाव की बात करके पूरे देश को अपनी बात ये रखते हैं तो पूरे देश में आज हम लोग जहां भी जाते हैं

(डा. राजकुमार शर्मा)

तो लोग कहते हैं कि एक प्रतिबिंब गांधी जी के रूप में इनमें दिखता है। गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, सिद्धांत और स्वच्छ राजनीति करते हुए राजनीति क्षेत्र में इन्होंने एक अनुकरणीय व आदर्श स्थान स्थापित किया है। अम्बेडकर के विचारों को सच्चे रूप से अपने अंतर्मन में उतारते हुए समाज के कमजोर तबके के लिए जो उत्थान और कल्याण की भावना आपमें है, आप उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। हम तो यही चाहेंगे कि पूरे देश को एकता में पिरोना और एक साथ लेकर चलना, जो हमारे इन महापुरुषों का योगदान था, उसका हम लोग अक्षरशः निश्चित रूप से पालन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार की रीति-नीति और विशेष तौर से हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे पहला कैबिनेट के अंदर हमारे मुख्य मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने फैसला लिया, वह किसानों के लिए लिया। आपको पता है कि किसानों के लिए 30 नवम्बर, 2018 तक के बकाया के आधार पर दिसम्बर, 2019 तक कुल 7 हजार 689 करोड़ रुपये के ऋण पूरी तरह माफ किए। इससे पूरे राज्य में 20 लाख 26 हजार किसानों को लाभान्वित किया। इसके अलावा सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों को 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण वन टाइम सैटलमेंट में लाकर माफ करवाने के लिए केन्द्र सरकार से प्रार्थना की है...

(13.00 बजे)

मैं तो विपक्ष के हमारे साथी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जो ऋण माफ किए वह तो किए, लेकिन केन्द्र के पाले में हमने जो पत्र भेजा हुआ है, आप कृपया करके माननीय प्रधान मंत्री जी से, आपकी सरकार से प्रार्थना करें कि वह राज धर्म निभाएं। राज धर्म की पालना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है तो हमारे पत्र को वह साइड में कर दे। जिस प्रकार से आप लोग अफवाह फैलाते थे कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बारिश नहीं होगी। इस बार तो पूरे राजस्थान में बहुत अधिक बारिश हुई है। किसान खुशहाल है जल स्तर भी बहुत आगे आया है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

महोदय, किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों के प्रति मैं तो इतना ही कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार की सोच है उस सोच का हम लोग अनुसरण करेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था कि हम चार साल तक किसानों की बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, यह भी स्वागत योग्य कदम है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, पवन ऊर्जा और ऊर्जा की नीति जारी की गई है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान को समग्र और सशक्त बनाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आवारा गौवंश प्रदेश की बड़ी समस्या है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज किसान दुःखी हैं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से गौ वंश की दुर्दशा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, नंदी गौशाला खोलने का आपने वादा किया है और खोल भी रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। इतना कह सकता हूं कि गौ माता की रक्षा में जितना भी सम्भव हो सके, हमको और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। विपक्ष के लिए क्योंकि गौ माता एक नारा है, वोट लेने का एक साधन है, लेकिन गौ माता की सेवा करना, गौ वंश की रक्षा करना हमारे लिए संवेदनशील विषय है। मैं गौ माता के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की तरफ से, हमारे शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। 1581 करोड़ रुपये पहले वर्ष में इन्फ्रास्ट्रक्चर यानी कक्षा कक्ष के लिए, लैब के लिए स्वीकृत किए गए, जिनके टेंडर हो चुके हैं और काम जारी है। 33 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सरकारी स्कूल भी अंग्रेजी माध्यम से होंगे। हमारी सरकार ने 33 अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत कर दी है और उसमें 11 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग 167 और खोलने जा रहे हैं। 1200 स्कूल क्रमोन्नति की प्रथम बजट में घोषणा की गई और 600 के करीब स्वीकृत भी हो चुके हैं। 10 हजार शिक्षकों की परिवेदना में 5 वर्ष से जो पेंडिंग थी, उसको भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने 95 प्रतिशत निपटा दिया है। शिक्षकों की समस्याओं को आनलाइन लेने का सिस्टम भी शाला दर्पण में किया गया, यह भी अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व कदम है। प्रदेश में पहले 50-60 लोगों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता था, इस बार ऐतिहासिक रूप से 1100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जो अपने आपमें बहुत ही खुशी की बात है। बस्ते का बोझ कम

(डा. राजकुमार शर्मा)

करने के लिए भी कक्षा 1 से 5 तक बाल सभा की जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपये का सहयोग हमारे भामाशाह दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के अंदर, आज आपको पता है पूरे देश में लोग चिकित्सा की वजह से, बीमारियों की वजह से, चिकित्सा में केन्द्र सरकार की जो अनदेखी है उसकी वजह से 4.5 फीसदी लोग हर वर्ष गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि पिछली गहलोत सरकार के अंदर मुझे चिकित्सा राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। उस समय एक ऐतिहासिक फैसला किया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि सरकारी अस्पतालों में हम जाएंगे और हमें वहां निःशुल्क दवा मिलेगी, जांच मिलेगी। हमारी इस योजना को पूरे देश में जिस प्रकार से लोगों ने सराहा और अनुकरण किया, लोग देखने के लिए आए कि राजस्थान में ऐसा क्या चल रहा है जिससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। उस ऐतिहासिक कदम को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने राइट टू हैल्थ केयर कानून लाने की बात कहकर जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। चिकित्सकों की जिस तरह से कमी है, उसमें 15 नये मेडिकल कालेज खुलने जा रहे हैं और केन्द्र सरकार से हमें मान्यता भी मिल गई है, यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। उससे चिकित्सकों की कमी तो दूर होगी ही, हमारे राज्य के हज़ारों बच्चे जो विदेश में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा की राशि 3 लाख 30 हजार से बढ़ा कर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख कर दी है। बीमा योजना में करीब 10 से 15 लाख परिवार और जोड़े गए हैं और डेढ़ सौ से अधिक बीमारियां कवर की गई हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार देश के आम अवाम के स्वास्थ्य के प्रति कितनी गंभीर है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देने में कोई भी नहीं हिचकता है, खुशी-खुशी टैक्स भरते हैं, तो क्या कारण है कि 1995 में जीडीपी का 4 फ़ीसदी पैसा स्वास्थ्य के लिए खर्च किया जाता था, 2017 में केवल 1.15 फीसदी क्यों रह

(डा. राजकुमार शर्मा)

गया? आप सोचिए कि स्वास्थ्य के प्रति यह केन्द्र सरकार कितनी गंभीर है? 2008 से लेकर 2013 तक हमारी सरकार ने सैकड़ों सीएचसी, पीएचसी, सब-सेंटर खोले और हमने कितने ट्रोमा खोले, कितने बैड्स की संख्या बढ़ाई, मुझे कहते हुए तकलीफ है कि पिछली भाजपा सरकार ने 5 साल में, आपने तो बजट तक भी नहीं दिया। आपने बजट नहीं दिया, न सीएचसी बन पाई और न ही पीएचसी बन पाई। उस समय हम लोग जो बजट स्वीकृत करके गए थे वह बजट भी आप लोगों ने नहीं दिया क्योंकि घोषणा हमारी की हुई थी, केन्द्र हमारे खोले गए थे। आपने उस समय एक काम जरूर किया, जिसकी पूरे राजस्थान की जनता ने आपको सजा भी दे दी है। हमारे जो सरकारी अस्पताल थे उन को पीपीपी मोड पर दे दिया। इतना बड़ा पाप किया, जनता आप को माफ नहीं करेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने पिछली बार एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया कि पीएचसी सीएचसी को निजी हाथों में दे दिया, इस पीपीपी मोड से पीछा छुड़ाओ। पीपीपी मोड से लेकर वापस हमारी सीएचसी पीएचसी सरकार चलाएं ताकि गरीब जनता, जनता वैसे ही निजी अस्पतालों से तंग है। निजी अस्पताल चारों तरफ किस प्रकार से खुले हुए हैं, एक सरकारी अस्पताल ही ऐसा है जहां पर व्यक्ति जाता है और उसे विश्वास है कि सरकारी चिकित्सक मिलेगा और हमारा इलाज करेगा। उसको भी आपकी सरकार ने पीपीपी मोड पर दे दिया। मेरी प्रार्थना है कि पीपीपी मोड से वापस सीएचसी पीएचसी को लाइए, सरकार उसे चलाए। ज्यादा खर्चा नहीं है, वैसे भी 33 लाख रुपये सालाना हम उनको दे रहे हैं। एक डाक्टर को यह पीपीपी मोड वाले 5-5 अस्पतालों के अंदर, 2-2 घंटे के लिए भेजते हैं। आप सोचिए कि अगर हमारे अस्पताल का डाक्टर होगा तो कम से कम वह वहां पर रहेगा, ठहराव करेगा और लोगों की सेवा करेगा।

माननीय सभापति महोदय, युवा और बेरोजगार। बेरोजगारी के मामले में आज युवा कितना कुंठित है, आप देख रहे होंगे। संसद में हमारे नेता ने युवाओं की कुंठा को माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने रखा और कहा कि प्रधान मंत्री जी, देश का युवा गुस्से में है, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप कम से कम लोगों से रोजगार की बात करो, उन्हें रोजगार दो, वर्ना हम सबको जनता, युवा डंडे मारेंगे। प्रधान मंत्री जी ने इस बात का जवाब कैसे दिया, जवाब इतना शानदार दिया कि मैं 6 महीने तक लगातार सूर्य नमस्कार

(डा. राजकुमार शर्मा)

की संख्या बढ़ाऊंगा और मेरी पीठ को मजबूत करूंगा। प्रधान मंत्री जी ने पीठ तो मजबूत कर ली, मुझे तो चिंता हो रही है गुलाब जी भाई साहब की, कैलाश जी की, कालीचरण सराफ जी की, आपकी, कि उन्होंने तो पीठ मजबूत कर ली, आप लोगों का क्या होगा। राजस्थान के युवा, पिछले 5 सालों में आपने जो कुठाराघात किया था, आपको सजा दे दी, लेकिन केन्द्र सरकार के हमारे प्रधान मंत्री जी एक ऐसे ज्वलंत इश्यू के ऊपर ऐसा स्टेटमेंट दें, देश की जनता देख रही है। हमारी सरकार ने, हम कह रहे हैं, हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, वादा किया था कि हर वर्ष हम लोग एक लाख रोजगार देंगे। मैं बताना चाहता हूं हमने इस वर्ष में 31 हजार 513 पदों पर युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है।

अभी हाल ही में लगभग 3000 पशुधन सहायकों को माननीय पशुपालन मंत्री जी ने नौकरी दी है, हमारी सरकार ने नौकरी दी है। लगभग तीस हजार पदों के परिणाम और जारी हो चुके हैं, जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। रीट के माध्यम से भी 25000 शिक्षकों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। एक तरफ हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं और युवाओं को रिलीफ दे रहे हैं। हम उनको रोजगार देकर उनकी पीठ मजबूत करने का काम कर रहे हैं और आप लोग सूर्य नमस्कार करके कब तक देश को गुमराह करेंगे। मुझे तो इतना लग रहा है कि युवा जो लोग हैं वह कब तक अपने धैर्य की पराकाष्ठा तक पहुंच पाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में जो होने वाला है वह तो आगे देखा ही जाएगा। आप इतने हल्के में लेंगे इस बात को हमें नहीं लगा था कि ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि कोई व्यक्ति, इतनी बड़ी पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी का हमारा नेता यह बात कह रहा है और उस बात को किस कदर लेकर गए, यह पूरा देश आप लोगों को देख रहा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय गहलोत साहब, आपने सरकारी नौकरियां जितनी दी हैं उनके अनुपात में केन्द्र सरकार को कम से कम 20 लाख सरकारी नौकरियां देनी चाहिए लेकिन हममें और आप में फर्क यही है कि हम रोजगार के माध्यम से युवाओं की पीठ मजबूत करेंगे और आप सूर्य नमस्कार करके पीठ मजबूत करेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री जी अपने अलावा एक व्यक्ति की पीठ और मजबूत रखते हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति की पीठ मजबूत रखते हैं और किसी से कोई

(डा. राजकुमार शर्मा)

मतलब नहीं है। वह समझते हैं कि एक व्यक्ति जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है उसकी पीठ मजबूत रखी जाए या फिर जो उनके चहेते उद्योगपति हैं उनकी पीठ भी मजबूत रखते हैं या फिर जो करोड़ों रुपये हमारे देश के खाकर विदेशों में भाग गए, वे भगोड़े, उनकी भी पीठ प्रधानमंत्री जी मजबूत रख रहे हैं लेकिन युवाओं के लिए, युवा जिनकी पीठ मजबूत रखनी चाहिए ताकि हमारा देश भी मजबूत हो सके, उनकी बात को हंसी में टालकर और अपनी देश भक्ति और अपनी राष्ट्र भक्ति का परिचय उन्होंने दे दिया है, अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे दिया है।

आज बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. को बंद करने पर तुली हुई है। रेलवे का निजीकरण अंबानी जी के पास, सरकारी विद्युत कंपनियों का निजीकरण अडानी जी के पास, एयर इंडिया, इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पैट्रोलियम, एल.आई.सी., क्योंकि अडानी, अंबानी ए-ए-इन तीनों-चारों ए-ए की पीठ मजबूत करने में लगे हुए हैं। आधी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके चहेते उद्योगपतियों को बेचने पर तुली हुई है।

हमारी इंदिरा गांधीजी ने इस देश को कितनी सौगातें दी थीं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश में एक औद्योगिक क्रांति ला दी थी। आप उससे एकदम उलटा कर रहे हो जिसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी।

बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने फरवरी, 2019 में मुख्यमंत्री सम्बल योजना लागू की थी। हमारी सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 5 गुना बढ़ाया। आज युवतियों को, विशेष योग्यजन को तीन हजार पांच सौ रुपये और युवाओं को तीन हजार रुपये प्रति माह हम लोग दे रहे हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्री जी का कि इन्होंने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला, उसमें जो अड़चनें थीं, उनको दूर किया। आज पूरा राजस्थान आपको धन्यवाद देता है। पूरे राजस्थान की जनता ने, छत्तीस कौम की जनता ने व्यक्तिशः आकर आपको, हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया। जो सम्पत्ति के प्रावधान थे, जिस प्रकार से आरक्षण तो लागू हो गया लेकिन एस.डी.एम. कार्यालय में चक्कर काट-काटकर युवा परेशान होते थे, आपने उसको शिथिलता दी और सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में और विशेष तौर से कालेजों में भी आपने 10 फ़ीसदी आरक्षण के लिए कुल

(डा. राजकुमार शर्मा)

आय का जो आधार रखा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं।

पेंशन वाले मामले में, आपने पेंशन बंद की 5 साल में। कितने नाम काटे आपने, आज जब से आपने नोटबंदी लागू की, पेंशन एक ऐसा सहारा है, आप भी गांव में घूमते हैं, आप चाहे तारीफ मत करो हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की, लेकिन आज भी गांव में घूमते हो कि जो पैसे थे आपने निकाल लिए नोटबंदी के नाम पर, आज यह पेंशन जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू की थी, आज बुजुर्ग व्यक्ति उसी पेंशन के सहारे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं और उनको 50-100 रुपये किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था के मामले में मैंने आज से तीन-चार साल पहले, जब नोट बंदी लागू की थी तब इसी सदन के अंदर, इसी पवित्र सदन के अंदर एक बात कही थी, तब माननीय सत्ता पक्ष के लोग बहुत हंसे थे। तब इन्होंने कहा था कि नोटबंदी का असर लगता है या तो राजकुमार जी, आप पर ज्यादा पड़ा है। मैंने कहा, हमारे पर तो नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में आप लोग उसका नतीजा देखना और नतीजा भी इस रूप में देखना कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहु-प्रतीक्षित 2020 दहलीज पर बेचैन और अनिश्चित मध्यम वर्ग, बेचैन और अनिश्चित मध्यम वर्ग के साथ कदम रखने जा रही है और वही मध्यम वर्ग, जो भारत की आधुनिक जीवन शक्ति का आधार है। आम लोगों की बचत भी जी.डी.पी. के अनुपात में 20 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। दो दशकों में पहला मौका है जबकि खपत और बचत दोनों एक साथ गिरी हैं।

मैं कहता हूं, एक बार अरस्तू ने कहा था बड़ा और मजबूत मध्यम वर्ग न हो तो सरकारें लोकलुभावन हो जाएंगी, ऐसी सरकारों के उत्पीड़क बन जाने का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया के सबसे अच्छे संविधान हमेशा विराट और जीवंत मध्यम वर्ग से नियंत्रित होने चाहिए। आपने मध्यम वर्ग को बिल्कुल समाप्त कर दिया। आज इस देश के अंदर दो ही कैटेगरी हैं, या तो अमीर या गरीब। अमीर हैं, जो हमारे प्रधान मंत्री जी के चहेते हैं, वे मात्र कुछ

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रतिशत हैं, बाकी सबको आज की अर्थव्यवस्था ने गरीबी रेखा के पास में लाकर छोड़ दिया।

मानननीय सभापति महोदय, अगर इस देश की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संतुलित नहीं किया गया तो आप रोजाना समाचार पत्रों में देखते हो, अब ए.टी.एम. लूटे नहीं जाते, ए.टी.एम. जे.सी.बी. से उखाड़े जाते हैं। कभी हमने नहीं सुना था कि गांव के अंदर बैंक राबरी हो गई। आज गांव-गांव के अंदर, कई गांवों के अंदर सरेआम खुलेआम बैंकों को लूटा जा रहा है। वह युवा जो रोजगार नहीं मिला, देश के अंदर आज केन्द्र सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं उसका दंश झेल रहा है और वह अपराध की तरफ बढ़ रहा है। अगर केन्द्र सरकार की इन दिशाहीन आर्थिक नीतियों की वजह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बारूद के ढेर पर खड़ी है और अगर इसमें विशेष रूचि नहीं ली गई तो यह व्यवस्था ऐसी फटेगी, जो इस देश को विघटन के रास्ते पर भी ले जा सकती है। आज देश में ऐसे हालात हो चुके हैं।

मानननीय सभापति महोदय, नोटबंदी के बाद जिन-जिन देशों की जो स्थितियां हुई हैं वह एक छोटे से उदाहरण के रूप में इस सदन में रखना चाहता हूं। सबसे पहले नाइजीरिया ने शुरुआत की थी। 1984 में मोहम्मद बुहारी नाम के वहां पर एक सैन्य शासक थे, उन्होंने नोटबंदी लागू की थी। देश पूरी तरह से टूट गया और देश के अंदर दंगे हुए और आज उस नाइजीरिया की क्या स्थिति है, यह पूरे विश्व में छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद एक अफ्रीकी देश, घाना ने भी यही कदम उठाया था, आज घाना की क्या स्थिति है, वह भी किसी से छुपी हुई नहीं है। जायरे, 1990 के दशक की शुरुआत में, एक वहां भी तानाशाह शासक थे। उसका नाम था मोबुतु सेसे सेको, उन्होंने भी जायरे के अंदर नोटबंदी लागू की। महंगाई हुई, गृहयुद्ध हुआ और तानाशाह शासक को बेदखल करके जनता ने अंत किया लेकिन देश को बचा नहीं पाये। देश आर्थिक हालात से आज भी जूझ रहा है। वर्ष 1991, सोवियत संघ, पूरा विश्व जिसकी एकता का लोहा मानता था, सोवियत संघ, मैं आज इस सदन में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सोवियत संघ के भी टूटने का अगर सबसे बड़ा कारण था तो उस समय वहां भी नोटबंदी की गई थी और वो के वो हालात हमारे इस देश में हैं।

आज अगर युवा रोजगार मांगे, एक मीटिंग के अंदर मैंने देखा प्रधान

(डा. राजकुमार शर्मा)

मंत्री जी बोल रहे थे। युवा खड़े होकर के बोल रहे थे कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, बात करेंगे आपसे। युवाओं को बोले, क्या चाहिए, बोलो, भारत माता की जय बोलो, युवाओं ने कहा भारत माता की जय। फिर दोबारा युवाओं ने कहा कि रोजगार का क्या हुआ, बोले, बोलो भारत माता की जय। फिर युवाओं ने कहा भारत माता की जय। तीन बार युवाओं से भारत माता की जय बुलवा दी और चौथी बार जब युवा जोर से बोलने लगे तो मंच को छोड़कर चले गये। क्या ऐसे देश चल पाएगा? आपने देखा होगा मुरादाबाद का एक भाषण। मुरादाबाद की रैली में प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि देश के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ 15 लाख रुपये का? क्या हुआ रोजगार का? क्या हुआ? अर्थव्यवस्था गिर रही है। क्या सुधार के कार्य आप कर रहे हो? सदन में जाता हूं तो विपक्षी लोग मुझसे पूछते हैं और सदन से बाहर जाता हूं तो जनता मुझसे पूछती है तो भाइयों और बहनों, आप बताओ कि क्या यह सही है कि मुझसे कोई सवाल करें? अब कौन बोले? जनता में से नीचे से आवाज आ जाती है कि नहीं पूछना चाहिए आपको। वह बोले, देख लो अगर मुझसे सवाल किए तो मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर पहाड़ों में वापस चला जाऊंगा। यह तो वही बात हो गई, जैसे एक ड्राइवर बस को लेकर और उसमें सौ सवारी बैठी हुई हैं और वह एक गहरे पानी में उतार दे तो वह कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो। मैं चला रहा हूं गाड़ी को। मुझे पता है कि रास्ता किधर से जाएगा और आपको मैं गंतव्य स्थान तक पहुंचा दूंगा और बीच रास्ते में जाकर उस ड्राइवर को जब सब सवारियां पूछती हैं कि ड्राइवर साहब, क्या कर रहे हो, आगे पानी गहरा होता जा रहा है हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे तो ड्राइवर कहता कि ज्यादा सवाल करोगे तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कूद कर चला जाऊंगा। आप तो कूद कर चले जाओगे, आप तो पहाड़ों पर चले जाओगे, आप तो झोला उठाकर चले जाओगे लेकिन इस देश को बर्बाद कर दिया, उसको कौन माफ करेगा? कैसे वापस इस देश को पटरी पर लाया जाएगा? आज देश में क्या चल रहा है? किस प्रकार से जाति धर्म की बात करके हमारे इस देश को, हमारे इस हिन्दुस्तान को जो एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पूरा विश्व उसका लोहा मानता है क्या आप भूल गए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने जो वादा किया था क्या वह पूरा कर दिया?

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के नाम पर ...(व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: आप बोलिये। आप विराजिए। माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: किसी का भी अंकित नहीं होगा। राजकुमारजी शर्मा के अलावा किसी का भी अंकित नहीं होगा। विराजिए, विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): जिस हिन्दुस्तान की जनता ने एक बार नहीं दो-दो बार बहुमत देकर प्रधान मंत्री को मजबूत किया, आपकी भाजपा को मजबूत किया और वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरकर रणछोड़ दास बन जाए तो इस देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। समय की सीमा है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, बार-बार पाकिस्तान का नाम लेते हो। क्या आप भूल गए हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री उस लौह पुरुष महिला को? पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे माननीय इंदिरा गांधीजी ने। आप किसको डरा रहे हो? किसको डरा रहे हो? बार-बार पाकिस्तान चाइना का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हो और डरा रहे हो, हिन्दुस्तान की जनता नहीं डरने वाली है। पाकिस्तान और चाइना की तो हैसियत ही क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे भी हमारे हिन्दुस्तान के सामने पानी भरते थे और आज भी भरते हैं और आगे भी भरते रहेंगे। आप क्या पाकिस्तान-पाकिस्तान करते हो?

(डा. राजकुमार शर्मा)

आज बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, बात करनी चाहिए भुखमरी पर, बात करनी चाहिए देश की एकता जो खंडित हो रही है उस पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): लेकिन बात किस बात पर हो रही है? छोटी-सी बात होगी तो सीधा पाकिस्तान का इश्यू लाएंगे और मैं कहता हूं, सभापति महोदय, देश या प्रदेश के मंत्री या मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री जब संविधान की शपथ लेते हैं। तो देश की रक्षा करने की, संविधान के अनुसार चलने की शपथ लेते हैं। अगर कोई मंत्री हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के लिए जिस प्रकार की भाषाओं का उपयोग करें और वहां पर एक मंत्री यह कह कर युवाओं को उकसाये और गोली मारने के लिए कहे और एक युवा अवसाद में आकर और सीधा जाकर गोली मारने के लिए चला जाए और फायरिंग करके यह कहे कि यह लो आजादी, इससे क्या देश मजबूत बन पाएगा?

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें। समाप्त करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह देश कभी मजबूत नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं माननीय सभापति महोदय, लास्ट 2 मिनट में मेरी बात को विराम दूंगा, वर्तमान में देश में धर्म के विषय को लेकर चिंतन है, लोगों में धर्म के नाम पर डर और अशांति का माहौल है, जो लोग देश की शासन व्यवस्था में बैठे हैं वह वस्तुतः धर्म को जानने का सामर्थ्य नहीं रखते। हिंदू धर्म, हिंदुत्व, राष्ट्र-भक्ति हमें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारे खून में है। देश-भक्ति, हिंदू धर्म, राष्ट्र-भक्ति लेकिन हमारी इंसानियत मानवता को हम कभी भी तार-तार नहीं होने देंगे इसलिए माननीय सभापति महोदय, महाभारत में भी विदुर जी ने यह कहा था कि- दश धर्म न जानन्ति धृतराष्ट्र निरोध में। मत्त प्रमत्त उन्मत्त श्रान्त: क्रुद्धो बुभुक्षित:।। त्वरमाणश्च लुब्धश्च भीत:कामी च ते दश। तस्मात् एतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पण्डित:।।

महाराज, 10 प्रकार के लोग धर्म के विषय में नहीं जानते हैं। एक तो मदमस्त रहने वाले, एक अहंकारी, पागल, थके हुए, क्रोधी, भूखे, जल्दबाजी करने वाले, लालची और कामी, इसलिए इन 10 प्रकार के लोगों से देश को आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, यह देश का धर्म समावेशी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पानाचन्द मेघवाल।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह देश का धर्म समावेशी है, सार्वभौमिक है, मैं फिनिश कर रहा हूं।

श्री सभापति: हां, प्लीज, सहयोग करें।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सहानुभूति का सागर है, दूसरों के दु:ख को देखकर दु:खी होने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, यहां भेदभाव और निर्दयता के लिए कोई स्थान नहीं है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं अंतिम यह चार लाइन बोलकर मेरी वाणी को विराम दूंगा कि अब कोई मेरी धरती पर जुल्म न होंगे और किसी अबला पर अत्याचार न होगा, अब नीलाम न होगी निर्धनता हाटों में, कोई आंख दीनता से बीमार न होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय का एवं मुख्य मंत्रीजी का अभिभाषण पर बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री राजकुमार जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं।

24 जनवरी को राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़ा गया और उसमें हिंदुस्तान के 3 महान व्यक्तियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, पूर्व प्रधान मंत्री जिन्होंने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती हम बना रहे हैं और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारु करने के लिए इस देश की जनता को सौंपा था उनकी 70वीं वर्षगांठ हम बना रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि आज मुझे यहां पर बोलने का मौका मिला। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ रहे थे तो प्रतिपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से हां-हूं करके उस अभिभाषण को सुनने का प्रयास नहीं किया।

हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जो एक किसान की पीड़ा को समझते हैं, जो एक नौजवान की पीड़ा को समझते हैं, व्यापारी की पीड़ा को समझते हैं, मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, वह सारा समावेश पिछले एक साल के कार्यकाल की पूरी गतिविधियों को माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन पटल पर रखने का प्रयास किया।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए जिस प्रकार से काम किए, चाहे वह निरोगी राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में जनता क्लिनिक खोलने की बात करो, राजस्थान में नए मेडिकल कालेजों को धरातल पर लाने के लिए जो-जो आवश्यक पूर्तियां हैं उनको कराकर भारत सरकार को भेजकर वहां से उनकी अभिशंषा की स्वीकृति लेकर राजस्थान में लगभग 15 मेडिकल कालेज इतिहास में पहली बार अगर कहीं खुल रहे हैं तो वह राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में खुलने जा रहे हैं।

नि:शुल्क दवा योजना जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले कार्यकाल में लागू की थी और इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या दुर्दशा उस नि:शुल्क दवा योजना की की गई है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने वापस जब राजस्थान में तीसरी बार मुख्य मंत्री की शपथ ली, उसी के साथ में यह संकल्प लिया कि पिछले 5 साल में जो मुख्य मंत्री दवा योजना की दुर्दशा हुई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और जो पहले 607 प्रकार की दवाइयां मिलती थीं उसको बढ़ाकर 709 प्रकार की दवाइयां करके अपने आप में एक इतिहास स्थापित करने का प्रयास किया। साथ ही क्योंकि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उस परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है क्योंकि कैंसर, हार्टअटैक, लीवर और किडनी जब खराब होती है उस परिवार के ऊपर कैसे विपदा आती है, यह कोई नहीं समझ सकता। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने उस पीड़ा को समझा और और जयपुर में एस.एम.एस. के साथ-साथ छह मेडिकल कालेजों में नि:शुल्क डायलिसिस की सुविधा करके और पहले जो 70 प्रकार की जांच नि:शुल्क होती थी उसको 90 प्रकार की करके हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने जनता को समर्पित करने का प्रयास किया है।

आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करके पूरे सात करोड़ लोगों की, जो राजस्थान में निवास करते हैं उनकी चिंता करके किया, किसी प्रकार से बीमार नहीं रहें, स्वस्थ रहें, मेरा राजस्थान खुशहाल रहे। मेरे राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो कि जिससे राजस्थान बदनाम हो। एक गांधीवादी नेता, गांधीवादी मुख्य मंत्री, जिसने पूरे देश में एक इतिहास रचा है और राजस्थान का उदाहरण चाहे वह मध्य प्रदेश की बात हो, गुजरात

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

की बात हो, दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, राजस्थान के उदाहरण दिए जाते हैं कि लोकप्रिय मुख्य मंत्री अगर कोई है तो अशोक गहलोत हैं, जो राजस्थान में कई प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं।

बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए भी एक से बढ़कर एक योजनाएं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी द्वारा लागू की गयी हैं। 1000 करोड़ रुपये की पहले बजट में घोषणा करके और कृषक कल्याण कोष की स्थापना करके किसानों के हित में काम करने का प्रयास किया गया है। सीमांत कृषक, जिनकी 12 बीघे से नीचे जमीन होती थी, उनको पेंशन नहीं मिलती थी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिनकी 75 साल से ऊपर की उम्र है, उनके लिये एक हजार रुपये और जिनकी 75 साल से कम उम्र है, उनके लिये 750 रुपये देकर कृषक पेंशन योजना लागू करने की बात की गयी है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए पूर्व मंत्री मदन जी दिलावर जब समाज कल्याण मंत्री हुआ करते थे, तब पेंशन 150 और 300 रुपये मिला करती थी, जब राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत जी बने तो इन्होंने 300 रुपये को बढ़ाकर 500 किया और इसी सत्र में उसको बढ़ाकर 750 किया। जो 750 पेंशन थी, उसको बढ़ाकर एक हजार किया।

शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20 हजार से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद किये और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में उन स्कूलों में जहां पर आवश्यकता थी और मापदण्ड पूरे होते थे, उन जगहों पर स्कूल खोलने का प्रयास किया और उनकी सैद्धांतिक स्वीकृतियां मिल चुकी हैं।

किसानों के ऋण माफी की योजना की बात करें, आज पूरे राजस्थान में लगभग 20 लाख 26 हजार किसानों के ऊपर ऋण माफी के प्रमाण पत्र देकर और लगभग 7 हजार 689 करोड़ रुपये के ऊपर का ऋण माफ किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। एक लाख 27 हजार 900 किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए गए, यह अपने आपमें एक इतिहास है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार बनते ही पहली बार घोषणा की, जिस प्रकार से पिछली बार की थी कि राजस्थान के किसान को खुशहाल करूंगा और राजस्थान के किसान को जितनी बिजली चाहिए उतनी दूंगा और उनके

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं बढ़ाऊंगा। यह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है।

सभापति महोदय, जो आज वर्तमान में राजस्थान की नहीं, पूरे राजस्थान की जो दिशा और दशा है, आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। आज इस देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान-पाकिस्तान में बांटा जा रहा है। जहां कहीं भी चुनाव आते हैं तो वहां पर नई-नई योजनाएं लागू की जाती हैं। अभी दिल्ली का जो चुनाव हाल में निपटा, आप और हम, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार का वातावरण वहां पर बनाया गया, 12 राज्यों के मुख्य मंत्री वहां पर लगाये गये, पूरी केन्द्र सरकार के मंत्री वहां पर लगाये गये, पूरे सांसद वहां पर लगाये गये, लेकिन जो एग्जिट पोल हमारे सामने आए और कल 8:00 बजे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है? यह कभी राम की बात करते हैं, कभी कृष्ण की बात करते हैं, कभी हनुमान की बात करते हैं, कभी गौ माता की बात करते हैं लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप अगर गौमाता के इतने भक्त हैं तो एक भी विधायक हाथ खड़ा करके यह कह दे कि मैंने पांच गौशाला मेरे गांव में खोल रखी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरे खुद के यहां पांच गौशालाएं चला रखी हैं, मैंने पांच मंदिरों का निर्माण किया है, मैंने पांच हनुमानजी के मंदिर बनाये, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप धर्म की बात कर सकते हैं, जाति की बात कर सकते हैं, लेकिन कोई विकास इस देश का कर सकता है तो भीमराव अम्बेडकर के संविधान से कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आजादी के पहले भी इस देश को एकजुट किया। हमारे माननीय सदस्य डा. राजकुमार जी ने कहा था कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप पाकिस्तान और भारत का डर दिखाकर इस जनता को गुमराह कर सकते हैं। इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली कांग्रेस पार्टी है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकसूत्रता में बांधने के लिये जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आपने केवल तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विश्वास करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

डा. भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, आप जब भाषण देने की बात करते हो तो गांधी को अपना आदर्श मानते हो और जब काम करने की बात आती है तो गांधी को एक तरफ रखते हो और गोडसे को आदर्श मानते हो। यह आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है क्या? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यह मानव जीवन लाखों करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मिलता है, इसमें सद्कर्म करना चाहिए। केवल मुंह से किसी की आलोचना करना अलग बात है। मैं लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि राजस्थान की सात करोड़ जनता आपके साथ है और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, राजस्थान की जनता आप पर विश्वास करती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले चार साल बाद राजस्थान में एक नया ही राजस्थान होगा। मैं मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र में हमारे संविधान प्रमुख महामहिम राज्यपाल ने आर्टिकल 176 ए के तहत अपने संवैधानिक दायित्व की पालना करते हुए जो अभिभाषण यहां पढ़ा, मैं उसके विरोध में अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो भी हमें शासित करने के लिये आज्ञाएं निकलती हैं, वह महामहिम राज्यपाल के नाम से निकलती हैं। इसीलिए सभापति महोदय, इस अभिभाषण को कई अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में कौल एण्ड शकधर ने यह कहा है, यह सरकार का नीति पत्र है, यह सरकार का वह दस्तावेज है जिसके अंदर सरकार के पूरे वर्ष के कार्यकाल का लेखा-जोखा और आगामी वर्ष की भावी योजनाएं झलकती हैं। सभापति महोदय पाइंट पांच फ़ीसदी अधिक मतों से जो सरकार बनी है, यह उसका दूसरा अभिभाषण है। इस महामहिम के दूसरे अभिभाषण ने इस सदन के अंदर कई नई परम्पराओं को जन्म दे दिया। यह अभिभाषण 24 जनवरी को यहां पर पढ़ा गया और आज 15 दिन बाद इसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस प्रारम्भ हुई। सभापति महोदय, इससे पहले जो अभिभाषण था, वह 17 जनवरी, 2019 को तत्कालीन महामहिम कल्याण सिंह जी ने पढ़ा और दूसरा अभिभाषण 24 जनवरी, 2020 को श्री कलराज मिश्र ने पढ़ा। इन दोनों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभिभाषणों में एक समानता निश्चित तौर पर थी। पहले अभिभाषण के लिए जब यह सदन आहूत हुआ तो जो नियम और प्रक्रिया आर्टिकल 208 ए के तहत बनी है, उसको धता बताकर मात्र छह दिन के अंदर सदन जब आहूत किया गया, तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में सदन में विराजे भी हैं, इन्होंने उस प्रक्रिया का एतराज किया। समाचार की सुर्खियों में सदन के आह्वान करने की प्रक्रिया के बारे में टिप्पणियां हुईं और यह दूसरा महामहिम के अभिभाषण के लिये सदन आहूत हुआ, वह मात्र चार दिन के अंतराल में हुआ। सारी प्रक्रियाओं को एक तरफ धता बताकर हुआ। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने राज्यपाल महोदय के सामने एतराज किया, उसको भी सुर्खियां समाचार पत्रों में मिलीं। सभापति महोदय, राजस्थान के अवाम का अंदाज निराला है, आदत निराली है। हर पांच वर्ष में सत्ता परिवर्तन करना एक जन आदत बन गयी। सभापति महोदय, यह सही है कि सत्ता परिवर्तन का कथानक, सत्ता परिवर्तन की कथा जो भी सरकार एक साल पूरा करती है, उसके तुरन्त बाद लिखी जानी प्रारम्भ हो जाती थी। यह दीगर बात है इस बार सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखने वाले दूसरे किरदार थे और सत्ता के शिखर पर बैठे दूसरे किरदार हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान हमारे उप मुख्य मंत्रीजी, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, इसी 20 जनवरी को राजस्थान में जितने भी प्रदेशाध्यक्ष अब तक रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जो बात कही। उन्होंने कहा, सत्ता लाने के लिये सड़कों पर संघर्ष किया, आन्दोलन किये, धरने दिये, प्रदर्शन किये, सर्दी देखी नहीं, गर्मी देखी नहीं, बरसात की परवाह की नहीं। गांव-गांव गया, भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में लाठी खायी, जेल गया, तब कांग्रेस की सरकार बनी है और हमारे सदन के नेता, इनका एक ध्येय वाक्य है। अभी इसी 10 जनवरी को बिड़ला आडिटोरियम में एक कार्यक्रम हुआ कायस्थ महासभा का। हमारे मुख्य मंत्री जी उसमें बोलकर गये कि राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे से एक ही आवाज उठी थी कि अशोक गहलोत मुख्य मंत्री बने और मैं मुख्य मंत्री बना। अब इन दोनों बातों में से कौनसी बात को कहें?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 164 चैप्टर 2 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह संविधान का आर्टिकल 164(2) हमें यह कहता है कि मंत्री परिषद् का राज्य विधान सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। यह कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी की बात कहता है और सही भी है। पूरा मंत्रिमण्डल जो सामने विराजमान है, मुख्य मंत्री जी के रहते हुए मंत्री गायब हैं, यह दूसरी बात है पर यह सारा मंत्रिमण्डल इस सदन के प्रति जिम्मेदार है, साढ़े सात करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेदार है। यह संवैधानिक व्यवस्था है।

सभापति महोदय, यह बात मैंने इसलिए कही है कि नवम्बर और दिसम्बर में राजस्थान सुर्खियों में रहा, जे.के. लोन, कोटा में 35 दिन में 112 बच्चों की मौत हुई। राजस्थान शर्मसार हुआ, सम्पादकीय लिखे गये और उसके बाद, जब यह गूंज दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली के कांग्रेस के आलाकमान ने उप मुख्य मंत्री, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। दो मंत्रियों को साथ लेकर हमारे उप-मुख्य मंत्री कोटा पहुंचे और उन्होंने वहां कहा कि हम साल भर से सरकार चला रहे हैं, जितने बच्चों की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं और मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य, हम भी 30 दिसम्बर को गये। वहां चिकित्सालय में हम जाकर देख नहीं पाएं, इसका प्रयास भी हुआ, पर वहां जो नजारा था, सभापति महोदय, टूटी खिड़कियां, टूटे दरवाजे, सीलन भरी दीवारें और ऊपर से बच्चों के आई.सी.यू. में टपकता हुआ पानी और प्रदूषित हुआ सारा वातावरण, निश्चित तौर पर यह सारी चीजें जब फोटो छपी तब हमने भी देखी। हमारे चिकित्सा मंत्री मेरे दोस्त भी हैं, विदेश गये हुए थे, विदेश से वापस आये। बड़ी कृपा पूर्वक कोटा गये, कोटा में उन्होंने जो बयान दिया कि अस्पताल की सार संभाल का जिम्मेदार पी.डब्ल्यू.डी., वो है भी, पी.डब्ल्यू.डी. को मरम्मत के लिए लिखा गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मरम्मत की नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग संभालने वाले की जिम्मेदारी बनती है। यह मैंने 164(2) में सामूहिक जिम्मेदारी की बात इसलिए कही। अब, सभापति महोदय, यह जिम्मेदारी किसकी है और यह सरकार जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है?

सभापति महोदय, सवा साल का सफर पूरा हो रहा है और मैं निवेदन करूं कि सत्ता के जो दो पावर केन्द्र हैं, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात हो, चाहे स्थानीय निकाय में हाईब्रिड चुनाव प्रणाली लागू करने की बात हो, हमारे दबंग यातायात मंत्री आज यहां नहीं हैं, हमारे खाद्य मंत्री जी नहीं हैं, इन्होंने अहंकार का मर्दन किया हमारे यू.डी.एच. मिनिस्टर का, खड़े हो गये सामने और यह पहली बात नहीं।

सभापति महोदय, जब सरकार अपने पूरे एक वर्ष का जश्न मना रही थी तो हमारे पर्यटन मंत्री क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, मनमानी नहीं रुकी तो जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। यही नहीं, सभापति महोदय, हमारे खाद्य मंत्री जी सात जिलों का दौरा करके आते हैं और कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मैं आलाकमान तक शिकायत करूंगा। यही नहीं, हमारे खान मंत्री जी अपने पर्सनल ट्विटर पर लिखते हैं, मैंने महसूस किया सरकार बदल गई, ब्यूरोक्रेसी बदली नहीं, ब्यूरोक्रेसी का यह रवैया ठीक नहीं। सभापति महोदय, यही नहीं हमारे देवली से आने वाले माननीय सदस्य ने कभी इस पूरे पुलिस महकमे की सदारत की थी, डी.जी.पी. रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। हृदय परिवर्तन करके सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्तारूढ़ दल में चले गये, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा पुलिस अपराध रोकने के बजाय मात्र मीटिंग कर रही है, राजस्थान में अचानक अपराधों में बढ़ोतरी हुई इससे सरकार की बदनामी हो रही है। अब बहाने करने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करने की जरूरत है। अलवर के थानागाजी का गैंग रेप प्रकरण और टोंक के हरभजन मर्डर केस का उदाहरण सामने है, यह पुलिस की शर्मनाक कार्यवाही है।

सभापति महोदय, यही नहीं, इसी 30 जनवरी को सदन चल रहा है और सदन के अन्दर बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य विराजे नहीं हैं, ठाकुरपाड़ा, बाड़ी में एक 14 वर्ष का नाबालिग बच्चा रोहित पुत्र केदार, पड़ौसी की भैंस खो गई और भैंस ढूंढ़ने जाता है, सरेआम उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य जाकर मिलते हैं और यह कहते हैं कि भरतपुर के आई.जी. की सरपरस्ती में बजरी के ब्लैक मार्केटिंग का काम भरतपुर से लेकर आगरा तक हो रहा है और आई.जी. भरतपुर दूसरा बयान कहते हैं। मैं समझता हूं यह वो ही बाड़ी-धौलपुर है, सभापति महोदय। मुख्य मंत्री जी इसी 30 अगस्त को दो नौजवान राजकुमार और रामसेवक अपने दो दोस्तों के साथ कुदिन्ना गांव में बाबू महाराज के मेले में जाते हैं, सरेआम गोली चलती है, सरेआम गोली से उड़ा दिये जाते हैं और दो बच्चों की मृत्यु हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाती है। राजकुमार और रामसेवक दो गम्भीर घायल, कार्यवाही नहीं, मैं समझता हूं कि यह सामूहिक उत्तरदायित्व जो संविधान में दिया है इससे सरकार भटक रही है।

आज पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं, इनकी पीड़ा भी कम पीड़ा नहीं है। यह कहते हैं, मैं काफी सीनियर हूं, सुखाड़िया जी से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं के साथ रहा पर कांग्रेस की कार्यकारिणी में नहीं हूं, जो पंच सरपंच नहीं बन सकते वो आज कांग्रेस चला रहे हैं।

सभापति महोदय, सदन के नेता इस बहुजन समाज पार्टी को निगलने में माहिर हैं। यह बहुजन समाज पार्टी को हजम करने में माहिर हैं। यह दूसरी बार है, पूरी बहुजन समाज पार्टी को निगल भी गये, हजम भी कर गये और आसानी से हजम होने के पश्चात् यह बहुजन समाज पार्टी के हमारे भाई सत्ता की डाल पर तो जा बैठे, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या कहा, उन्होंने रंगे हाथ टोल टैक्स की चोरी करने वालों को पकड़ लिया, जिला कलेक्टर को टेलीफोन करते हैं और जिला कलेक्टर कार्यवाही करने की बजाय उनके खिलाफ बयान जारी कर देते हैं। इसी तरह जो बसपा को श्रद्धांजलि देकर कांग्रेस विधायक दल में शामिल हुए हमारे नगर से आने वाले माननीय सदस्य का अनुभव भी कुछ इसी प्रकार का रहा।

सभापति महोदय, इसी 17 दिसम्बर को सरकार ने अपना एक साल होने पर जश्न मनाया, बदली-बदली सी मेरी सरकार नजर आई। सभापति महोदय, उप-मुख्य मंत्री जी का सुन्दर चेहरा न पोस्टरों पर था न होर्डिंग्स पर था और मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं आज उनको इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, 164(2) के अन्दर जो आर्टिकल में लिखा है सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का उन्होंने बोध कराया और 17 जनवरी को विश्वविद्यालय छात्र संघ का उद्घाटन करने वो गये। उन्होंने कहा सरकार चलाना और उसकी परफोर्मेंस हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यह बात सही है सत्ता मिलते ही अहंकार आ ही जाता है, परन्तु यह पब्लिक है यह सब जानती है, दो मिनट में छठे माले पर और एक सैकण्ड में बेसमेंट में।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कांग्रेस आलाकमान चिंतित हुआ और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने एक समन्वय समिति बनाई।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप जैसे विद्वान व्यक्ति उस समन्वय समिति में, हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह जी उस समन्वय समिति में और महेन्द्रजीत सिंह जी और हेमाराम जी, आप नींव के पत्थर हो, राजस्थान की अवाम को आपसे उम्मीद है, आप इस +++ सरकार को निश्चित तौर पर ठीक करोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।

सभापति महोदय, सदन के नेता विराजे हैं, सदन के नेता जी, 23 जनवरी, 2019 का वक्त ...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, +++ सरकार शब्द तो निकालो।

श्री सभापति: जो भी असंसदीय है उसको निकाल देना। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि सदन के नेता ने पहले राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में एक बात कही। इन्होंने कहा, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने पांच वर्ष में फिजूलखर्ची और हवाई यात्रा पर पचास करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान की जनता पर भार डाल दिया। मुख्य मंत्री जी, आप कम बोलते हो पर तोल कर बोलते हो, यह मैं मानता हूं पर यह राजनीति का तराजू जब कभी भी आपके पड़ौस में बैठने वाले उप-मुख्य मंत्री जी की तरफ झुका, आप दिल्ली दरबार में चले गये। मैं पूछना चाहता हूं 430 दिन की इस सरकार में, मुख्य मंत्री जी, मेरी जो जानकारी है, आप 168 दिन हवाई जहाज में यात्रा करते रहे। अब पांच साल बीतेंगे तो अल्लाह जाने क्या होगा आगे, यह तो वक्त बताएगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैंने 17 जनवरी, 2019 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा, मैंने 24 जनवरी, 2020 के राज्यपाल के अभिभाषण को भी पढ़ा, मैंने जो मुख्य मंत्री जी का पहला उत्तर था 23 जनवरी, 2019 को दिया, उसको भी पढ़ा, आपने बार-बार एक बात कही। इस बार भी यह जो पृष्ठ दो, पैरा चार है, जो पहला अभिभाषण था उसमें आपने लिखा, सरकार का संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, सुशासन देने का संकल्प। संकल्प ले लिया, 6 साल पहले ले लिया। सभापति महोदय, यह जो 24 जनवरी, 2020 का अभिभाषण है, इसके पैरा 2 में कहते हैं कि उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील कार्यप्रणाली विकसित करने की दिशा में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने नए आयाम स्थापित कर दिए। मतलब कि आपने संकल्प को सिद्धि में बदल दिया। बहुत अच्छा किया। अब पारदर्शी शासन, यानी हर चीज आर-पार दिखे। सभापति महोदय, अगर अब आर-पार दिखने की दिव्य दृष्टि मुझ में हो और मेरे दोस्त मुख्य सचेतक महोदय बैठे हैं, अभी यह अच्छे वस्त्र धारण करके बैठे हैं और दिव्य दृष्टि मेरे में आ जाए, पारदर्शी हो तो मैं इनके सुशरीर को जब देखूं जिस पर वस्त्र नहीं हो तो कैसा लगेगा? इस आर-पार को देखा ट्रासपरेंसी इंटरनेशनल करप्शन ने, सर्वे हुआ 2019 में। यह सर्वे क्या कहता है मुख्य मंत्री जी, भ्रष्टाचार के अंदर।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं? थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री सभापति: आप दोनों की वह उम्र निकल गई।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): हमने इनको किस-किस रूप में देखा है, वह भी मैं बयान करूं अगर आप मुझे अनुमति दें तो।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपस में ही कर लेना बात।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं कुछ बयान करूं?

श्री सभापति: आप दोनों की वह उम्र निकल गई, वह देखने करने की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह बात आपने सही कही सभापति महोदय। सभापति महोदय, आप जैसा ज्ञानी बैठा हो तो यह बात सही है। सभापति महोदय, ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल करप्शन का सर्वे जो था, उसने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार की दृष्टि से देश में पहले पायदान पर पहुंच गया। 76 परसेन्ट नागरिकों का बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। आपने पूर्ववर्ती सरकार पर बड़े आरोप लगाए। कभी बजरी माफिया का कहा। कभी अवैध खनन का कहा। कितने तंज कसे? यह आर-पार सारी चीज दिखाई देगी।

सभापति महोदय, एक चीज जिसका इस अभिभाषण में बार-बार जिक्र हुआ, वह हुआ सुशासन का। सभापति महोदय, यह सुशासन क्या है? सुशासन है सुदृढ़ कानून व्यवस्था और जवाबदेह पुलिस प्रशासन। यह है कानून व्यवस्था, अमन चैन की जिंदगी आम अवाम जीए। यह सुशासन की परिभाषा है। सभापति महोदय, हमारे डीजीपी, उनका चयन कैसे हुआ वह सर्वोच्च न्यायालय में है। वह मैं आगे निवेदन करूंगा। उन्होंने एक प्रेस कान्फ्रेंस की। सरकार जश्न मना रही थी एक साल की उपलब्धियों का। मुख्य मंत्री जी ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा कि बताओ एक साल में क्या उपलब्धियां रहीं। उन्होंने जो कहा उसकी एक बानगी मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा।

उससे पहले मुख्य मंत्री जी आपके राजस्थान के अंदर, आपके शासन में एक जबरदस्त घटना हुई। जिसकी गूंज पूरे देश में रही। यह जो आपके बहरोड़ के लाकअप से, पुलिस की कस्टडी से, एक लाख का इनामी पपला भागा, थाने पर हमला, गैंग आती है और बंदूक से उस अपराधी को छुड़ाकर के ले जाती है। सभापति महोदय, अपराधी चला गया। 24 घंटे तक अपराधी टपूकड़ा एरिया में रहता है और यह पुलिस के रिकार्ड में है अगर मैं झूठ बोलूं तो, वहां से वह एक कृष्ण स्कूल में कर्मवीर है महेंद्रगढ़ हरियाणा में, उससे फिरौती मांगता है। आप देखिए कि कितना दुस्साहस है उनमें कि वह फिरौती मांगते हैं। यही नहीं, टपूकड़ा पुलिस ने एक तरह से एक वर्ष तक इस पपला को महफूज रखने के लिए 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष लेने की बात, जांच में सामने आ रही है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी यह वर्दीद्रोह है। जिसने वर्दी पहनी है वह वर्दी के साथ द्रोह कर रहा है।

सभापति महोदय, अभी सरदारशहर की घटना, हेमराज नायक की पुलिस कस्टडी में मौत और उसकी भाभी के साथ बलात्कार। सदन में गूंज, समय बीतता चला गया, समय का चक्र घूमता चला गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी चूरू राजगढ़ में 4 दिन पहले की घटना। एक 10 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है। जनता अकरम नाम के अपराधी को पकड़ती है। अपराधी पुलिस की कस्टडी में जाने के 2 घंटे बाद फरार हो जाता है और उसके बाद रात को पकड़ा जाता है। क्या यही हमारे पुलिस प्रशासन का परिणाम है?

सभापति महोदय, आपने अभिभाषण के पैरा 2 में राज्यपाल महोदय से यह कहलवा दिया कि आपने नए आयाम हासिल कर लिए उत्तरदायी और पारदर्शी शासन के। यह मैं नहीं कह रहा मुख्य मंत्री जी, यह आंकड़े आपके एक वर्ष के हैं जो प्रेस कान्फ्रेंस करके इस राजस्थान के पुलिस अमले की अगुवाई करने वाले डीजीपी ने जारी किए। उन्होंने कहा कि महिला अपराध की दृष्टि से एक वर्ष में 68 परसेंट अपराध बढ़े। एस.सी., एस.टी. के विरुद्ध एक वर्ष में 64 परसेंट अपराध बढ़े। पाक्सो एक्ट के अंदर 44 परसेंट अपराध बढ़े। डकैती के अंदर 42 परसेंट, चोरी के अंदर 41 परसेंट, लूट में 39 परसेंट और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुल 31 परसेंट अपराध बढ़ गए। राजस्थान की धरती कलंकित हो जाए, अपराधियों की धरती बन जाए। मैं निवेदन करूं कि अगर आप देखें तो राजस्थान के अंदर एक वर्ष में 1659 हत्याएं हुई। रोज राजस्थान के किसी न किसी कोने पर पांच हत्याएं हुई। पांच अबलाओं के सिंदूर को लूटने का काम इस सरकार के रहते हुए हुआ। एक साल के अंदर 5997 बलात्कार हुए। यानी 17 हमारी बहनों की अस्मत लुटती रही राजस्थान में और सुबह से शाम होती रही। सभापति महोदय, यह मैं नहीं कहता, क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट यह कहती है। मुख्य मंत्री जी, आप गृह मंत्री भी हो कि आज राजस्थान में 79599 स्थाई वारंटी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी का तो कहना ही क्या? महानगरों के अंदर अपराध की दृष्टि से सातवीं पायदान पर है, बलात्कार में तीसरी पायदान पर, हत्या में आठवें पायदान पर और साइबर क्राइम में चौथे पायदान पर है। बाल तस्करी की चर्चा चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने की थी, उसमें भी चौथे स्थान पर हैं। आपके यहां एक वर्ष में 225306 मामले दर्ज हुए। मैं पूछना चाहता हूं कि मामले दर्ज हो गए और यह 72000 मामले, यह मैं नहीं कह रहा, पुलिस का रिकार्ड कह रहा है। क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आधार पर कह रहा हूं। इसमें 6 महीने से ज्यादा तक आपकी जांच लंबित क्यों है?

आज हो क्या रहा है? यह आपकी जो जेल हैं यह तो अपराधियों को पनाह देने के लिए ऐशगाह बन गई। यहां सब चीजें जा रही हैं। मादक पदार्थ हों, मोबाइल, टेलीफोन हों, प्रतिबंधित सामग्री हो, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य मुझे ठीक करेंगे। नोहर के अंदर सुखराम प्रहरी ने इन सारी चीजें को रोका तो दुनिया से उसको रुखसत होना पड़ा।

सभापति महोदय, यहां मैं निवेदन करूंगा कि आज पंजाब में वहां का नौजवान नशे की गिरफ्त में है। अब वह बात राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पहुंच रही है। आज राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी की दृष्टि से ट्रांजिट रूट बन गया है। मैं निवेदन करूंगा कि यह मेडिकेटेड चिट्टा, मुख्य मंत्री जी यह एक ऐसा नशा है, जो पंजाब के अंदर नौजवान करता है। इस मेडिकेटेड चिट्टा का जो सेवन करना प्रारम्भ कर देता है तो वह छोड़ नहीं सकता, 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। आपको इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करनी चाहिए। अभी डोडा, पोस्त बंद हुए। उसको बंद करने के बाद ट्रोमाडोल एक टेबलेट है, जो पोस्त, डोडा छोड़ते हैं, उसके विड्राल सिस्टम आते हैं, वह इसको यूज करते हैं। आज इसका नशे के रूप में राजस्थान में इस्तेमाल हो रहा है। अभी 30 जनवरी को यहीं आपने ट्रोमाडोल, इम्प्रोजोल टेबलेट पकड़ी। कल आपने 45 ग्राम की एमडी ड्रग्स पकड़ी। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को देखना चाहिए।

मुख्य मंत्री जी, अभी आपके डीजीपी 80 हजार पुलिस बेड़े की अगुवाई कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नागरिक संरक्षण समिति बनाम राजस्थान इस मामले में आप अवमानना याचिका का सामना कर रहे हो। आपके मुख्य सचिव जी रोज जाते हैं। प्रकाश सिंह बनाम यूनियन आफ इंडिया, इसके आधार प्रदेश भर में पुलिस एक्ट 2007 बना। उस 2007 के एक्ट की धारा 13 (3) कहती है कि राज्य में जब कभी भी डीजीपी नियुक्त हो तो 3 महीने पहले प्रक्रिया प्रारंभ करो। 3 योग्य, सीनियर अभ्यर्थियों का पैनल बनाकर सिक्योरिटी काउंसिल का इसी में प्रावधान है, उसके माध्यम से आप यूनियन सर्विस कमीशन में भेजो। पैनल के अंदर उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम होने चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति में अभी 6 महीने का समय शेष हो। आप डीजीपी की एडहॉक नियुक्ति भी नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने तो दोनों ही कर डाले। आपने जब पैनल भेजा उस समय 6 महीने का समय इनका नहीं था, 20 अगस्त, 2019 को आपने नियुक्त किया। वह 31 दिसम्बर को रिटायर हो रहे थे। आपने फिर 28 अगस्त को इनका 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। जब पुलिस की अगुवाई करने वाला व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय के कारण अवसाद में हो वहां किस प्रकार की कानून व्यवस्था होगी, मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, एक बात बहुत बार आप लोगों के मुंह से सुनी कि, 'निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय' कबीर जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं समझता हूं कि जब जंगे आजादी लड़ी जा रही थी, उस समय समाचार पत्रों की भूमिका बहुत थी। उस समय अकबर इलाहाबादी जो शायर थे उन्होंने एक बात कही, 'खींचो ना कमान, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो'। आज अखबारों को मुख्य मंत्री जी, आप मुख्य मंत्री हो, हमारी सदारत कर रहे हो,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

16 दिसम्बर को आपने सरेआम धमकी दे डाली कि अगर आपको विज्ञापन लेने हैं तो समाचार छापो जैसे हम कहें वैसे। उसके बाद क्या होता है, राजस्थान के अंदर पहला मौका है, हिंदुस्तान के अंदर कि किसी मुख्य मंत्री को मुख्य सचिव के माध्यम से 13 जनवरी को प्रेस कौंसिल आफ इंडिया प्रसंज्ञान लेकर के नोटिस भेजे और यह कहे कि मुख्य मंत्री जी का बयान लोकतंत्र के मूल्यों को कम करने वाला है।

(14.00 बजे)

मीडिया की साख कम करने वाला है। प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है और दो सप्ताह का समय दें, मैं समझता हूं कि अभी नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इक्कीसवीं सदी के गांधीजी की उपाधि इनको दी। इक्कीसवीं सदी में यदि गांधीजी इस प्रकार करें तो निश्चित तौर पर इस पर सोच करने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मुझसे पहले यहां पर कर्ज माफ करने की बड़ी बात हुई और यह सही भी है। इस राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन का एक इंस्ट्रूमेंट था कर्ज माफी, 6 रैलियों में आपके महबूब नेता ने, जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार आई, एक, दो, तीन, दस तक गिनो और कर्जा माफ। मैं निवेदन करूं, इसी 17 जनवरी, 2019 को पहला अभिभाषण जब हो रहा था, मुख्य मंत्रीजी, तब उसके पृष्ठ संख्या 5, पैरा 11, उसमें आपने क्या कहलवाया? सहकारी बैंकों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार पात्र पाए जाने वाले ऋणी किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। बहुत अच्छा किया, ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कृषकों को जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं, अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, राज्य सरकार ने निर्धारित मापदण्डानुसार पात्र पाए जाने पर 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक सीमा का कालातीत अवधिपार अल्पकालीन ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। निर्णय करा लिया आपने। शिड्यूल्ड बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से, नोटिफाइड बैंकों से ऋण लिया हो, उनका भी कर्जा आपने माफ कर दिया, बहुत अच्छा किया आपने। फिर आपका उत्तर देने का वक्त आया। आपने उत्तर दिया 23 जनवरी को, यानी यह बात है एक और दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महीने पहले की, इसी सदन में आपने कहा। आपने कहा कि भूमि विकास बैंक और सीसी बैंकों का अवधिपार कृषक ऋणी है, लघु और सीमान्त है उनके भी समस्त ऋण माफ किए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं। जोरदार बजी तालियां रुकी ही नहीं। इसके कारण से 80 हजार हैक्टेयर, 4 लाख बीघा भूमि, कृषि भूमि जो गिरवी रखी हुई है वह मुक्त हो जाएगी। नेशनलाइज्ड बैंक, शिड्यूल्ड बैंक, आरआरबी ग्रामीण बैंक, जो मैंने एनपीए की घोषणा कर रखी है, पहले जो डिफाल्टर थे उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ होंगे। उनको लेकर हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। बहुत अच्छा किया एक साल दो महीने पहले शुरू कर दी आपने। जिस प्रकार उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सैटलमेंट करते हैं, उसी रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सैटलमेंट करेंगे। यह बहुत ही अच्छी बात है जिससे किसानों का भी 2 लाख रुपये तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधान मंत्री को हमने पत्र लिखा है कि आप स्वयं आकर कर्जा माफ करें पूरे देश का, तो अच्छी बात है। फिर आगे क्या बोलते हैं, हम उसका इन्तजार नहीं करेंगे, बड़ी दम्भ भरी आवाज में, परन्तु मैं वादा करता हूं, उन्होंने सहयोग नहीं किया, तब भी हमारी सरकार पूरा कर्ज माफ करेगी, यह मैं निवेदन करता हूं, यह पक्का इरादा है। यह मेरे शब्द नहीं हैं, सदन के नेता के शब्द थे। मैं समझता हूं कि आपने बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए 20 लाख किसानों का, जिन्होंने कामर्शियल बैंक, नोटिफाइड बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक से कर्जा ले रखा था, उनके साथ आपने वादा किया।

अब आप आ जाएं, अभी इसी अभिभाषण में, इसी 24 जनवरी को पृष्ठ 7, पैरा 27, उसमें आप कहते हैं, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों को 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपये तक की सीमा का अवधिपार अल्पकालीन ऋण, वन टाइम सैटलमेंट लाकर माफ करने हेतु केन्द्र सरकार से यथोचित सहयोग का आग्रह किया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके देने के बांट कुछ और लेने के बांट कुछ, राजस्थान के अवाम को कहा, हम आपका सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे 59 लाख किसानों का और फिर आप यू टर्न मारते हैं इस सदन के अंदर। मैं समझता हूं कि इस पर निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, 6 लाख 22 हजार किसानों का ऋण हमने माफ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 लाख 22 हजार किसान जो आप बता रहे हैं, इसमें किसानों के खाते में ऋण की राशि का समायोजन कितना हुआ, राइटआफ कितना हुआ? मैं समझता हूं कि आपने अन्याय कर दिया। आपने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में ऋणी किसान, वह ऋणी किसान जो ऋण लेते ही अपने आप ही प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकृत हो जाता है, उसको ऋण मिला नहीं, खाते में पैसा बोलता रहा, उसको उससे भी महरूम करने का काम कर दिया। मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है?

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि आप एक बात बताएं, 2017-18 रबी, खरीफ, खरीफ, रबी और 2019, इनमें तालिका लेकर सदन को बता दो कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में कितने पंजीकृत हुए इससे सारी बात सामने आ जाएगी। आपने किसानों में जो गुड बोरोअर्स हैं, जिसको सद्भावी किसान आपने कहा, 23 जनवरी, 2019 को कहा, सद्भावी किसान, जिसका फसल का ऋण माफ नहीं हुआ, एक स्पेशल पैकेज बनाएंगे, यह कह रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों में गुड बोरोअर्स किसानों के लिए चल रही स्कीम की तर्ज पर राजस्थान के किसानों के लिए स्कीम बनाने का कहा, स्कीम बन गई आपकी?

दूसरा, आपका आ गया, मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, उस जिले में 14 नवम्बर से किसान आंदोलन कर रहा है। ढाई लाख किसानों ने रबी 2017-18 के अंदर अपनी किसान बीमा योजना के अंदर प्रीमियम जमा कराया। यह जो पोर्टल है, जिसमें 15 जनवरी तक बैंक का फर्ज है कि किसान के प्रीमियम को वहां दर्ज कराए। उन्होंने कराया नहीं, 88 हजार का कराया और आज बैंक वाले, इन्श्योरेंस कम्पनी कह रही है कि आपके प्रीमियम का पैसा हमारे पास आया नहीं, किसान कहता है कि बैंक में जमा करवा दिया, बैंक कहता है कि मुझसे चूक हो गई। मैं समझता हूं कि यह पूरे राजस्थान के अंदर है, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक बात और कही 23 जनवरी को, राजस्थान में आत्महत्या हुई, जिनकी आत्महत्या हुई, किसान के लिए, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा जाएगा, उससे रिकमण्डेशन लेकर उसका कर्जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माफ किया जाएगा, माफ करना हमारा फर्ज है। अभी आप दौरे पर गए, जैसलमेर गए, गुढ़ामालानी का वह किसान लिम्बाराम, उसे टिड्डी दल को देखते ही हृदयाघात हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। आपने पूछा कि उस पर कितना कर्जा है? गंगानगर का ठाकरी गांव का सोहनलाल तड़ेल, डाइंग डिक्लेरेशन में नाम लिखकर जाता है, मुख्य मंत्रीजी और उप मुख्य मंत्रीजी आपका। यह कहता है कि मेरे शव को तब तक मत उठाना जब तक मेरा कर्जा पूरा माफ नहीं हो। हमने क्या किया उसके लिए? हनुमानगढ़ कलैक्ट्रेट परिसर में सुरजाराम, जेब में बैंक के कर्ज का कागज, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपको इस बारे में विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां टिड्डी के बारे में वक्तव्य आएगा। मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा लेकिन आपने टिड्डी के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 9 पैरा 32 में 25 वर्ष उपरान्त टिड्डियों द्वारा किसान की फसल का भारी मात्रा में नुकसान हुआ। सरकार बड़ी संवेदनशील है, त्वरित, विशेष गिरदावरी करवा रही है और 6 जिलों में 47 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। मैं समझता हूं कि यह सही है कि 1993 के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके से कई-कई किलोमीटर लम्बा, टिड्डी दल आया, 12 जिलों में गया, 7 लाख हैक्टेयर भूमि को लील कर गया, 1200 करोड़ रुपये किसान के लगे।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि टिड्डी नियंत्रण का काम तो भारत सरकार का है लेकिन राज्य सरकार इस तरह से पल्ला थोड़े झाड़ सकती है? अभी 21 मई को पहली बार टिड्डी दल यहां आया, 9 महीने पहले और हमारे कृषि मंत्रीजी तो यहां अभी हैं नहीं, मैं इनका अख़बार में पढ़ रहा था, 4 जनवरी को इन्होंने मीटिंग की, वैज्ञानिकों को बुलाया, टिड्डी के नियंत्रण के लिए अब जाकर कहा कि आप पता करो कि किस प्रकार से इन पर नियंत्रण कर सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, जिस दिन यह मीटिंग कर रहे थे, उस दिन पाकिस्तान के बहावलपुर से दस किलोमीटर लम्बा टिड्डी दल खाजूवाला पहुंच जाता है बीकानेर पहुंच जाता है, बाड़मेर जाता है, पाली जाता है, जालौर जाता है। रायड़ा, सरसों, गेहूं, जीरा, ईसबगोल की सारी फसलों को खतम कर जाता है। लोकस्ट वार्निंग कंट्रोल रूम है। उसके साथ राज्य सरकार के कृषि विभाग का कोई समन्वय नहीं। आप किसानों को अगर समय पर कीटनाशक दे देते, अगर आप स्प्रे करने के लिए वाहन दे देते, और साधन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दे देते। आज कितनी बड़ी बात है, माननीय सभापति महोदय, इस युग के अंदर किसान थाली बजा रहा है टिड्डी को भगाने के लिए, इस युग के अंदर डीजे चला रहा है, जिस डीजे पर आपने पाबन्दी का दिया है न उसमें...

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): हमारे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को कोई जानकारी तो है नहीं, बिना जानकारी के बोले जा रहे हैं। आपके केन्द्रीय मंत्री राज्य सभा में खड़े होकर कहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम किया, सबसे अच्छा प्रबन्धन किया। कम से कम आप हम पर विश्वास न करें, तो आपकी सरकार के केन्द्रीय मंत्री पर तो विश्वास किया करें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं जरूर जानकारी करूंगा मुख्य मंत्रीजी। पर क्या मैं यह असत्य बोल रहा हूं कि आज के युग में इस टिड्डी दल को भगाने के लिए राजस्थान में किसान ने थाली नहीं बजाई, डीजे नहीं चलाए, मोटर साइकिलों के साइलेंसर हटाकर उनसे आवाज नहीं करवाई? और तो और मुख्य मंत्रीजी, किसान अपनी बाड़ के आग कभी नहीं लगाता। यहां नावां से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। किसान अपनी बाड़ के आग लगाए कि टिड्डी नहीं आए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अभी आप 30 दिसम्बर को गए, सात महीने बाद गए हैं मुख्य मंत्रीजी आप, सात महीने बाद, 21 मई को, टिड्डी दल पहला आया, हमारे सदन के नेता मुख्य मंत्रीजी, सात महीने बाद जाते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही, वहां उपदेश क्या देते हैं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में 31 दिसम्बर से पहले अपना प्रीमियम जमा करवा देना, गिरदावरी मैं करवा रहा हूं।

मैं समझता हूं आज पाकिस्तान में लोकस्ट इमरजेंसी घोषित है सेना का सहयोग लिया जा रहा है। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खाद एवं कृषि संगठन है, उसने कहा है कि ईरान में फिर पैदा होने वाली टिड्डियां भारत में अप्रैल और मई में हमला करेंगी। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचना चाहिए। मुख्य मंत्री जी, अब मेरी आपसे मांग है कि इन 12 जिलों में एक साल का तो आप विद्युत बिल माफ करें। इन 12 जिलों में एक साल का सहकारी ऋण माफ करें। आप गुजरात की तर्ज पर स्पेशल पैकेज दें। जो 6 जिले शेष रह गये, वहां गिरदावरी कराएं।

आपको पता है, केन्द्रीय वित्त आयोग बना हुआ है। एसडीआरएफ का पैसा है, 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का और 25 प्रतिशत आपका है। इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

साल की किट्टी 1340 करोड़ रुपये की है, 502 करोड़ रुपये आपके पास आ गये हैं। आपको अभी 1060 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी। एसडीआरएफ के नोर्म्स में 33 प्रतिशत फसल खराबा पर जो 13500 रुपये मुआवजे के मिलते हैं, वे आप राजस्थान के किसान को क्यों नहीं देना चाहते? मेरी मांग है कि आप इस काम को पूरा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज विद्युत दरों की बात पर सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है। इसी अभिभाषण में कहा गया कि 4 वर्ष तक हम किसान की विद्युत दरें नहीं बढ़ाएंगे। किसान तो खेत में सिर्फ ट्यूबवैल ही चलाता है। वह किसी घर में तो रहता ही नहीं है। मुख्य मंत्री जी, एनर्जी कंजम्प्शन इंडेक्स क्या कहता है? इस राजस्थान में 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ता हैं। 68 प्रतिशत किसान हैं। यह इंडेक्स कहता कि जिसके दो या तीन कमरे हों, कूलर चलाए, फ्रिज चलाए और 8 ट्यूबलाइट या बल्ब जलाए, उसका कंजम्प्शन 150-200 यूनिट होता है। आपने इसमें कितना बिल बढ़ा दिया? 6 रुपया 40 पैसे प्रति यूनिट से 7 रुपया 35 पैसे प्रति यूनिट। एक रुपये में तो यहां आंदोलन हो गया था, 95 पैसे की बढ़ोतरी। यह राजस्थान का किसान नहीं देगा। फिक्स चार्ज 220 रुपये से 255 रुपये हो गया।

मुख्य मंत्री जी, शायद आप ही के समय में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2004 आया। उसमें तय हुआ था कि बिना नियामक आयोग की स्वीकृति के न तो चार्ज बढ़ाएंगे, न सरचार्ज बढ़ाएंगे और न ही कोई दर बढ़ाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि फ्यूल चार्ज जो कि 35 पैसे था भाजपा की सरकार में, वह आपने 55 पैसे किया बिना नियामक आयोग की सहमति के। अडाणी, जिसकी बात अभी नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हमारे साथ तो जोड़ दिया, आप क्यों उपकृत कर रहे हैं अब? सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं डालते आप? 2700 करोड़ रुपये आपको अडाणी पावर प्रोजेक्ट का देना है और आपने इसका बोझ डाल दिया 36 महीने तक 5 पैसे प्रति यूनिट का राजस्थान के 1 करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं पर।

अभी आपने क्या किया, यह एडिशनल सिक्योरिटी क्या आ गयी? मैं समझता हूं 1200 करोड़ रुपये का भार डाल दिया आपने। सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बिल में एडिशनल सिक्योरिटी देखिएगा घर जाकर। आपके बिल में भी है, 600 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक। मैं समझता हूं, यह असली चेहरा है जो आज आपका हमारे सामने है।

मैं निवेदन करता हूं, यहां सदन में एक बात बड़ी जोर-शोर से कही गयी। किसान को जहां एक तरफ बिजली ने मारा, आपने क्या किया? मुख्य मंत्री जी, आपने पैट्रोल और डीजल पर 5 जुलाई, 2019 को नोटिफिकेशन संख्या-F.2(25)FD/Tax/2019-23 के जरिये 4 परसेंट वैट बढ़ा दिया। यह क्यों किया आपने? उसके बाद जो रोड सैस है 1 रुपया 75 पैसे, उसको आप वैट के दायरे में ले आये। इसका कुल-मिलाकर असर क्या हुआ कि 1 रुपया 75 पैसा रोड सैस बढ़कर के हो गया 2 रुपया 12 पैसे, 37 पैसे बढ़ा दिया। आपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ 49 में कहा- हम पैट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। आज हालत क्या है? मैं जहां से आता हूं, चूरू और अलवर, ये हरियाणा से लगे हुए हैं। डीजल की बात मैं अगर करूं तो हरियाणा से 7 रुपये 21 पैसे महंगा डीजल है हमारे यहां। कौन लेगा हमारे यहां से? इसी तरह पंजाब से लगते हनुमानगढ़-गंगानगर में 8 रुपये 92 पैसे महंगा डीजल है। इसी कारण से इन 16 जिलों में डीजल की बिक्री 20 से 30 प्रतिशत गिर गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो वैट बढ़ाया, रोड सैस को वैट के दायरे में आप लाये, इन्हें निश्चित तौर पर आपको कम करना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं टोल के बारे में।

श्री सभापति: माफ करें। प्लीज सहयोग करें। समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): थोड़ा टाइम है अभी तो।

श्री सभापति: देख लिया टाइम मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, बस लास्ट। भाजपा सरकार ने जनता की मांग पर 1 अप्रैल, 2018 को 55 स्टेट हाईवेज को टोल टैक्स से मुक्त किया। आपने क्या किया? 1 नवम्बर, 2019 को बीजेपी के फैसले को 18 महीनों बाद पलट दिया और यह कहा कि इससे इन 55 स्टेट हाईवेज के रख-रखाव के लिये पैसा आएगा। मैं पूछना चाहता हूं ये जो 700 करोड़ रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने वसूले, इनमें कितने रुपये आपने इन सड़कों के रख-रखाव पर खर्च किये?

सभापति महोदय, अब आप मुझे जल्दी समाप्त करने के लिये कह रहे हैं, इसलिये मैं एक अंतिम निवेदन करना चाहूंगा। आज हालत क्या है? मुख्य मंत्री जी, राजस्थान में आर्थिक आपातकाल लगा है। राजस्थान के किसी भी जिले की ट्रैजरी में चले जाएं, बिल अटे पड़े हैं। राजस्थान में पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, इर्रिगेशन के ठेकेदार अपने किये हुए कामों के भुगतान के लिये धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राज्यपाल का जो पिछला अभिभाषण था, उसमें आपने बिन्दु संख्या-6, 7, 8, 9 पर हमारी सरकार पर बड़े आरोप लगाये। हमने प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 14.03 से 9.08 कर दी तो आपने कितनी बढ़ा दी एक साल में, इसका आंकड़ा बता दें।

आपने यह कह दिया, कृषि विकास दर जो आपके पूर्ववर्ती काल में 8.94 थी, वह हमारे राज में 3.95 हो गयी। आपने कितनी बढ़ा दी, इसका आंकड़ा दे दें। आर्थिक कुप्रबंधन- 1 लाख 29 हजार रुपये के कर्जे को हमने 3 लाख 8 हजार कर दिया। आपने कौन-से मीर मार लिये, यह बताएं।

अंत में मुख्य मंत्री जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने 1 लाख 16 हजार 735 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना बनायी है। मेरा आरोप है, लिख लें आप कि आपकी दिसम्बर तक इस वार्षिक योजना का 25 प्रतिशत पैसा खर्च किया है आपने। राजस्थान में विकास के पहिये को रोकने वाली यह सरकार राजस्थान में बनी वार्षिक योजना की सबसे बड़ी कटौती की साक्षी बन गयी। और आप करेंगे भी क्या? आपकी मजबूरी है। अब आप साफ-साफ बात करें।

मैं आपसे सही कह रहा हूं। आपका मित्र होकर कह रहा हूं कि अभी मैं 'बजट एट ए ग्लांस' ला रहा था। इसमें पृष्ठ संख्या 1 में राज्य का कुल राजस्व कितना होगा, आपने उसमें लिखा 73 हजार 142 करोड़ रुपये का टोटल टैक्स रेवेन्यू होगा। आपका यह 'बजट एट ए ग्लांस' कह रहा है इसी साल का। यही 'बजट एट ए ग्लांस' यह भी कह रहा है कि आपकी एक साल की ब्याज अदायगी है 22 हजार 132 करोड़ रुपये। पेंशन पर आप खर्च कर रहे हैं 23 हजार 83 करोड़ रुपये। वेतन-भत्तों पर खर्च कर रहे हैं 55 हजार 34 करोड़ रुपये। यानी 1 लाख 2 हजार 49 करोड़ रुपये तो यही खर्चा हो गया और आपकी टोटल टैक्स रेवेन्यू तो 73 हजार 142 करोड़ रुपये ही है। 29 हजार करोड़ रुपये के तो इसी में टोटे पड़ गये। अब विकास करेंगे तो करेंगे कहां।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने इस 34 पृष्ठीय अभिभाषण को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का दिशाहीन, नीरस और राजस्थान के विकास को रोकने वाला अभिभाषण नहीं देखा। बड़े बाबुओं के द्वारा तैयार किये गये इस अभिभाषण का मैं पुरजोर तरीके से विरोध करता हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछले सवा साल से राजस्थान में हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने लगातार एक के बाद एक जनहित के काम किये हैं।

सभापति महोदय, आज अगर देश को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वह है स्वस्थ रहने की। 2008 से 2013 तक जब हमारी सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्री जी श्री अशोक गहलोत एक योजना लेकर आये थे- नि:शुल्क दवा योजना। जो गरीब व्यक्ति महंगे अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करवा सकता था, प्राइवेट हास्पिटलों में नहीं जा सकता था, महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकता था, उसको सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज सुलभ हुआ। उसमें भी एक कमी रही जैसा कि हम सब लोग देखते हैं कि कैंसर, हार्ट, श्वांस और गुर्दे जैसी गम्भीर बीमारियां जिनसे कि आजकल हर गांव में, हर ढाणी में, हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति पीड़ित है। बहुत महंगी दवाइयां बाजार में मिलती थीं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को कि इस बार कैंसर, हृदय और श्वांस की दवाइयां, जो पहले 607 दवाइयां नि:शुल्क दवा योजना के तहत मिलती थीं, उनको इस बार बढ़ाकर 709 किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता पर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है और आप आफिसर गैलेरी देखो, यह अच्छी परम्परा नहीं है। माननीय सदस्य अच्छा बोल रहे हैं। माननीय मुख्य सचेतक जी का कोई नियंत्रण ही नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि पहली बार गरीब व्यक्ति की बात को सुना और जिन गम्भीर रोगों से आज बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं उनकी दवाइयों की संख्या जो नि:शुल्क दवा योजना के तहत 607 दवाइयों की संख्या थी, उसको बढ़ाकर 709 किया गया। जांच के लिए सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में महंगी-महंगी जांचें प्राइवेट सेंटर्स के लिए लिखी जाती थीं। पहले भी हमारी सरकार ने 70 जांच नि:शुल्क कीं और इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 90 की गई है और इसके लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहले भी पूरे देश में राजस्थान की सरकार का नाम हुआ और इस बार भी राजस्थान की सरकार अव्वल नम्बर पर चिकित्सा के क्षेत्र में आने जा रही है।

सभापति महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि ग्रामीण पीएचसी लगभग खाली पड़ी हैं। माननीय राठौड़ साहब पहले खुद भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं और ग्रामीण पीएचसीज पर डाक्टर मिलते नहीं थे। सीएचसीज के हालात ऐसे थे कि लगभग 2-2, 3-3, 4-4 डाक्टर सीएचसी पर मिलते थे। मैं जब चुनाव जीता तब मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में डाक्टर की 44 पोस्ट स्वीकृत थीं जिनमें 20 डाक्टर लगे हुए थे। पीएचसीज लगभग खाली पड़ी थीं। डाक्टर्स की कमी को लम्बे समय के लिए दूर करने के लिए हमारी सरकार ने जिला स्तर पर 15 नये मेडिकल कालेज खोले हैं, इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, किसान की बात लगभग हर पार्टी, हर सदस्य करते हैं लेकिन किसान के ऊपर ध्यान कौन देता है, यह देखने वाली बात है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में एक हजार करोड़ के कृषक कल्याण कोष का गठन किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कर्ज माफी की बात अभी मैं सुन रहा था कि लम्बी-लम्बी बात कर्ज माफी की की गई लेकिन मैं यह बात सदन को बताना चाहता हूं कि कर्ज माफी जब भी हुई वह हमेशा कांग्रेस की सरकार ने की। 2008 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधान मंत्री थे तब किसानों का कर्जा माफ किया। इस बार हमारी सरकार बनी, किसानों का कर्जा माफ हुआ। बीजेपी सरकार ने 2018 में किसानों का कर्जा माफ जरूर किया लेकिन पैसा

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

देकर नहीं गये, ऋणमाफी के प्रमाण पत्र किसी को वितरित करके नहीं गये और वह सारा लगभग 7 हजार करोड़ का भार हमारी सरकार ने वहन किया। सभापति महोदय, इस बात के लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि कल्याणकारी काम दिन-पर-दिन सरकार करती जा रही है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगभग हर क्षेत्र से मांग आती थी कि हमारे यहां कालेज होने चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विराटनगर हैडक्वार्टर पर कालेज की लगभग 30 साल पुरानी मांग थी। जब भी विधान सभा का चुनाव होता था, हर कैंडिडेट इस बड़े मुद्दे पर चुनाव लड़ता था कि हम गवर्नमेंट कालेज खुलवाएंगे। पिछले बजट में हमने माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मांग की और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम सब सदस्यों की बात को मानते हुए राजस्थान में 46 नये कालेज खोलने का काम किया। आज हमारे ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं को उसमें एडमिशन मिले और उसी सत्र में वे चालू हुए। पहली बार, शुरू में 200 सीटें हम लोगों को अलाट की गईं और जैसे-जैसे मांग बढ़ी, आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 500 सीटों के ऊपर छात्र-छात्राओं को एडमिशन मिला है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को और उनमें लैक्चरर भी हैं, डेपुटेशन पर हमने लगा रखे हैं और पूरी व्यवस्था चल रही है। आपके समय तो कालेज ही नहीं थी। कम से कम कालेज खुले, एडमिशन हुए और आज पढ़ाई भी चालू है। घोषणा के एक महीने के भीतर हमारी कालेज चालू हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में वार्ता नहीं। आप आसन से मुखातिब हों। आपस में वार्ता नहीं।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): पहली बार घोषणा के बाद एक महीने के भीतर हमारी कालेज चालू हुई। मेरे से पहले 10-15 साल तक विराट नगर से बीजेपी के विधायक थे और हर बार झूठ बोलकर जनता से वोट लेते थे। छह महीने में कालेज खुलवाएंगे, सालभर में कालेज खुलवाएंगे लेकिन हमने वादे को पूरा किया, हमारी सरकार ने वादे को पूरा किया और छह महीने के भीतर-भीतर राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट कालेज खोलने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, 2008 से 2013 तक जब हमारी सरकार

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

थी तो 2012-13 में हमारी सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना लागू की। हमारे विपक्षी लोगों ने उस समय उस पेंशन का मजाक बनाया, लेकिन गांव में, ढाणी में बैठे उस बुजुर्ग से पूछिये कि आज क्या हालत है। बेटा-बेटी सब अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं। हर मां-बाप की इच्छा होती है कि उसकी बेटी जब उसके घर पर आए तो कितने ही पैसे वाले बेटा-बेटी हों लेकिन वह अपनी जेब से निकालकर जरूर उसको पैसा देना चाहते हैं। उन बुजुर्गों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया और इस बार फिर सरकार बनते ही 250 रुपये पेंशन के बढ़ाने का काम किया। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार गांव को, गरीब को गणेश मानते हुए काम किया।

सभापति महोदय, सवर्ण आरक्षण की बात बीजेपी के नेता हमेशा से करते आए हैं। केन्द्र की सरकार सवर्ण आरक्षण पर कानून लेकर आई लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि जो विसंगतियां केन्द्र की सरकार ने इस आरक्षण कानून में छोड़ी, उसमें पहली बार ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार ने किया कि सम्पत्ति से सम्बन्धित जो भी प्रावधान थे उन सब प्रावधानों को हटाकर सिर्फ एक काम छोड़ा कि जो 8 लाख रुपये की बाध्यता थी, वह छोड़ी। आज लगभग 90 प्रतिशत सवर्णों को इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले किसी के नाम प्लाट था, किसी के नाम दुकान थी, किसी के नाम छोटा-मोटा घर भी था और सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा था लेकिन इस बाध्यता के हटने के बाद लगभग 90 प्रतिशत सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एम.बी.सी. समाज की काफी सालों से आरक्षण की मांग थी, 72 भाइयों की कुर्बानी देने के बाद वह आरक्षण हम लोगों को प्राप्त हुआ। 72 भाइयों को किसने मारा, यह आप सब लोगों को पता है। हमारी सरकार में जितने आरक्षण आन्दोलन हुए, कभी भी किसी एक व्यक्ति को गोली नहीं लगी लेकिन बीजेपी की जब सरकार थी, गुर्जर समाज के 72 लोगों पर गोली चलाने का काम किया। 8-8 दिन तक 72 लोगों की डैड बॉडी सड़क पर लेकर वे लोग बैठे रहे। पहली बार एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को कालेज, हायर एजुकेशन में 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आरक्षण एडमिशन में लागू किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना ऐतिहासिक काम उन्होंने किया।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

मानानीय सभापति महोदय, आजादी के 72 साल भी काफी गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। घोषणा होती थी, चली जाती थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसे गांव थे जो आजादी के 72 साल बाद भी बिजली और सड़क से नहीं जुड़ पाये थे। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की कि 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को हम सड़कों से जोड़ेंगे। मैं इससे लाभान्वित हुआ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के तीन ऐसे गांव थे जो 72 सालों से सड़क से पिछड़े हुए थे, सड़क से कटे हुए थे, वे गांव कभी अपने-आपको आजाद नहीं मानते थे। उनको पहली बार सड़क से जोड़ने का काम शुरू हुआ। दो-तीन दिन पहले उसका टेंडर होकर काम भी शुरू हो चुका। मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इतना ऐतिहासिक काम सरकार ने किया।

अभी माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब कह रहे थे कि ठेकेदारों का पैसा बकाया पड़ा है। यह बात बिलकुल सही है। लेकिन, क्यों बकाया पड़ा है? इस पर कभी किसी ने विचार नहीं किया और शायद आप लोगों ने तो कम से कम नहीं किया। लगभग जो टेण्डर थे 2018 में जब इनकी सरकार थी, बिना फाइनेंस के प्रावधान के, बिना बजट प्रावधान के, सड़कों के टेण्डर करके चले गये, अंधाधुंध टेण्डर करके चले गये। इनको पता था कि हम लोगों को जाना है और जाने की तैयारी करते हुए अंधाधुंध रूप से सड़कों के टेंडर हुए। सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद, मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी सचिन पायलट जी को कि उन्होंने घोषणा की कि गलत टेण्डर हुए हैं, यह बात सही है। बिना बजट प्रावधान के यह बात भी सही है, लेकिन, हम इन टेण्डरों को निरस्त नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारी राजस्थान की धरती पर बन रहे हैं, राजस्थान की जनता के काम आने वाले हैं। एक भी टेण्डर को निरस्त नहीं किया। बजट का क्राइसिस हुआ और उसमें आग में घी डालने का काम केन्द्र की सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के स्टेट हाईवे और एमडीआर सड़क, जो कि केन्द्र सरकार के सीआरएफ फण्ड के तहत बनाई जाती थी। आज मैं पूछना चाहता हूं हमारे सामने बैठे सदस्यों से कि पिछले एक साल से केन्द्र सरकार का सीआरएफ का एक पैसा राजस्थान को नहीं मिला, जो कि हमारा हिस्सा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): हर प्रदेश का जो पैसा सीआरएफ के तहत हम लोगों को मिलना चाहिए। आज पिछले एक साल से केन्द्र की सरकार उसको रोककर बैठी है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से कि हमारे सामने बैठे सदस्य, आप लोगों की सरकार है केन्द्र में, गडकरीजी और मोदीजी की लड़ाई में, सीआरएफ के पैसे को क्यों रोककर के बैठे हैं? इस बारे में आप जरूर बात करें कि पिछले एक साल से जो सब राज्यों का हिस्सा है, जो हम लोगों को मिलना चाहिए जिससे हमारी एमडीआर सड़कें बनेंगी, जिससे हमारे स्टेट हाईवे बनेंगे। उस पैसे को केन्द्र की सरकार रोककर बैठी है। सीआरएफ फण्ड को खतम कर दिया गया। सीआरआईएफ कोई नया फण्ड बनाया गया। गडकरीजी को कमजोर करने के लिए उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया, लेकिन वह पैसा राज्यों को किस बेस पर दिया जाएगा, किस योजना के तहत दिया जाएगा, उसका निर्धारण केन्द्र की सरकार एक साल से नहीं कर पा रही है। आप बताइये, एमडीआर और स्टेट हाईवे किस मद के तहत बनेंगे। आप लोग भी इस मामले में बात करें केन्द्र सरकार से, मांग करें कि हमारे राज्य का जो सीआरएफ का पैसा है, वह हम लोगों को दिया जाए ताकि हमारे एमडीआर, हमारे स्टेट हाईवे, ये हमारी सरकार बनाने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा ही एक वाकया अभी-अभी हुआ। मैं सदन में रखना चाहूंगा इस बात को, पीएमजीएसवाई के सड़कों के प्रस्ताव केन्द्र की सरकार ने राजस्थान की सरकार से मांगें। राजस्थान की सरकार ने प्रस्ताव बनाने का काम किया, हम लोगों ने भी हमारे क्षेत्रों के प्रस्ताव दिये, लेकिन उस पोर्टल को कुछ दिन के लिए खोलकर तुरन्त बंद कर दिया गया। राजस्थान के 13 जिले उस पोर्टल के बंद होने से सड़कों के प्रस्ताव से वंचित रह गये। जयपुर ग्रामीण की 384 किलोमीटर सड़कें हैं। रामलालजी, आपकी भी बची हुई है उसमें, 384 किलोमीटर सड़कें, वे बची हुई हैं। केन्द्र सरकार उस पोर्टल को खोलना नहीं चाहती क्योंकि पोर्टल को खोलते ही उसका पैसा देना पड़ता है जबकि 60 प्रतिशत पैसा केन्द्र की सरकार को और 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को उसमें वहन करना है। यह अभी की बात है, ज्यादा लम्बी बात नहीं है, दस-पंद्रह दिन पहले की। आप लोग बात करें केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र तोमर साहब से कि हमारी जयपुर ग्रामीण की ही नहीं, राजस्थान के 13 जिले इससे वंचित हैं, जो हमारी सड़कों का नवीनीकरण

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

होना है, जिनके प्रस्ताव हमारी सरकार ने बनाकर भेज दिये, सिर्फ पोर्टल खोलने का काम बाकी है। अगर पोर्टल वे खोल दें और आनलाइन अगर वे डाकूमेंट्स हो जाएं तो सब जिलों को लगभग इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, परसों रात को मेरे विधान सभा क्षेत्र के लुहाकणां गांव का निवासी श्री राजीव सिंह शेखावत शहीद हुआ। आज मैं उनके दाह-संस्कार से ही सीधा यहां आया हूं। शहीद की और शहीद के परिवार की क्या स्थिति होती है, यह हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक 9 साल का बेटा और अपने बाप की इकलौती संतान था। शहीदों के प्रति हम सब लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। शहीदों को किस तरह का पैकेज हमको देना चाहिए। उस परिवार में न कोई कमाने वाला है, न आज उस परिवार की दुर्दशा को देखने वाला है। जिस परिवार में आज अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाप भी सैनिक थे। इकलौती संतान था, 9 साल का बेटा है, उस परिवार को कैसे सम्बल दें, इस बात का ध्यान सभी सरकारों को रखने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी सरकार को कि शहीदों का पैकेज 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का काम किया।

सभापति महोदय, क्योंकि शहीद हम सबके होते हैं। हम सब लोग सुरक्षित इसलिए बैठे हैं कि वे सब लोग वहां रात-दिन हम लोगों की चौकीदारी करते हैं। सेना के कर्नल और उनके मेजर आए थे, मेरी उनसे बात हुई कल रात को जब बॉडी आई कि कितनी ठण्ड के अंदर हम लोग सीज फायर के ऊपर रहते हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उससे हमारे उस जवान की मौत हुई। उन जवानों को किस तरीके से सम्मान दे सकें, ये सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आगे भी शहीदों को इसी तरीके का मान-सम्मान हम लोग देते रहें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अंदर पहली बार ऐतिहासिक काम हुआ। पहले हम लोग सुनते थे कि प्रिंसिपल की रेट तीन लाख रुपये, फर्स्ट ग्रेड की दो लाख रुपये, लेकिन पहली बार मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को कि पाकसाफ

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

काम किया। कोई एक आदमी खड़ा होकर के राजस्थान में यह नहीं कह सकता कि एक पैसा हमने ट्रांसफर के नाम पर किसी को दिया। समानीकरण करने का काम किया, पदों को भरने का काम किया। जिस तरीके की रेट लगाई जाती थी राजस्थान में, उन रेटों को बंद करने का काम किया और पहली बार जो गांव स्कूलों से वंचित थे, 314 मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया, ग्रामीण परिवेश की वे स्कूलें जो पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर जहां स्कूलों का इंतजाम नहीं है, उन स्कूलों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का काम किया। 286 माध्यमिक को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का काम किया।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ऐसे-ऐसे गांव जिनके एक-एक गांव की दूरी सात-सात, आठ-आठ किलोमीटर थी। न उनमें सड़कें थी, न उनमें स्कूलें थीं, हम किस स्वतंत्र भारत की बात करते हैं। पहली बार हम लोगों को अहसास हुआ कि हम लोग इस आजाद देश में जी रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है ब्राह्मणवास सात किलोमीटर दूर न तो उसकी स्कूल थी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):, माननीय सभापति महोदय, दो मिनट। न तो उस गांव में स्कूल थी, न सड़कें थीं। पहली बार एक साल के भीतर-भीतर उन गांवों को हमने सड़कों से भी जोड़ने का काम किया, सैकण्डरी स्कूलें बनाने का भी काम किया। उन लोगों को अहसास हुआ कि हम आजाद भारत के अंदर जी रहे हैं।

सभापति महोदय, काफी लम्बे समय से मांग चली आ रही थी। कई बार धरने प्रदर्शन हम देखते थे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, हजारों की संख्या में, हर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं। हर तहसील में, हर जिले में, राजस्थान लेवल पर हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। उनको मानदेय के नाम पर 6 हजार रुपये मिलता था। उनकी मांग थी हर बार कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा करके 7,500 रुपये किया। सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया। इस बात के लिए मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं, कितने कल्याणकारी काम राजस्थान की सरकार ने एक साल के भीतर-भीतर किये हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक साल में इतने कल्याणकारी काम राजस्थान की सरकार ने किये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आज बहस की शुरुआत नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने की। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मेरे मित्र भी रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति भी हमने साथ-साथ की है, लेकिन सभापति महोदय, मेरे ख्याल से यह राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं और जिन्होंने भी इनका भाषण तैयार किया है उन्होंने लोक सभा के अनुसार भाषण तैयार कर दिया। अब इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं विधान सभा के सदन में खड़ा होकर भाषण कर रहा हूं, लोक सभा के सदन में नहीं हूं।

श्री सभापति: आपका भाषण तो यहां के लोगों ने ही किया है यहां के लिए ही? आप वाला विधान सभा वाला ही बोलो आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मेरे खयाल से सही बातें और सही तथ्य सामने आते, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने...

श्री सभापति: फिर आप बुआ जी की आड़ लोगे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): अभिभाषण सरकार के विजन को स्पष्ट करता है और मेरे ख्याल से सरकार ने महामहिम के श्रीमुख से जो बातें कहलवाई हैं वह धरातल के ऊपर कहीं भी वास्तविकता में दिखाई नहीं देतीं। सभापति महोदय, अगर मैं जिक्र करूं शुरुआती दौर का, इस सदन के अंदर जितने भी माननीय सदस्य हैं वह सब के सब किसानों के सर्वांगीण विकास की बात करके, किसानों की समस्या के समाधान की बात करके और इस सदन के रास्ते को तय करते हुए इस सदन तक आते हैं, लेकिन महामहिम के अभिभाषण के अंदर किसानों की पीड़ा को हरण करने वाली एक भी बात दिखाई नहीं देती। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले यह कहा था कि हम किसानों की दशा को सुधारने का काम करेंगे, किसानों की समस्या का समाधान करने का काम

(श्री रामलाल शर्मा)

करेंगे, किसानों की फसल का उचित मूल्य देने का काम करेंगे, किसानों की आय हम कैसे बढ़ा सकें उसके लिए हम काम करेंगे, लेकिन सत्ता मद में चूर होने के बाद में सिर्फ एक महकमा उठाकर देख लें कि सिर्फ बिजली विभाग ने पिछले एक साल में क्या किया है तो हो सकता है कि जो माननीय सदस्य सत्ता के सदस्य हैं, उनका हिस्सा है, वह इस सदन के अंदर तो बहुत लंबी-लंबी बातें करेंगे लेकिन उनको अगर हां पक्ष लॉबी या ना पक्ष लॉबी में ले जाकर हम बात करें तो वह यह भी कहेंगे कि हां, जो आप कह रहे थे, वह बिल्कुल सत्य है।

सभापति महोदय, आज मैं बिजली की बात करूं तो बिजली के अंदर पहले वीसीआर भरी जाती थी, वह 4-5 हजार की वीसीआर भरी जाती थी, लेकिन इस सरकार ने एक साल के अंदर किसानों की जो वीसीआर भरी है, वह लाखों की वीसीआर भरी है। वीसीआर भरने के उपरांत भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं है। अधिशासी अधिकारी स्तर के ऊपर जो पहले मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई थी, जो एक्सईएन लेवल पर जो कमेटी थी, वह समझौता समिति भी अब समाप्त कर दी। अब सिर्फ अधीक्षण अभियंता ही इस प्रकार की वीसीआर की सुनवाई कर सकता है। मैं इतना कहूंगा कि पिछले एक साल में इस सरकार ने जितनी भी वीसीआर भरी हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले पंचायती राज चुनाव में जनता भी आपकी उससे डबल वीसीआर भरने के लिए तैयार बैठी है। आप सोच समझकर उन चुनावों के अंदर जाना।

सभापति महोदय, आज वास्तव में किसान की समस्या क्या है, रात को 11:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक बिजली की कटौती। आपको भी पता है सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वह मौखिक कटौती कर रहे हैं, कोई रिकार्ड में कटौती नहीं है। जो चीफ इंजीनियर हैं, जो अधीक्षण अभियंता हैं, उन्होंने नीचे के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि रात को 11:00 बजे बिजली काटो और सुबह 5:00 बजे दो। पूरी रात बिजली देने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता यह है, आज सरकार कह रही है कि हमने इतने लाख कनेक्शन दे दिए। कृषि क्षेत्र में कनेक्शन दे दिए, घरेलू क्षेत्र में कनेक्शन दे दिए। इनसे पूछें, वास्तविकता यह है आज भी इनके एईएन आफिस के अंदर मीटर और डोरी नहीं है कनेक्शन करने के लिए, उसके लिए भी कई महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात करूंगा कि आज भी अगर किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए या जल जाए तो 15 से 20 दिन पहले इनको ट्रांसफार्मर और बिजली....(व्यवधान) मदन दिलावर जी कह रहे हैं एक महीने पहले नहीं मिल रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो स्थिति राजस्थान के अंदर बनी हुई है और महामहिम के अभिभाषण के अंदर जो बात कही गई है, मेरे ख्याल से प्रदेश के मुखिया और सदन के नेता सुबह प्रातः काल उठते ही संघ के बारे में दो शब्द कहेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे और भोजन के बाद में संघ के ऊपर फिर प्रहार करेंगे और सूर्यास्त होने के बाद में फिर कहेंगे कि संघ अगर चाहे तो खुली राजनीति का हिस्सा बने। मेरे ख्याल से इसके अलावा सदन के नेता के पास राजस्थान के विजन को लेकर काम करने का कोई आधार नहीं है कि राजस्थान की अवाम के लिए...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं यह करने वाला हूं। राजस्थान की जनता की समस्या के समाधान करने के लिए मैं यह करने वाला हूं। सभापति महोदय, वास्तविकता में अगर देखें तो जो मैंने पहले बात कही है वह हकीकत है। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य का एक वीडियो मैंने सुना, उसमें वह कह रहे हैं कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि सरकार ने एक साल के अंदर एक पैसे का काम नहीं किया और मेरे से कोई कहीं पर भी कहलवाना चाहता है तो मैं कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार ने एक साल में कोई विकास नहीं किया।

अभी माननीय सदन के उप नेता धौलपुर से आने वाले जिन माननीय सदस्य का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की खुली लूट तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। अभी एक माननीय मंत्री महोदय जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे तो मुझे भी मिले। वह मंत्री इस सदन में भी मौजूद हैं उन्होंने मेरे से कहा है कि राज तो आपका ही अच्छा था तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या बात हो गई तो बोले कि हमारे राज के अंदर तो हमें राजस्थान हाउस के अंदर कमरे ही नहीं मिलते। राज तो आपका ही अच्छा था जिसमें कम से कम व्यवस्थाएं तो ढंग से थीं। अब इनके मन की पीड़ाएं, इनके मन की वेदनाएं इस प्रकार की हैं कि मुझे कुछ बयां करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभापति महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सच कह रहा हूं और आपके अगल-बगल में बैठे हुए हैं उनसे भी पूछ लेना।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, मैं इतना और कहूंगा कि जिस तरीके से दोहरा चरित्र इस राजस्थान सरकार का सामने आया है, जब इस सदन के नेता खुद मांग करें कि जोधपुर के अंदर कई पाक विस्थापित ऐसे व्यक्ति हैं जो तीन पीढ़ियां बीत जाने के बावजूद आज भी वह नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार नागरिकता के अंदर शिथिलता प्रदान करते हुए उनको नागरिकता देने का काम करे। जब सदन के नेता खुद मांग करें तो वह मांग अच्छी थी और जब भारत सरकार, मोदी जी की सरकार उस मांग को पूरा करे तो इस प्रकार का पूरे देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया जाता है कि तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर वोट बैंक की रोटियां सेंकने का काम करें, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है अभी कुछ दिन पहले सदन के अंदर यह संकल्प आया कि जो नागरिकता संशोधन कानून है, उसको हम लागू नहीं करेंगे। इस प्रकार का संकल्प पारित किया गया। सत्ता पक्ष है, बहुमत के आधार पर इनकी सत्ता है तो इन्होंने सत्ता के मद में वह संकल्प तो पारित कर लिया लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आप ही के आसन के, विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी और एक अखबार के अंदर उनका लेख भी छपा, उनका वक्तव्य भी छपा और उन्होंने कहा कि यह जो कानून है यह केन्द्रीय सूची का कानून है, यह राज्य सूची का कानून नहीं है इसलिए राज्य सरकार इस कानून को लागू करने से रोक नहीं सकती। अब जब सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष ही यह कह रहे हैं कि यह केन्द्रीय कानून है, केन्द्रीय सूची का कानून है, राज्य सरकार इसको लागू करने से रोक नहीं सकती तो फिर पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण तैयार क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है?

सभापति महोदय, मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि एक ही नहीं, अनेकों बार ऐसा अवसर आया है जब इस सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है। एक तरफ कर्ज माफी की बात करते हैं, सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात करते हैं और फिर सम्पूर्ण कर्ज माफी की जगह कहते हैं कि सिर्फ सहकारिता बैंकों के कर्ज माफी का हम काम करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम बेरोजगारों को भत्ता देने का काम करेंगे लेकिन बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरे जितना सहयोग करके सरकार कहती है कि हमने युवाओं को बहुत बड़ा बेरोजगारी भत्ता दे दिया। इस सरकार से कोई कैसे उम्मीद कर

(श्री रामलाल शर्मा)

सकता है, जो सरकार परीक्षा स्थगित करने के लिए भी कई दिनों तक धरना, प्रदर्शन करने वाले युवा, जो सरकार यह कहती है कि हम संवेदनशील हैं, जो सरकार यह कहती है कि हमारी पारदर्शी सरकार है, जो सरकार यह कहती है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो सरकार यह कहती है कि हमारा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, लोकतांत्रिक तरीके से कई महीनों तक उन छात्रों ने संघर्ष किया, धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगें नहीं मानी गईं और दूसरी तरफ सभापति महोदय, 2018 के अंदर आर.ए.एस. परीक्षा दी गई, उसका परिणाम भी आज तक नहीं है। किस तरीके से राजस्थान के युवाओं के हितों के साथ यह सरकार कुठाराघात कर रही है। 2018 का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं है, 2020 चल रहा है। 2020 की वैकेंसी अभी तक नहीं है और फिर सरकार कह रही है कि हम युवाओं को तवज्जोह देने का काम करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से यह राजस्थान की सरकार जितनी युवा विरोधी सरकार रही है, इतिहास के पन्नों के ऊपर किसी भी सरकार ने युवाओं के हितों के ऊपर कोई कुठाराघात करने का काम नहीं किया है।

सभापति महोदय, एक निवेदन और है कि बजट सत्र में और इनके चुनावी घोषणा पत्र में बात की गई कि हम गौ संवर्धन के लिए काम करेंगे, गौ माता के लिए काम करेंगे। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि कई दुर्घटनाएं घटित होती हैं सड़क के ऊपर अचानक गाय आने की वजह से कई लोग मौत के ग्रास में चले जाते हैं। सरकार ने यह भी कहा था कि हम प्रत्येक पंचायत समिति स्तर के ऊपर नंदी शालाएं खोलने का काम करेंगे। मंत्री महोदय, आपने नंदी शालाएं खोल दीं क्या? कितनी नंदी शालाएं खोली हैं, कितने गोवंश नंदी शालाओं में हैं, कितना बजट आपने खर्च करने का काम किया है? फिर आपने बजट में कहा था कि सीएसआर का बजट उपलब्ध कराकर जो राजस्थान में गौशालाएं संचालित हैं, उन गौशालाओं में सुविधाएं बढ़ाने का काम करेंगे। एक भी गौशाला में समय पर अनुदान देने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। मेरा सीधा-सीधा आरोप है कि जो सरकार गौ माता की बात कर रही थी कि हम गौशालाएं खोलेंगे, नंदी शालाएं खोलेंगे, इनको बजट उपलब्ध कराएंगे, एक रुपया देने का काम भी इस सरकार ने नहीं किया है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, महामहिम के इसी अभिभाषण में कहलवाया गया कि 15 अगस्त, 2019 को हमने महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर लगाकर 137751 पट्टे जारी करने का काम किया। सभापति महोदय, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि 15 अगस्त, 2019 को जो आप पट्टे जारी करने की बात कर रहे थे, पूरे राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारी तो हड़ताल पर थे, आपके इन कैंपों का बहिष्कार कर रहे थे। जब सब ग्राम विकास अधिकारियों ने पट्टे जारी करने के काम का बहिष्कार किया तो आपने पट्टे कहां से जारी कर दिए? मेरे ख्याल से महामहिम राज्यपाल महोदय से ऐसा असत्य वाचन कराना शोभा नहीं देता।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं बात करूंगा, इनके चुनावी घोषणा पत्र में बड़ी-बड़ी बातें कही गईं कि हम राजस्थान में सर्वांगीण विकास के लिए कई बोर्डों का गठन करेंगे। उन बोर्डों का नाम शिक्षा मंत्री जी आप भी सुन लो, आने वाले बजट में आप इसके बारे में बता देना कि आपने कुछ इनकी चिंता की है। आपने कहा कि हम मसाला बोर्ड बनाएंगे, आपने कहा कि हम किसान भवन जिला स्तर पर बनाएंगे, आपने कहा कि हम गोचर भूमि का विकास बोर्ड बनाएंगे, आपने कहा कि हम वैदिक संस्कार एवं शिक्षा के बोर्ड का गठन करेंगे, आपने कहा कि हम कामगार कल्याण बोर्ड बनाएंगे, आपने कहा कि हम नाई, धोबी, हलवाई, कुंभकार के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे, आपने कहा कि हम पर्यटन विकास योजना लेकर आएंगे, आपने कहा कि हम जिला स्तर पर यूथ होस्टल बनाने का काम करेंगे, आपने कहा कि हम आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग के विकास का बोर्ड बनाएंगे, आपने कहा कि हम विप्र बोर्ड भी बनाएंगे, आपने कहा था कि पुलिस कल्याण बोर्ड भी बनाएंगे, आपने कहा था कि हम अधिवक्ताओं के लिए कल्याण बोर्ड भी बनाएंगे, आपने कहा था कि प्रवासी मंत्रालय भी हम बनाएंगे। एक भी बना लिया क्या? सभापति महोदय, एक भी बोर्ड बना दिया क्या इन्होंने और बना दिया तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, सरकार ने बजट कितना दिया? एक भी बोर्ड बनाने का काम आपने पिछले एक साल में नहीं किया। सभापति महोदय, इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा, यह सरकार कहां से चल रही है यह मेरी समझ से बाहर है। सदन के नेता के माध्यम से चल रही है या उपनेता के माध्यम से चल रही है या प्रशासनिक तंत्र के आधार पर चल रही है। इस सरकार का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार एक बार कहती है कि हम

(श्री रामलाल शर्मा)

गुटखा बंद करेंगे, 5 दिन बाद यह गुटखा वापस शुरू कर देते हैं। गुटखा बंद करने के पीछे और वापस गुटखा चालू करने के पीछे खेल क्या है। कभी आबकारी नीति में परिवर्तन करने की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि जबरदस्ती हम टार्गेट देंगे। टार्गेट पूरा नहीं करेंगे तब भी हम पैसा वसूल करेंगे तो फिर एक काम करो कि सबके घर में पाइप लाइन डाल दो, वैसे ही आबकारी के माध्यम से पहुंचा दो, जिसको आवश्यकता होगी वह टोंटी खोल लेगा, अपना काम कर लेगा। राजस्थान में एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारा गांधीवादी चेहरा है, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का काम करेंगे और दूसरी तरफ आप टार्गेट बेस पर आबकारी नीति लेकर आ रहे हो, मेरे ख्याल से यह दोहरा चरित्र आपका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा, अभी महामहिम के इस अभिभाषण में कहा गया कि हमने कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से इतनी किलोमीटर सड़कें बना दीं। सभापति महोदय, आप मुझे उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की कापी दिलवा दो कि पिछले एक साल में आपने एक किलोमीटर सड़क भी विपणन बोर्ड के माध्यम से बनवाई है क्या? अगर कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सड़कों की स्वीकृति जारी कर रखी है तो वह भी हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय की जारी की हुई है। हो सकता है कि वह इस कार्यकाल में पूरी हुई हो। एक किलोमीटर की सड़क भी कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा आपने नहीं बनवाई। फिर आपने बजट में घोषणा की थी कि हम विकास पथ बनाएंगे, बन गए क्या विकास पथ? एक भी विकास पथ पिछले एक साल में बनाने का काम सरकार ने नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि हम मिसिंग सड़कें बनाएंगे। एक भी मिसिंग सड़क नहीं बनी। आपने महामहिम के अभिभाषण में यह सारी चीजें कहलवाई हैं कि इतने किलोमीटर हमने सड़कें बनवा दीं, इतने किलोमीटर हमने किसान पथ बनवा दिए। एक काम भी सरकार ने पूरा नहीं किया।

सभापति महोदय, पहले तो कह रहे थे कि सरकार पेयजल के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाली है। राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह पेयजल की है। साढ़े सैंतीस हजार करोड़ की पूर्वी राजस्थान की पेयजल योजना जिसमें सरकार को अपना हिस्सा देना था, वह हिस्सा देने की बात तो कर नहीं रही है और अब सदन के नेता यह कह रहे हैं कि इसको तो राष्ट्रीय नीति घोषित करके उस दायरे में लेकर आना चाहिए। सभापति महोदय, मेरे

(श्री रामलाल शर्मा)

ख्याल से यह उन 13 जिलों के बाशिंदों के साथ कुठाराघात है जिनको एक उम्मीद बनी थी कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार साढ़े सैंतीस हजार करोड़ की योजना बनाकर उसको धरातल पर क्रियान्वित करने का काम कर रही थी। सभापति महोदय, मेरे ख्याल से राजस्थान में सरकार पेयजल के क्षेत्र में काम करेगी तो बहुत से लोगों का भला होगा।

सभापति महोदय, इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन। सभापति महोदय, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी भी परिवार में कोई घटना होती है हम सब उस परिवार में संवेदनाएं प्रकट करने के लिए जाते हैं। सभापति महोदय, सैकड़ों मासूम बच्चों की मौत होने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा उन परिवारों के बीच संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं जाता। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि हम जनता क्लिनिक खोल रहे हैं। सभापति महोदय, इनकी पीएचसी और सीएचसी में तो कोई डाक्टर नहीं है, कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, कोई सर्जरी करने वाला डाक्टर नहीं है और यह कह रहे हैं कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। अखबार में जनता क्लिनिक के लिए यह आया था कि मंत्री जी ने उद्घाटन किया और 2 घंटे बाद पूरा स्टाफ लापता। सरकार बता तो दे कि जनता क्लिनिक में आप स्टाफ कहां से लेकर आ रहे हो। नई भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं, इधर का स्टाफ उठाकर उधर लगा रहे हो और जनता में यह मैसेज देना चाहते हो कि सरकार जनता क्लिनिक के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ देने का काम कर रही है। मेरे ख्याल से यह भी उस गरीब और मजदूर आदमी के उस स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का काम कर रही है जिसने उम्मीद के सहारे इनको मत दिया था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा, इसी बजट सत्र में सदन के नेता ने घोषणा की थी कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): मैं समाप्त ही कर रहा हूं, वैसे भी यह सरकार समाप्त होने वाली है। सभापति महोदय, इसी बजट सत्र में सदन के नेता महोदय ने कहा था कि हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करेंगे। हो गया क्या जयपुर भिक्षावृत्ति से मुक्त? सभापति महोदय, इस सरकार का कहीं पर भी एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो

(श्री रामलाल शर्मा)

कि सदन में कहा गया हो और उसे धरातल पर लागू करने का काम किया हो।

सभापति महोदय, अपराधों की बात तो उपनेता महोदय ने कर ही दी। जिस प्रकार से बजरी माफिया, जिस प्रकार से भू-माफिया, जिस प्रकार से पुलिस से सांठगांठ करने वाले लोग और जिस प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पुलिस पर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दें और फिर भी सरकार चुप रहे, मेरे ख्याल से इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। धौलपुर की घटना, सवाईमाधोपुर की घटना, टोंक की घटना, जयपुर में एक कांस्टेबल को मारा गया, जिस तरह से एक अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में है, मैं समझता हूं कि उस अराजकता के माहौल पर सरकार अंकुश लगाने का काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, बस दो मिनट। सभापति महोदय, कई माननीय विधायकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि किस प्रकार से यह सरकार काम कर रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। मुझे यह पता नहीं है कि किस आधार पर बजट पेश किया जाता है, कौन तैयार करता है। पिछला जो बजट पेश किया गया उसमें यह कहा गया ...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय सदस्य, यह बजट की बहस नहीं है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बजट की बहस नहीं है, बजट में जो बातें कही थीं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कहलवाई हैं, वही मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, जितनी भी कृषि उपज मंडियां हैं उनसे पहले डेढ़ रुपया यूजर चार्ज के रूप में लिया जाता था। यह डेढ़ रुपये का भुगतान वह खरीददार करता था जो व्यापारी हुआ करता था। वर्तमान में जो डेढ़ रुपया यूजर चार्ज के रूप में लिया जाता था, उस यूजर चार्ज को लेना भी बंद कर दिया है जिसकी वजह से हुआ यह कि जो मंडियां आत्मनिर्भर थीं, सफाई व्यवस्था करवाती थीं, कोई स्टाफ नहीं है तो वह स्टाफ को संविदा पर रखती थीं, वह व्यवस्था भी चौपट हो गई।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस सरकार ने पिछले एक साल में समाज में द्वेषता फैलाने का काम किया है। अपराधियों को पनाह देने का काम किया है, असामाजिक तत्वों को पनाह देने का काम किया है। चाहे वह ईदगाह की घटना हो, शास्त्री नगर की घटना हो, टोंक की घटना हो, सवाईमाधोपुर की घटना हो, इन सब घटनाओं में एक वर्ग विशेष को प्रोत्साहन देने का काम सरकार कर रही है। सरकार का धर्म यह है कि समाज के सर्वांगीण विकास के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए काम करें। अगर इस प्रकार से सरकार काम करेगी, समाज को तोड़ने का काम करेगी, एक वर्ग विशेष को प्राथमिकता देकर, उसको विशेष दर्जा देकर उसकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार को जनता अपने अपने एरिया में जितने भी इनके माननीय सदस्य हैं उनको घुसने नहीं देगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने कार्यों में सुधार करें और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के माध्यम से जो बात कही है, इस अभिभाषण का मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं, करता हूं, करता हूं।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 15वीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इनके अभिभाषण की प्रशंसा करता हूं और हमारे मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक साल के अंदर न केवल विकास के आयाम स्थापित किये, बल्कि सक्सेसफुल पूरा साल निकाला और उसमें एक पारदर्शी, संवेदनशील, रोजगारोन्मुखी एवं लोक कल्याणकारी सरकार देने की कोशिश की गयी जिसमें गरीबों के उत्थान का काम किया गया, किसानों के उत्थान का काम किया गया, दलितों के उत्थान का काम किया गया, आम आदमी के डवलपमेंट का काम किया गया। चाहे वह स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे वह बिजली-पानी का मसला हो, चाहे वह किसानों की सब्सिडी का मसला हो, हर क्षेत्र के अंदर हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक अविस्मरणीय कार्य राजस्थान में किया है।

(श्री रफीक खान)

पिछले दो-तीन महीने पहले राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य बना, जिसने 'निरोगी राजस्थान' की कल्पना की। पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य, हमारा राज्य ऐसा बना, जिसमें यह तय किया गया कि हम पूरे राजस्थान को निरोगी कैसे बनाएं और उस पर एक विस्तृत कार्य प्रणाली पर कार्य किया गया है। जनता क्लिनिक उसकी एक छोटी-सी शुरूआत है। अभी रामलाल जी कह रहे थे कि जनता क्लिनिक खोली, वहां डाक्टर नहीं हैं। मेरे यहां पर अभी परसों जनता क्लिनिक खोली गयी है। पहले दिन करीब दो सौ पेशेंट वहां पर दिखाकर गये हैं। दो जनता क्लिनिक मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोली गयी हैं, इसके लिए मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। निरोगी राजस्थान के तहत 40 हजार गांवों में 80 हजार स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा रहे हैं। आने वाले साल में टार्गेट लिया गया है, करीब 80 हजार स्वास्थ्य संस्थाएं हम राजस्थान के अंदर खोलेंगे, 40 हजार गांवों के अंदर। 1 करोड़ 91 लाख का रूबेला खसरा का टीकाकरण पिछले साल किया गया, मैं इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। 709 तरह की दवाइयां और 90 तरह की जांचें हमारे स्वास्थ्य केन्द्रों में फ्री की जा रही हैं, जो एक बहुत बड़ा सहयोग गरीब और आम आदमी के लिए है, मैं इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना जिसमें निरोगी राजस्थान के तहत 80 हजार स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा पूरे राजस्थान को निरोगी राजस्थान देने की कल्पना की गयी, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य रामलाल शर्मा जी ने अभी कहा कि किसानों का एग्रीकल्चर लोन माफ नहीं किया गया है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 20 लाख 26 हजार लोगों के ऋण माफ किये गये। करीब 7 हजार 689 करोड़ रुपये के ऋण माफ किये गये। केन्द्र सरकार ने अभी 25 लाख करोड़ रुपये का प्रोविजन किया है, जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में मेंशन किया है। हमारे बीजेपी के साथी यहां बैठे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें से हमारे यहां राजस्थान के अंदर जो भी 2 लाख रुपये से नीचे के ऋण हैं, जिसका हमने जिक्र किया है, जो राष्ट्रीय बैंकों, अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों को चुकाने में असमर्थ पात्र किसानों को 2 लाख रुपये की सीमा तक का अवधिपार अल्पकालीन फसली ऋण

(श्री रफीक खान)

वनटाइम सैटलमेंट कराकर माफ कराएं। इस 25 लाख करोड़ में से राजस्थान का शेयर उनको दिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका भी धन्यवाद होगा और राजस्थान के किसानों को उनकी बहुत बड़ी समस्या से छुट्टी मिलेगी और बहुत बड़े विकास का काम शुरू होगा।

ई.डब्ल्यू.एस. इकोनामिक वीकर सैक्शन के आरक्षण में बहुत लंबे अर्से से एक बैरियर चला आ रहा था, जिसमें आठ लाख की सम्पत्ति का बैरियर डाला हुआ था और आम आदमी को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। मुख्य मंत्री जी ने वे सारे बैरियर दूर करके न केवल इकोनामी वीकर सैक्शन में, न केवल दलित को, आम आदमी को, कमजोर वर्गों को, सवर्णों को सबको आरक्षण का लाभ देने की कोशिश की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनको बधाई दूंगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर एक विमंदित गृह है, जहां पर अरुण चतुर्वेदी जी के समय पिछले कार्यकाल में 12 बच्चे भूख से मर गये। आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में जामडोली के अंदर, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहां से विधायक थे और अरुण चतुर्वेदी जी उस डिपार्टमेंट के मुखिया थे। 12 बच्चे उस विमंदित गृह में मारे गये, भूख से मारे गये, बीमारी से मारे गये। मुझे इस बात की खुशी है कि उसी विमंदित गृह को एक राष्ट्रीय स्काच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए हमारी सरकार को, हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

अभी काफी सारी बातें श्री राजेंद्र जी राठौड़ और रामलाल जी और सभी लोगों ने की और कहा कि अगर यही हाल रहा तो आप अगला चुनाव नहीं जीतोगे। मैं आपका ध्यान आपके बिलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान का चुनाव था, मध्य प्रदेश का चुनाव था और छत्तीसगढ़ का चुनाव था, आप तीन तलाक का बिल लेकर आए, तीन तलाक के बिल में आपको पहला जवाब राजस्थान की सरकार ने दिया। दूसरे तलाक का जवाब आपको मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया, तीसरा छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया। फिर आप 370 का बिल लेकर आए। महाराष्ट्र और झारखंड से हाथ धो बैठे। अब आप सीएए लेकर आए हो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल हम यहीं होंगे और आपको दिल्ली में भी इसका जवाब सुनने को मिलेगा। आपको पता लगेगा कि दिल्ली में वहां की जनता आपको क्या जवाब देती है, अवाम क्या जवाब देती है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बहुत बड़ी ही कह रहा हूं। तीनों बिलों का जवाब मिला है, इसका भी जवाब मिलेगा। इसका भी जवाब मिलेगा, कल आप भी यहीं होंगे, हम भी यहीं होंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप कृपया आसन की तरफ देखें और आपसी संवाद नहीं करें। आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं?

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जी। सीएए का ये बिल लेकर आए हैं। हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, भारत का संविधान लिखा गया। धर्म निरपेक्षता के आधार पर भारत का संविधान लिखा गया। जिस संविधान की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लिखी गयी हो, उस संविधान में अगर जाति या धर्म के आधार पर कोई अमेंडमेंट लेकर आते हैं तो वह कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। अभी रामलाल जी ने कहा कि इन्होंने संख्या बल के आधार पर संकल्प पारित कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने संख्या बल के आधार पर यह कानून वहां पारित कर लिया। आप ये सब कानून क्यों लेकर आ रहे हो? 370 क्यों लेकर आ रहे हो? सीएए क्यों लेकर आ रहे हो? सिर्फ एक कानून ऐसा लेकर आओ कि आने वाले टाइम में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री रहेंगे, बीजेपी की सरकार रहेगी, डेमोक्रेसी खतम हो जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, कोई चुनाव नहीं होगा, यह बिल ले आओ। संख्या आपकी है, पास करा लो। आपको कौन रोकने वाला है? इस तरह के बिल क्यों लाते हो? यह बिल लाकर आपका इंटेशन आपका नागरिकता देने का नहीं है, आपका धर्म उन्माद फैलाने का हे, जातिवाद फैलाने का है। आपका टारगेट है कि आप डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति करो और कोशिश यह करते हो कि हम इस तरीके से राज में आ जाएं। इसको आप कानूनी बिल मानते हो, इसको आप कानूनी एक्ट मानते हो तो फिर सीधे शार्टकट जाओ और एक बिल यह ले आओ कि आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होंगे, बीजेपी का राज रहेगा। यही नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री रहेंगे, यह बिल लेकर आ जाओ, ताकि आपको यह सब बातें करनी की जरूरत महसूस नहीं हो।

माननीय सदस्य राजेन्द्र राठौड़ जी ने एक बात कही कि सरकार इकोनामिक क्राइसिस में आ गयी। किसकी वजह से आ गयी? 2013 में जब कांग्रेस की सरकार खतम हुई तो 1 लाख 29 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान सरकार के ऊपर था। यह आप लोग हो जो 1 लाख 80 हजार करोड़ का लोन

(श्री रफीक खान)

और ले लिया उस इकोनोमी में जिस सरकार की टोटल रेवेन्यू 1 लाख 74 हजार करोड़ है, आपने वहां ऋण को 3 लाख 9 हजार करोड़ पर पहुंचा दिया और हमसे ही हिसाब मांग रहे हैं, हमें ही पूछ रहे हैं कि इकोनोमी क्राइसिस में कैसे आ गई? आप अपने गिरेहबान में झांककर के देखो कि इन 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का आपने क्या किया और कहां इस पैसे का मिसयूज किया?

अभी रामलाल जी बोले कि विकास पथ नहीं बने हैं। मेरी विधान सभा में तीन पंचायतें हैं, तीनों में विकास पथ बने हैं। नाम गिनाता हूं, बगराना में बना, विजयपुरा में बना और सुमेल में बना। मेरे साथ में मेरे पड़ोसी बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी विधान सभा में भी बने हैं और सारी पंचायतों के टेंडर हो चुके हैं, सब जगह काम जारी है। विकास पथ बन रहे हैं। आपको विकास रास नहीं आ रहा है। आप अपनी मानसिकता से ग्रस्त हो इसलिए आप यह सवाल उठाते रहे हैं।

श्री सभापति: एंगल इधर घुमा लो आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा शोर्ट में बात करूंगा। लास्ट में जाते-जाते एक बात और बोलूंगा।

श्री सभापति: गला ठीक रहेगा, इधर एंगल रखो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): लोक सभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, इसका एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं आपको "Whether it is Pujya Bapu's dream of Gram Swaraj, Babasaheb Ambedkar's principle of social justice, Nehru ji's dream of creating a modern India, Sardar Patel's resolve for Ek Bharat- Shreshtha Bharat, Deen Dayal Upadhyaya's goal of Antyodaya, Lohia ji's vision of social equality, we the people of India will together make these dreams a reality." आप देश की मुसलमानों की 15 परसेंट-20 परसेंट आबादी को छोड़कर इंडिया की ग्रोथ करना चाहते हैं। आप यह चाहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति करके इंडिया को ग्रो कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबका साथ, सबका विकास लेकर चलोगे, संस्कृत का एक श्लोक सुनाता हूं आपको-

(श्री रफीक खान)

''अयं निज: परोवेति गणना लघु चेतसाम्

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।''

यह तेरा है, यह मेरा है इसकी राजनीति करोगे तो यह तो छोटे दिल वाले करते हैं, बड़े दिल वालों के लिए तो पूरी धरती ही, पूरा ब्रह्माण्ड ही परिवार है। इस पर चलो, सबको लेकर चलो, सबका साथ-सबका विकास की बात करो तो एक दिन हिन्दुस्तान ग्रो होगा, डवलप होगा और पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा।

आपके नेता एक तरफ तो यह लाइन कहते हैं कि Pujya Bapu's dream of Gram Swaraj और एक नेता आकर यह बोलता है कि यह तो सब ढकोसला था, महात्मा गांधी का आंदोलन, आंदोलन नहीं था एक फर्जीवाड़ा था और आप लोग उसको कोई कंडेम नहीं करते, कोई सज़ा नहीं देते। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बात करना चाहते हैं? कैसी करनी है? क्या साबित करना चाहते हैं? दूसरे नेता आते हैं गांधी जी की बात करते हैं और फिर एक मेम्बर पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि नाथूराम गोड़से का मंदिर बनाएंगे। हत्यारों का मंदिर बनाएंगे क्या भाई? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सोसायटी को, क्या संस्कार देना चाह रहे हैं आप?

यहां पिछले टेन्योर में एनर्जी एफिशियेंट प्रोग्राम ये भारतीय जनता पार्टी के राज में यह लेकर के आए और दिल्ली में ईएसएल करके एक कंपनी का गठन हुआ और कंपनी का गठन इस बात के लिए हुआ कि हम एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम चलाएंगे और बिजली की बचत करेंगे। उसके तहत हमने एलईडी लाइटें लगाई और एलईडी लाइटों का टेंडर इन्होंने जयपुर में किया। मैं आरोप लगाता हूं इनके ऊपर, इनके पास 77 परसेंट एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम मौजूद था, इन्होंने 50 परसेंट एनर्जी सेविंग की कंपनी को टेंडर दे दिया। टेंडर देने के बाद में जब उसकी लाइट की सप्लाई का नंबर आया तो इनके समय पर, इनके कार्यकाल में, इनके ही मेयर ने जो एलईडी लाइट निगम में खरीदी जो इनकी कंपनी ने लगाई, उसमें 500 से लेकर के 1000 रुपये का फर्क था जो कि बिल निगम के अंदर, स्थानीय निकाय के अंदर मौजूद है और करीब पूरे हिन्दुस्तान में एक करोड़ लाइट इन्होंने बदली। अगर 1000 रुपये के हिसाब से भी हिसाब लगाएं तो 1000 करोड़ रुपये का ये घपला कर गए ईएसएल कंपनी के साथ मिलकर। मैं आरोप लगाता हूं इनके ऊपर। जब इस

(श्री रफीक खान)

पर एतराज उठाए गए तो पता यह लगा कि दिल्ली से इनके मंत्री आए, नेता आए जयपुर में, सारे राजस्थान के ई.ओ. को बुलाया गया। उनको लंच दिया गया होटल के अंदर और लंच के साथ एक कागज दिया कि एम.ओ.यू. पर साइन करो। उन्होंने बिना पढ़े एम.ओ.यू. पर साइन किए और एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का, ऐसा बवंडर बना दिया जिससे साइन करके चले गए। पूरे राजस्थान के अंदर जिस लोकल बॉडी के पास में खाने का पैसा नहीं है, अपने गुजारे का पैसा नहीं, वह इनके बिल चुकाने को मजबूर है। आइडिया यह तय किया गया कि जो बिजली की बचत होगी, उस बचत में से बिजली का पैसा दिया जाएगा। अब यह सरकार से मांग करते हैं। मेरे आब्जेक्शन उठाने के ऊपर आप ताज्जुब करेंगे कि जब इनके केन्द्रीय मंत्री यहां आए, इन्होंने फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजी और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल देने से मना कर दिया और बिना फाइनेंस अप्रूवल के इन्होंने टेंडर दे दिया। आज पोजीशन यह है कि डिपार्टमेंट न उनको पेमेंट दे सकता है, न उनसे काम करा सकता है। सारा मामला बीच में मझधार में अटका हुआ है। जहां लाइटें 300 वाट की लगनी चाहिए थीं, वहां 75 वाट की लाइट लग गई। हद तो यहां हो गई कि जो पुरानी सोडियम लाइटें थीं, जिनकी कीमत दस-दस हजार, पन्द्रह-पन्द्रह हजार की थी, उनको लोकल बॉडी के ऊपर न छोड़कर, इन्होंने जो कंपनी टेंडर दे रही थी, जिस कंपनी ने बिना किसी टेंडर के, बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के जिस कंपनी को काम दे दिया गया, उस कंपनी को अथोराइज्ड कर दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति जी, यह अभिभाषण पर बोल रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके काम की तारीफ कर रहा हूं कि आप कितने एफिशियेंटली काम करते हैं। इन्होंने टेंडर बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के उस कंपनी को दे दिया और कंपनी को टेंडर देने के बाद में उन्हीं को आथोराइज्ड कर दिया कि पांच से दस हजार रुपये की सोडियम लाइट जो लगी हुई है, उस सोडियम लाइट को वहीं उतारकर के, वे ही पैसे तय कर देंगे कि इस लाइट की यह कीमत है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): एक बहुत बड़ा घोटाला है। जांच का विषय है। मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करता हूं कि इस पर एक विस्तृत कमेटी बैठाई जाए और इस पर सदन में चर्चा के लिए अलग से टाइम दिया जाए ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके और आरोप तय किए जा सकें।

मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। अभी रामलाल जी जाते-जाते बजरी पर भी कुछ कमेंट कर गए। बजरी का घोटाला किसका था? कौन लेकर आए थे बजरी को? किसने कांट्रेक्ट लिए थे? पूछेंगे तो जड़ों में आप ही आप निकलेंगे सारे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बात वही करो जिसको निभा सको, जिसको आप झेल सको। आपने मुझे अभिभाषण के लिए मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, 24 जनवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां अभिभाषण पढ़ा है। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, विरोध करता हूं। उन्होंने पढ़ते वक्त यह कहा कि यह सुखद संयोग है कि देश एवं प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती एवं संविधान निर्माण की 70वीं जयंती मना रहा है। इसके साथ ही आगामी पीढ़ी को संविधान की महत्ता, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान को स्मरण करने के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया।

माननीय सभापति महोदय, सुखद संयोग कहा है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मना रहे हैं। अच्छी बात है, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और उनके पदचिह्नों पर पूरा देश चलना चाहता है, चल रहा है। महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था सन् 1947 में कि देश के विभाजन होने के बाद जो लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, जिनकी प्रताड़ना होती है, उनको हिन्दुस्तान में लाया जाएगा और जो यहां भारतीय हैं उनको समान अधिकार देकर यहां पर सब प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रकार पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जो राजीव गांधी जी के नाना जी थे, उन्होंने भी कहा था....

श्री सभापति: आप अभिभाषण पर ही बोल रहे हैं न?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैं इसी पर बोल रहा हूं जी। पढ़ा है, इसी पर बोल रहा हूं, उन्होंने भी कहा था...

श्री सभापति: तैयारी करके आया करो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां-हां।

श्री सभापति: बोलना है, इसलिए बोलने के लिए खड़े हो जाते हो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप भी अच्छी तरह सुनो साहब, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में जो लोग रह गए हैं, यहां जो शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं उनको स्वीकार करेंगे। जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको सबको संरक्षण देंगे, नागरिकता देंगे। डा. भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को दोहराया था। अनुसूचित जाति के लोग......

श्री सभापति: अपने साथी को समझाओ कि अभिभाषण पर बोलें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): वहां रह गए थे, उनको भी हम देंगे, लेकिन इसमें उल्लेख किया गया, जिनकी चर्चा हमने यहां की है, जयंती मना रहे हैं, उनकी भावनाओं का गला घोंटने का काम हम यहां कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का गला घोंटा जा रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब यह कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे। दूसरी भाषा में उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को नहीं मानेंगे। हम यहां उसको लागू नहीं होने देंगे। जिसको लोक सभा ने, राज्य सभा ने पास कर दिया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने दस्तखत करके आदेश जारी कर दिए हैं, उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे देश में, जहां-जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां लागू नहीं होने दूंगा।

यह इसमें संविधान निर्माता की भी बात कर रहे थे, महात्मा गांधी जी की भी बात कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था तो यह इनकी भावनाओं का गला क्यों घोंट रहे हैं? क्या इनका संविधान में विश्वास नहीं है? जो लोग वहां पर दरिंदगी की जिंदगी जी रहे थे, नारकीय जीवन जी रहे थे और अनुसूचित जाति के लोगों सहित सभी लोगों की माताओं और बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, लूटा जा रहा है।

श्री सभापति: थोड़ा अभिभाषण पर भी बोल लो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह अभिभाषण के प्रथम पेज पर ही पढ़ा है आपने।

श्री सभापति: नहीं, कोई नहीं है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इतनी महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है और मात्र एक मंत्री जी विराजे हुए हैं, पूरी अधिकारी दीर्घा खाली पड़ी है।

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात भी की गई, कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मैं देख रहा हूं, उदयपुर में हमला होता है, बारां में हमला होता है, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में कोई बात करता है तो उसके ऊपर हमला होता है। कोटा के गुमानपुरा में भारत माता मुर्दाबाद कहकर लोग हमला करते हैं। कोटा में किशोरपुरा ईदगाह के सामने सारे रास्ते जाम करके लोग आने-जाने वालों पर हमला करते हैं। यह क्या कानून व्यवस्था है, समझ में नहीं आ रही है। यह सरकार भी है कि नहीं है? यह सरकार कानून व्यवस्था को कहां ले जाना चाहती है, यह समझ में नहीं आ रहा। कानून व्यवस्था में तो यह हो गया है कि स्कूल में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, अस्पतालों में महिला रोगी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर राहगीर सुरक्षित नहीं है, अपहरण के केस लगातार हो रहे हैं और फिर भी राजस्थान की सरकार कहती है कानून व्यवस्था बेहतर है, हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बात और कहते हैं, शराब की दुकानों की हम रेट बढ़ा रहे हैं, इससे रेवेन्यू बढ़ाएंगे। गरीब का जितना पैसा है, उसे दारू पिलाकर लूटेंगे और उसको बर्बाद करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि दारू पीना छोड़ देना चाहिए। राजस्थान को रेवेन्यू भी चाहिए, मैं रास्ता बता सकता हूं, दारू भी छूट सकती है और रेवेन्यू भी बढ़ सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार को सलाह देना चाहता हूं, क्यों नहीं दारू लाने वालों के लिए, खरीदने वालों के लिए, आधार कार्ड तय कर दिए जाएं। आधार कार्ड के बिना दारू नहीं मिलेगी। आप लिस्टेड करते जाए, साल भर के बाद उनको कहें कि जिन्होंने इतना दारू पिया है वह गरीब नहीं है। एक साल में यदि कोई पांच हजार रुपये की दारू पी जाता है तो गरीब कैसे हो सकता है तो गरीब की जो सुविधाएं हैं वह हम नहीं देंगे। बीपीएल कार्ड निरस्त कर दें, खाद्य सुरक्षा का राशन देना बंद कर दें, अनेक प्रकार के अनुदान देते हैं वह बंद कर दें, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो।

(श्री मदन दिलावर)

लाइसेंस रद्द कर दें, मैं समझता हूं कि जो रेवेन्यू की बात कर रहे थे वह बच जाएगा। बहुत सारा पैसा उनसे आ रहा था वह भी रुक जाएगा, यदि गरीब भी कम पीना प्रारम्भ करेगा। जो पीएगा उससे जो पैसा बचेगा अनुदान का, वह भी सरकार के काम आएगा। लगातार तथाकथित अर्थशास्त्री यह कहकर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान का विकास कैसे होगा, सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, और कोई दारू बेचने से पैसा आएगा ऐसा भी नहीं है। दारू बेचने से पैसा नहीं आता। जितना पैसा आता है उससे ज्यादा तो परिवार टूट जाते हैं। जो लोग दुर्घटनाओं में मर जाते हैं उनका मूल्यांकन करके देखिए। कोई मां को मार देता है, कोई पति को मार देता है, कोई पत्नी को मार देता है, कोई बाप को मार देता है, उनका मूल्यांकन करके देखिए।

राजस्थान की पुलिस उन केसेज में लगती है उसका मूल्यांकन करके देखिए। अस्पतालों में इलाज होता है, उसका मूल्यांकन करके देखिए। अदालतों में समय जाया होता है, उसका मूल्यांकन करके देखिए। यदि सारा मूल्यांकन करेंगे तो राजस्थान सरकार को एक भी पैसा नहीं मिलता है। वह अपनी झेंप मिटाने के लिए, राजस्थान के लोगों को, गरीब लोगों को और गरीब करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, राजस्थान की सरकार लगातार दारू बेचकर, उसमें भ्रष्टाचार करके, अपने नेताओं के पेट भरना चाहती है। दारू लागू कर रखी है। डेढ़ गुना-दो गुना बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, बंद करना चाहिए था ना। बिहार में शराब नीति का अध्ययन करने का नाटक क्यों किया गया क्या था? क्या वहां की शराब नीति ने यह कहा कि ज्यादा दारू बेचना आगे जाकर? वह रिपोर्ट कहां है, यह रिपोर्ट किसने दी है? वहां से आबकारी नीति का अध्ययन करके आए। वहां कैसे दारू बिक रही है, कैसे बंद हो गई, उसका अध्ययन करके आए और यहां रिपोर्ट दे दी कि यहां दारू की नीति ऐसी बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को कैसे हड़पा जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गरीब विरोधी है, ग़रीबों को दारू पिलाकर मारना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है। यह कहती है कि हम ग़रीबों के पक्षधर हैं तो फिर यह घुमक्कड़ लोग, विमुक्त जातियों के लोग, आज भी दर-दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? इनके मकान क्यों नहीं हैं, इनकी झोंपड़ी में लाइट क्यों नहीं है, इनको सरकार

(श्री मदन दिलावर)

की योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? आज भी लाखों की संख्या में लोगों के पास मकान नहीं है जबकि भारत के प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेंद्र जी मोदी कह रहे हैं कि जितना पैसा चाहिए ले लीजिए लेकिन जिनके मकान नहीं है उनके मकान बनाओ। राजस्थान सरकार को भारत सरकार पैसे दे रही है, लेकिन इनका नाकारापन और निकम्मापन देखिए, यह अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लगातार लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनको ग़रीबों के जितने मकान बनाने चाहिए थे उसका 60 प्रतिशत भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा करके यह लोगों को छत उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं। केन्द्र सरकार पैसा दे रही है, आज भी लाखों की संख्या में लोगों के पास मकान नहीं है, शौचालय नहीं है, आज भी खुले में शौच जा रहे हैं। पता नहीं यह क्यों नहीं सोचते हैं। आज भी गाड़िया लोहार, बंजारा, कालबेलिया, देवासी, साठिया, सांसी, नट, भांड ऐसी अनेक जातियां हैं, जो खुले आसमान के नीचे हैं। उनके मकान क्यों नहीं बन रहे हैं? इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि यह राजस्थान सरकार उनको भूखण्ड उपलब्ध नहीं करना चाहती और उनके पास आवासीय भूखण्ड नहीं होगा तो मकान कैसे बनेगा। जान-बूझ करके उनको भूखण्ड उपलब्ध नहीं कराना चाहती। क्यों नहीं कराना चाहती? इसमें तो कहा गया है कि हम ऐसे लोगों के लिये नि:शुल्क भूखण्ड देंगे। जो यह अभिभाषण पढ़ाया गया है, इसमें आपने नि:शुल्क भूखण्ड देंगे, इधर लिख रहे हो, इधर नहीं दे रहे हो। यह कथनी और करनी में अंतर क्यों है? यह गरीबों के साथ ज्यादती क्यों है, यह अन्याय क्यों है? यह हम सब लोगों को देखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने और कहा कि यहां प्रदेश में, जो भी हमारे पुलिस थानों में जाएगा, उन सबकी एफ.आई.आर. दर्ज होगी। परसादी लालजी, मंत्री महोदय, आप भी एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये गये थे शांती कुमार धारीवालजी, मंत्री महोदय के पास। आपकी वहां एस.एच.ओ. ने बात नहीं सुनी होगी, एस.पी. ने बात नहीं सुनी होगी। वहां आप गये और आपने कहा कि इस बात को मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी तक ले जाऊंगा, वहां मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। जो मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, कैबिनेट मंत्री की, वे गांव के साधारण आदमी की क्या बात मानेंगे। बलात्कार के एक मामले में मैंने थाने में धरना देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और माननीय परसादी

(श्री मदन दिलावर)

लालजी को भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये शांती कुमार धारीवालजी के पास धरना देना पड़ा। गरीब की एफ.आई.आर. कौन दर्ज करेगा? किसको कहें? उदाहरण सुनना चाहते हो? सभापति महोदय, मैंने विधान सभा में पूछा, रामगंजमंडी तहसील में कितने व्यक्ति एफ.आई.आर. दर्ज कराने आये? जवाब मिला 2468, दर्ज कितनी की 267, बाकी उन शेष को कौन निगल गया, 2200 के लगभग को कौन खा गया, वे कहां गईं। जला दी गईं क्या, फेंक दी गईं क्या या समझौता करके पैसा ले लिया गया? मैं आज भी कह रहा हूं, जो 2200 ऐसे आवेदन हैं, जो परिवाद के रूप में डाल रखे हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मुख्य मंत्रीजी इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं। उनमें कौन दोषी हैं। उनको क्यों सज़ा नहीं मिल रही है। कितनी बहनों के साथ बलात्कार हो गया होगा, जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, उसने आत्म हत्या कर ली होगी। कितने घरों में चोरियां हो गई होंगी। कितनों के ऊपर हत्या के लिये आक्रमण हो गये होंगे। पर ऐसी कोई रिपोर्ट्स दर्ज नहीं हो रही हैं और यहां लगातार कह रहे हैं कि हम सब प्रकार की रिपोर्ट्स दर्ज करते हैं, सबकी एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं। मैं समझता हूं, यह साफ +++ कहूं या 'असत्य' कहूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप कहेंगे कि असंसदीय है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यह 'सफेद असत्य' कहूं, सफेद असत्य है। वैसे +++ डांट देंगे, इसलिये मैंने 'असत्य' कहा है।

माननीय सभापति महोदय, ये गरीब की बात करते हैं। मैं लाडपुरा पंचायत समिति की दो-तीन पंचायतों की बात करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं डोल्या पंचायत की, जिसमें गिरधरपुरा गांव भी आता है तो मंदरगढ़ गांव भी आता है। कोटा के सीने पर हैं ये गांव। कोटा शहर के सीने पर हैं, लाडपुरा पंचायत समिति में हैं, जहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां जाकर देखता हूं, पहली बार वहां से चुनाव लड़ा हूं तो मुझे लगा कि क्या यह राजस्थान का गांव है। यहां भी ऐसा होता है क्या? यहां बिजली नहीं, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं, जहां प्रधान मंत्री आवास का मकान नहीं मिल रहा, जहां पर सारे के सारे लोगों को खुले में शौच के लिये जाना पड़ता है। आखिर उन लोगों ने आप लोगों का बिगाड़ा क्या है, आखिर में क्या अपराध है उन लोगों का? विद्यालय नहीं, 800 की पापुलेशन पर मिडिल स्कूल नहीं है, 400-500 की पापुलेशन पर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। एक गांव गिरधरपुरा से 16 किलोमीटर रोज छोटी-छोटी

(श्री मदन दिलावर)

बच्चियां जंगल के रास्ते से पैदल आती और जाती हैं, तब पढ़ाई करती हैं। उस गांव में पढ़ने वाली बच्चियां, आठवीं पास तो कई कर लेती हैं, लेकिन दसवीं में पढ़ने के लिये मुश्किल से एक प्रतिशत बच्चियां जाती हैं। उनको भी डर सताता है। उनके मां-बाप को डर सताता है कि मेरी बेटी आठ किलोमीटर जायेगी और आठ किलोमीटर आयेगी, सोलह किलोमीटर रोज पैदल चलेगी, फिर शिक्षा लेगी। क्या हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या समाप्त, अभी तो 7 मिनट ही हुए हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कटु सत्य होता है यह। सत्य कटु होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था सभी लोगों से, इस सरकार से कि यह सरकार गरीबों के प्रति उदासीन क्यों है, गरीबों की क्यों नहीं सुनना चाह रही। मैं समझता हूं कि यदि आप वहां किसी कारण से बिजली नहीं दे सकते तो सौर ऊर्जा से बिजली दे दो, आप सड़क तो बना दो। आप नहीं भी दे सकते तो उन गांवों को कहीं शिफ्ट कर दो। शिफ्ट भी नहीं करते हो, मकान भी नहीं बनाएंगे, बिजली भी नहीं देंगे, तो फिर तड़पा-तड़पाकर मार क्यों रहे हो? उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है क्या? तो फिर सरकार क्या चाहती है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि खरली बावड़ी जैसा बड़ा गांव, डामर देगुपुरा जैसे बड़े गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, बंद कर दिये गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि बहुत सारे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कानून व्यवस्था का।

श्री सभापति: अब समाप्त करें आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अभी से ही?

श्री सभापति: हो गया, टाइम हो गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हो गया? जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बात रखने का आपने मुझे मौका दिया है, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, इस एक साल में देश के, प्रदेश के, पूरी दुनिया के महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर राजस्थान की सरकार ने यहां विशेष कार्यक्रम आयोजित कर संविधान को मजबूती से लागू करने का संकल्प किया। पूरे हिन्दुस्तान में एक कानून जो सी.ए.बी., जो बाद में सी.ए.ए. बना, एन.आर.सी. और एन.पी.आर. के खिलाफ जो आवाज उठाई और सदन में जो उस पर चर्चा हुई, उस बात के लिये हम उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाये हुए संविधान की गरिमा को बचाये रखने के लिये और संविधान को मजबूती से लागू करने के लिये यह संकल्प इस प्रदेश की सरकार ने दोहराया है, इसमें कोई दो-राय नहीं है।

सभापति महोदय, यह बात भी सही है कि यहां चर्चा की गई है कि प्रदेश में लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिये सरकार ने 709 दवाओं को फ्री किया है। कैंसर, हृदय रोग और गुर्दे जैसी गम्भीर बीमारियों पर सरकार ने लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है पर हमारी तो सरकार से मांग यह है कि यह सरकार न सिर्फ इन बीमारियों में कुछ लोगों को ही राहत दे, पर यह बीमारी प्रदेश की साढ़े छह करोड़ जनता में जिसको भी यह रोग लग जाए, प्रदेश की सरकार उसका सम्पूर्ण इलाज करने का दावा करे और सम्पूर्ण इलाज नि:शुल्क करे।

सभापति महोदय, अभी आज सदन में पांच बजे चर्चा भी होगी कि राजस्थान की सरकार बिजली के बढ़े हुए दाम पर जवाब देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़े हुए दाम राजस्थान की सरकार वापस ले क्योंकि जो टैरिफ का कागज हमारे पास आया, उस कागज में स्पष्ट यह बात लिखी थी कि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबन्ध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 के बावजूद वितरण निगम अभी भी घाटे से उबर नहीं पाये। जिस दिन ये तीनों निगम बने थे, उस दिन यह बात कही गई थी कि इससे सस्ती बिजली मिलेगी, कम दाम की मिलेगी और हर घर तक बिजली पहुंचेगी लेकिन आज तीन साल पांच माह बाद फिर दाम बढ़ा करके सरकार ने यह जो कदम उठाये हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि मंत्री महोदय बिजली कम्पनियों के बहकावे में

(श्री बलवान पूनियां)

न आएं। बिजली कंपनियों ने जो पाप किए हैं, पिछली सरकार ने टैरिफ आदेश में स्पष्ट लिखा है कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन की वजह से यह फैसला लेना पड़ रहा है। पिछली सरकार में जो कुप्रबंधन हुए थे उन कुप्रबंधनों की वजह ढूंढ कर कैसे मीटर जले, कैसे फर्जी मीटर आए, कैसे फर्जी ट्रांसफार्मर आए, कैसे नकली बिल दिए गए, कैसे झूठे बिल दिए गए, कैसे लोगों की यूनिट्स ज्यादा निकलीं, फिर भी बिजली कंपनी घाटे में चली गई, उसकी जांच करके सारे के सारे पैसे उनसे वसूलने का काम किया जाए न कि जनता भरे। एक तरफ जनता को बहुत राहत देने का काम किया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ जनता पर यह जो 11 फीसदी घरेलू बिजली के दाम मध्यम वर्ग पर बढ़ाए जा रहे हैं यह वापस लेने की बात भी हमें करनी होगी क्योंकि इसमें स्पष्ट ऐसा लिखा हुआ है कि यह सिर्फ और सिर्फ टैरिफ 3 वर्ष और 5 माह के बाद बढ़ाई और बढ़ाई किसकी है? घरेलू और छोटे लोगों की बढ़ाई गई है, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। नंबर दो, एक मेगावाट से ज्यादा बिलिंग डिमांड में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोड फैक्टर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दर में एक रुपये प्रति यूनिट की कमी की गई।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो कंटेंट आया, एक साल में सरकार ने क्या-क्या किया लेकिन सरकार जिस तरीके से लोगों को राहत देने का काम कर रही थी, उसका राहत में चलते-चलते हम समझते हैं कि यह टैरिफ आदेश राहत से लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। यह राहत से सरकार हट गई है। सरकार को वापस पटरी पर आना चाहिए और इस बढ़े हुए दाम को वापस लेना चाहिए।

उसके बाद सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणा की थी कि हम फ्लैगशिप योजनाओं को और ढंग से लागू करेंगे। मैं निश्चित तौर पर बड़ाई करना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा में डीलरों के खिलाफ एक भी शिकायत राजस्थान में कहीं भी आई कि खाद्य सुरक्षा में लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, खाद्य सुरक्षा में लोगों को जोड़ा नहीं जा रहा है, जुड़ गए तो लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच रहा है तो इसमें कार्यवाही हुई इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन एक तहसीलदार को सस्पैंड इसीलिए किया गया कि

(श्री बलवान पूनियां)

उसने लोगों की सुनवाई नहीं की। यह सिर्फ एक तहसील का संकट नहीं है, यह संकट पूरे राजस्थान का है, इसको भी पूरी गंभीरता से देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, हमारे यहां न सिर्फ चिंता इस बात की की जाती है कि राजस्थान एक किसान का प्रदेश है। यहां पर पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैंने यह बात रखी थी कि हमारे यहां राजस्थान इतना बड़ा राज्य है जिसमें कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ इसमें टिड्डियों के प्रकोप के बाद मुआवजे की जो मांग उठी, उसमें मुख्य मंत्री के एक बयान की लोगों ने आलोचना की है कि टिड्डियों से जो नुकसान हुआ है, उसके बीमा का आकलन करवाइए। इस राज्यपाल के अभिभाषण में उस बात का जिक्र नहीं है जो मुख्य मंत्री महोदय बाड़मेर में बोलकर आए हैं। बिल्कुल अगर खेत में कोई नुकसान हुआ है तो उसका आकलन अगर क्राप कटिंग की रिपोर्ट पर आ जाता तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी क्योंकि बीमा कंपनी सारे के सारे इलाके में जो जो उत्पादन पर पंचायत आता है उसके हिसाब से उसका क्लेम देती है। जिन-जिन पंचायतों में टिड्डी का असर हुआ, जिस पंचायत में अतिवृष्टि का असर हुआ, जिस पंचायत में अनावृष्टि का असर हुआ है, वहां पर अगर क्राप कटिंग रिपोर्ट ईमानदारी से हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों को क्लेम, मुआवजा खराबे का, नुकसान का आकलन अगर समय पर हो जाए तो मिलने की गुंजाइश रहती है।

सभापति महोदय, मेरे जिले में बीमा अच्छा मिला, इसकी वजह यह रही कि लोगों ने क्राप कटिंग के प्रति जागरूकता पैदा की। मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार आने वाले समय में और इसी सत्र में कृषि मंत्री जी पूरे राजस्थान में हर जिले में, हर तहसील में फसल बीमा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करें, अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह चीज होती तो और अच्छी लगती।

हमारे मुख्य मंत्री तीन बार गए नोहर, भादरा के हिस्से का पूरा पानी लेने और दूसरी बात, राजस्थान का पाइंट 17 एम.ए.एफ. जो हिस्सा अभी भी हमें पंजाब ने नहीं दिया, यह तीन बार चंडीगढ़ गए हैं लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका एक शब्द भी नहीं बोला गया। राजस्थान की खुशहाली में पाइंट 17 एम.ए.एफ. पानी भी एक चार चांद लगाने का काम कर सकता है लेकिन इसमें जिक्र इसलिए नहीं किया गया होगा कि हो सकता है

(श्री बलवान पूनियां)

कि पाइंट 17 एम.ए.एफ. पानी को थोड़ा मान लिया गया हो। पाइंट 60 पानी को थोड़ा मान लिया गया हो, मेरे नोहर, भादरा का पाइंट 17 एम.ए.एफ. बाकी है तो राजस्थान का पाइंट 60 पानी बाकी है जो अभी भी 1981 के रावी व्यास जल समझौते के बाद भी हमें नहीं मिला है।

सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री आने वाले दिनों में इसको एक टास्क के रूप में लें और हरियाणा और पंजाब से केन्द्र की दखलंदाजी के बाद हमें यह पानी दिलाने का काम करें। हालांकि, केन्द्र के मंत्री ने मीटिंग में हिस्सा लिया लेकिन पता नहीं क्यों यह ठोस फैसला नहीं करवा पाए कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले।

सभापति महोदय, हमारे यहां किसान को दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह पशुधन का होता है। पशुधन पर जो राजनीतिक मार मारी गई, 1998 से पहले हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत के जमाने में पशुओं का नागौर का जो मेला बंद हुआ, बछड़ों का मेला बंद हुआ उसके बाद जो गाय की हालत राजस्थान में आई हालांकि, आज भी सबसे ज्यादा पशुपालन में राजस्थान में गाय को सबसे ज्यादा पाला जाता है लेकिन बछड़े का जो काम बंद हुआ, उसका व्यापार बंद हुआ, उसके बाद गाय का जैसे आधा हिस्सा कट गया हो।

सभापति महोदय, आज हम फिर चाहते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून राजस्थान की सरकार लेकर आई है, उसी तरीके से पशुओं के मेले लगाने का कानून भी लेकर आए और पशुओं के मेले राजस्थान में फिर लगें। फिर नागौरी बैल पूरे हिन्दुस्तान में जाए, फिर हमारी गौ माता का जो प्रोडक्ट बछड़ा आता है, वह राजस्थान का पूरे देश में जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें मिले।

इसके साथ-साथ, राजस्थान की सरकार ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कही है कि 5000 बूथ लगेंगे सरस के, और बूथ बढ़ाए जाएंगे राजस्थान में। बिल्कुल यह स्वागत योग्य कदम है जिससे यह समझो कि दुग्ध उत्पादन में सरकार आगे बढ़ना चाहती है लेकिन अभी भी यह कह रहे हैं कि 2 रुपये प्रति किलो ही यह अनुदान देंगे। हमारी यह मांग है कि 5 रुपये कम से कम प्रति किलो दूध उत्पादन में किसान को अनुदान के रूप में मिले तो राजस्थान में पशुपालन जो अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था का 37

(श्री बलवान पूनियां)

फ़ीसदी हिस्सा है वह और आगे बढ़ने का काम करें। राजस्थान की सरकार इस पर संजीदगी से काम करे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, सभापति महोदय, उन बातों में हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं बड़ी मजबूती से पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य कह रहे हैं लेकिन मुझे तो अचम्भा एक बात का हुआ कि जिस दिन हमारे यहां सीए.ए. और एन.आर.सी. पर चर्चा हुई थी, उस समय जब संविधान की बात आई थी तो हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता ने एक बात कही कि आपका फूफा भी लागू करेगा। कानून आपको लागू करना पड़ेगा। हमारे एक साथी ने यह कहा कि गोली मार दो, यह शब्द जो बोले जा रहे हैं, संविधान को तार-तार करने वाले शब्द हैं।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान वह देश है जहां लोगों ने इमरजेंसी का जेलों में जाकर विरोध करके सरकार को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। हिन्दुस्तान वह देश है जहां पर गोली मारने को कोई भी तार्किक नहीं कह सकता। हिन्दुस्तान वह देश है जहां लोग संविधान के अंदर बंधे हुए हैं। हिन्दुस्तान वह देश है जहां रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा हिन्दुस्तान का संविधान है, उस संविधान को मानने की बात हम सब लोगों को करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यहां बैठने वाले 200 के 200 लोग अगर संविधान विरोधी बात करने लग जाएंगे, संविधान के कंटेंट की बात नहीं करेंगे तो प्रदेश की जनता क्या देखेगी? यह संविधान ही है, सभापति महोदय, कि हमारे राज्यपाल महोदय जिस लाइन से राज्यपाल बनकर आए हैं, उनको राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अभिभाषण की बड़ाई करनी पड़ रही थी। यह संविधान ही है, सभापति महोदय, कि उनको पढ़ना पड़ रहा था कि राजस्थान की सरकार ठीक कर रही है। वह अंदर से चाहे न चाहते हों लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि वह संविधान की कद्र करने वाले थे, संविधान की बात मानने वाले थे। आज राजस्थान प्रदेश की जनता को भी यह चीज तय करनी पड़ेगी कि संविधान को आगे बढ़ाने वाले लोगों की राजनीति आगे बढ़े या संविधान को न मानने वाले लोगों की, हालांकि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम भी लेते हैं, वह संविधान की बात भी करते हैं लेकिन जिस तरीके से हिन्दुस्तान के संविधान में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जिस कानून का राजस्थान में हो रहा हो और वहां के कोई नेता यह कहे कि आपके फूफा को मानना पड़ेगा, नहीं, कानून को मानना पड़ेगा। कानून का

(श्री बलवान पूनियां)

कानून सम्मत विरोध भी हो सकता है और आपकी बात से सहमत न भी हो, आपकी बात से सहमत हो भी सकते हैं लेकिन जो तल्खी आई है हिन्दुस्तान की बातों में, हिन्दुस्तान के राज में बैठे हुए लोगों की बातों में जो तल्खी आई है, हिन्दुस्तान में जिस तरीके से बेहूदी बातों पर बहस होती है, मैं समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान में जरूरत इस बात की है, आज राजस्थान में जरूरत इस बात की है कि हमारा प्रदेश का किसान आगे कैसे बढ़े, नौजवान आगे कैसे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, वह एकजुटता से कैसे रहे, वह भाईचारे से कैसे रहे, लोग समरसता से कैसे रहें, लोगों का बराबरी का दर्जा कैसे कायम हो, यह राजनीति हमें करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लगातार बेरोकटोक वह अपनी बात कहकर गए, इससे एक संदेश यह गया कि राजस्थान में पिछले 14-15 महीने से जो सदन चल रहा है वह बहुत गंभीरता से चल रहा है और पूरे हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान में अब की बार का सदन जनता के इश्यू पर, जनता के मुद्दों पर बहस और बात करता है लेकिन अभी हमें और ज्यादा सीखने की और ज्यादा करने की जरूरत है।

मैं राजस्थान की सरकार से चाहता हूं कि आने वाले दिन गर्मी के आएंगे, पेयजल को लेकर वह गंभीरता से प्रयास करे, फसल बीमा को लेकर प्रयास करे। नहरी क्षेत्र के लिये हमारी बहन किरण जी सुबह मुख्य मंत्री महोदय को कह रही थी कि हमारी नहरों की मरम्मत के लिये बजट दीजिएगा। हम भी यह चाहते हैं कि इसमें नहरी मरम्मत को लेकर अगर और ज्यादा आश्वस्त करते राज्यपाल के अभिभाषण से, तो हम खुश होते, क्योंकि हम भी नहरी क्षेत्र से हैं। हमारी सिद्धमुख नहर, अमरसिंह कैनाल, राजस्थान कैनाल आज भी बाट जोह रही है कि हमें पिछली सरकार ने तो बजट नहीं दिया, यह सरकार बजट दे और यह सरकार हर किसान के टेल तक पानी पहुंचाने का काम करे। यह बात हम चाहते थे कि इस अभिभाषण में वह चीजें आतीं जिससे राजस्थान प्रदेश का किसान आबाद होता। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 100 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ था।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक इस सदन में आकर अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसके लिए राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करने की बात हो तो निःसंकोच हम उनका धन्यवाद करेंगे, लेकिन राज्यपाल महोदय के मुंह से जो बातें कहलवाई गई हैं, जैसा अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, कहलवायी गईं, वह बातें ठीक हैं कि नहीं, उसका विश्लेषण करने के लिए यह बहस चल रही है। इसमें भाग लेते हुए मैं भी कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अच्छी बात यह लगी कि इसमें शुरुआत में ही स्वास्थ्य को लिया गया है। स्वास्थ्य के प्रति सरकार की चिंता नजर आई। स्वास्थ्य की चिंता अभिभाषण में तो नजर आयी, पर धरती पर कितनी है, वास्तव में कितनी प्रैक्टिकल हो रही है, वह एक विचारणीय विषय है। निःशुल्क दवा योजना का बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बहुत वाहवाही लूटी जा रही है। अच्छी बात है, गरीबों के लिए उपयोगी थी, सब ठीक है, लेकिन निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना से भी बैटर योजना भामाशाह योजना थी और उससे भी बैटर है आयुष्मान भारत योजना। सरकार पर उसका बोझ नहीं, इंश्योरेंस कंपनियों पर बोझ जा रहा है और गरीब को इलाज भी मिल रहा है। सरकार को चाहिए था कि उस योजना पर ज्यादा ध्यान देते और उसको तुरंत लागू करते। आपने आते ही उस भामाशाह योजना को बंद कर दिया और उसके महीनों बाद तक आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया और किया तो भी उसमें अपनी किंतु-परंतु लगाकर जो लागू किया है, उससे राजस्थान की जनता को बहुत नुकसान हुआ है। गरीब लोगों को इलाज में तकलीफ आयी है। निःशुल्क दवा, जो सरकार खरीदकर देती है, सरकारी अफसरों के माध्यम से जो खरीद होती है, उसकी क्वालिटी में कई बार उन्नीस-बीस होता ही है, लेकिन जो इंश्योरेंस कम्पनियों के माध्यम से, चाहे वह आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो या भामाशाह योजना के तहत हो, जिस प्रकार की क्वालिटी की दवाएं और सारे इक्विपमेंट्स जो मिलते थे, उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसको ज्यादा मजबूत किया गया होता तो अवश्य ही मैं आपको धन्यवाद देता।

आयुर्वेद औषधालय खोलने की बातें कर रहे हैं। मैं आपकी कृपा से, सौभाग्य से आयुर्वेद मंत्री रहा हूं। आज आयुर्वेद विभाग की यह हालत है, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, तीनों प्रकार के अस्पतालों में अधिकांश पद खाली पड़े हैं। उनमें आधे से ज्यादा डाक्टर्स नहीं हैं, नर्स-कम्पाउंडर भी नहीं है और

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कई सारे औषधालय सिर्फ चपरासियों के भरोसे चल रहे हैं। मेरा पैतृक गांव भैंसवाड़ा है, जहां का अस्पताल मैंने खोला था मेरे कार्यकाल में, वहां आज चपरासी कार्य कर रहा है। वह अस्पताल उसके भरोसे है। न कम्पांउडर है, न डाक्टर है और वह चपरासी भी साल, दो साल में रिटायर होने वाला है। उसके बाद उस भवन को भी ताला लग जाएगा जो भामाशाह ने दान किया था। यह स्थिति आपके विभाग की है और आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और हमसे धन्यवाद चाह रहे हैं तो हम आपको किस प्रकार धन्यवाद दें।

अब मेडिकल कालेज के लिये अपनी पीठ आप थपथपा रहे हो कि 15 मेडिकल कालेज खोलने की बात हो रही है। भारत सरकार से अनुमति मिल गयी। भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की यह मंशा है कि भारत के हर जिले में मेडिकल कालेज हो। उस योजना में यह खुल रहे हैं। आपको तो सिर्फ एक जमीन ढूंढकर देनी है, उसमें आपको तकलीफ आ रही है, उसमें आपको जोर पड़ रहा है। अधिकांश जिलों में आप जमीन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपको 40% शेयर देना है उसमें आपको तकलीफ आएगी और इसलिए वाह-वाही लेने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मदद करिए स्पीडली, आप अच्छी स्पीड से काम करिए, तब जाकर आपको धन्यवाद मिलेगा, वरना ऐसा ही सूखा धन्यवाद लेने की कोशिश मत कीजिए।

ऋण माफी योजना को लेकर काफी ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ऋण माफी योजना में जितनी बातें शुरुआत में कही गई थीं जन घोषणा पत्र में, उनमें से कुछ भी नहीं किया गया। जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर किया, उसमें भी घोटाले हुए। घोटालों की शिकायतें हुईं पर शिकायतों की जांच नहीं हो रही हैं और जांच हो रही है तो लीपापोती हो रही है। इस बात के लिये आपको धन्यवाद दे दूं कि जालौर जिले में को-आपरेटिव बैंक में ऋण माफी में जो घोटाले हो रहे हैं, जो मर गये लोग, उनके ऋण माफ कर दिये गये और उनकी आप वाहवाही कर रहे हैं, वाहवाही दे रहे हैं।

हमारे को-आपरेटिव मिनिस्टर बहुत भले आदमी हैं और भोले आदमी हैं। अब यह शातिर लोगों का डिपार्टमेंट उस भले आदमी से संभल नहीं रहा। एक व्यवस्थापक मंत्री पर भारी पड़ रहा है। वह करोड़ों का घोटाला कर गया। वह और उसका आफिसर मिलकर घोटाला कर गये और शिकायतों पर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

शिकायतें हो रही हैं। उसके खिलाफ 76 एफ आई आर दर्ज हो चुकी हैं पर उसके बाद भी कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो रही है। उसके खिलाफ जो जांच हो रही है, उस पर भी लीपापोती हो रही है। करोड़ों के घोटाले को लाखों में सिमटाने की कोशिश हो रही है और उसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूं क्या? ऐसे काम के लिये यदि आप धन्यवाद मांगते हैं तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन अच्छा काम आप नहीं कर पा रहे, यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा।

ऐसे ही हमारे यहां टिड्डी दल का आक्रमण हुआ। यह आपके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है। वह कभी-कभार आती है, आयी। मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाह रहा हूं और जालौर जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। पूरे छह-सात जिलों में जहां-जहां टिड्डी गयी, सबसे अधिक इफेक्टिव तरीके से जो टिड्डियों को मारने का काम किया गया, वह जालौर जिले में किया गया। मैं खुद इसका साक्षी हूं। हम सवेरे साढ़े पांच बजे जाकर मैदान में खड़े होते थे और उन सोयी हुई टिड्डियों को मारते थे। उनको शाबाशी मिलनी चाहिए थी। अच्छा होता सरकार उस कलेक्टर को राज्य स्तर पर बुलाकर सम्मानित करती। आपने उनको क्या दिया, कल की लिस्ट में उनका ट्रांसफर हो गया। यह है आपके एप्रीशिएट करने का तरीका, यह है आपका धन्यवाद करने का तरीका और आप हमसे धन्यवाद मांग रहे हैं।

बिजली के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यहां खड़े होकर कहा, राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस में है, यहां पर्याप्त बिजली है। पर्याप्त बिजली होने के बाद अच्छा होता हम धन्यवाद देते आपको, यदि आप काश्तकारों को यह कहते कि बिजली आपको 6 घंटे के बजाय 7 घंटे देंगे, 8 घंटे देंगे, पर आप 6 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, 6 घंटे में भी कटौती हो रही है और बार-बार आना-जाना हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 72 घंटे के अंदर बदलने का सरकार ने वादा कर रखा है वह सात-सात दिन तक नहीं हो रहा है। 25 का, 40 का ट्रांसफार्मर सात-सात दिन तक काश्तकार को नहीं मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूं क्या? बिजली के बिलों में माफी, दस हजार रुपये एक साल के, 833 रुपये हर महीने, पिछली सरकार ने लागू किया था और सोच-समझकर उन्होंने बिल में से ही कम करने का निर्णय लिया था और वह निर्णय लागू किया था। वह निर्णय तो लागू हुआ, उसके कारण काश्तकारों को, किसानों को बहुत रिलीफ मिली थी। आपने उसको कुछ दिन तो चलाया और उसके बाद

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसको बंद कर दिया और अब कह रहे हैं कि खाते में जमा कराएंगे। अब एक-एक बिजली कनेक्शन में तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच भागीदार हैं, किसके खाते में डालेंगे? मेरे पिताजी के नाम का कनेक्शन चल रहा है मेरे घर पर, किसके खाते में डालेंगे आप, वह तो स्वर्गवासी हो गये, 30 साल हो गये, किसके खाते में डालेंगे आप? ऐसी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं और उसके कारण खाते में डालने की जिद के कारण आधे से ज्यादा किसानों को मिलने वाली राहत आपने समाप्त कर दी। आपने अपने खजाने की बचत जरूर कर ली पर काश्तकार को परेशान कर दिया। यह आधे से अधिक किसानों की जो सब्सिडी उनको मिल रही थी 833 रुपये महीने की, वह कम करने के लिये भी आप धन्यवाद लेना चाहते हैं तो मैं जरूर आपको धन्यवाद दूंगा।

आप प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशाला खोलने की बात कर रहे हैं। कल्पना अच्छी है, पर उसके लिये पैसा बहुत चाहिएगा। पैसा इस सरकार के पास है नहीं। भगवान जाने क्या जादुई मंत्र है कि जब-जब गहलोत साहब मुख्य मंत्री बनते हैं, आर्थिक तंगी का दौर आ जाता है। क्यों आ जाता है, इसकी चिंता करिए। क्यों आ जाता है, इसकी व्यवस्था करिए।

(16.00 बजे)

और आप यह जो नन्दीशाला भी खोल रहे हैं उसके बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने व्यवस्था लागू की है, पशुपालक को सब्सिडी दे रहे हैं। हम गौशालाओं को सब्सिडी दे रहे हैं, नन्दी शालाओं को सब्सिडी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपालक को ही सब्सिडी दे रहे हैं। हर पशु पर 30 रुपये प्रतिदिन, 900 रुपये महीना, हर पशु को और वो पशुपालक को सीधे मिल रहा है तो पशुपालक अपने पशु को आवारा छोड़ता ही नहीं, चारे के लिए बाहर जाने ही नहीं देता, वो खुद ही व्यवस्था कर लेता है। यदि यह व्यवस्था हो जाएगी तो आपको आवारा पशुओं की समस्या से वैसे ही निजात मिल जाएगी और यह गौशालाएं और नन्दीशालाएं खोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस माडल की स्टडी की जाए उसकी जानकारी प्राप्त करें और राजस्थान में उसको लागू करने का प्रयास करें।

अब आप धन्यवाद मांग रहे हैं तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि जालौर में जो ग्रेनाइट की इंडस्ट्री चल रही है उसको सुविधा मिलने के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

नाम पर कुछ नहीं मिल रहा और नई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, उसके लिए आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारा जालौर केवल एक ग्रेनाइट पर निर्भर है, कब तक रहेगा? किसी दिन इस इंडस्ट्री में डाउनफाल आ गया तो जालौर का क्या होगा? इस बारे में मैं हर बार बोलता हूं लेकिन सरकार चिंता नहीं कर रही है।

नये प्रकार के उद्योग, वहां पर बिजली के उपकरण, बिजली के तार बनाने का उद्योग आ सकता है, वहां पर स्टील के बर्तन बनाने का उद्योग आ सकता है। यह दोनों लाइनें ऐसी हैं जिनमें हमारे जालौर जिले के लोग अखिल भारतीय स्तर पर छाये हुए हैं। सरकार थोड़ा-सा प्रयास करेगी और उनको सुविधाएं देगी तो यह सब व्यवस्थाएं हो सकती हैं, यह नई इंडस्ट्रीज वहां आ सकती हैं लेकिन इस पूरे अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है।

धन्यवाद दूं तो क्या आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि इस पूरे अभिभाषण में जवाई पुनर्भरण योजना का कोई नाम, जिक्र तक नहीं है? वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पाली जिले के लिए, जालौर जिले के लिए, सिरोही जिले के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न है और पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सोच-समझकर उसकी डी.पी.आर. बनाई थी। मैंने विधान सभा में प्रश्न करके उस डी.पी.आर. की कापी मांगी तो सरकार वो कापी तक देने को तैयार नहीं, काम तो क्या करेगी। मैं सरकार को फिर आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि उस योजना को बाहर लाइये, उस फाइल को बाहर लाइये। आपने कहां गायब करके रखा है, कहां दबाकर रखा है? उसको बाहर निकालिये और उस पर काम शुरू करिये, पैसों की कमी लगे तो भारत सरकार से भी सहयोग मांगिये, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हम लोग आपके लिए भारत सरकार से भी जाकर लड़ेंगे और जनता के लिए हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन आप उस फाइल को हाथ तो लगाइये। चूंकि पूर्ववर्ती सरकार ने वो योजना बनाई थी इसलिए आपने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, कचरे में डाल दिया, यह अच्छी बात नहीं है।

धन्यवाद देता मैं मुख्य मंत्री महोदय को यदि आपने जालौर में आर.ओ.बी. का काम शुरू कर दिया होता। आपने घोषणा तो कर दी, घोषणा करके शाबासियां ले लीं, मेरे से भी ताली बजवा ली लेकिन अभी तक धरातल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पर कुछ काम नहीं हो रहा है। घोषणा किए हुए सात महीने हो गये लेकिन उसमें अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है और जालौर की जनता त्रस्त है। तीन लाख से अधिक वहां की ट्रेन व्हीकल यूनिट है, उसके बावजूद वहां कुछ नहीं हो रहा।

जालौर में किले पर जाने के लिए रोप-वे के लिए दो साल से सात करोड़ रुपया आया हुआ राजस्थान सरकार के पास पड़ा है, भारत सरकार ने भेजा है, राजस्थान सरकार के पास पड़ा है, राजस्थान सरकार को उसका उपयोग करना है, दो साल से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। मैं आपको किस बात का धन्यवाद दूं?

(16.04 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

धन्यवाद अवश्य देता जो नर्मदा परियोजना से जालौर जिले को पीने का पानी मिल रहा है, उस बारे में आपने कुछ किया होता। एक रुपया नहीं मिल रहा। एफआर प्रोजेक्ट में जो क्लस्टर अधूरे पड़े हैं वो अधूरे पड़े हैं, काम नहीं चल रहा। मामूली, बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। एफआर प्रोजेक्ट का जो टैंक बनना चाहिए वो टैंक नहीं बन रहा, अधूरा पड़ा है। नई कम्पनी भी आ गई, उसके बाद भी उसमें काम शुरू नहीं हुआ है उसके लिए बजट नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए था। वो टैंक बनता है तो हमको पूरा पानी मिलेगा। एफआर प्रोजेक्ट में जो पानी मिल रहा है, हमारी आवश्यकता से आधा भी नहीं मिल पा रहा है, मुश्किल से चौथाई या एक तिहाई मिल पा रहा है। उसके कारण हमको फ्लोराइडयुक्त कुओं का पानी मिलाकर पिलाना पड़ रहा है। आप लोगों ने यह स्थिति निर्माण कर रखी है। उसके लिए पर्याप्त पैसा दिया होता तो मैं अवश्य धन्यवाद करता। डीआर प्रोजेक्ट का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है, डीआर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा। जालौर जिले पर सरकार का जो ध्यान होना चाहिए वो नहीं के बराबर है। कुल मिलाकर जालौर जिले का सारा काम, सरकार का पूरा ध्यान, पूरा फोकस एक सांचौर विधान सभा पर रह गया है। (व्यवधान) सांचौर, काम वहीं हो रहा है, सारा ध्यान वहीं जा रहा है। मुख्य मंत्री जाएंगे तो सांचौर जाएंगे, बाकी जिले ने आपका क्या बिगाड़ा है? एम.एल.ए. नहीं दिये, तो यह तो जनता ने किया है। आप उसके आधार पर भेदभाव क्यों कर रहे हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): बताओ तो सही। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बता दूं? सांचौर के लिए क्या नहीं किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप विराजिए, आप विराज जाइये। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सुखराम जी, वो दरी कहां है आपकी? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। प्लीज, आप समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने कहा है इसलिए बता रहा हूं।

पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा था, आहोर पंचायत समिति में 40 से बढ़कर 42 पंचायतें हो गईं। सायला पंचायत समिति में 40 से बढ़कर 45 हो गईं। आहोर, जालौर, सायला तीनों का विभाजन करके जो जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था, चार पंचायत समितियां उसमें बनाई थीं, भाद्राजून बननी थी, भाद्राजून एक बनती तो 25-25, 30-30 पंचायतों की पूरी चार पंचायत समितियां बराबर बन जातीं। वो तो प्रस्ताव माना नहीं और 17 पंचायतों पर सरनाऊ में समिति बना दी। यह हुआ सांचौर में भेदभाव।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): जिस प्रकार से आपने जो किया है, जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है वो इस अभिभाषण के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के मुख से आपने कुछ भी कहलवा दिया हो लेकिन आपका काम धन्यवाद देने लायक बिलकुल नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): इसलिए मैं इस अभिभाषण की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल मीणा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा...(व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, रामलाल जी शर्मा कह रहे हैं, पहले इन्होंने वो बोर्ड पढ़ा नहीं, जितना पढ़ा पूरा का पूरा झूठ ही पढ़ा था।

(श्री रामलाल मीणा)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक साल के अल्प समय में जो किया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलें बंद करने का काम किया। आज भी मेरे क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं हमारी स्कूल बंद हो गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में नहीं जा पाते हैं, वहां जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं।

सिर्फ मेरे जिले को आपने इस बजट सत्र में दो-दो कालेज दिये, एक कन्या महाविद्यालय और पीपलखूंट महाविद्यालय, एक बड़ा आवासीय विद्यालय दिया जो 18 करोड़ की लागत से चल रहा है। इसी प्रकार से पूर्व की सरकार में जो कालेज खुले थे उनमें आज भी 200 सीटें हैं लेकिन इस सरकार ने जो कालेज खोले उसमें मुझे कन्या महाविद्यालय में 800 सीटें दी गईं जिसमें से आज भी 400 बच्चियां पढ़ रही हैं, पीपलखूंट के महाविद्यालय में 800 सीटें दी गईं जहां पहली बार खुलते ही 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। वास्तव में मैं जितना भी धन्यवाद दूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय शिक्षा मंत्री को, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को, वो कम है।

युवाओं के लिए आपने देखा होगा, पूर्व की भा.ज.पा. सरकार ने 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को नौकरी से निकालकर घर पर बैठा दिया था और आज वो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके बाद में पंचायत सहायक की भर्ती की। आज भी पंचायत सहायकों को यह पता नहीं कि हमारा विभाग कौनसा है, हमें कौनसे कार्यालय में नौकरी करनी है। उसके बाद में आज वो 6 हजार रुपये में काम कर रहे हैं।

गहलोत सरकार की 2013 की जीएनएम भर्ती, एएनएम भर्ती, एलडीसी पंचायती राज में भर्ती, ऐसी कई भर्तियां हैं, इन्होंने पद समाप्त करके उन युवाओं को दर-दर की ठोकरें खिलाने का काम कराया। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पुन जीएनएम भर्ती के, एएनएम भर्ती के, एलडीसी भर्ती के, पंचायती राज की भर्ती के पद सृजित करके उनको वापस नौकरी पर लेने की कार्यवाही चल रही है। इसी प्रकार से

(श्री रामलाल मीणा)

आज आपने देखा होगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए गहलोत सरकार काम कर रही है, 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है।

किसानों के लिए, जब पूर्व की सरकार थी तब किसान यूरिया के लिए लाइन में खड़ा रहता था और लाठियों के मार्फत पुलिस की बर्बरता झेलता था और आज कहीं यूरिया की शिकायत तक नहीं आई।

इसके बाद लाइटों का मामला है, आप सब जान रहे हैं, मेरे क्षेत्र में देश आजाद हुआ उस समय से लगाकर अभी तक 40 जीएसएस बने थे, उन 40 जीएसएस को डबल कैपेसिटी का करके आज वहां दिन में लाइटें दी जा रही हैं। सात जीएसएस इस कार्यकाल में स्वीकृत हो चुके। उसके बाद में आप सबने देखा होगा कि पूर्व की सरकार के समय में किसान मोटर चालू करके खेत में जाता था और पीछे से लाइट बंद हो जाती थी। यह स्थिति पहले के समय में थी और आज निर्बाध लाइट किसान को मिल रही है। दिन में लाइट किसानों को मिल रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हम भी यही बोलते थे।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हम भी ऐसे ही बोलते थे। पहले हम भी ऐसे ही बोलते थे। इधर आ गए।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): नहीं, नहीं, आप देख लीजिए। इसीलिए तो पंचायती राज में 21 पंचायतों में से सरपंचों में 17 सरपंच जीते हैं और 23 में से 18 जीते हैं। यह इसी का परिणाम है। आप कह रहे थे न कि पंचायती राज में पता पड़ जाएगा। आने वाले पंचायती राज में तो बिल्कुल साफ मिलेगा। पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव आने दो, एक-एक सीट भी मिलने वाली नहीं है।

किसानों को पहले एक-एक महीने, 2-2 महीने जले हुए ट्रांसफार्मर्स के लिए चक्कर कटाते थे, लेकिन आज 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर बिना पैसे दिए बदल जाते हैं। पहले इन्होंने दलाल बिठा रखे थे, 5-5 हजार रुपये लेकर के किसानों को ट्रांसफार्मर्स दिए जाते थे, लेकिन आज बिना पैसे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार में बिना पैसे किसानों को ट्रांसफार्मर्स दे रहे हैं।

(श्री रामलाल मीणा)

आदिवासियों की बात करें तो यह माननीय सदस्य सारे बैठे हुए हैं। 5 साल के अंदर अगर आदिवासियों में से किसी एक को भी वनाधिकार पट्टा दिया हो तो उस किसान का नाम बता दें, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की और उसके बाद में हजारों किसानों को वनाधिकार पट्टे दिए हैं। यह सबके सामने है। अभियान चलाकर के दिए हैं। इसमें आनलाइन सिस्टम और कर दिया है ताकि जिन-जिन किसानों के पट्टे नहीं मिल पाए थे, उनको भी पट्टे मिल रहे हैं।

सभापति महोदय, आज आप चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें। मेरा खुद का जिला चिकित्सालय है। देश आजाद हुआ, उस समय से लगाकर अभी तक 150 बैडेड था, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने, माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने 150 बैड्स से डायरेक्ट 300 बैड का करके, उस आदिवासी क्षेत्र के जिले को बहुत बड़ी सौगात दी है। जहां आज उसी की वजह से प्रतापगढ़ कायाकल्प में दूसरे स्थान पर है। उससे पूर्व पहले स्थान पर आया। प्रसूति के अंदर तीसरे स्थान पर आया है। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने निशुल्क दवा योजना पूर्व कार्यकाल में चालू की थी। यही माननीय सदस्य उस समय जब यह सत्ता में थे, कहते थे कि दवा योजना के रूप में सरकार जहर पिला रही है लेकिन आज दवा योजना के नाम से केन्द्र सरकार ने भी हमारी राज्य सरकार को सम्मानित किया है। यह बहुत ही गर्व की बात है। निरोगी राजस्थान के नाम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो योजना चलाई है, उसके बाद में आज पूरे राजस्थान में, हर जिले में मेडिकल कालेज का मुख्य मंत्री जी का सपना साकार होने वाला है। प्रतापगढ़ जिले के लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अल्प समय में मेरे जिला चिकित्सालय को 150 बैड से डायरेक्ट 300 बैड करके, 65 बीघा जमीन आबंटित करके मेडिकल कालेज के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया है।

सभापति महोदय, आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गायों के नाम से राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यह लोग मुंह में राम और बगल में छुरी वाला काम करते हैं। इनके कार्यकाल में हिंगोनिया गौशाला की जो स्थिति थी, वह सदन के सभी सदस्य जानते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट सत्र में यह घोषणा की

(श्री रामलाल मीणा)

कि गायों की रक्षा के लिए पंचायत समिति मुख्यालय पर नन्दी गौशाला की स्थापना की जाएगी। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय को और पशुपालन मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में एक भी ऐसा हास्पिटल बाकी नहीं रहा, जहां पर कंपाउंडर की व्यवस्था नहीं है। सभी जगह, 3-4 दिन पहले लिस्ट आई थी, सारे के सारे हास्पिटल भरकर के वहां के लोगों की, वहां के किसानों का जो फायदा किया उसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, पेंशन योजना का आप सबको पता है कि जैसे ही पूर्व की वसुन्धरा सरकार आई, उसके आते ही अखबार में मेन पृष्ठ पर आया कि इतने हजार लोगों की पेंशन बंद कर दी जाती है। इनको मृत घोषित कर दिया जाता है जबकि सिर्फ सत्यापन की वजह से उनकी पेंशन काटी थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गरीबों के ऊपर ध्यान देते हुए वह किस प्रकार से जीवनयापन कर रहे हैं उसको देखते हुए 500 रुपये से पेंशन बढ़ाकर 750 और 750 से बढ़ाकर के एक हजार रुपये किया है। यह बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है।

सभापति महोदय, उसके बाद पंचायत पुनर्गठन की बात को ले लेते हैं। पंचायत पुनर्गठन में 2013 में 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायतों का गठन हुआ। उसमें हमारे एक भी पंचायत नहीं बन पाई। ऐसा उन्होंने राजनीतिक द्वेषता के कारण किया। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय पंचायती राज मंत्री जी को मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में वापस पंचायत पुनर्गठन करना पड़ेगा। उसके बाद जब इस बार पंचायत पुनर्गठन हुआ तो प्रतापगढ़ जिले में 70 पंचायतों का गठन करके तीन पंचायत समितियों का पुनर्गठन कराया। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी को, माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आदिवासी क्षेत्र के उन गरीब तबकों के लोगों का ध्यान रखा जिनके एक-एक किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूरी पर मकान थे, बिखरी हुई आबादी थी, उनका ध्यान रखते हुए आपने 3-3 पंचायत समितियों और 70 पंचायतों का गठन कराया।

पूर्व सरकार में अपराधी कितने बेखौफ थे कि न तो एफ आई आर दर्ज होती थी और न कोई काम होते थे। अपराध इतने बढ़ गए थे। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही थीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके ऊपर ध्यान

(श्री रामलाल मीणा)

देते हुए हर थाने में स्वागत कक्ष खोले। अगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं भी होती है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। उससे अपराधों की घटनाएं कम हुई हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पैसा लिया जाता है।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति जी ने अभी आपसे कहा था और फिर आप यही बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की पुलिस और राजस्थान का प्रशासन काम कर रहा है, उससे आपको यह लग रहा होगा कि यही लोग हमारे समय पर काम क्यों नहीं करते थे? मेरे यहां से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए थे। आज वही कर्मचारी हैं 40-50 परसेंट, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे टाइम पर दौड़-दौड़ के काम नहीं करते थे, आज दौड़-दौड़ के काम क्यों करते हो? यह आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं आज तो प्रशासन भी काम कर रहा है और सरकार भी काम कर रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। उनका सम्मान करता हूं। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। राज्यपाल जी के द्वारा जो अभिभाषण में असत्य बुलाया गया है, पूरे राजस्थान की जनता उसको जान रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, गांधीवादी सरकार, किसानों की मसीहा सरकार अपने आपको कहलाती है। किसानों के हित की अगर बात करते हैं तो आज किसान सबसे ज्यादा दु:खी हैं। खेती की उपज कम हो गई है। जो खेती है उसके अंदर वन क्षेत्र के रूप में विलायती बबूल फैल चुका है। वह इस कांग्रेस की देन है। वह आज ऐसा पनप चुका है कि खेती बर्बाद हो चुकी है। वन भूमि बर्बाद हो चुकी है। चरागाह भूमि पर पूरा जंगल छा गया है। आप अगर रोड पर निकलेंगे तो पक्की सड़कों के ऊपर भी दोनों तरफ अंग्रेजी बबूल फैला हुआ है। उस खेती के अंदर, जहां पर भी अंग्रेजी बबूल लगे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, उन जगह पर आप जा करके देखें, वहां कोई घास भी पैदा नहीं होती है, फसल तो बहुत दूर की बात

(श्री शंकर सिंह रावत)

है। इससे काश्तकारों की खेती बर्बाद हो रही है। इस अभिभाषण में काश्तकारों के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है जिससे कि उनको फायदा हो। आप उनकी रक्षा करते। अंग्रेजी बबूल रहित राजस्थान हो, इस रूप में आप योजना बनाएं। नरेगा के अंदर इसको जोड़कर के और ग्राम पंचायतों को पाबंद करके इसका सफाया कराया जाए, तब जाकर के इस स्टेट के रोड भी बचेंगे, खेती भी बचेगी और किसानों का भी भला होगा। विलायती बबूल की छाया में भी कोई आदमी बैठ जाता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान ही नहीं है। इसकी छाया में भी अगर कोई आदमी बैठेगा तो उसको नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। पहले कई प्रकार की बीमारियों के बारे में हम पेपर में पढ़ा करते थे। आज आप खान-पान में 'शुद्ध के लिए युद्ध' चला रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने नशे के ऊपर पाबंदी करने के लिए गुटखे के ऊपर पाबंदी लगाई। वह चालू कैसे हो गया? वह वापस कैसे बाजार में बिक रहा है? आपको शुद्ध के लिए युद्ध चलाना चाहिए। आज आपके तेल में मिलावट है, आपके खाने में मिलावट है, उसमें सुधार करना चाहिए। उससे बीमारियां फैल रही हैं। गरीब परेशान है। आप भामाशाह कार्ड बंद कर रहे हैं। भामाशाह कार्ड बंद करने की वजह से वह गरीब अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। आप खाली वाहवाही लूट रहे हैं। आपको जो केन्द्र की स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उनको लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना को लागू करना चाहिए। यहां भामाशाह कार्ड हमारी सरकार ने चलाया था, उसको आपने बंद कर दिया।

आज हमारे यहां आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय विराजमान हैं। जैसे ही इनको स्वास्थ्य विभाग मिला, हम बहुत खुश हुए थे। हमें लगा कि अजमेर जिले के लोगों की तो चांदी हो गई लेकिन यह तो सिर्फ केकड़ी के बनकर रह गए। हमें बहुत अफसोस है स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप राजस्थान के हैं, हमें बड़ा गर्व है लेकिन आपने ब्यावर के साथ में न्याय नहीं किया। मेडिकल कालेज के लिए हमारा केन्द्र सरकार से जो बजट आ रहा है, उसमें आप ब्यावर में आज भी जाकर चैक करें, आप कभी ब्यावर जाते ही नहीं, आपका पूरा कार्यकाल निकल गया, कभी आपने जाकर ब्यावर झांकने का काम नहीं किया कि कितने वहां पर डाक्टर हैं, अस्पताल सारे खाली पड़े हैं, चार जिलों के मरीज आते हैं वहां पर। (व्यवधान) आप हंस रहे हैं लेकिन चार जिलों के

(श्री शंकर सिंह रावत)

मरीज आते हैं वहां पर, कभी भी आप जाकर देखें, वहां पर आपको मिलेंगे। आपको पाली जिले के मरीज मिलेंगे, रायपुर पंचायत समिति के, जैतारण के, आसींद, बदनौर के मिलेंगे, भीलवाड़ा जिले के, भीम के मिलेंगे, राजसमन्द जिले के मिलेंगे और अजमेर जिले के मिलेंगे। इसलिए आपको हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए, आप प्रस्ताव बनाकर ब्यावर में मेडिकल कालेज का भी भिजवा देते, बजट नहीं मिलता केन्द्र से तो हम देखते, हमारी आत्मा में भी तसल्ली होती कि आपने प्रस्ताव तो भेजा। लेकिन आपने हमारे साथ में ... (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब बना देते हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अब बनाकर क्या भेजेंगे, आप घोषणा करते अगर ऐसा कोई है तो। जिस प्रकार आप किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं, आज गो माता, वह तड़प रही है, आपकी तरफ टुकुर-टुकुर कर देख रही है। यह सरकार चलाने वाले हमारे मसीहा बन रहे हैं, गायों के मसीहा बनने के लिए, गायों के हितैषी बन रहे हैं। उनके लिए आपको इस अभिभाषण के अंदर गायों की रक्षा के लिए कम से कम विधायक कोष का बजट भी चारे के रूप में देने के लिए अलाउ करना चाहिए, हम गो माता की तृष्णा देख नहीं सकते। आप विकास के नाम पर कई भवन बनाते हैं, कोई जगह देते हैं, उस जगह पर आप लाखों करोड़ों रुपये बेकार खर्च कर रहे हैं। उसके अंदर कई जगह पर मैंने ऐसे देखे हैं, आपके केकड़ी क्षेत्र का मैं बता दूं, ऐसे भवन मैंने देखे हैं जहां पर जानवर भी बैठना पसन्द नहीं करता है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ब्यावर जिला कब बनेगा?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): जिले के लिए आपने घोषणा पत्र में तो लिख दिया है कि हमारी सरकार निश्चित तौर पर बजट घोषणा में मेडिकल कालेज भी बनाएंगे, जिले भी बनाएंगे लेकिन एक भी जिला आपने बनाया नहीं है। जब-जब भी जिले बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर ही जिले बने हैं, चाहे एक जिला बना हो, चाहे भैरोंसिंहजी के टाइम में बना हो, चाहे हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के टाइम में बना हो। जब भी जिले बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज के बने हैं। कुछ एकाध नाम तो बता दो। यह देख लो अभी पचपदरा से

(श्री शंकर सिंह रावत)

आने वाले माननीय सदस्य भी हंस रहे हैं कि हमारा जिला बनने का नम्बर है। मैंने सुबह भी उनको कहा था, मैंने कहा कि अगर जिले का नम्बर आएगा तो निश्चित तौर पर सरकार की जो परमेश चन्द्र कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के अंदर भी रिपोर्ट के आधार पर ही जिला बनेगा और उसके अंदर एक नम्बर पर ब्यावर का नाम है। उस कमेटी की रिपोर्ट को आपने कम से कम लागू कर दिया होता। आपने घोषणा पत्र में तो लिख दिया, जनता को खुश करने के लिए लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं की है, यह एक दु:खद बात है।

जिस प्रकार साइबर क्राइम हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग होकर एक-एक आदमी के पास दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सिम, फर्जीवाड़े से लेकर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसका दुरुपयोग होकर हजारों घटनाएं घट रही हैं। सरकार चाहे तो एक व्यक्ति को एक सिम जारी करे। इसके अलावा कहीं पर भी उसको दूसरी सिम नहीं मिले पूरे राजस्थान में या पूरे देश में, इस प्रकार का एक कानून बनना चाहिए। निश्चित तौर पर अपराध बढ़ रहे हैं, उनके कारण में जाते हुए कभी उनको बंद करने का काम नहीं किया। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर मोटर साइकल चलाते हैं, चाहे वो गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं, उसके ऊपर पाबन्दी लगनी चाहिए।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आप मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: पूरा ध्यान दे रहा हूं, पूरे जिले आपने बना लिए, पेयजल और पता नहीं क्या-क्या, सब कुछ तो कह दिया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, ऐसा मत करो। पांच मिनट, पांच मिनट।

श्री सभापति: आपका समय पूरा हो गया।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, पांच मिनट, बस दो बात कहूंगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार ने जो घोषणा करने का

(श्री शंकर सिंह रावत)

कार्य किया है उसमें आप लोगों ने किया, किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी, राजस्थान में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3500 रुपये प्रति महीने देने के लिए, अब सुबह माननीय सदस्य, नवलगढ़ से आने वाले बोल रहे थे डाक्टर साहब, राजस्थान में बेरोजगार भाजपा को ढूंढ़ेंगे, मोदीजी को ढूंढेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी भी उनको ढूंढ़ रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ, अभी वह सारे नौजवान इंतजार ही कर रहे हैं। जब आप जाओगे विधान सभा में वोट मांगने, उस दिन तैयार खड़े आपको मिलेंगे। पहले हर महीने 3500 रुपये का हिसाब लाओ, बाद में वोट लेना।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आप विराजिए। माननीय सदस्य श्री हरीश चन्द्र मीनाजी। (व्यवधान) मैंने अगले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे बोलने दीजिए। आप तो मुझे बोलने ही नहीं देते हो। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ मैं इस अभिभाषण का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं इस अभिभाषण के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के आगामी वर्षों में आने वाले एक कल्याणकारी युग की शुरुआत की है, उसके लिए एक नक्शा तैयार किया है। मैं आशा करता हूं कि उसका लाभ हमारी जनता को मिलेगा। नि:संदेह माननीय मुख्य मंत्रीजी को श्रेय इसका जाता है, उनकी भावना को श्रेय जाता है। वह राजस्थान का कल्याण चाहते हैं, गरीब के प्रति संवेदनशील हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं। इसमें शुरू किया गया है, निरोगी राजस्थान, नारा अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छा है। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, जिन अस्पतालों में नर्स नहीं हैं, जिन अस्पतालों में कमरे नहीं, इसके अभाव में निरोगी राजस्थान कैसे बनेगा, कृपया इस पर भी ध्यान दें।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सब चीज के लिए व्यवस्था हो, समय सीमा हो तो आपका नारा पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। इन चीजों पर ध्यान दें क्योंकि इनकी कांस्टीट्यूएंसी से लगते ही मेरी कांस्टीट्यूएंसी है, केकड़ी और देवली लगते हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि जो समुदाय केकड़ी में रहते हैं उनको साधन बिलकुल देना चाहिए क्योंकि केकड़ी बड़ा कस्बा है, निर्वाचन क्षेत्र है, पर हमारे ऊपर भी ध्यान रखें, हम भी आपके पड़ौसी हैं। हमारे मरीजों को इधर-उधर नहीं भागना पड़े, उनकी व्यवस्था करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। (व्यवधान) आरोप नहीं है, आग्रह है। नहीं, नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है।

इसी तरह से मेरा कृषि मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि इस अभिभाषण में लिखा हुआ है कि कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की धुरी है। बिलकुल, नि:संदेह, राजस्थान की बहुत बड़ी जनता का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, उनका जनजीवन कृषि पर आधारित है। मेरे यहां तीन कृषि उपज मण्डियां हैं, उनियारा, दूनी, देवली। तीन ही हैं और तीनों में सचिव के पद रिक्त हैं। हमारे किसानों को हमारी नीतियों का लाभ अविलम्ब मिले इसके लिए कम से कम उनमें से एक तो लगा दें ताकि किसानों का पूरा विकास हो सके, जिसको भी लगाना हो लगाएं, आपकी इच्छा है पर मेरा आग्रह है अन्यथा हमारी सरकार की कल्याणकारी नीतियां हैं उनका जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकार ने शिक्षा के प्रति बहुत बड़ी एक चिंता जताई है और एक रोड मैप तैयार किया है। शिक्षा में भी खास तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या अल्पसंख्यकों की है और वहां एक बड़ा कस्बा है अलीगढ़। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ में एक महिला कालेज की स्थापना की घोषणा करें क्योंकि हमारे यहां के इतने गरीब लोग हैं कि बाहर शिक्षा के लिए जा नहीं सकते, महिला बिलकुल ही नहीं जा सकती, इसलिए अलीगढ़ में एक महिला कालेज की मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से लम्बे समय से मदरसा पैरा टीचर्स, ये भी शिक्षा देते हैं, इनका भी नियमितीकरण या ऐसा ही कुछ और हो जाए, समाधान हो जाएगा इनकी समस्या का, क्योंकि ये बहुत लम्बे समय से लम्बित है, इनके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय का, उन्होंने राज्य में एक नई योजना शुरू की है कि कोई भी आदमी नि:संकोच मुकदमा दर्ज करवा सकता है, कहीं भी दर्ज करवा सकता है, अच्छी सोच है, मैं इसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं पर इसको लागू भी करना पड़ेगा।

अभी हाल ही में मैंने अख़बार में पढ़ा था परसादी लालजी वाला किस्सा, जो और सदस्य भी बता रहे थे। यह बड़ी चिंता का विषय है, यह राजधानी में हुआ है। जयपुर शहर में हुआ। यह आप और हम सबके लिये बड़ी चिंता का विषय है। अगर शहर में यह स्थिति है, कैबिनेट मिनिस्टर की यह स्थिति है तो आम आदमी की क्या पीड़ा होगी, इस पर भी कभी हमें सोचना चाहिए। मैं मेरी बात कहूं तो सर मुझे भी एक मुकदमा दर्ज कराने के लिये आंदोलन करना पड़ा था। थानागाजी में इतना बड़ा एक केस हुआ था। यह हम सबके लिये राजनीति नहीं चिंता का विषय है।

सर, मैं यह आग्रह करता हूं कि नगर फोर्ट में जो एक आंदोलन हुआ था, मुझे धरने पर बैठना पड़ा। मुकदमा तो दर्ज हो गया, पर 8 महीने हो गये, आज तक उस मुकदमे का चालान नहीं हुआ। मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि समय पर उसका चालान हो अन्यथा मैं यह भी मांग करूंगा इस मुकदमे के सम्बन्ध में, चूंकि यह मुकदमा पुलिस के खिलाफ है, जांच राजस्थान पुलिस कर रही है, क्यों न इस केस को सीबीआई में भेजा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यह मेरा आग्रह है।

सर, अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार, सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि बढ़ रहा है। यह गांधीवादी सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है। इसमें गरीबों पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और उसमें महिलाओं के विरुद्ध भी जो अत्याचार हुए हैं, उनमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर भी ध्यान दें।

सर, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले एक फैसला दिया है एससी-एसटी के रिजर्वेशन के बारे में। इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जैसे गत 24-25 तारीख को हमने एक विशेष सत्र बुलाकर सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था कि सीएए जनता के हित में नहीं है, एक

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

दमनकारी कानून है। इसी तरह मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एक विशेष सत्र बुलाकर या इसी बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करें कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं और यह प्रस्ताव पास करें कि या तो सरकार संवैधानिक संशोधन लाए या इसका कुछ समाधान करे या इसकी अपील करे। हम केन्द्र सरकार से आग्रह करते हैं। हमें इसे मुद्दा बनाना चाहिए। यह जनता का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, उनके हक का मुद्दा है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा।

सर, एक बात पानी की है। मैं सरकार की योजना का स्वागत करता हूं कि हर गांव में, हर ढाणी में पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है। यह बड़ा अच्छा कदम है। राजस्थान में पीने का पानी एक गम्भीर समस्या है। पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जल स्रोत बीसलपुर बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। किशनगढ़ के सेठों को वहां का पानी मिल जाता है, ब्यावर के सेठों को मिल जाता है, जयपुर के पूंजीपतियों को मिल जाता है, पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, जिनका उस पानी पर पहला हक है, उन्हें आज तक पीने का पानी नहीं मिला। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्राथमिकता के तौर पर पहला हक वहां के लोगों का है तो हर घर में, हर ढाणी में पेयजल की व्यवस्था कराएं और एक समय-सीमा में कराएं ताकि हम लोगों से कह सकें कि हां, आपकी बात की भी सुनवाई हुई।

शिक्षा की भी एक बात आयी कि प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने की मंशा के साथ चार नवीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गये हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह अच्छा कदम है, पर आदिवासी पूरे राजस्थान में रहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी रहते हैं। वहां बड़ी आबादी है। कोटा में भी रहते हैं। दौसा में भी रहते हैं। वहां एक भी आवासीय विद्यालय नहीं खोला गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवली-उनियारा में भी एक आवासीय विद्यालय खोला जाए ताकि हमारे बच्चों के साथ भी न्याय हो।

अर्धघुमंतू और घुमंतू जातियों के लिये आवास की योजना है। पूरे राजस्थान में गाड़िया लोहारों को आज तक हम बसा नहीं पाए। यह लम्बी पीड़ा है हमारी। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, एक समय-सीमा में इनके लिये कैम्प लगाकर इन्हें कहीं भी आवासीय पट्टे दे। इन्हें हम एक नागरिक जीवन

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

जीने का मौका दें, क्योंकि पट्टों के अभाव में इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। न राशन की और न प्रधान मंत्री आवास की, इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैं गाड़िया लोहारों के हितों के प्रति अपनी चिंता जाहिर करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई कैम्प लगाकर इनकी समस्या का निराकरण करे।

सर, एक रेवेन्यू का है। मेरे दो उप-तहसील हैं। एक नासरदा में है, एक सोप में। पिछले दो साल से वे पद रिक्त हैं। वहां पर किसी को भी लगाएं। मैं आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि किसी को तो वहां लगा दें। इसमें हमारे किसानों का अहित हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वे कहीं से भी किसी को लगा दें। रेवेन्यू मिनिस्टर चाहें तो बाड़मेर से लगा दें। पूरे राजस्थान में कहीं से भी लगा दें, पर किसी को लगाएं तो सही।

अंत में सर, मैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा, रोडवेज धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। बहुत क्षेत्रों में जो पहले रोडवेज बस सेवा गांव वालों को उपलब्ध थी, वह बंद हो गयी है। उसके अभाव में लोगों का आना-जाना दूभर हो गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो ट्रेन भी नहीं है। पूरे टोंक जिले में शायद ट्रेन नहीं है। एकाध जगह निवाई वगैरह में आती है, बाकी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तो एक किलोमीटर तक की भी ट्रेन नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, खासतौर से जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, उप-तहसील हैं, जैसे बनेठा है, नासरदा है, यहां कम से कम रोडवेज बस सेवा से तो जोड़ दें। लोगों के पास आने-जाने का कोई साधन नहीं है। मेरा सरकार से यही आग्रह है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जो उन्होंने दिशा-निर्देश दिये हैं, जो सरकार ने रोडमैप बनाया है, इससे राजस्थान प्रदेश को लाभ होगा, गरीबों को उनका हक मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा, उनका विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, देवली-उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अंतरात्मा की बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आईना दिखाने का काम इन्होंने किया है, इसलिये इन्हें बहुत-बहुत बधाई।

श्री सभापति: आपकी सलाह बहुत शानदार है। श्री जोराराम जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ऐसे तीस लोग चाहिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान में पिछले एक वर्ष से ज्यादा से कांग्रेस की सरकार है और सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही है चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या आमजन हो, सारे लोग इस सरकार की कार्यशैली से खफा हैं और लोग निराश भी हैं। खूब आशाएं थीं, लेकिन सारी आशाएं निराशा में बदल रही हैं। किसानों की कर्जमाफी को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण में बिन्दु संख्या 25 पर उल्लेख है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में सम्पूर्ण कर्ज माफ करने और फिर बाद में जैसे दो लाख का कर्ज माफ करने की बात सरकार ने कही थी, लेकिन उसमें एक राइडर डाल दिया कि 31 अक्टूबर, 2018 से पहले जो डिफाल्टर किसान हैं, उनका ही कर्ज माफ किया जाएगा। निश्चित रूप से वह कर्ज माफ हुआ नहीं और राजस्थान भर के सारे किसान निराश हैं और जहां भी हम जाते हैं तो निश्चित रूप से वे पहले कर्जमाफी वाली बात करते हैं कि अभी तक कर्ज माफ हुआ नहीं। डेढ़ लाख रुपये का जो फसली ऋण किसानों को पहले मिलता था, वह भी किसानों को इस बार नहीं मिला। कई किसानों का बीमा भी नहीं हुआ। बीमा नहीं मिलने से जब फसल नष्ट हुई तो उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। किसान सब तरह से निराश है।

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में अतिवृष्टि से किसानों की जो फसलों का नुकसान हुआ था, उस सम्बन्ध में इस राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में किसानों ने फसलों का जो बीमा करवाया था, उनमें आधी से ज्यादा बीमा कम्पनियों ने किसानों को अभी तक पेमेंट नहीं किया है। उसका भी उल्लेख राज्यपाल के इस अभिभाषण में नहीं है। पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में अभी एक टिड्डी दल आया था और उस टिड्डी दल ने किसानों की सारे फसलें चौपट कर दीं, पूरी नष्ट कर दीं। सरकार ने 47 करोड़ 80 लाख रुपये का बजट किसानों को मुआवजे के रूप में, अनुदान के रूप में आबंटित किया है लेकिन पूरे राजस्थान के इन जिलों में करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और सरकार ने जितना बजट आबंटित किया है वह

(श्री जोराराम कुमावत)

ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और किसान बेहद निराश हैं। शेष किसानों के नुकसान की सरकार कैसे भरपाई करेगी, वह इस राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। टिड्डी दल के आने पर सरकार की तरफ से प्रशासन लगा था, निश्चित रूप से निहत्थे रूप से प्रशासन ने वहां जाकर मदद की। वहां पर किसान लोग अपने ही साधन लेकर टिड्डी दल को भगाने का काम कर रहे थे। कोई ढोल बजाकर, कोई धुआं करके, कोई ट्रैक्टर का साइलेंसर बजाकर, किसानों ने आत्मनिर्भर होकर यह काम किया लेकिन सरकार की तरफ से पूर्ण मदद नहीं मिली। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि टिड्डी दल को रोकने के लिए ड्रोन जैसे साधन होने चाहिए। हर जिला स्तर पर ड्रोन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कभी भी टिड्डी दल या आपदा आ जाए तो हाथों -हाथ उसकी व्यवस्था हो जाए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पाली जिले के लिए पेयजल और किसानों के कृषि कार्य के लिए पानी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। पाली जिले में सबसे महत्वपूर्ण योजना जवाई बांध पुनर्भरण योजना है। उस योजना की चार-पांच साल पहले से डीपीआर बनी हुई है और उस योजना की क्रियान्विति होना बाकी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उस योजना के सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं है। पूरे पाली जिले में गर्मियों में पानी की बहुत त्रासदी रहती है तथा इस बार तो पाली में ट्रेनों से पानी मंगाने की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि पाली और जालौर जिले के करीब 57 गांव हैं जिनमें किसानों को जवाई बांध से कृषि के लिए पानी दिया जाता है और 811 गांव पाली जिले के ऐसे हैं जिनको पेयजल के लिए पानी दिया जाता है। इस जवाई बांध से पानी ले जाने की योजना तो खूब बनी है लेकिन पानी लाने की योजना किसी ने नहीं बनाई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई बांध पुनर्भरण की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना को लागू किया जाए जिससे पेयजल और किसानों को कृषि, दोनों को फायदा मिल सके।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आवारा पशुओं के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 85 में लिखा है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि हर पंचायत समिति स्तर पर एक नन्दी शाला खोली जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान भर में खूब पशु हैं और आजकल गायों और नंदियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वे दर-दर भटकते फिर रहे हैं।

(श्री जोराराम कुमावत)

अपने शास्त्रों में भी कहा गया है कि गाय हमारी माता है, इसमें 33 करोड़ देवी-देवता बसते हैं। इसके अलावा निश्चित रूप से गाय की सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं चाहे वह दूध हो, घी हो, चमड़ी हो, खाद हो, सारी चीजें मनुष्य के काम आती हैं लेकिन गाय को हम लोगों ने बेसहारा छोड़ रखा है। मेरा आपके मार्फत सरकार से निवेदन है कि वह हर पंचायत स्तर पर यदि गौशाला खोलने का उल्लेख करती, खोलने की मन्शा रखती तो निश्चित रूप से पशुधन की चिन्ता करने की बात आती।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिन्दु संख्या 47 पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगी, ग्राम साथिनों के मानदेय में वृद्धि करने की बात लिखी है। निश्चित रूप से यह अच्छी बात है लेकिन विद्यालयों में खाना पकाने वाली कुक-कम-हैल्पर महिलाओं के मानदेय में वृद्धि करने की बात का इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है जबकि वो सबसे कमजोर वर्ग की महिला होती है। अगर इसका उल्लेख भी होता तो निश्चित रूप से उनको भी फायदा मिलता।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज। समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दो मिनट सरकार। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नगरीय निकायों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सभी नगरीय निकायों के वार्डों की संख्या पुनर्निर्धारण कर उनकी संख्या बढ़ाई गई है। वार्डों की संख्या जरूर बढ़ाई है लेकिन वार्डों में असमानता बढ़ा दी गई है। किसी वार्ड में वोटर्स की संख्या 218 है, किसी में 500 है तो किसी में 1200 है। इस असमानता से वार्डों के विकास में मुश्किलें आएंगी इसलिए यह समान रूप से होता तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को मिलता।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री नारायण जी बेनीवाल।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, समय आपका समाप्त हो गया। श्री नारायण जी बेनीवाल।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, 15वीं विधान सभा के चौथे सत्र में आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय देने हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, संसदीय लोकतांत्रिक परम्परा की पालना में माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखते हुए सत्ता पक्ष के द्वारा तैयार किये गये और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा बोले गये अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं उपस्थित हूं।

सभापति महोदय, अत्यन्त खेद और दु:ख का विषय है कि इस सत्र के पहले दो दिनों में गणतंत्र दिवस से पहले हमने राजस्थान विधान सभा में गणतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए देखीं। दुर्भाग्यवश उन दो दिनों में हमने सत्ता पक्ष को अपने बहुमत के दम पर संसदीय परम्पराओं का गला घोंटते हुए भी देखा, लोक सभा और राज्य सभा, संसद के दोनों सदनों से यथा पारित 126वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर हमने चर्चा तब की जब यह कानून बन चुका था। इसी तरह सरकार ने सभी मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा संवैधानिक प्रक्रियापूर्वक लोक सभा एवं राज्य सभा में पारित करवाकर नागरिकता संशोधन अधिनियम को नागरिकता संशोधन कानून बना दिये जाने के बाद में संघ सूची के उस विषय पर जिस पर राज्य को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, राजनीतिक विरोध करने के लिए इस सदन का दुरुपयोग किया और एक ऐसा तथाकथित संकल्प पत्र लेकर आये जिसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसान वर्ग केन्द्र बिन्दु होना चाहिए था। टिड्डी, कर्ज माफी और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को लेकर विशेष सत्र का आयोजन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ और सीएए जैसे बिल पर यहां विशेष सत्र बुलाया गया, इसकी भी मैं घोर निन्दा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी मेरे समस्त साथी सदस्यों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष से कई सारे सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं। आवारा पशुओं को लेकर, जो सबसे पहले मेले भरते थे जिसमें नागौर में भी एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला भरता था, उसमें दो साल से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर सरकार ने रोक लगाई है उसके बाद उसी दिन से गाय की कद्र कम होना शुरू हो गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि दो साल से कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर जो रोक

(श्री नारायण बेनीवाल)

लगी है उसको लेकर एक संकल्प पत्र इस राजस्थान की विधान सभा में आना चाहिए जिससे न केवल नागौर का जो सुप्रसिद्ध बैल है उसकी प्रजाति को तो हम बचाएं ही बचाएं, इसके अलावा आवारा गौवंश से हमें मुक्ति दिलाने का सबसे अहम प्रयास हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई संकल्प पत्र सरकार जरूर लाये। इसके अलावा जो पशु मेले हैं वे भी मूल स्वरूप में लौटें।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग भी करूंगा कि प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर कृषि मण्डी खुले। खींवसर, जहां से मैं विधायक चुनकर आया हूं वहां भी कृषि मण्डी खुले क्योंकि वह बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र है। वहां किसानों को 60-70 किलोमीटर दूर मण्डी में अपनी उपज बेचने जाना पड़ता है। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर यहां अवश्य चर्चा होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब समय सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं की तारीफ और दूसरों की निन्दा करने का नहीं है। अब आवश्यकता है और विधायिका की नैतिक रूप से सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश आजाद होने के 70 साल बाद क्या-क्या कमियां रहीं, उन कमियों से जो समाज के अन्तिम छोर पर बैठा व्यक्ति है वह आज भी उन चीजों से महरूम है। उसका क्या इलाज हो, कैसे उसका जीवन स्तर सुधरे, इन सब चीजों पर गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूं। सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लम्बी-चौड़ी लिखी गई है लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मैं मेरे जिले नागौर की बात करूं तो रश्मि गौड़ हत्याकाण्ड, एक बिजली विभाग की महिला कैशियर की हत्या हो जाती है, और तो और पुलिस के एसएचओ को जीप से कुचलकर मार दिया जाता है और उस हत्याकाण्ड का आज तक खुलासा नहीं होना, कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिह्न लगाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी शिक्षा के नाम पर, शिक्षा मंत्रीजी से भी आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आरटीई का जो हश्र हुआ आज, पिछले पांच साल के अंदर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 25 हजार स्कूलें जो हैं, वे एकीकरण और इनके नाम पर बंद कर दी गई है। सरकार को करोड़ों अरबों रुपये का जो चूना लगा, उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करने का बहुत बड़ा समय, इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गये, उसके बाद सबसे महती आवश्यकता इस चीज की है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि प्रदेश में सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है, वह कहीं न कहीं खनिज से आ सकता है लेकिन खनन नीति का अभाव है। नये पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण एनओसी के नाम से, पर्यावरण स्वीकृति के नाम से कोई नई लीज कहीं नहीं हो रही है तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा कहां से, तो ऐसी कोई ठोस कार्य योजना खनन नीति पर बने। चाहे वह बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, उन पर अंकुश लगे और वह पैसा सरकार को कैसे आये, इन सब चीजों पर गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, गिरते भूजल स्तर पर कोई ठोस कार्य योजना इस माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं नजर नहीं आई। कहीं न कहीं भूजल का अति दोहन जो है, इससे भूजल स्तर गिरता जा रहा है। इस चीज पर भी ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता समझता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें, कृपया।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, आवासन मण्डल, नागौर में भी एसीबी जांच के जो पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री थे, उन्होंने वहां निर्देश दिये, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही उसके ऊपर हुई नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आनलाइन एफआईआर की जो बात हुई अभी अधिकांश मेरे साथी सदस्यों ने सारी बातें बताईं। एमएलए, एमपी और ईवन मंत्री तक एफआईआर दर्ज करवाने हेतु दर-दर इनको भटकना पड़ा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री समारामजी गरासिया। आप विराजें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, दो मिनट।

श्री सभापति: हो गया, समाप्त करें। श्री समारामजी गरासिया। आप विराजें। अंकित नहीं होगा। विराजें आप।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: श्री समारामजी। आप विराजें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, मुझे

(श्री समाराम गरासिया)

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं महामहिम राज्यपाल का सरकार द्वारा बनाया हुआ जो अभिभाषण...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): एक मिनट, प्लीज। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

आप विराजें, आपके सदस्य ने प्रारम्भ कर दिया। आप विराजें। प्लीज, आप बैठ जाइये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, सदन का बढ़ाया तो हमें भी थोड़ा समय और दे दें।

श्री सभापति: आप विराजें, अभी कार्यवाही बहुत बाकी है। श्री समारामजी गरासिया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभी वक्ताओं ने कहा कि वास्तव में राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने पक्ष रखा और स्कूलों की अगर अपन हालत देखें, स्कूलों के अन्दर, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर अध्यापक नहीं हैं। जब हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने, उस समय सब अधिकारी थे और स्कूलों में विभिन्न प्रकार के जो अनुदान थे, वे बंद हैं। दूध का पेमेंट अभी तक नहीं आ रहा है। यह क्या व्यवस्था है? अब धन्यवाद देते हैं कि अभिभाषण का, स्कूलों के अंदर सब प्रकार की व्यवस्था बंद, नाबार्ड के अंतर्गत जो कमरे बनते हैं, उसका भी बजट अभी तक नहीं आया है। अस्पतालों के हालात, डाक्टर नहीं हैं। हमारे जो आठ-आठ डाक्टर होते थे, वहां दो डाक्टर, इस प्रकार की जो व्यवस्था है। पशु चिकित्सालय के

(श्री समाराम गरासिया)

अंदर डाक्टर नहीं, सारे हमारे मवेशी रखने वाले लोग इधर-उधर भटक रहे हैं और इस प्रकार जो व्यवस्था है उसको सुधारने की आवश्यकता है। जब हम भी सत्ता पक्ष में थे, उस समय भी आप ना पक्ष में थे, चिल्ला-चिल्लाकर कहते और मंत्रियों के पास कोई जवाब भी नहीं है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं। ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था कि ऊंटों की घटती हुई संख्या को और प्रत्येक ऊंट की मृत्यु होने पर पचास हजार रुपये दिये जा रहे थे। वो भी इस सरकार ने आते ही बंद किये और बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं। पोस्टरों के ऊपर 'वर्ष एक और काम अनेक' तो कम से कम बोर्ड में तो यह लिखना चाहिए कि वर्ष एक और सारी जो योजना है, वे बंद। ये सारी योजना पूर्ववर्ती सरकार ने की थी, वे सारी की सारी बंद की है। भामाशाह कार्ड को देखो, गरीब जनता है, वह मर रही है। प्राइवेट हास्पिटलों के अंदर, सामान्य डिलीवरी के अंदर जाता है, 15-16 हजार लूटमार मचा रखी है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत स्कीम है, वह राजस्थान में ही लागू नहीं की है, बाकी हर प्रदेशों के अंदर चालू की गई है। ये कह रहे हैं कि एक तारीख से शुरू करेंगे, अभी तक शून्य के बराबर में है। इस प्रकार से महामारी के हिसाब से गरीब लोग लूटे जा रहे हैं तो सरकार आंखों से अंधी, कानों से बहरी और मुख से भी गूंगी है। इस प्रकार की सरकार और कानून व्यवस्था तो जीरो पर है। माननीय सदस्य शिवगंज सिरोही से आने वालों ने कहा था कि पंकज की हत्या, चार दिन के बाद में उसकी शादी थी, लेकिन सरकार जवाब देने तक के लिए असमर्थ है। सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है कि वास्तव में इस प्रकार की घटना, जब सिरोही से रवाना हुआ, 7 बजे वहां जनापुर सर्किल में पिंडवाड़ा उतरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा की यह घटना है। उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं, प्रशासन क्या जवाब दे सकता है। कल जो धरना था, पूरा पिंडवाड़ा बंद था, आस-पास के सारे गांव आये थे, सारे लोगों के बीच में मैं भी था। मैने कलेक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा एसपी साहब भी नहीं है, आप आकर के कुछ जवाब दें। कलेक्टर की वहां आने की हिम्मत नहीं, लोगों को मैंने माइक पर कहा कि कानून हाथ में मत लेना, क्योंकि अपनी सरकार नहीं है और इस प्रकार से केस लगेंगे, इस प्रकार मैंने समझाइश करके उनको प्रशासन के द्वारा, हमने कहा कि 7 दिन की और मोहलत देते हैं, क्या सरकार के पास कोई जवाब नहीं है तो प्रशासन क्या जवाब देगा। बढ़ती हुई चोरियों को देखो और

(श्री समाराम गरासिया)

परिवहन, परिवहन में हम भी आबू पर्वत से आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार में बैठे लोग भी कहते हैं कि बसें बंद की हैं, वोल्वो दो-दो बसें आबू पर्वत से चलती थीं वे भी बंद है। क्या घाटा है आपकी सरकार में, पूर्व सरकार चला रही थी तो पूर्व सरकार में कौन सी कमियां थी? पूर्व सरकार ने जो व्यवस्था थी, कायम बनाये रखी और मैं धन्यवाद देता हूं पूर्ववर्ती सरकार को, यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय और उसके मंत्री को। आज डीएमएफटी का जो बजट था, पहले जिला प्रमुख के पास में बजट था, जो फैक्ट्रियों का सीएसआर का जो पैसा निकलता था, डीएमएफटी का पैसा वह जिलाधीश के पास रखा गया और हमारे पूर्व स्वीकृत बजट को भी सरकार ने निरस्त कर दिया। सरकार बदलते ही 2 करोड़ 40 लाख का हमारा हजारी रोड का था और 72 लाख हमारी एक रोड का था, वह भी सारा अस्वीकृत कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब सिरोही में आये थे, लोक सभा चुनाव में...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): दो मिनट का समय ले लूं। हमारी सरकार का बिल्डिंग बायलॉज तो पूर्णतया तैयार था, लेकिन उन्होंने घोषणा की बिल्डिंग बायलाज की और उसके उपरान्त भी उसकी क्रियान्विति कोई हुई नहीं है। क्या माउण्ट आबू की जनता, क्या वह अपने आप में टूटे-फूटे मकानों में ही मरम्मत नहीं करा पाते, क्योंकि उसकी व्यवस्था को देखते हुए, ये भी आप करते तो ठीक रहता।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सीएए विरोध में कहते हैं, क्या हिन्दुस्तान ने जो कानून बनाया, कई वर्षों से जो अटका हुआ मामला, 76 साल से, 70 दिन में यह फैसला हुआ। इसका तो सबको पुरजोर समर्थन करना चाहिए लेकिन, सब लोग कहते हैं, हम इसके समर्थन में है और आपने जो राज्यपाल महोदय द्वारा जो भाषण पढ़वाया, मैं उसकी घोर निन्दा और विरोध करता हूं।

श्री सभापति: श्री अमृतलालजी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। अभिभाषण के बिन्दु प्रथम में नि:शुल्क दवा योजना का जिक्र है। भाजपा सरकार द्वारा चलाया गया भामाशाह कार्ड को आपने बंद कर दिया। भामाशाह कार्ड तो है, भामाशाह वह व्यक्ति था, जिसने महाराणा प्रताप को दु:ख की घड़ी में अपना सारा धन समर्पित कर दिया था।

(17.00 बजे)

जिससे उस आजादी की लड़ाई को लड़ा गया था और इतिहास रचा था। ऐसे भामाशाह के नाम को भी आपने कलंकित करने का प्रयास किया। इस भामाशाह योजना में लाखों लोगों को जीवनदान मिला था। यह बहुत सफल रही, इसे आपके द्वारा बंद किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह राजस्थान की विधान सभा है या कोई सब्जी मंडी का कोना है जहां मंत्री महोदय इस तरह बात कर रहे हैं। विधान सभा की गरिमा होती है। माननीय सदस्य मौलिक विचार रख रहे हैं। माननीय सदस्य आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। यह क्या है, देखिए आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गंभीर चिंतन कर रहे हैं हम। आपके बारे में गंभीर चिंतन कर रहे हैं हम।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ...(व्यवधान) नोटिस ले रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): और ये धमका और रहे हैं मेरे को, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं...(व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): हमारा आदिवासी कोई बोलता है तो उसको सुनते नहीं है। (व्यवधान) फिर ये बोलेंगे तब हम खड़े होंगे। कैसे बोलने देंगे उनको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां

(श्री अमृतलाल मीणा)

राजस्थान का इतिहास रचा है। वह महाराणा प्रताप की कर्मभूमि है। मेरा विधान सभा क्षेत्र राजधानी रहा है जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, जयसमंद झील। मैं उस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर उस महिला ने अपना सर काट कर अपने पति को लड़ाई में जाने के लिए प्रेरित किया था। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां चारों ओर अरावली पहाड़ियां हैं लेकिन मेरा निवेदन है सभापति महोदय,...

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय राठौड़ साहब, आप क्या कर रहे हैं अब? (व्यवधान)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सरकार बहुत गंभीर नहीं है, उदासीन है, विकास के प्रति ध्यान नहीं है। आज सुबह टी.ए.डी. मिनिस्टर का प्रश्न आया था। उस जनजाति क्षेत्र में काफी छात्रावास हैं। उन बालकों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, न बिस्तरों की, न तौलियों की, न साबुन की, न जूतों की और न टाइयों की। उस क्षेत्र के सारे विद्यालयों में बारिश के मौसम में पानी टपकता है।

(17.02 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

पिछले सवा-डेढ़ साल से सारी सड़कें टूट गई हैं। न मिसिंग लिंक रोड का काम हो रहा है, न ग्रामीण विकास पथ बन रहा है और न नालियां बन रही हैं और न पंचायती राज विभाग के द्वारा कार्य हो पा रहा है। मेरा निवेदन है किसानों की ऋण माफी का मामला था। आपने कहा था कि 2-2 लाख के करके सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण माफ करेंगे। अभी तक प्रमाण पत्र किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, यह इस सरकार की व्यवस्था कृषि आदान अनुदान की राशि के मामले में है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में सरकार ने शुरू में कहा था कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे लेकिन कल ही इन्होंने बहुत जोस्शोर के साथ बिजली का बिल बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सुचारु रूप से निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते के रूप में 35 सौ रुपये देने की बात थी। मेरा पूरा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है। बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, लकड़ी बेचकर के विद्यालय जाते हैं, बिना जूतों से विद्यालय जा करके पढ़ाई करते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार के

(श्री अमृतलाल मीणा)

बेरोजगार युवकों को आज तक भत्ता नहीं मिला है। क्षेत्र के सड़कों की बात है, मेरा जनजाति विभाग से विशेष करके विरोध है कि जनजाति विभाग द्वारा सड़कों, पुलिया और हर प्रकार का कार्य करने का बजट पिछले एक वर्ष में कुछ भी नहीं मिला है। हम जनजाति क्षेत्र से विधायक चुनकर आ रहे हैं। हम मुख्य मंत्री महोदय से सारे विधायक मिल चुके हैं। इस बारे में विकास के मामले में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि निरोगी राजस्थान कैसे बनेगा जब डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं है, नर्सों की भर्ती नहीं? कृषि आधारित राजस्थान कैसे बनेगा? कृषि मंत्री महोदय हमारे बीच में विराजमान हैं, वह स्वयं खेतिहर हैं। आज सबसे ज्यादा किसान पश्चिमी राजस्थान का टिड्डियों से परेशान है। सारी फसलें चौपट हो गई हैं। कोई सुनने वाला ही नहीं है, न कोई जन सुनवाई हो रही है, कैसे उनको मुआवजा मिलेगा, किस प्रकार से फसल का आधार तय करेंगे, यह कोई व्यवस्था नहीं है।

वन विभाग के बारे में मेरा निवेदन यह है कि मेरे क्षेत्र में सड़कों के लिए काफी समय से एनओसी नहीं मिल रही है। जनजातीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क की मंजूरी हुई है उसकी अगर एनओसी मिलती है तो उस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को सड़कों से आने-जाने की सुविधा मिलेगी तो उनका विकास होगा। पेयजल की जहां तक बात है अध्यक्ष महोदय, आप उसी मेवाड़ क्षेत्र से आते हैं, आप मेवाड़ की सारी भौगोलिक परिस्थितियों, स्थितियों और धरातल को जानते हैं, वहां प्रचुर मात्रा में पानी की व्यवस्था होते हुए भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई में लाखों करोड़ों रुपये स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार नहरों का घटिया निर्माण कर रहे हैं, उसकी जांच की जाए। बिजली के बारे में बात मैंने कही है। उस क्षेत्र में किसान बहुत परेशान हैं। दिन में चालू करने से बंद करने तक 8 घंटे में 100 बार बिजली ट्रिप होती है जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। भूमाफियाओं का बोलबाला इस प्रदेश में पनप रहा है। बजरी माफिया का पनप रहा है। चोरी, डकैती, हत्या और अपहरण की घटना बहुत जोरशोर से 60-65 परसेंट बढ़कर के आई है। परिवहन मंत्री जी आज विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां 59 बसें इन्होंने जनजाति उदयपुर जिले में बंद की हैं उनको सुचारु रुप से चालू कराएं। यही मेरा निवेदन है। मैं इस भाषण का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: माननीय बी.डी. कल्ला साहब।

शासकीय वक्तव्य

विद्युत की दरों में बढ़ोतरी

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति अत्यधिक दूरी से होने के कारण परिवहन लागत एवं साझेदारी व केन्द्रीय परियोजनाओं से प्राप्त बिजली की पारेषण ट्रांसमिशन चार्जेज लागत अधिक होने के कारण राजस्थान के बिजली खरीद का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में लगभग एक रुपया प्रति यूनिट अधिक है। वर्ष 2016 में उत्पादित बिजली का खरीद मूल्य 4.40 रुपये प्रति यूनिट था जो कि 14% बढ़कर अब 4.59 रुपये प्रति यूनिट हो गया है। उदय योजना के अंतर्गत गत सरकार ने अधिग्रहित ऋणों की एवज में अचानक फरवरी, 2018 में 10,949 करोड़ रुपये ब्याज का भार विद्युत निगम पर डाल दिया जो मूल योजना के अंतर्गत उल्लेखित नहीं किया गया था। उदय योजना के तहत मार्च 2019 तक विद्युत छीजत घटाकर 15% तक लानी थी। वह कम होना तो दूर रहा, उल्टे जो टी. एंड डी. लोसेज हमारी सरकार के समय वर्ष 2012 में 20% ही थे वह बढ़कर नवम्बर 2018 में गत सरकार के समय 24.72% हो गए। इसको अब हम करते हुए मार्च, 2019 में 21.87% तक ले आए हैं। इस वित्तीय वर्ष के अंत में विद्युत छीजत 18 प्रतिशत लाने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष में विद्युत छीजत 15% लाना हमारा लक्ष्य है। उत्पादित बिजली में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लगभग 8,350 करोड़ यूनिट वार्षिक खरीद पर लगभग 4,600 करोड़ रुपये की भार वृद्धि होने व गत 4 वर्षों में बिजली की दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण वितरण निगमों का घाटा वर्ष 2018-19 में 9,393 करोड़ रुपये वार्षिक हो गया था। वितरण निगमों की राजस्व आवश्यकता के लिए विनियामक आयोग द्वारा 6 फरवरी, 2020 को जारी टैरिफ आदेश में औसतन 11.21 प्रतिशत विद्युत दरों में वृद्धि की है। विनियामक आयोग ने वितरण निगमों की छीजत को 15 प्रतिशत की दर से ही गणना कर टैरिफ आदेश जारी किए हैं। इसके बाद भी 864 करोड़ रुपये का अपूरित घाटा छोड़ दिया गया है। विद्युत छीजत में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। इस वृद्धि से 20 लाख बीपीएल, 42 लाख छोटे घरेलू उपभोक्ताओं व 14 लाख किसानों सहित 76 लाख यानी कि,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अध्यक्ष महोदय, 57% उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों में कोई प्रभावी वृद्धि नहीं की गई है। वृद्धि का भार राज्य सरकार वहन करेगी। 4,817 करोड़ रुपये की कुल वार्षिक वृद्धि में से 2,469 करोड़ रुपये राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस प्रकार कुल 2348 करोड़ रुपये का भार ही उपभोक्ता वहन करेंगे जो कि मात्र 4.87 प्रतिशत ही है। वर्तमान में राज्य सरकार 13260 करोड़ रुपये टैरिफ़ अनुदान उपलब्ध करा रही थी जो कि बढ़कर अब 15676 करोड़ रुपये वार्षिक हो जाएगा।

गत वर्षों में विद्युत दरों में हुई वृद्धि का विवरण। गत सरकार के समय विद्युत दरों में हुई वृद्धि टैरिफ़ दर लागू होने की दिनांक फरवरी 2015, प्रतिशत वृद्धि 16.89 प्रतिशत। दूसरी बार सितम्बर 2016, 9.58 प्रतिशत, कुल वृद्धि 26.47 परसेंट, जबकि टैरिफ़ दर वर्तमान में फरवरी 2020 से लागू हुई है, यह मात्र 11.21 प्रतिशत है। विद्युत दरों में वृद्धि के बाद भी राजस्थान की विद्युत दरें अन्य राज्यों की तुलना में घटते हुए क्रम में है। अघरेलू में राजस्थान पांचवें स्थान पर, कृषि में 14वें स्थान पर, लघु उद्योग में छठे, मध्यम उद्योग में पांचवें व बड़े उद्योग में सातवें स्थान पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, विनियामक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक विद्युत उत्पादन इकाई के लिए विद्युत के उत्पादित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार विद्युत वितरण निगम मासिक भुगतान करते रहते हैं। ईंधन मूल्य में वृद्धि के कारण उत्पादित विद्युत के मूल्यों में भी हुई वृद्धि के बिलों का एरियर राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय परियोजनाओं एवं निजी क्षेत्र इत्यादि सभी उत्पादन कंपनियों द्वारा वितरण निगमों को भेजा जाता है। एरियर बिलों के आधार पर उत्पादित बिजली खरीद में ईंधन मूल्यों में हुई वृद्धि को तिमाही आधार पर विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित फार्मूले व निर्देशानुसार यदि अतिरिक्त प्रभार चार्जेबल होता है तो उपभोक्ताओं से बिलों के माध्यम से वसूला जाता है। अन्य राज्यों में भी फ्यूल चार्ज सरचार्ज की वसूली की जाती है। गुजरात जो कि बीजेपी शासित स्टेट है, वहां 1.90 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल चार्ज वसूला जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में भी हर तिमाही आधार पर फ्यूल चार्ज वसूला जाता था। राजस्थान में फ्यूल चार्ज पिछली तिमाही में 55 पैसे पर यूनिट था और वर्तमान में अगली तिमाही में संभावित है यह 30 पैसे प्रति यूनिट होगा। यह घटता बढ़ता रहता है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

विद्युत बिलों में स्थाई शुल्क स्थापित विद्युत तंत्र के ऑपरेशन एवं मेंटीनेंस एवं विद्युत तंत्र के डेप्रीशिएशन विस्तार के लिए ब्याज भार इत्यादि मदों के खर्चों के लिए विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थाई शुल्क निर्धारित किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा बिलों की राशि का नियत तिथि से 7 दिन पूर्व भुगतान में जो रिबेट 0.85 परसेंट दी जाती थी उसे अब 10 दिन पूर्व भुगतान करने पर 0.35 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार प्रीपेड मीटर पर प्रति यूनिट रिबेट 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे कर दिए गए हैं। समस्त गौशालाओं के लिए 5 किलोवाट की सीमा समाप्त कर समस्त भार के लिए घरेलू विद्युत दर लागू की गई है। यह नई बात है। इसी प्रकार विद्यार्थियों के समस्त होस्टल के लिए भी घरेलू श्रेणी की विद्युत दरें लागू की गई हैं। पूजा स्थलों के परिसर में स्थित धर्मशाला को भी घरेलू श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है जो पहले अघरेलू श्रेणी में थे। समस्त राजकीय विद्यालयों को कम दरों की घरेलू श्रेणी में लाया गया है जिसकी दरें पहले निश्चित भार श्रेणी में थीं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि राजस्थान की गरीब जनता पर 4 साल बाद 2348 रुपये की विद्युत वृद्धि करके भार डाला है। मेरा आपसे सवाल है कि यह जो फ्यूल चार्ज बढ़ाया है जिसको आपने कहा कि 3 माह में यह घटता बढ़ता रहता है, इसको पिछली तिमाही में आपने 55 पैसे किया, यह किसके आदेश से किया? क्या यह सही है कि आपने फिक्स चार्ज के नाम पर 55 पैसे प्रतिमाह बढ़ोतरी की है, जिसकी गणना आप विद्युत दरों में नहीं करते और क्या यह भी सही है कि अडाणी को पैसा देने के लिए आपने 5 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाकर 1 करोड 20 लाख उपभोक्ताओं के ऊपर बोझ डाला है और क्या यह भी सही है कि एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपने विद्युत बिलों में प्रति उपभोक्ता 500-600 रुपये से लेकर 8000 तक अलग-अलग उपभोग के अनुसार भार डाला है?

श्री अध्यक्ष: श्री देवनानी जी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जब पिछली सरकार ने उदय योजना के तहत 60000 करोड़ रुपये इन कंपनियों को दिए उसके बाद आखिर क्या ऐसी स्थिति आई कि आपने इतनी दरें बढ़ाईं? दूसरा, क्या शहरी उपभोक्ताओं से आपकी नाराजगी

(श्री वासुदेव देवनानी)

है, यह सारा का सारा भार शहरी उपभोक्ताओं पर पड़ा है, जो 95 पैसे आप बढ़ाने जा रहे हैं? तीसरा, जब बिजली आप सस्ती खरीद रहे हैं, इस समय बिजली आप 3 से 3:30 रुपये प्रति यूनिट खरीद रहे हो तो 7 रुपये से ज्यादा देने का आखिर क्या तुक है, इसको जरा स्पष्ट करेंगे। इससे लगभग 70 लाख शहरी उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं और इसके कारण से हर एक गरीब का बिल लगभग 1000 रुपये ज्यादा आएगा। जिस प्रकार से आप दुआएं देते हैं, छीजत कम हो नहीं रही, टाटा के आने के बाद आज अजमेर शहर की छीजत 6 प्रतिशत हो गई है। आप उन 26 प्रतिशत वालों से तो वसूल नहीं कर पा रहे हो और 5 और 6 परसेंट वालों से आप पूरा पैसा वसूल करके आखिर उन पर बोझ क्यों डाल रहे हो? आप यह स्वीकार करो कि आप छीजत कैसे कम करेंगे, यह भार जो आप जनता पर डालेंगे यह निश्चित रूप से जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि जिन जिलों में छीजत कम है, जैसे राजसमंद जिला है जहां मात्र पांच प्रतिशत छीजत है और कई जगह 30-35 प्रतिशत तक छीजत जा रही है, उनमें आप क्या डिफरेंस रखेंगे? जहां पर छीजत कम है उनको कुछ सब्सिडाइज करके, जहां बिजली की चोरी कम हो रही है उन्हें तो कुछ पैकेज मिलना चाहिए, उनकी बिजली की रेट कम होनी चाहिए और जहां इतनी ज्यादा छीजत है उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरा, पीने के पानी को लेकर जितने भी ऐसे कम्यूनिटी पर्पज के लिए पीने का पानी दिया जाता है, माननीय अध्यक्ष जी, जहां पर ट्यूबवैल वगैरह हैं उनकी जो रेट्स हैं, उन रेट्स को थोड़ा सब्सिडाइज करना जरूरी है इसलिए कि वह पीने के पानी के लिए काम में लिया जाता है। ग्राम पंचायत उसके बिल को जमा नहीं कर पाती जिसके कारण मोटर खराब हो जाती है तो वह खराब ही पड़ी रहती है और ट्यूबवैल में पानी होते हुए भी लोग पानी नहीं पी पाते हैं। उसकी दर में भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबु लाल जी, जिन्होंने साइन किया है वही बोलेंगे, हर कोई नहीं।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरी आपत्ति

(श्री बाबु लाल)

इस बात की है कि माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह जिक्र किया है कि गुजरात में प्रति यूनिट पैसा ज्यादा है। मैं गुजरात के पड़ौस में रहता हूं, गुजरात में जिस प्रकार की किसानों को सुविधा दे रहे हैं आप जाकर देखकर आएं। आज जो राजस्थान में स्थिति है, जहां मैं रहता हूं आदिवासी क्षेत्र है, बिजली आती है जाती है, आती है जाती है और जिनके कृषि कनेक्शन हैं उन लोगों की हालत आप देखें, तो पानी खेत तक जाता नहीं है और बिजली चली जाती है। इस हालत के बाद में आपने यह सारा भार किसानों पर क्यों डाला? दूसरा, आपने कहा कि परिवहन की वजह से यह भार किसानों पर डालना ही है, तो क्या और कोई विकल्प नहीं है जिसके रास्ते से हम राजस्व वसूल कर सकें? यह मुझे आपसे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, उदय योजना और राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 के बावजूद वितरण निगम अभी भी घाटे से उबर नहीं पाए तो अब क्या गारंटी है कि रेट बढ़ाने के बाद घाटे से उबर जाएंगे? नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने बात की कि एक मेगावाट से ज्यादा बिलिंग डिमांड व 50 प्रतिशत से ज्यादा लोड फैक्टर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दर में 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से दरें घटाई हैं न कि बढ़ाई हैं। नंबर तीन, पिछले वर्षों में विशाल अपोषित तंत्र को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने टैरिफ में वृद्धि करने के प्रस्ताव को उपयुक्त संशोधनों के साथ स्वीकार किया है। हमारा एतराज यह कि कुप्रबंधन निगम का था, तीनों कंपनियों का था तो भार उपभोक्ताओं पर क्यों डाला जाए? इसलिए बढ़े हुए दाम वापस लेकर जो कुप्रबंधन की चीजें थीं उनको दुरुस्त किया जाए, छीजत को कम किया जाए। किरण जी ठीक कह रही थीं, जिस क्षेत्र में छीजत नहीं है, छीजत न करने वाले क्षेत्र को भी उसके लपेटे में ले लिया। 95 पैसे प्रति यूनिट, मैं तो यह कह रहा हूं कि यह गलत कह रहे हैं कि आप शहरी उपभोक्ताओं को, नहीं, यह तो जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं, जो कि आपके वोटर हैं, आपने उन सवा करोड़ लोगों को रगड़ दिया जिन्होंने आपको वोट दिया। जो औद्योगिक लोग हैं उनको तो आप छूट दे रहे हैं, इसलिए आप उन मध्यम परिवारों को बख्शो जो आज भी महंगाई से त्रस्त हैं, दूसरे तरीके से इसको आप कंपनसेट कीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जो बात आ रही है, वास्तव में हमारे आदिवासी एरिया के अंदर जो ट्राइबल एरिया है, मगरियों में रहते हैं, वहां पर बिजली की रीडिंग के लिए कोई नहीं जाता है। 12-12 महीनों के बिल वह आफिस में बैठकर यों ही रीडिंग भरकर दे देता है। आज की तारीख में 50-50 हजार रुपये के बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी जो कि दो बल्ब जलाता है, उसका दो-दो साल का बिल इकट्ठा दे दिया। अब उनकी यह हालत है कि वे जमीन बेचकर अपना बिल जमा कराएं, ऐसी उनकी स्थिति हो गयी है। आज वह पांच हजार रुपये जमा कराता है तो भी उसका कनेक्शन काटकर जाते हैं। वे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारी गलती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल के अंदर यदि रीडिंग वाले के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो गरीब आदमी उस बिल को कैसे जमा कराएगा? यदि वह हर महीने की रीडिंग देगा तो वे हर महीने का जमा करा देंगे। अध्यक्ष महोदय, कनेक्शन काटने के बाद यदि बिल जमा करा दिया तो भी वे उसका कनेक्शन नहीं करते हैं। हमारे यहां जो पनघट योजना है, घर के लिए जो पानी भरता है, उसके लिए उपभोक्ता को पूर्व सरकार ने सिंगल फेज कनेक्शन को कृषि के लिए भी माफ किया था, आज उनका कनेक्शन काट दिया गया है। उसको सब्जी बोनी है, वह जो एक बिस्वा जमीन में साग-सब्जी बोता है।

श्री अध्यक्ष: दरों के संबंध में जनरल डिबेट है, प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा यही अनुरोध है कि यह बिजली के लिए रीडिंग वाले के ऊपर ध्यान दें और बिल की दरों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, प्रश्न। दरों के संबंध में है। जनरल डिबेट नहीं है, जो स्थगन प्रस्ताव में दिया है, वही बोलेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं फिर भूल जाता हूं।

श्री अध्यक्ष: दरों के संबंध में बोलें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

निवेदन करना चाहता हूं कि किसान और ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह बढ़ोतरी वापस लें अगर आपको गांवों में जाना है तो, अन्यथा लोग आपको घुसने नहीं देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। I'll not allow. गलत परम्परा नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, अंकित नहीं होगा। धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई ...(व्यवधान) माननीय लालचंद जी कटारिया। अंकित नहीं होगा।

टिड्डियों के हमले से फसल को नुकसान

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश के विभिन्न जिलों में टिड्डियों के हमले से किसानों की फसल को हुए नुकसान तथा बचाव कार्य के संबंध में अपना वक्तव्य इस सदन के सम्मुख पेश कर रहा हूं।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में शोरगुल एवं सदन से बहिर्गमन)

राज्य में टिड्डी के प्रकोप का इतिहास, 1964 से लेकर 2010 तक टिड्डियों का प्रकोप लगातार होता रहा है। तत्पश्चात् राजस्थान में 21 मई, 2019 को जैसलमेर जिले में प्रवेश हुआ। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राज्य में टिड्डी दल का 1993 में 3 लाख 10 हजार 482 हैक्टेयर में जुलाई से अक्टूबर तक तथा 2005 में 16 हजार 440 हैक्टेयर में सितम्बर से दिसम्बर तक प्रकोप रहा। टिड्डियों का स्थायी निवास कैस्पियन सागर, ईरान, कजाकिस्तान, अजरबेजान, तुर्किमस्तान, एरेल सागर, उर्जबेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, कर्गिस्तान, बालकशझील, साइबेरिया, कजाकिस्तान और चीन के आस-पास गिरने वाली नदियों के बालू रेत से घिरे डेल्टा, मरु भूमि में घास के मैदान, मध्य रूस के शुष्क, गरम मिट्टी वाले द्वीप फिलीपीन के अनुपयुक्त आर्द्र व उष्ण कटिबंध जंगल व घास के मैदानों में स्थायी रूप से निवास करती है।

राज्य में जैसलमेर जिले में 21 मई, 2019 को टिड्डी दलों का प्रवेश हुआ। करीब 2019 तक टिड्डियों का प्रकोप राज्य के सीमावर्ती जिलों में एक कृषि प्राणी गोचर राजकीय भूमि में हुआ जिनको तत्परता से कृषि विभाग एवं

(श्री लालचन्द कटारिया)

टिड्डी चेतावनी संगठन के संयुक्त प्रयासों से टिड्डी दल का सर्वेक्षण, निगरानी एवं नियंत्रण कर उन्हें आगे बढ़ने व कृषि क्षेत्र में विस्तार होने से रोक दिया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन में प्रवेश)

कृषि विभाग जिला प्रशासन - टिड्डी चेतावनी संगठन की सजगता एवं तुरंत नियंत्रण कार्यवाही के परिणामस्वरूप से टिड्डियों से खरीफ फसलों में कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। टिड्डियों का खरीफ 2019 तक 2 लाख 76 हजार 440 हैक्टेयर में टिड्डियों का नियंत्रण किया गया। पड़ौसी देश पाकिस्तान द्वारा टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किए जाने, हवा की तीव्रता एवं दिशा परिवर्तन के कारण दिसम्बर, 2019 में नये टिड्डी दलों का देश में प्रवेश हो गया। सरकार द्वारा टिड्डियों का प्रबंधन कर रबी 2019-20 में 2 लाख 52 हजार 962 हैक्टेयर में नियंत्रण किया गया। टिड्डियों का जिलेवार अब इस प्रकार नियंत्रण किया गया। जैसलमेर-210665 हैक्टयेर, बाड़मेर-76344 हैक्टेयर, बीकानेर-150915 हैक्टेयर, जोधपुर-40147 हैक्टेयर, जालौर-15930 हैक्टेयर, पाली-6816 हैक्टेयर, सिरोही-930 हैक्टेयर, श्रीगंगानगर-22437 हैक्टेयर, हनुमानगढ़-3972 हैक्टेयर, चूरू-500 हैक्टेयर, नागौर-526 हैक्टेयर एवं उदयपुर-250 हैक्टेयर। कुल 5 लाख 29 हजार 602 हैक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण किया गया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान में जिलेवार टिड्डी से फसलों के नुकसान का विवरण निम्नानुसार है: बाड़मेर में 33788 हैक्टेयर, बीकानेर-2549 हैक्टेयर, जैसलमेर-54979 हैक्टेयर, जोधपुर-2308 हैक्टेयर, जालौर-53682 हैक्टेयर। कुल नुकसान 1 लाख 49 हजार 881 हैक्टेयर में है। टिड्डी प्रभावित जिलों में टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा भारत सरकार 3 लाख 85 हजार 933 हैक्टेयर, राज्य सरकार के विभागीय प्रयासों से 1 लाख 40 हजार 709 हैक्टेयर, कुल 5 लाख 29 हजार 602 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 92 हजार 596 किसानों को प्रेरित कर 1 लाख 40 हजार 709 हैक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराकर फसली क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया जा चुका है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को कीट नियंत्रण के लिए योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। हमने देखा है कि समस्या

(श्री लालचन्द कटारिया)

बड़ी है तथा किसान को अपने स्तर पर कीटनाशकों की व्यवस्था करने में और मदद की जरूरत है। आकस्मिक स्थिति के अनुसार किसान हित में यह तत्काल निर्णय लिया गया कि शत-प्रतिशत अनुदान कर किसानों को कीटनाशक उपलब्ध करवाया जाए। हमने न केवल शत-प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशक उपलब्ध करवाए, बल्कि किसानों को उनके खेतों पर ही उपलब्ध करवाए गये। इसके लिए जिन वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी, राज्य सरकार ने उन्हें स्वयं वहन किया।

इस संबंध में कहना चाहूंगा कि टिड्डी नियंत्रण में किसानों के खेतों में नियंत्रण एवं उपाय किसान द्वारा किये जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनके प्रयासों में मदद की जाती है। शेष राजकीय भूमि चरागाह तथा अन्य अकृषि भूमि पर भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन द्वारा नियंत्रण कार्य किया जाता है, लेकिन टिड्डी चेतावनी संगठन के प्रयास आक्रमण को देखते हुए पर्याप्त नहीं थे तथा टिड्डी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और कारगर प्रयास चाहिए थे। हमारी संवेदनशील सरकार ने किसान हित में सभी पहल करते हुए किसानों के खेतों के साथ-साथ अकृषि भूमियों पर टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया है। यह अपने आपमें एक अभूतपूर्व निर्णायक कदम था। माह मई, 2019 से राज्य सरकार के 54 वाहन निगरानी एवं संरक्षण हेतु संचालित हैं एवं नियंत्रण के लिए 45 वाहन टिड्डी चेतावनी संगठन को उपलब्ध कराये गये। कुल 99 वाहन इस नियंत्रण में लगे। टिड्डी प्रकोप की भयावह स्थिति से निपटने के लिए साढ़े चार सौ ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मय ट्रैक्टर किराये पर लेकर संचालित किये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराये गये।

टिड्डियों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु संचालित वाहनों के किराये भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 60 लाख रुपये स्वीकृत किये गये, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। टिड्डी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्व विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से वांछित मानव संसाधन उपलब्ध करवाकर लगातार टिड्डियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण कराया जा रहा है। टिड्डियों के प्रबंधन हेतु 96 टीमों का गठन कर कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन, फायर बिग्रेड के सहयोग से लगभग दो सौ से ढाई सौ मानव संसाधन द्वारा लगातार टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

दिनांक 29 और 30 दिसम्बर, 2019 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालौर जिले में टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर मौके पर टिड्डी नियंत्रण हेतु किये जा रहे प्रयासों का जायजा लिया गया। इस भ्रमण के दौरान संबंधित जिला कलेक्टर्स को फसल खराबे की विशेष निगरानी, गिरदावरी किए जाने के निर्देश प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त समय-समय पर बैठक, वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित कर टिड्डी नियंत्रण के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। कृषकों को वांछित सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा टिड्डियों का अन्तरराष्ट्रीय प्रबन्धन, समन्वय से ड्रोन एयरक्राफ्ट द्वारा एरियल स्प्रे हेतु माननीय प्रधान मंत्री एवं कृषि मंत्री, भारत सरकार को समय-समय पर अर्द्धशासकीय पत्र भी लिखे गये। मेरे द्वारा भी समय-समय पर भारत सरकार को अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए निवेदन किया जाता रहा है। टिड्डी दलों के समुचित प्रबन्धन, वांछित संसाधन उपलब्ध कराए जाने तथा ड्रोन एरियल स्प्रे द्वारा टिड्डियों की रोकथाम हेतु प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं आयुक्त, कृषि द्वारा भारत सरकार के उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। दलों की भयावह स्थिति के मध्यनजर समय-समय पर मेरे द्वारा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, वन मंत्री सुखराम विश्नोई जी, शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी एवं उन जिलों के सभी विधायक साथियों द्वारा जैसलमेर और उसके आसपास के टिड्डी प्रभावित जिलों में मौके पर उपस्थित होकर कृषकों को प्रेरित कर उनके साथ टिड्डी प्रबन्धन का कार्य किया गया। राज्य स्तर से प्रमुख शासन सचिव, कृषि, आयुक्त, कृषि; आयुक्त, उद्यान विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर भ्रमण कर टिड्डी प्रकोप की भयावह स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक प्रबन्धन किये गये। जन-प्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन विभाग के उच्चाधिकारियों की प्रेरणा एवं निर्देशन से टिड्डी नियंत्रण हेतु आदान विक्रेताओं तथा कीटनाशी रसायन निर्माताओं एवं कृषकों द्वारा ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, फोल्कन मशीन, फायर ब्रिगेड, मानव संसाधन कीटनाशी आदि उपलब्ध कराकर टिड्डी प्रकोप से कृषकों को राहत देकर जन सहयोग का एक अनुकरणीय कार्य किया गया।

जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर जिलों में रसायन निर्माता कंपनी के सहयोग से ड्रोन से भी, कंपनी का नाम है सुमीटोमो केमिकल इंडिया

(श्री लालचन्द कटारिया)

लिमिटेड, इन्होंने एक ड्रोन उपलब्ध कराया, उससे भी टिड्डी नियंत्रण हेतु छिड़काव किया गया। टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण एवं प्रबन्धन नियंत्रण हेतु कृषि आयुक्तालय सहित सभी टिड्डी प्रभावित जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए जिनमें वांछित सूचनाओं का सम्प्रेषण उच्चाधिकारियों तक प्राप्त कर निर्देशानुसार टिड्डी नियंत्रण के शीघ्र एवं समुचित प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

राज्य आपदा सहायता निधि द्वारा टिड्डियों द्वारा सरसों, चना, गेहूं, जीरा, ईसबग़ोल, कपास, अरंडी फ़सलें 1 लाख 49 हजार 831 हैक्टेयर क्षेत्र में प्रभावित हुई हैं। इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक 1 लाख 34 हजार 959 हैक्टेयर में खराबा जिसके पेटे बाड़मेर जिले को 20 करोड़ 38 लाख, बीकानेर जिले को 2 करोड़ 48 लाख, जैसलमेर जिले को 29 करोड़ 20 लाख, जोधपुर जिले को 82 लाख, जालौर जिले को 36 करोड़ 85 लाख, पाली जिले को 20 लाख रुपये कुल राशि 89 करोड़ 93 लाख रुपये का 63 हजार 892 कृषकों को कृषि आदान अनुदान के रूप में भुगतान किया जा चुका है। किसानों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान की स्थिति में सिंचित क्षेत्र के लिए 13 हजार 500 रुपये प्रति हैक्टेयर अधिकतम दो हैक्टेयर की अदान अनुदान सहायता दी जा रही है। असिंचित क्षेत्र के लिए राशि 6 हजार 800 रुपये प्रति हैक्टेयर है। जहां तक प्रति हैक्टेयर राशि देने का प्रश्न है यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को आपदा की स्थिति में इनपुट सब्सिडी राशि दी जाती है लेकिन सूखा, अतिवृष्टि एवं अन्य कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में सर्वे, गिरदावरी, आकलन आदि चरणों में पूर्व में दो-तीन माह का समय लगता आया है जिससे किसानों को राशि मिलने में समय लगा है। यह पहली बार हुआ है कि मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आपदा जारी रहने की अवस्था में ही किसानों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए बिना विलम्ब किए विशेष गिरदावरी करवाई है। जिलों में पोर्टल से गिरदावरी के परिणाम चढ़वाकर बिना देरी से राशि स्वीकृत ही नहीं की गई बल्कि अब तक 90 करोड़ रुपये के लगभग सीधी राशि किसानों के खातों में जमा कर दी गई है। शेष प्रभावित किसानों को भी शीघ्र सहायता दे दी जाएगी। फसल बीमा द्वारा रबी 2019-20 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित की गई फसलों में टिड्डी के प्रकोप से फसलों को हुए

(श्री लालचन्द कटारिया)

नुकसान के संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 07/01/2020 की पालना में जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर जिलों में सैक्शन 21.2 के तहत तात्कालिक सहायता हेतु अधिसूचना जारी हो चुकी है। शीघ्र ही इस योजना में भी किसानों को लाभ दिया जाना प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बीकानेर व सिरोही जिले के प्रस्तावों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

टिड्डी चेतावनी संगठन, भारत सरकार द्वारा 45 वाहन नियंत्रण हेतु उपाय में लिये गये हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन, भारत सरकार द्वारा 3 लाख 85 हजार 300, 933 हैक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण कार्य किया गया है। टिड्डी चेतावनी संगठन, भारत सरकार द्वारा 3 लाख 618 लीटर मेलाथियोन 96 परसेंट कीटनाशी रसायन का उपयोग किया गया है। इससे पूर्व इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों का राज्य में कभी भी प्रकोप नहीं हुआ। वर्ष 1993 में 3 लाख 10 हजार 446 हैक्टेयर में टिड्डियों का नियंत्रण किया गया था। तत्समय टिड्डियों द्वारा राज्य में पश्चिमी जिलों के अतिरिक्त जयपुर, सीकर, टोंक, अजमेर तक आक्रमण कर फसलों को नुकसान पहुंचाया गया था लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा 5 लाख 29 हजार 602 हैक्टेयर में टिड्डियों का समुचित प्रबन्धन कर नियंत्रण की प्रभावी कार्यवाही की गई है। टिड्डियों के इस विनाशकारी रूप को राज्य के सीमावर्ती जिलों तक रोके रखने में सफलता प्राप्त की है अन्यथा टिड्डियों द्वारा अन्य जिलों, पड़ौसी राज्यों में पहुंचकर विकराल रूप धारण कर कृषकों की फसलों को और अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता था। मैं इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के वरिष्ठ टिड्डी अधिकारी श्री कीथ प्रेसमेन की राज्य में टिड्डी नियंत्रण पर जनवरी माह में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में बहुत सफलता से टिड्डी आक्रमण का सामना किया गया है तथा किसानों की फसलों को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। अगर समय पर प्रभावी प्रयास नहीं किये होते तो अब तक देश के बहुतसे राज्यों में टिड्डी फैल गई होती और संभवतः बांग्लादेश तक भी पहुंच जाती। साथ ही देश में खाद्यान्न उत्पादन पर भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता। भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री श्री पुरूषोत्तम जी रूपाला द्वारा भी राज्य सभा में टिड्डी पर दिये गये अपने वक्तव्यों में राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण हेतु किये गये कार्य की सराहना की गई है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

हमारी सरकार के मुस्तैद एवं सफल प्रयत्नों का नतीजा रहा है कि हालांकि राज्य में बाहर से टिड्डी लगातार आई लेकिन हमने उनको पश्चिमी जिलों से आगे नहीं बढ़ने दिया। फसलों को नुकसान हुआ लेकिन हमने इसे कमतर ही रखने का पूरा प्रयास किया और सफल भी रहे। आज की तारीख में राज्य में मात्र गंगानगर जिले के तीन-चार गांवों में चक 7 डी, बड़ी मदेरा 3, एच बड़ा 6सी बड़ी में छोटे पैमाने पर छितराई अवस्था में टिड्डिया बची हैं जिस पर नियंत्रण किया जा रहा है। शेष जिलों को आज की तारीख में टिड्डीमुक्त कर लिया गया है। टिड्डी चूंकि अन्तरराष्ट्रीय समस्या है अत: इनको नियंत्रित करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन एवं भारत सरकार को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में टिड्डियों ने विश्व के लगभग 20 देशों ओमान, इराक, ईरान, केन्या, इथोपिया, सोमालिया, स्पेन, नाइजीरिया, मोट्रियानिया, युगांडा, सऊदी अरब, यमन, सूडान, पाकिस्तान एवं भारत के राजस्थान एवं गुजरात में विकराल रूप धारण कर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि पाकिस्तान एवं सोमालिया को तो उनके देश में टिड्डियों द्वारा किये गये नुकसान के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। केन्या व इथोपिया में तो खाद्य सुरक्षा पर भी भारी गंभीर खतरा आ गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़ौसी देश पाकिस्तान द्वारा टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किये जाने की वजह से राज्य में टिड्डी प्रकोप की समस्या अब तक बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग एवं समन्वय हेतु अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं। मैं इस पवित्र सदन के माननीय सदस्यों की राज्य में टिड्डी प्रकोप तथा इससे किसानों को हुए नुकसान के संबंध में भावनाओं एवं चिंता से सहमत हूं। राज्य में पहले भी टिड्डी के हमले होते रहे हैं लेकिन इस बार पिछले मई महीने से आरम्भ हुआ हमला कई रूपों में पहले की तुलना में अलग तथा ज्यादा खतरनाक रहा है। हमने पश्चिमी एवं उत्तरी ज़िलों में पाकिस्तान से लगातार आए टिड्डी दलों का सामना किया है। अक्सर ख़रीफ़ फसल में ही टिड्डी का प्रकोप होता रहा है, लेकिन इस बार पहली बार रबी और सर्दी के महीने में किसानों पर यह आफत लगातार मंडराई हुई है क्योंकि आने वाली थ्डिडी का उद्गम राज्य से

(श्री लालचन्द कटारिया)

नहीं हुआ था इसलिए हमारे लिए चुनौतियां ज्यादा रही हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार टिड्डी को समय पर नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रही है। हमारी उच्चतम प्राथमिकता यही रही है नए आने वाले टिड्डी दलों का शीघ्र खात्मा किया जाए, जिससे हमारे किसानों का नुकसान नहीं हो सके। इसी कार्य में कृषि विभाग, प्रभावी जिलों का जिला प्रशासन, हमारे किसान एवं जनप्रतिनिधिगण, सभी का सहयोग व समन्वय बेहतरीन रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी बार-बार किसानों के बीच गए तथा उन्होंने लगातार स्थिति की समीक्षा की तथा विभाग को निर्देश दिया कि हमारे किसानों को हर हालत में इस आपदा से बचाना है। मैं उन माननीय मंत्रीगणों और विधायकों को भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें ज़िलों में भीषण टिड्डी हमलों से नियंत्रण में नेतृत्व भी दिया और सदैव विभाग की टीमों तथा किसानों के साथ रहे। इस बार आपदा बड़ी थी, तो हमारे प्रयास भी अभूतपूर्व रहे। हमने पूरी मुस्तैदी तथा सफलता से नए आए टिड्डी दलों को कम से कम समय में खतम किया। विभाग की टीम रात-दिन पूरी सतर्कता से तथा लगन से इसमें जुटी रही। भारत सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन के पास बहुत ही सीमित संसाधन थे, हमने उनको भी अतिरिक्त संसाधन देकर मदद की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उचित होता कि पाकिस्तान भी टिड्डी नियंत्रण हेतु हमारे जितनी ही मुस्तैदी तथा गंभीरता रखता। समय पर उनके द्वारा प्रभावी कार्यवाही न करने का यह परिणाम हुआ है कि उनके यहां बड़े पैमाने पर फ़सलों का नुकसान तो हुआ ही, टिड्डी का राजस्थान में भी लगातार आक्रमण होता रहा। उनके मंत्री टिड्डी से बिरयानी बनाने की बात करते रहे और दूसरी ओर टिड्डी हमारी ओर आने पर हमारे मंत्रीगण और विधायक साहेबान दिसम्बर और जनवरी सर्द रातों में किसानों के साथ डटे रहे और सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि टिड्डी पर पूरा नियंत्रण करके हमारे किसानों की फसलों की सुरक्षा की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एफएओ के आकलन के अनुसार पूर्वी अफ्रीका, लाल सागर तथा कई खाड़ी देशों में, वर्तमान में बड़ी संख्या में टिड्डियों की उपस्थिति हमारे लिए आगामी खरीफ तथा रबी दोनों फ़सलों के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार के स्तर पर यह आवश्यक है

(श्री लालचन्द कटारिया)

कि विभिन्न देशों में एफएओ से, अभी भी समन्वय कर टिड्डी की स्थिति की अग्रिम सूचना की पुख्ता व्यवस्था करें। चूंकि टिड्डी समस्या एक अन्तरराष्ट्रीय समस्या है। अतः यह आवश्यक है कि सभी प्रभावी देश एकजुट होकर टिड्डी के उद्गम स्थल पर ही उसको नियंत्रण करने के प्रयास करें। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि भारत सरकार टिड्डी चेतावनी संगठन को संसाधनों से और मजबूत करें।

मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार आगे भी टिड्डी नियंत्रण तथा किसानों को मदद करने के लिए इसी तरह मुस्तैद रहेगी। मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी का, टिड्डी की समस्या से, उनके कुशल नेतृत्व एवं किसानों का कम से कम समय में नुकसान का जायजा लेकर उनको सहायता दिलवाने के लिए धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्य के किसानों का भी आभारी हूं जिन्होंने विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जीवट के साथ इस समस्या का समाधान किया, तथा एक सफल जन आंदोलन के रूप में टिड्डी को नियंत्रण करने में अपनी हर तरीके से भूमिका निभाई। मैं पुन: उन माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें नेतृत्व व मार्गदशन किया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा के पहले कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 12)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2020 को मध्याह्न पश्चात 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि मंगलवार दिनांक 11 फरवरी, 2020 से शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2020 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी, 2020 बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 2020	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 2020	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

(डॉ. महेश जोशी)

	प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद -विवाद एवं मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2020	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

चर्चा, श्री बिहारीलाल विश्नोई। जिन्होंने लिखकर दिया है, वही बोलेंगे।

शासकीय वक्तव्य

टिड्डियों के हमले से फसल को नुकसान

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, आपके इंटरवीन के बाद में सरकार ने इस महत्वपूर्ण, किसानों की गंभीर समस्या, टिड्डियों का 12 ज़िलों पर हमला, लाखों हैक्टेयर की फ़सलें बर्बाद हो गई। सरकार के माननीय मंत्री जी ने इस गंभीर समस्या पर पूरा वक्तव्य दिया है। इस बात को 9 महीने पहले, जब यह आक्रमण शुरू हुआ और पड़ौस के देशों में आक्रमण हुआ तब भी इस सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, उप नेता प्रतिपक्ष ने, हम सबने, इस बात से आगाह किया था। तब भी माननीय मंत्री जी ने इस बात पर सरकार का पक्ष रखा, हम पूरी तरह चाक-चौबंद है लेकिन ख़रीफ़ की फसल, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वह तो किसानों को, आपको चेतावनी देने लेने में निकल गया। फील्ड में जितना काम हुआ वह काम और बेहतर तरीके से हो सकता था, अगर समय रहते इस बात को हम करते। माननीय मंत्री जी, आपने सारी बातें नियंत्रण पर की हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि एक महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं कि वैज्ञानिकों ने जो अंदेशा जताया है कि अप्रैल, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ेगी, बहुत बड़ा आक्रमण होने की संभावना है। आपने बात कही कि भूमध्य सागर में जहां से इनकी ब्रीडिंग हो रही है, टिड्डियों का आक्रमण राजस्थान में होने के बाद पूरे पश्चिमी

(श्री बिहारीलाल)

राजस्थान के 12 ज़िलों में लाखों हैक्टेयर में जहां टिड्डियों का आक्रमण हुआ है वहां भी इन्होंने अंडे दिए हैं, वह अंडे फाका बनकर तैयार होकर, यहां भी इनकी ब्रीडिंग, यहां पर भी इनकी संख्या बढ़ेगी, यहां से भी लार्वा आगे बढ़ेगा और एडल्ट में परिवर्तित होकर फ़सलों को नुकसान करेगा, उसमें भी वैज्ञानिकों को साथ लेकर चिंतन मंथन करते, उसकी रोकथाम करने का हमारे यहां भी प्रबंधन कीजिए।

दूसरा, मेरा आपसे आग्रह है कि जो दो किसान, बाड़मेर ज़िले में, माननीय रेवेन्यू मंत्री जी का जिला है, आप भी जाकर आए हैं, दो किसान जिनकी 25-25 बीघा, 75-75 बीघा जमीन पर जीरे की बेशकीमती फसल नष्ट हो गई। टिड्डी के आक्रमण से जिनकी सदमे से जान चली गई, उन किसानों को भी यह सदन पूरी सहमति से, उन दो किसानों को पूरा मुआवजा देने का काम करेगी। माननीय सरकार से, माननीय मंत्री जी से माननीय अध्यक्ष जी आपके मार्फत मेरा यह निवेदन है। टिड्डी प्रभावित जो 12 ज़िले हैं, बिजली मंत्री जी ने भी अपना वक्तव्य दिया, जहां पर टिड्डी का प्रकोप है, किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई है। यह मुआवज़ा यह प्रयोग, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, इसलिए वहां बिजली के कनेक्शन काश्तकारों के हैं, उनका एक साल का बिजली का बिल भी माफ किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को आप सरकार को कहें। आपके इंटरवीन से किसानों का भला करने का काम सरकार करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने टिड्डी के ऊपर मंत्री जी का वक्तव्य दिलाया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी विभाग के आकलन के मुताबिक प्रदेश के 13 ज़िलों में लगभग सात लाख हैक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग की ओर से 23 जनवरी, 2020 तक, अभी मंत्री जी ने बताया कि 90 करोड़ की सहायता दी गई है जबकि एक मोटा-मोटा आकलन है पूरे राजस्थान में करीब सात अरब की फसल चौपट हो चुकी है। 1993 के बाद में यह सबसे बड़ा टिड्डी का हमला है। हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले इसी विधान सभा के अंदर, दूसरे सत्र में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आने वाली टिड्डी के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने उसके ऊपर ध्यान

(श्री नारायण सिंह देवल)

नहीं दिया। सरकार हाथ पर हाथ धरी रही। बाड़मेर के अंदर दो किसानों की डैथ हुई है, हम लोग भी वहां गए थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उनका मुआवजा माफ करें। जो ऋण दिया हुआ है वह भी माफ करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, किसानों को एक विशेष पैकेज दिया जाए क्योंकि आप 13600 रुपये एक हैक्टेयर का दे रहे हो, वह भी 2 हैक्टेयर तक जबकि फसल की बुवाई में जैसे जीरा में 20 हजार रुपये हैक्टेयर का लगता है और सरकार ने किसान कल्याण कोष एक हजार करोड़ का गठन किया है, उसके माध्यम से किसान को एक हैक्टेयर का कम से कम एक लाख रुपया दें। प्रधानमंत्री फसल बीमा है, मैं आपको विशेष निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर ज़िले में पटवारियों की कमी है और प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर थी। प्रधानमंत्री बीमा के लिए गिरदावरी रिपोर्ट और भूमि प्रमाण पत्र चाहिए था। पटवारियों की कमी के कारण, कहीं नेटवर्क के कारण बीमा भी नहीं हुआ है। जिनका बीमा हुआ है उनमें 50 प्रतिशत का इमीडिएट भुगतान किया जाये और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका सारा फसली ऋण भी माफ किया जाये और बिजली का एक साल का बिल माफ करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, टिड्डियों ने लगभग पिछले 40-45 साल के बाद इतना जबरदस्त अटैक किया है। बीच-बीच में कुछ समय के लिये कई जिलों में नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह जो गिरदावरी करवाई है, इसके अन्दर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ। जहां खराबा 50 प्रतिशत से ऊपर था उसको 30 दिखा दिया, कहीं 25 दिखा दिया तो वाकई में सरकार इसकी दुबारा जांच करवाये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, ये बात तो किसानों की बहुत करते हैं, बड़े ही खेद का विषय है कि आपके केन्द्रीय नेता से ले करके और मेरे सामने सदन में जो सारे सदस्य बैठे हैं, हम और आप बात सब किसान की करते हैं, जब

(श्री रामप्रताप कासनियां)

किसान को मुआवजा देने की बात होती है तो फिर सांप-सा सूंघ जाता है। पता नहीं यह क्या बीमारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि जिस तरह से 2008 के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने आठ हजार रुपये प्रति हैक्टेयर देने का निर्णय किया था, वह एक शुरुआत थी। आज कहां आप उस लीक को पीट रहे हो। कम से कम पचास हजार रुपये बीघे के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे करके किसान को राहत देने का काम करें और देश के अन्दर एक नई छाप छोड़ें कि राजस्थान सरकार ने वाकई में किसानों की मदद की है। तब तो मैं मानूंगा कि आप किसानों के हितैषी हो, नहीं तो खाली घड़ियाली आंसू बहाने से आपके नेता महोदय राहुल गांधी किसान और बेरोजगार दो ही की तो चिंता करते हैं, तो दो में से एक तो आपके सामने है, इसकी तो भरपाई करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करूं, यह जो टिड्डियों को मारने वाली कीटनाशक दवा है न, इसका परिणाम भी जांच करवाएं कि मानव शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा। इर्द गिर्द में जो फसल खड़ी है, उसमें क्या असर आयेगा और उड़न पखेरू प्राणी, जो भी हैं, ये क्या-क्या नुकसान कर सकती है इसकी भी थोड़ी जांच करें और, जहां यह पैदा होती है वहीं जाकर मारो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करो, चाहे कुछ भी करो। जहां यह पैदा होती है, वहीं जा करके इसका बेड़ा गर्क कर देगी यह टिड्डी। (व्यवधान), आगे भी, बिलकुल सही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गुरदीप सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय कृषि मंत्रीजी के टिड्डियों के बयान पर चर्चा के जवाब तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री धर्मेन्द्र कुमार।

शासकीय वक्तव्य

टिड्डियों के हमले से फसल को नुकसान

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, टिड्डी दल का जब हमला हुआ तो राज्य सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले भी आया था, हनुमानगढ़ जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आया था। उस वक्त भी कोई इलाज नहीं किया गया। समय पर सहायता नहीं करना, साधन उपलब्ध नहीं कराना और किसान ने अपने स्तर पर इसका सामना किया था। थाली, ढोल और डीजे बजा करके उन्होंने टिड्डियों का सामना किया था। फसलें बरबाद हो गयी हैं। पीड़ित काश्तकारों को उचित मुआवजा दिलाया जाये। काश्तकारों का ऋण माफ किया जाए। ट्यूबवैलों के विद्युत बिल माफ किये जाएं और भविष्य में टिड्डियों का सामना करने के लिये पुख्ता व्यवस्था करायें ताकि काश्तकारों को किसी प्रकार की हानि न हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम मेघवाल। मदन दिलावरजी, आपको बोलना है? कालूरामजी बोल लें।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। हमारे सीमावर्ती मध्य प्रदेश में मुआवजे की राशि करीब 16 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर दिया जाता है चाहे 50 बीघा जमीन है तो 50 बीघा का ही 16 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर से पैसा मिलता है पर हमारे राजस्थान में मात्र 13 हजार रुपये 8 बीघा का दिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान को भी कम से कम एक लाख रुपये एक हैक्टेयर का मिलना चाहिए क्योंकि किसान बहुत ही मेहनत से अपनी फसल उगाता है और किसानों का फसल उगाने में करीब 20 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पैसा खर्च हो जाता है।

हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि से सारी फसल नष्ट हो गई है और अतिवृष्टि का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि उसका भी मुआवजा जल्दी से दिलाया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। जिनका नाम नहीं है, वे नहीं बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, उन्हीं की चिंता को आगे बढ़ाते हुए मैं मुस्तैद मंत्रीजी, आपकी मुस्तैदी से तो इसलिये कायल हूं कि आपने आठ महीने बाद 4 जनवरी को सबसे पहले, जब 21 मई को हमला हो गया, उसके आठ महीने बाद आप चेते और आपने वैज्ञानिकों के दल के साथ बैठ करके नियंत्रण की बात कही।

मेरा इतना-सा निवेदन है कि अभी आपने खुद ने अपने वक्तव्य में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि एवं खाद्य संगठन ने फिर चेतावनी दी है कि अप्रैल-मई माह के अन्दर फिर एक हमला होने वाला है। मैं आपसे सीधे-सीधे एक ही बात पूछ रहा हूं कि आपने खुद ने कहा कि 1,49,181 हैक्टेयर में किसानों की फसल बरबाद हो गई और 5,26,000 हैक्टेयर में आपने नियंत्रित कर लिया। वस्तु स्थिति दूसरी है। यह पूरा प्रकोप एक-दो जगह नहीं, यह 13 जिलों के अन्दर कम से कम 7 लाख से ज्यादा हैक्टेयर पर किसान तबाह हो गया, फसल तबाह हो गई और किसान का 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई करने के लिये आपने एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के अनुसार 36500 और 6800 रुपये असिंचित की बात कर दी, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आपने एक हजार करोड़ का किसान कल्याण कोष बनाया है, इसके टर्म्स और रेफरेंस, अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि यह पूरा किसान के कल्याण के लिये डेडिकेटेड कोष है। दस हजार करोड़ रुपये सरकार के पास, अगर एक हजार करोड़ रुपये हैं तो आप इन पैसों से गुजरात की तर्ज पर किसान को विशेष मुआवजा दोगे या नहीं दोगे? नम्बर दो बात, क्या आप किसानों के, जहां टिड्डी का प्रकोप हुआ है, वहां एक वर्ष के विद्युत के बिल माफ करोगे कि नहीं करोगे? नम्बर तीन, आप एक वर्ष तक सहकारी और शिड्यूल्ड बैंक से जो फसली ऋण ले लिया उसको माफ करोगे कि नहीं करोगे? यह सारी बातें आप करो और उसके बाद आपने जो कीटनाशक देने की बात कही, आपने पहले 50 परसेंट उसमें सब्सिडी दी, फिर आपने शत-प्रतिशत की बात कही? पर आपने जो उपचार की बात कही है या इस उपचार के साथ अगर एक लीटर कीटनाशक से कितनी देर क्षेत्र का उपचार होता है, उसको कैलकुलेट करोगे तो आपके द्वारा दिया गया कीटनाशक ऊंट के मुंह में जीरा है। आपने क्यों नहीं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अपने हैलीकाप्टर के द्वारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

छिड़काव की बात कही? आज आप जिस ड्रोन की बात कह रहे हो, आज उस समय कह रहे हो जब किसान लुट गया, पिट गया। उस समय क्यों नहीं आपके ध्यान में यह बात आई कि गुजरात कर रहा है और, वहां जब सारा यह उपचारित हो रहा था तो आपने क्यों नहीं किया? इसलिये आप किसान की मदद करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो या थोथी अपनी पीठ को थपथपाना चाहते हो? यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्री।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदयजी, जो यह टिड्डी का प्रकोप हुआ है, मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इसके नियमों के बारे में अध्ययन जरूर करें। नियमों का अध्ययन नहीं करने के कारण कई तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। किसान के खेत के ऊपर जो इसको रोकने की जिम्मेवारी है, वह किसान की है। उसके अलावा कोई भी सरकारी जमीन पर रोकने की जिम्मेवारी टिड्डी महकमे की है। राजस्थान सरकार ने दोनों की मदद की है और शत-प्रतिशत कीटनाशक के ऊपर सब्सिडी देकर की है।

इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान के अन्दर रोकने का अगर किसी एक वर्ग को हम लोगों को, पूरे सदन को देना चाहिये तो वह राजस्थान के किसान हैं। सिर्फ 13 जिले ही नहीं, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इस प्रकोप से कई और राज्य प्रभावित हो सकते थे। मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों ने स्वयं आगे बढ़कर स्थिति नियंत्रण के अन्दर अपने घर से संसाधन लगाकर अपने घर से, रात-रात भर वे बाहर सोते थे, इस कड़कती हुई सर्दी के अन्दर, सौ-सौ किलोमीटर प्रतिदिन आगे जाकर टिड्डियों को रोकने का उन लोगों ने प्रयास किया और उस प्रयास के अन्दर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की।

(18.00 बजे)

अब यह सवाल आता है कि इसके अंदर हम लोगों को मदद क्या करनी चाहिए? मदद के लिए जो व्यवस्था है वह एस.डी.आर.एफ. एंड एन.डी.आर.एफ. के माध्यम से है। एस.डी.आर.एफ. एंड एन.डी.आर.एफ. के अंदर, दोनों के अंदर केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी रहती है तो मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से हम लोगों को यह प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के अंदर बढ़ोतरी करके इन टिड्डी प्रभावित किसानों को और अतिरिक्त मदद कैसे मिल सकती है।

(श्री हरीश चौधरी)

अंत के अंदर अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जो यू.एन. की चेतावनी है वह बड़ी अलार्मिंग है कि लाल सागर के आसपास के इलाके के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर टिड्डियों का प्रजनन हो रहा है। भारत के अंदर जो टिड्डी आई है वह टाइप टू की थी। लाल रंग की टिड्डी थी इसलिए उस टिड्डी दल ने हमारे यहां पर अंडे नहीं दिए हैं परंतु यू.एन. ने पूरी दुनिया को यह चेतावनी दी है तो हमारे देश को भी वहां पर जाकर कुछ न कुछ जिस प्रकार के और जो प्रावधान बनाए हुए हैं वह प्रावधान और नीचे के धरातल के ऊपर स्थितियां बिल्कुल ही अलग थीं यह हम लोगों ने अनुभव किया है। 96 परसेंट कीटनाशक से वह की वह टिड्डियां खतम हो रही थीं और फिनोमिनल पाइंट जीरो फोर प्रतिशत की दर से वह की वह हो रही थी। इतनी ज्यादा जो एक माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की कि इससे क्या कुप्रभाव पड़ेंगे तो उसका अध्ययन भी हम लोगों को वापस करवाना चाहिए। लाल सागर पर जो टिड्डी का प्रकोप है उसके लिए हम लोग अभी से व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपस में दोषारोपण होगा और किसानों को हम लोग राहत नहीं पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: लालचन्दजी, मंत्रीजी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, छह माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई और जैसा कि राजस्व मंत्रीजी ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से इस सदन में जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवारों से हैं, सभी का वास्ता है, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों। विपक्ष के जितने साथी हमारे इन जिलों में जहां से चुनकर आए हैं उनका भी लगातार हमारा संपर्क रहा है। माननीय राठौड़ साहब बार-बार यह बात उठाते रहे हैं, पर यह जो टिड्डी दल का मामला है, यह केवल राज्य सरकार का मामला नहीं है, यह भारत सरकार का मामला है। लोक सभा में और राज्य सभा में इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। राज्य सभा में रूपालाजी ने खुद ने यह कहा कि राजस्थान सरकार की जो व्यवस्थाएं थीं वह सही थीं और उन्होंने सराहना की है। राठौड़ साहब यह कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अखबार में आया है, मेरे पास वह

(श्री लालचन्द कटारिया)

रिकार्ड है, मैं आपको कागज दे दूंगा। मैं कार्यवाही का वह वृत्तांत दे दूंगा। उन्होंने धन्यवाद दिया है और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि केन्द्र सरकार ने मदद नहीं की। आपका जो भारत सरकार का संगठन फरीदाबाद से चलता है, जिसकी ब्रांच हमारे जोधपुर में है, उसकी 10 शाखाएं और हैं, उनके पास जितने संसाधन थे, लगातार मैंने उन अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने यह कहा कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, उन्होंने मुझे यहां तक बताया जो मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि लंबा गैप होने के बाद में हमने भर्ती नहीं की, हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हमारे पास जो संसाधन हैं, वह पुराने हैं। जो मशीनरी है, वह पुरानी है क्योंकि 1993 के बाद में इतना बड़ा हमला कभी भी टिड्डी दल का हुआ नहीं तो एक तरह से वह डिपार्टमेंट सुस्त अवस्था में था और ज्यादा क्रियाशील नहीं था और जो संसाधन थे अचानक हमला हुआ, उन्होंने वह संसाधन हमें उपलब्ध करवाए और हमसे लोगों की डिमांड की मंत्रालय द्वारा, विभाग द्वारा कि आप कर्मचारी दें और आप जो मदद कर सकते हैं वह मदद करें और जो कुछ उनकी देखरेख में और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के जो अधिकारी थे उन सबने मिलकर जो कुछ करना था वह हम लोगों ने किया। (व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। नहीं, अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी जवाब दें। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): आप केन्द्र सरकार को कहो कि वह अपनी पालिसी में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। चर्चा समाप्त हुई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 18.04 बजे मंगलवार, दिनांक 11 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण

7. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के कितने राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास भवन निर्मित हैं व कितनों में छात्रावास निर्माण की कार्यवाही शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) निर्मित छात्रावास भवनों में से किस-किस में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है तथा कितने बन्द पड़े हैं? बन्द पड़े होने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय बूंदी के छात्रावास जीर्ण-शीर्ण होने के कारण निर्माण कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त छात्रावास को अनधिकृत रूप से कब्जे में लेकर तोड़-फोड़ की गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जिम्मेदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त छात्रावास को पुन: प्रारम्भ करने तथा 1945 से महाविद्यालय प्रशासन के कब्जे एवं स्वामित्व में चली आ रही भूमि खसरा संख्या 175, 176, 177, गै.मु. आबादी ग्राम देवपुरा, तहसील बूंदी की सीमाबंदी दीवार बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के 53 राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास भवन निर्मित हैं तथा 14 राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माणाधीन है, जिनका विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है

(2) जिन छात्रावासों में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा रहा है, उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर एवं बन्द पड़े छात्रावासों का कारण सहित विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(3) राजकीय महाविद्यालय, बूंदी के मरम्मत कार्य हेतु छात्रनिधि कोष से राशि रुपये 42.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। उक्त छात्रावास का मरम्मत कार्य प्रगति पर है, मरम्मत कार्य यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

(4) जी हां। महाविद्यालय प्रशासन की जानकारी में आने पर पुलिस प्रशासन की मदद से कब्जे से मुक्त करवाया तथा नुकसान की भरपाई सिविल कार्य करवाकर पूरी की गयी।

(5) जी हां। उक्त छात्रावास को सत्र 2020-21 से पुन: प्रारंभ करने की योजना है। वर्ष 1945 से महाविद्यालय प्रशासन के कब्जे एवं स्वामित्व में चली आ रही भूमि खसरा संख्या 175, 176, 177, गै.मु. आबादी ग्राम देवपुरा, तहसील बूंदी की सीमाबंदी दीवार का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण होने की संभावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बानसूर में गोचर भूमि को संरक्षित करने की कार्ययोजना

15. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गोचर हेतु कुल कितनी भूमि निर्धारित की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार गोचर भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गोचर भूमि के संरक्षण व संवर्धन के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बानसूर की समस्त गोचर भूमि को गौशालाओं के नाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र बानसूर में कुल चरागाह (गोचर) भूमि 3671 है. है, जिसका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। गोचर भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 में प्रावधान है। इन प्रावधानों में विहित विधिक प्रक्रिया एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश यथा राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 11.09.2017 एवं 20.05.2019 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विधिक प्रावधान एवं नियमों में प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में विहित विधिक प्रक्रिया की सुनिश्चितता कर गोचर भूमि को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियां एवं सार्वजनिक स्थलों इत्यादि पर अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समुचित निस्तारण एवं अतिक्रमण के हटाने का प्रभावी कार्य करने हेतु समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र दिनांक

(राजस्व मंत्री)

24.04.2019 एवं 26.12.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में जिले की राजस्व शाखा में पी.एल.पी.सी. सेल का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसकी पालना में जिला कार्यालयों में पी.एल.पी.सी. सेल का गठन किया जा चुका है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 में चरागाह भूमियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिचारित भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की बेदखली करने का प्रावधान किया हुआ है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में तहसील क्षेत्र बानसूर की गौशाला को भूमि आबंटन के प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

गौशालाओं के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं के लिए भूमि आबंटन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

16. श्री बाबूलाल (कठूमर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय कठूमर पर सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अनु. जाति व अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय उपखण्ड मुख्यालय कठूमर पर सरकारी महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अनु. जाति व अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

बीमारियों की रोकथाम की कार्य-योजना

17. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से 20 जनवरी, 2020 तक राजकीय चिकित्सालयों में कितनी-कितनी मौतें किस-किस बीमारी से हुई हैं? उक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मौतों की लापरवाही के मामलों में कितने चिकित्सकों/ अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक राजकीय चिकित्सालय में कुल 16344 एवं मेडिकल कालेज से संबद्ध चिकित्सालयों में 51212 मरीजों की मृत्यु हुई है, जिनके संभावित कारणों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है। संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों की सूची परिशिष्ट-स पर एवं राजकीय चिकित्सालयों में बच्चों के मृत्यु की सूचना परिशिष्ट-द पर संलग्न है। चूंकि मौत का प्रमाणित कारण पोस्टमार्टम के उपरान्त ही ज्ञात किया जा सकता है एवं प्रदेश/देश में पोस्टमार्टम सभी केसेज का नहीं किया जाता है, केवल मेडिको लीगल केसेज यथा: दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या इत्यादि का ही किया जाता है। अत: मौत का सम्भावित कारण ही बताया जा सकता है।

बीमारियों के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु राज्य में निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जाकर प्रदेश के आमजन को बेहतर जीवन शैली के संबंध में जानकारी दिये जाने हेतु समय-समय पर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत जारी दिशा-निर्देशानुसार कार्यक्रमों की क्रियान्विति करते हुए प्रदेश के निवासी रोग ग्रसित ही न हों, के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।

इस क्रम में प्रदेश के नागरिकों में बीमारियों का प्रारम्भिक अवस्था में ही निदान हेतु असंक्रामक रोगों यथा: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बच्चेदानी का कैंसर आदि की जानकारी के लिए स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है एवं उचित उपचार मुहैया कराया जा रहा है।

इसी संदर्भ में प्रदेश के नागरिकों के रोग ग्रसित होने की स्थिति में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध किये जाने की मंशा से प्रदेश के चिकित्सालयों में शय्याओं की संख्या बढ़ाया जाना, आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराया जाना एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) राजकीय चिकित्सालयों में मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू रोग से हुई रोगियों की मृत्यु के संबंध में किसी भी चिकित्सकों/अधिकारियों की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31.12.2019 को न्यूबोर्न केयर यूनिट अलवर में रेडियन्ट वार्मर में झुलस जाने से एक नवजात बालिका की मृत्यु के मामले में दो चिकित्सकों को निलम्बित किया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 1

(स्थगित)

प्रदेश में संचालित राजकीय उपक्रम

2. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने राजकीय उपक्रम हैं तथा उनके क्या-क्या कार्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य होटल निगम के अधीन कितनी होटल हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बालोतरा में होटल मोरचंग जिसमें वर्तमान में रिडकोर का कार्य संचालित है, उसको किन शर्तों के आधार पर किराये पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बन्द पड़ी होटलों को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में 34 राजकीय उपक्रम हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" एवं उनके कार्य के संबंध में प्राप्त सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) निगम के अधीन राज्य में कुल तीन होटल्स हैं। निगम द्वारा परिचालित तीनों होटल्स वर्तमान में कार्यशील हैं, जिनकी जिलेवार सूची निम्नानुसार है-

1. होटल खासाकोठी, जयपुर
2. होटल जयपुर, जयपुर
3. होटल आनंद भवन, उदयपुर

(3) निगम की मोटल मोरचंग बालोतरा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कम्पनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर) को रुपये 8334/- प्रति माह लाइसेंस फीस (कर अतिरिक्त) पर वर्ष 2006 में दिया गया था। समय-समय पर लाइसेंस फीस में वृद्धि करते हुए लाइसेंस अवधि बढाई गयी है। वर्तमान में लाइसेंस फीस रुपये 20608/- प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त) है।

लाइसेंस सहमति पत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

(4) जी हां। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2015 में निगम को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु मंत्रिमण्डल के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमण्डल द्वारा आज्ञा संख्या-125/2015 के द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। तद्नुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मंत्रिमण्डल आज्ञा की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधवा पेंशन व पालनहार राशि में वृद्धि की योजना

3. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधवा पेंशन में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विधवा के बच्चों को पालनहार के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपये देने का प्रावधान है? उक्त राशि के समय पर भुगतान हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक एफ 9(5)(12-II) पेंशन/सान्याअवि/2014-15/15173 दिनांक 28.02.2019 द्वारा दिनांक 01.03.2019 से 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशनर की पेंशन राशि में रुपये 250 प्रतिमाह की दर से वृद्धि कर 500 रुपये प्रति माह के स्थान पर 750 रुपये प्रति माह किया गया है।

वर्तमान में विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन की दरों में पुन: वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। पालनहार योजनान्तर्गत विधवा माता के 0-6 से आयु वर्ग के बच्चों हेतु 500 रुपये प्रति माह एवं 6-18 से आयु वर्ग के बच्चों हेतु 1000 रुपये प्रति माह विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने के आधार पर भुगतान किया जाता है। पालनहार योजना में आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया पूर्णतया आनलाइन है एवं प्रति वर्ष बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् समय पर भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जा रहा है।

रामगंज मंडी में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लम्बित आवेदन

4. श्री मदन दिलावर (रामगंज मंडी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से भेजे गये आवेदन कब से लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त लम्बित आवेदनों की नगर वार्ड व ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पूर्व से स्वीकृत चली आ रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कब तक का भुगतान किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से भेजे गये आवेदन एवं पैंडिंग की सूचना संलग्न है।

(2) समस्त पात्र आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(4) निर्धारित प्रारूप में सूचना संलग्न है। पालनहार तथा सहयोग एवं उपहार योजना में बजट अभाव में भुगतान लम्बित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले में टिड्डियों के नुकसान से प्रभावित किसानों को मुआवजा

5. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एवं 2020 में जालौर जिले में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था? यदि हां, तो जिले के किस-किस गांव में कुल कितने कृषक प्रभावित हुए?

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(2) उक्त जिले में किस-किस फसल का कुल कितना रकबा प्रभावित हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार टिड्डियों के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कब तक?

(4) जालौर जिले के टिड्डी प्रभावित कृषकों को दिये गये मुआवजे का गांववार व कृषक संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जालौर में टिड्डी दल के आक्रमण (कीट प्रकोप) से फसल खराबे से प्रभावित कृषकों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) फसलवार प्रभावित रकबे का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार पात्र प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब तक एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार जिला जालौर में 25145 प्रभावित पात्र कृषकों के खातों में 36.85 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया जा चुका है।

(4) एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार जिला जालौर में 25145 प्रभावित पात्र कृषकों के खातों में 36.85 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण किया जा चुका है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ जिले में खरीफ फसल खराबे का मुआवजा

6. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में विगत खरीफ की फसल का खराबा हुआ था?

(2) क्या सरकार किसानों को उक्त फसल खराबे का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान बजट उपलब्धतानुसार दिया जाता है। विभाग द्वारा प्रभावित पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिनांक 14.11.2019 को आदेश जारी कर दिये गये है।

प्रदेश में संचालित आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी औषधालय

7. श्री अमीन खां (शिव): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने आयुर्वेद-यूनानी व होम्योपैथिक औषधालय संचालित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में प्रत्येक औषधालय पर कितनी-कितनी राशि की दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं?

(3) प्रदेश में ऐसे कितने औषधालय हैं जिनमें कोई भी पदस्थापन नहीं किया गया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक औषधालयों तथा चिकित्सालयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में संचालित आयुर्वेद औषधालयों को उनकी गत वर्ष की वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर 2 रुपये प्रति रोगी प्रति दिन गणना की जाकर औषध बजट आबंटन किया जाता है तथा आवंटित बजट के अनुसार विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित औषधियां उपलब्ध करवायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से प्रति चिकित्सालय 75 हजार रुपये तथा प्रति औषधालय 30 हजार रुपये वार्षिक की औषधियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

होम्योपेथिक औषधालयों तथा चिकित्सालयों को 30 हजार रु. प्रति औषधालय एवं चिकित्सालय की दर से औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

यूनानी औषधालयों तथा चिकित्सालयों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से प्राप्त बजट में से 30 हजार रु. प्रति औषधालय एवं 75 हजार रुपये प्रति चिकित्सालय की दर से औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

(3) पदस्थापन विहीन आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथिक औषधालयों तथा चिकित्सालयों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना के चिकित्सालयों में रिक्त पद

8. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के चिकित्सालयों में वर्तमान में कितने चिकित्सा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पद**	**स्वीकृत पदों की संख्या**	**कार्यरत पदों की संख्या**	**रिक्त पदों की संख्या**
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ	11	6	5
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	4	-	4
3	चिकित्सा अधिकारी	26	13	13
4	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	2	2	-
योग		**43**	**21**	**22**

अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर यथासम्भव लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में नर्सिंग/पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती प्रक्रियाधीन है, उक्त

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संवर्ग के रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर शीघ्र नियुक्ति कर/स्थानान्तरण से भरने का प्रयास किया जायेगा।

विभाग में पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

9. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय चिकित्सा केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने कार्यरत हैं एवं कितने रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जसवन्तपुरा में चिकित्सकों के पद लंबे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा, जालौर में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कनिष्ठ विशेषज्ञ	09	01	08
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	04	01	03
चिकित्सा अधिकारी	23	14	09
चिकित्सा अधिकारी (दंत)	02	01	01
कुल	**38**	**17**	**21**

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर यथासंभव लगाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्य-योजना

10. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक ब्लॉक स्तरीय, जिलास्तरीय व मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती कितने बच्चों की मौतें हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बच्चों की मौतों के क्या कारण सामने आए? सरकार इसके लिए किन-किनको दोषी मानती है तथा दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय चिकित्सालयों में बच्चों की मौतों के पीछे चिकित्सीय उपकरणों, वार्डों में पलंगों व आवश्यक सुविधाएं तथा शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी भी महत्वपूर्ण कारण रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कमियों को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आईएमआर पूरे देश की गम्भीर समस्या है, जिसको कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

01 जनवरी, 2019 से 15 जनवरी, 2020 की अवधि में प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती बच्चों में से ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में 1642, जिला स्तरीय अस्पतालों में 3113 बच्चों की मृत्यु हुई, जिसकी जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन 01 जनवरी, 2019 से 15 जनवरी,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2020 तक चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती हुए बच्चों की मृत्यु का विवरण निम्न प्रकार है- कोटा - 988, आरयूएचएस - 01, जयपुर - 4518, उदयपुर - 1839, अजमेर -1494, बीकानेर - 1755, जोधपुर - 1901, झालावाड़ - 677

(2) चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में बच्चों की मृत्यु के निम्न कारण रहे हैं:-

1. बर्थ एस्फिक्सिआ एवं जन्मजात विकृतियां
2. समय से पूर्व जन्म
3. एस्पिरेशन निमोनिया
4. सेप्टिसीमिया
5. अत्यधिक वजन की कमी
6. रेस्पीरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम
7. निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, अन्य इन्फेक्शन, एनीमिया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, मेनिनजाइटिस, फेब्राइल एन्सिफेलोपैथी आदि।

बच्चों की मृत्यु का कारण: अधिकांश बच्चे अत्यन्त गंभीर स्थिति में अन्य स्थानों से रैफर होकर भर्ती हुए उच्च स्तरीय उपचार के बावजूद भी उनको बचाना सम्भव नहीं हो पाया। किसी भी बच्चे की मृत्यु चिकित्सकीय उपचार में कमी, संसाधन, उपकरण की कमी से नहीं होना पाया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बच्चों की मौतों के मुख्य कारण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिला अस्पताल अलवर में दिनांक 31.12.2019 को न्यूबोर्न केयर यूनिट में रेडियन्ट वार्मर में आग लगने से नवजात शिशु की मृत्यु के प्रकरण में (दो) चिकित्सक एवं (तीन) नर्सिंग कर्मियों को निलम्बित किया गया व (दो) संविदा कर्मियों को बर्खास्त किया गया।

(3) जी नहीं। चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में बच्चों की मृत्यु चिकित्सकीय उपकरणों की कमी, पलंगों की कमी, शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी एवं सुविधाओं की कमी से नहीं हुई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सीय उपकरणों की कमी, वार्डों में पलंगों व आवश्यक सुविधाओं की कमी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

तथा शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी से बच्चों की मृत्यु होने के प्रकरण संज्ञान में नहीं आए हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में फीस में बढ़ोतरी

11. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. की फीस में बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रदेश के 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब व किन-किन जिलों में? क्या सरकार ने उक्त घोषणा की क्रियान्विति कर दी है? यदि हां, तो उक्त मेडिकल कॉलेजों की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या सरकार ने कोटा संभाग में भी नये मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(4) क्या सरकार ने उक्त मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया है?

(5) सरकार ने उक्त मेडिकल कॉलेजों के लिए कितनी राशि स्वीकृत कर दी है तथा उक्त मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय के संघटक राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर के यू.जी. (एम.बी.बी.एस.) की फीस के संबंध में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 30.01.2020 में यह निर्णय पारित किया गया है कि इस महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस व अन्य शुल्क राजमेस के मेडिकल कॉलेजों के समान होंगे। यह परिवर्तित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020-21 से लागू होगा।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े मेडिकल कालेजों में यू.जी. कोर्स (एमबीबीएस/बीडीएस) की फीस में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

के निर्देश हैं। राजमेस के अधीन मेडिकल कॉलेजों में यू.जी. कोर्स (एमबीबीएस) कोर्स की सीटों पर फीस में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के निर्देश है।

प्राइवेट मेडिकल कालेज (अनन्ता इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, राजसमन्द एवं अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, उदयपुर) की फीस में वृद्धि वर्ष 2019 में की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 14.06.2019 के द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण एवं विचार-विमर्श के लिए राज्य में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एन. भार्गव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया हुआ है। यह कमेटी आरयूएचएस से सम्बद्ध अनंता व अमेरिकन निजी महाविद्यालय की फीस का निर्धारण करती है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2014 में प्रस्तुत बजट 2014-15 में 07 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर, अलवर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाडा में स्थापित करने की घोषणा की गयी थी, जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत प्रथम चरण में स्वीकृत हुए। तत्पश्चात् भारत सरकार से अलवर के स्थान पर सीकर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का निर्णय प्राप्त हुआ। उक्त घोषणा के अनुक्रम में अब तक चिकित्सा महाविद्यालयों भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाड़ा में सत्र संचालित हो चुके हैं। सीकर में एकेडमिक सत्र 2020-21 में सत्र प्रारंभ करने के प्रयास किये जाएंगे।

(3) जी हां। राज्य के कोटा सम्भाग में बारां व बूंदी जिले में मेडिकल कॉलेज तृतीय चरण में खोले जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त मेडिकल कॉलेजों के निर्माण हेतु कार्यकारी एजेन्सी के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) उपरोक्त प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में 325 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये है, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है। उक्त मेडिकल कॉलेजों का निर्माण वर्ष 2023 तक पूर्ण होना संभावित है।

पुराने विधान सभा भवन में विश्वस्तरीय संग्रहालय की स्थापना

12. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित पुराने विधान सभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हाल में 'विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय' बनाये जाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त संग्रहालय के लिए बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संग्रहालय का कार्य प्रारम्भ हो चुका है? यदि हां, तो कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में पुरानी विधान सभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हाल में राजस्थान धरोहर संग्रहालय बनाए जाने की बजट घोषणा की गयी है। उक्त संग्रहालय बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

(2) जी हां। वित्त विभाग द्वारा उक्त संग्रहालय के लिए रुपये 200.00 लाख की सहमति प्रदान की गयी है।

(3) जी हां। उक्त संग्रहालय बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजसमन्द जिले के मन्दिरों में विकास कार्य

13. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमंद): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला राजसमन्द के श्री रूपनारायण सैवन्त्री, श्री चारभुजा, गढ़बोर, श्रीनाथजी, नाथद्वारा, श्री द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, अन्नपूर्णा माता मंदिर, राजनगर एवं अन्य मंदिरों के विकास के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

(2) वर्तमान एवं विगत वर्ष में सरकार ने उक्त जिले के किन-किन मंदिरों के विकास के लिए क्या-क्या कार्य करवाये व उक्त के लिये कितना बजट आबंटित किया गया व इसमें से कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(3) उक्त जिले के मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों पर यात्री सुविधा विकास के वर्तमान एवं विगत वर्ष में क्या-क्या कार्य करवाये गये एवं उक्त कार्यों के लिये कितना बजट आबंटित किया गया व कितना वास्तविक व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द के मदिरों के विकास के लिए कार्य योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

<table>
<tr><th>मंदिर</th><th>कार्य योजना</th></tr>
<tr><td>श्री रूपनारायण सैवन्त्री</td><td rowspan="2">देवस्थान विभाग द्वारा श्री रूपनारायण सैवन्त्री एवं श्री चारभुजा, गढ़बोर मंदिरों के सुनियोजित विकास हेतु मैसर्स सी.आर.सी.आई. इण्डिया प्रा.लि., नई दिल्ली से मास्टर प्लान तैयार कराया गया, जिसकी फाइनल रिपोर्ट फर्म द्वारा दिनांक 08.09.2016 को प्रस्तुत की गयी है। मास्टर प्लान के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये गये, जो वर्तमान में प्रगति पर हैं।</td></tr>
<tr><td>श्री चारभुजा, गढ़बोर</td></tr>
<tr><td>श्रीनाथजी, नाथद्वारा मंदिर</td><td>इस मंदिर के विकास कार्य नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा किए जा रहे हैं।</td></tr>
<tr><td>श्री द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली</td><td>यह ट्रस्ट मंदिर है। देवस्थान विभाग में इस मंदिर के विकास हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
<tr><td>अन्नपूर्णा माताजी मंदिर, राजनगर</td><td>यह अराजकीय मंदिर है। इस मंदिर के विकास की कोई कार्ययोजना देवस्थान विभाग में विचाराधीन नहीं है।</td></tr>
</table>

राज्य सरकार के अधीन अन्य प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों का विकास समय-समय पर आवश्यकतानुसार करवाया जाता है।

(2) वर्तमान एवं विगत वर्ष में सरकार द्वारा उक्त जिले के मंदिरों के विकास के लिए कराये गये कार्य एवं बजट आबंटन व वास्तविक व्यय विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(देवस्थान मंत्री)

(3) 1. यात्रियों की सुविधा हेतु मंदिर श्री रूपनारायण सैवन्त्री राजसमन्द में धर्मशाला का निर्माण कराया गया, जिस पर रु. 230 लाख का बजट देवस्थान संयुक्त निधि मद से आबंटित किया गया।

2. जिला राजसमन्द में यात्रियों की सुविधा हेतु मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए देवस्थान विभाग द्वारा राज्य मद से निम्न कार्य दिनांक 04.07.2017 को स्वीकृत कर समस्त कार्य कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण किये जा चुके हैं :-

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृत राशि (लाखों में)**	**व्यय राशि (लाखों में)**
1.	एन.एच. 8 से दादा देवराज मंदिर तक सीसी ब्लाक रोड निर्माण, ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द	24.61	21.24
2.	खेदरा से पिपलाज माता जी मंदिर तक सीसी रोड निर्माण, ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमंद	46.14	41.45
3.	दादा मंदिर की चारदीवारी निर्माण, ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमंद	20.39	14.08
4.	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण दादा देवराज मंदिर के पास, ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द	5.00	3.21
5.	माताजी कुण्ड पर सामुदायिक भवन का निर्माण, ग्राम बरार तहसील भीम जिला राजसमंद	5.00	3.73

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवली-उनियारा में चरागाह-आबादी क्षेत्र में विनियमन के लम्बित प्रकरण

14. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में चरागाह एवं आबादी क्षेत्र में आपसी विनियमन के कितने प्रकरण लम्बित हैं? उक्त का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में चरागाह एवं आबादी क्षेत्र में आपसी विनियमन का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। प्रकरण लम्बित नहीं होने से शेष प्रश्न की सूचना शून्य है।

चम्बल की नहरों के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने की कार्य-योजना

15. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षों में सी.ए.डी. (चम्बल) की नहरों, ड्रैनेज आदि निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं? यदि हां, तो कितनी तथा उनमें से कितनी स्वीकृत तथा कितनी निरस्त की गयी? कार्यवार नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कितने कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं? कार्य अपूर्ण रहने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवाने तथा कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत 5 वर्षों में सीएडी चम्बल की नहरों के निर्माण कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। वर्ष 2015-16 में 10 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, उनमें से राज्य सरकार द्वारा एक कार्य की निविदा स्वीकृत की गई तथा 9 कार्यों की निविदाएं निरस्त कर दी गईं। वर्ष 2016-17 में 8 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गयीं, उनमें से राज्य सरकार द्वारा 7 कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गयीं तथा एक कार्य की निविदा निरस्त कर दी गई। वर्ष 2017-18 में 9 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गई, उनमें से राज्य सरकार द्वारा 7 कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गयीं तथा 2 कार्यों की निविदाएं निरस्त कर दी गई। वर्ष 2018-19 में 2 कार्यों की

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

निविदाएं आमंत्रित की गयीं, उनमें से राज्य सरकार द्वारा एक कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी तथा एक कार्य की निविदा निरस्त कर दी गयी।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की निविदाएं	**आमंत्रित निविदाओं की संख्या**	**स्वीकृत निविदाओं की संख्या**	**निरस्त की गई निविदाओं की संख्या**
सीएडी चम्बल की नहरों का जीर्णोद्धार/ ड्रैनेज कार्य	29	16	13

नोटः- सीएडी चम्बल की ड्रैनेज प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य के लिए डीपीआर बनाने की निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसकी डीपीआर तैयार कर ली गयी है। स्वीकृत निविदाओं के कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों में से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। सभी 16 कार्य अपूर्ण हैं। इनमें से 6 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 10 कार्य सम्बन्धित संवेदकों द्वारा बन्द कर दिये गये हैं। इनमें से 8 संवेदकों के विरुद्ध अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाकर शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु पुनः निविदाएं आमंत्रित की जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं 2 कार्यो पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश होने के कारण वर्तमान में कोई कार्यवाही की जानी संभव नहीं है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) कार्य पूर्ण नहीं करने वाले 8 संवेदकों के विरुद्ध अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार कार्यवाही करते हुए उन पर शास्ति आरोपित की गयी है एवं उनकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर शेष बचे कार्य को पूर्ण करवाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है। 2 कार्यों के संवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय से शास्ति एवं रिस्क एण्ड कोस्ट की कार्यवाही पर स्थगन आदेश प्राप्त किये हुए हैं। सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में विधि महाविद्यालय की स्थापना

16. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में गत चार वर्षों में कितने विधि महाविद्यालय कहां-कहां पर खोले गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह रावत)

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर में विधि महाविद्‌यालय नहीं होने के कारण यहां के विद्‌यार्थियों को अन्यत्र प्रवेश के लिए जाना पड़ता है?

(3) क्या सरकार ब्यावर में विधि महाविद्‌यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में गत चार वर्षों में राजकीय एवं निजी क्षेत्र में खोले गये महाविद्‌यालयों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय ब्यावर में राजकीय विधि महाविद्‌यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थानी भाषा को द्‌वितीय राजभाषा का दर्जा देने की कार्य-योजना

17. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में राजस्थानी भाषा को द्‌वितीय राजभाषा का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे कितने नागरिक हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा को अपनी मातृ भाषा बताया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थानी भाषा को राजस्थान राज्य की द्‌वितीय राजभाषा का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्ष 2011 की जनगणना में जनगणना विभाग द्‌वारा जारी आंकड़ों में भारत में राजस्थानी मातृभाषा बोलने वालों की कुल संख्या 2,58,06,344 तथा राजस्थान में कुल संख्या 2,52,79,304 दर्शाई गयी है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त पद

18. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा से संबंधित कितने विद्यालय व महाविद्यालय कहां-कहां पर संचालित हैं तथा उक्त में विभिन्न श्रेणियों के कितने पदों पर कार्मिक पदस्थापित हैं व कितने रिक्त पद हैं? संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन 12 राजकीय आचार्य, 18 शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, 144 वरिष्ठ उपाध्याय, 228 प्रवेशिका, 969 उच्च प्राथमिक एवं 425 प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 06 उच्च प्राथमिक स्तर, 10 प्रवेशिका स्तर एवं 48 वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने एवं 05 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने की स्वीकृति फरवरी माह में जारी की गयी है। संस्थानुसार स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। महाविद्यालय के शैक्षिक पदों को भरने हेतु महाविद्यालय सेवा नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम बनने एवं अनुमोदन के उपरान्त भर्ती प्रक्रिया संभव हो सकेगी।

उक्त संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। शेष 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर दिनांक 03.2.2020 से 06.02.2020 तक काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 100 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

शारीरिक शिक्षक III ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है।

अध्यापक के 226 पदों पर विभागीय स्तर पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कनिष्ठ सहायकों के 131 पदों की अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई हुई है।

प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)